खण्ड-348, अंक-5
मंगलवार, 14 माघ, शक संवत् 1902
(3 फरवरी, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 348 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	625–628
प्रश्नोत्तर ..	629–743
सीतापुर जिले में सरकारी वितरण केन्द्रों पर यूरिया खाद के स्टाक की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	743
ग्राम मकरंदापुर, थाना भोगनीपुर (कानपुर) में अर्जक संघ द्वारा ड्रामा खेले जाने पर पुलिस द्वारा रोक तथा अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	744
प्रदेश के डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	744–745
जनता इन्टर कालेज, अम्बारी, जनपद आजमगढ़ के शिक्षकों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के सामने धरना देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	745
बागपत, जिला मेरठ में घटित घटना तथा उसके सम्बन्ध में जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	745–746
उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	746
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण–पत्र, 1976–77 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	746
उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	747
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1978–79 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	747
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	747
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	747
वित्त बिक्री–कर अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं) ..	747–749
उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (पुरः स्थापित किया गया) ..	749
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (पुरः स्थापित किया गया) ..	749

विषय		पृष्ठ संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	749–753
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	753–816
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	816
वाराणसी में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज के प्रतिक्रिया-स्वरूप प्रदेश में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों के बहिष्कार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	816–821
परिशिष्ट	..	823–850

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 3 फरवरी, 1981 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–327

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ला श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त उर्फ बालराज, श्री (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (मेरठ)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (गोरखपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छतर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदालाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)

जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
बलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपू उर्फ दीप नारायन, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देहरादून)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (कहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रबीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोतम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशोधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह बिशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दीहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)

माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मो0 नबी खां, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, श्री कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम, पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रूंहा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टेहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर पौड़ी (गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्य पाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदांयू)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मंत्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री मारकण्डेय चन्द्र—

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

*2—श्री नन्द किशोर सिंह—

[[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सुरहन, जिला वाराणसी के प्राइमरी अध्यापक स्व0 श्री भोला नाथ के जी0 पी0 एफ0 एवं जीवन बीमा की धनराशि

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सुरहन, पोस्ट बरवां बाजार, जिला वाराणसी के सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला श्री भोला नाथ की मृत्यु लगभग एक वर्ष पूर्व हो गयी है ? यदि हां, तो उनकी विधवा पत्नी के जीवन निर्वाह हेतु अभी तक जीवन बीमा, जी0 पी0 फंड तथा ग्रेच्युटी की धनराशि न देने का क्या कारण है ? सभी धनराशि का भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

जी हां । सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत स्व0 श्री भोला नाथ की विधवा पत्नी को 9-1-1981 को भुगतान किया जा चुका है । सामान्य प्राविधा पी निधि की धनराशि तथा अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्ष अधिकारी, वाराणसी द्वारा कार्यवाही की जा रही है । विधवा द्वारा पूर्ण पत्रजात प्रस्तुत न किये जाने के कारण इन धनराशियों का भुगतान अब तक नहीं किया जा सका है । सभी धनराशि का भुगतान यथा संभव वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक किये जाने का प्रयास जारी है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जबाब दिया है, मैं जानकारी के तौर पर माननीय मंत्री जी को यह बताते हुए कि जो 9-1-81 को भुगतान किया जा चुका है यह दिखाया गया है, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि यह भुगतान नहीं किया गया है, जवाब गलत है और मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि क्या इसकी किसी दूसरे अधिकारी द्वारा जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, जांच कराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि रु012,375.33 का चेक संख्या 545/85, दिनांक 9-1-81 को दिया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, चैक का नम्बर माननीय मंत्री जी ने जरूर दे दिया है लेकिन जिस व्यक्ति को यह पैसा दिया जाना है उसको अभी तक भुगतान नहीं किया गया है उसकी प्राप्ति शायद मंत्री जी के पास नहीं होगी। यह जो 9-1-81 तक भुगतान का जवाब दिया गया है, यह जवाब गलत है। क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मान कर पुनः किसी दूसरे अधिकारी से जांच करवाने का कष्ट करेंगे ? दूसरी बात यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जा रही है और दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि विभाग द्वारा पूर्ण कागजात प्रस्तुत न किये जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जहां तक कागजात की बात है, कागजात एक बार नहीं कई बार वहां पर दिया गया और संबंधित कर्मचारी कागजात फाड़कर फेंक देते हैं। मान्यवर, कागजात भी दिये जा चुके हैं। क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच किसी दूसरे अधिकारी द्वारा पुनः करवा कर भुगतान शीघ्र करवा देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, यह धनराशि जो बतलाई गयी है, वह जीवन बीमा निगम की है। यदि माननीय विधायक जी कहते हैं कि चेक बन गया है और उसे मिला नहीं है, तो उसे मैं दिखवा लूंगा।

राजकीय इन्टर कालेज भिकिया सैण में अध्यापकों के रिक्त पद

*4—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी, राजकीय इन्टर काले जभिकिया सैण में माह जुलाई 80 से 12 अध्यापक नहीं हैं ? उससे छात्रों के पठन-पाठन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? क्या सरकार छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए उक्त विद्यालय में तुरन्त अध्यापक भेजने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

राजकीय इन्टर कालेज, भिकियासैण में जुलाई, 1980 में अध्यापकों के केवल 5 पद रिक्त थे। रिक्त पदों की पूर्ति के आदेश कर दिये गये हैं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मन्त्री जी कहती हैं कि 5 पद रिक्त थे और अभी भी रिक्त चल रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वहां पर 12 स्थान रिक्त हैं, अब कुछ भर गये हैं, लेकिन कुछ अभी भी रिक्त हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने सारे पदों की जुलाई से पूर्ति क्यों नहीं की गई और कब तक इसको पूरा कर देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जुलाई में केवल 5 पद रिक्त थे एक प्रधानाचार्य का और 4 प्रवक्ता के तथा एक सी0 टी0 के पद इस तरह से कुल 6 पद रिक्त थे। प्रधानाचार्य ने 13 नवम्बर, 1980 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है, हिन्दी प्रवक्ता ने 9 अक्टूबर, 1980 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है यह सूचना बिल्कुल

सही है इसके अतिरिक्त 4 पदों के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं कि वह अध्यापक ज्वाइन करें । इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं । लेकिन सभी रिक्तियों की पूर्ति कर दी गई है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि आदेश कब निर्गत किये गये और यह रिक्तियां कब तक पूरी कर दी जायगी इसी सत्र में या दूसरे में ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने 24 तारीख को एक पत्र भेजा कि जिन पदों की रिक्तियों के बारे में आदेश निर्गत हुए हैं, उसके बारे में आख्या भेजें की उन टीचर्स ने ज्वाइन किया या नहीं किया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं इस सदन को विश्वास दिला रहा हूं, यह मेरे क्षेत्र में है वहां पर 12 स्थान रिक्त हैं, माह सितम्बर में हड़ताल हुई थी लोग मेरे पास आये थे, मेरा घेराव भी हुआ था, मैंने माननीय मन्त्री जी को लिखा भी था लेकिन माननीय मन्त्री जी इस बात को मानती हैं कि वहां पर 5 पद रिक्त हैं, माननीय मन्त्री जी नीचें से जो रिपोर्ट आती हैं, उसी पर विश्वास करती हैं मेरी बातों पर नहीं करती हैं जब कि हम लोग भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं । मैं निश्चित कह सकता हूं कि 12 स्थान रिक्त थे यह आपको धोखा दिया गया है और वहां के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया है कि 5 स्थान रिक्त थे,इसलिए मैं चाहता हूं यह बिल्कुल धोखा है वहां पर 12 स्थान रिक्त हैं, दूसरी बात जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इन पदों को कब तक भरा जायेगा और क्या इसकी जांच करायेंगी कि वहां 12 स्थान रिक्त थे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, यह कहते हैं कि 12 पद रिक्त थे, आप कहती हैं 5 रिक्त थे तो क्या इसकी जांच कराने की आप आवश्यकता समझती हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अवश्य जांच कराऊंगी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, हाईस्कूल और इन्टर की परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो गई हैं और यह फरवरी का महीना आ गया है, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों ने अभी तक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त नहीं किये, क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे कि जिनके कारण छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, इस समय जो सूचना है, उसके अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है । इसके लिए आदेश जारी हुये हैं जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया । उन्होंने ज्वाइन किया कि नहीं ज्वाइन किया, इस बात को देख लेंगे ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, केवल पर्वतीय अंचल की बात नहीं है, 92% विद्यालय ऐसे हैं कि जहां अभी तक भी अध्यापक नहीं पहुंचे हैं। मैंने इसलिये प्रश्न को उठाया है, तो मेरी जानकारी को निश्चित करने के लिए कि खासकर गढ़वाल, अल्मोड़ा और चमोली जिलों के विद्यालयों में 92% विद्यालयों में पूरे अध्यापक आज भी नहीं हैं, क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि जो विद्यालय अध्यापक-विहीन हैं, वहां भविष्य में अध्यापक भेजन की कृपा करेंगे और जिन अधिकारियों की वजह से ये अध्यापक वहां अभी तक नियुक्त नहीं हो सके, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपने तो अपने प्रश्न को व्यापक बना दिया। यह तो केवल एक इन्टर कालेज से सम्बन्धित था। अब इसको पूरक की तरह से पूछ लें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि अभी तक इन विद्यालयों में अध्यापक नहीं आये हैं। तो, मान्यवर, इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी करा ली जाये और जो गलतबयानी माननीय मन्त्री जी ने सदन में किया है, और कहा है कि पूरे अध्यापक हैं, तो सही जवाब देने के लिए मान्यवर, कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उसकी जानकारी करा लेंगे कि अध्यापकों ने ज्वाइन किया कि नहीं। वह तो उन्होंने खुद आश्वासन दे दिया है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, फरवरी का महीना है मार्च से इम्तहान हैं। तो क्या मन्त्री अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जांच के लिए आश्वासन दे सकते हैं

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, पहाड़ों में इस तरह की समस्या आती है कि वहां पर जो अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं, वे 2/3 महीने रहने के बाद नीचे को भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए विचार कर रहे हैं कि एक हिल कैडर टीचर का अलग से बना दिया जाये, जिससे कि यह परेशानी भविष्य में न आये।

राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ की कथित प्लास्टिक शिल्प एड

*5--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ को प्लास्टिक शिल्प की ऐड दी जाती है ? यदि हां, तो प्लास्टिक शिल्प की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ? इसके अतिरिक्त अभी तक दी गई ऐड को किन-किन मदों में खर्च किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

पाठ्यक्रम में "प्लास्टिक शिल्प" नामक कोई मान्य शिल्प नहीं है । अत: एड देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सन्त बख्श रावत--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि प्लास्टिक उद्योग की अत्यधिक मांग को देखते हुये क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि प्लास्टिक शिल्प को मान्य शिल्प बनाने का कष्ट करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अभी इस प्रश्न के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया है । यदि आप अपना प्रार्थना-पत्र भिजवायें कि इस सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो विचार किया जायेगा ।

आई० ए० एस० एवं आई० पी० एस० अधिकारियों की अनुभव के आधार पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति

*6--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जिलों में परिपक्व और स्वच्छ प्रशासन के लिए कम से कम 10 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव वाले आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को क्रमशः जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया जाय ? यदि हां, तो उक्त योजना पर शासन कब से विचार कर रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

कम से कम दस वर्ष के प्रशासनिक अनुभव वाले आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों को ही क्रमशः जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के पदों पर तैनात करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जैसा कि उनके द्वारा निर्मित है और माननीय सदस्यों का भी मत है कि पूरे प्रदेश का स्वच्छ प्रशासन होना चाहिए, तो क्या इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि आज जो जिलों-जिलों में नये-नये पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश बैठा दिए हैं, जिनका रिकार्ड भी अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों के प्रशासन के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इस सम्बन्ध में मेरी राय यही है कि वर्त्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेई--

इस समय जब कि विधायक पूरी तरह से शिक्षा व अनुभव ग्रहण करके पहुंचता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि अभी बेचारे को अनुभव नहीं है, मंत्री पद संभाल सकेगा या नहीं और जब कि यह छोकरे कुछ किताबें पढ़कर ही प्रशासन चलावेंगे, तो किस प्रकार चलाएंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लल्लू सिंह चौहान--

आज यहां हर जिले की बिगड़ी हुई स्थिति और बिगड़ी हुई हर जगह की शान्ति और व्यवस्था का आखिर कारण क्या है ? इस सम्बन्ध में प्रशासन का कुछ तो दोष होगा ही । यह ला-एन्ड-आर्डर की बिगड़ी हुई स्थिति का तो कोई न कोई जिम्मेदार होगा ही । माना कि इस समय स्थिति कुछ खराब है, दैवी आपदा है आपके साथ । इसलिए स्थिति कुछ खराब हो गई है । लेकिन यह जो 28-28 साल के लड़के भेज देते हैं, जिनकी अक्षमता और अनुभव हीनता के कारण ही आज इस स्थिति का सामना प्रदेश को करना पड़ रहा है । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक आदेश दें ताकि कुछ सुधार हो सके ।

श्री ब्रह्म दत्त--

चौमुखी स्थिति सुधारने के लिए सुधार कार्य चालू है । वर्तमान स्थिति में फिलहाल कोई अन्य आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन में यह तय हुआ था कि 10 साल के अनुभव वाले प्रशासनिक अधिकारी ही जिलों में भेजे जायेंगे । लेकिन इस समय ऐसा न करके बल्कि इसके विपरीत यह हो रहा है कि नये-नये कम उम्र वाले अधिकारी भेज देते हैं और सरकार द्वारा उनको विकेन्द्रीकरण के अधिकार भी दिए जा रहे हैं । परन्तु सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सुधार जारी है । वह ठीक है, परन्तु इस समय सुधार के लिए क्या सरकार ने कोई रास्ता देखकर कोई योजना तैयार की है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन का पालन हो सके ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इस समय जो भी अधिकारी जिलों में भेजे जाते हैं, यहां की स्थिति को देखते हुए ही परिपक्व और कर्मठ अधिकारी भेजे जाते हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेई--

इस समय मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश के अनेक ऐसे जिले हैं, जहां पर कम आयु वाले जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक तैनात हैं, जिनकी अयोग्यता और अनुभवहीनता के कारण जो स्थिति सामने आ रही है और आगे आने वाली है तो क्या सरकार उसको भुगतने के लिए तैयार है ?

(शोर)

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अध्यक्ष जी, आप दिलवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष --

उत्तर दिलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब ऐसी स्थिति सामने आवेगी तो वे स्वयं ही उसको भगतने के लिए तैयार हो जायेंगे ।

(शोर)

श्री ऊबल--

क्या सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और क्या सरकार यह समझ रही है कि उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है या अब इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि प्रशासन की क्षमता बढ़ सके ?

श्री ब्रह्म दत्त --

यह तो दैनिक प्रशासन का मामला है । हर समय हम क्षमता बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि कम अनुभव वाले आई0ए0एस0 आफिसर पी0 सी0 एस0 आफिसरों के ऊपर बिठा दिए जाते हैं इससे उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त --

इस समय 6 वर्ष की सेवा के 8, 7 वर्ष की सेवा के 8, 8 वर्ष की सेवा के 9, 9 वर्ष की सेवा के 6 व 10 वर्ष व इससे ऊपर सेवा के 25 अधिकारी जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं । इनमें से 43 अधिकारी सीधी भर्ती के हैं और शेष प्रोन्नत ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपनी निश्चित सूचना के अनुसार पूछ रहा हूं कि बाराबंकी जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में बलराज को भेजा है, मान्यवर, बाराबंकी प्रशिक्षण केन्द्र बना हुआ है, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिलाधिकारी अनुभवशील व्यक्ति हैं, दोनों की तुर्रा-तुर्री में पूरा प्रशासन चौपट होता जा रहा है ।

श्री ब्रह्म दत्त --

अगर किसी जिले में प्रशिक्षण केन्द्र बन जाए, तो उस जिले वालों को इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आई0 ए0 एस0 या आई0 पी0 एस0 को जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक बनाने का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है । अतः सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए और जिस कमीशन का जिक्र गुप्ता जी ने किया है उसकी

श्री राम आसरे वर्मा--

संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए 10 वर्ष के अनुभव वाले आई० ए० एस० या आई० पी० एस० को जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया जाए, इस पर विचार करेगें ?

श्री ब्रह्मदत्त--

किसी व्यक्ति की क्षमता का आधार वर्ष नहीं होता । उसकी योग्यता और कर्मठता होती है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मेरी अवस्था भी 44 के करीब हो रही है । एक आई० ए० एस० अधिकारी हमारे यहां हैदरगढ़ में परगनाधिकारी के रूप में भेजा गया है श्री वर्मा जिस समय लोग उसके सामने खड़े होते हैं और मैं भी जाता हूं तो उसको देख कर मैं अपने को कोसू या उनको, इसका क्या उपाय है ?

श्री पंचानन--

यह जो सवालों की गड्डी है और बाजपेयी जी ने जो सवाल पूछे हैं, उनको सामने रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्षेत्रों की स्थिति कुछ हो रही है और सवालों के जबाब कुछ दिए जा रहे हैं ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई नीति मूलक वक्तव्य तो आप दिला दें क्योंकि हम लोगों को झेलना पड़ रहा है ।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

फर्रुखाबाद जिले के अतिरिक्त लोक अभियोजक का कार्यकाल

*7--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के ए० डी० जो० सी० (क्रिमिनल) एवं पैनल लाइयर्स (क्रिमिनल) का कार्यकाल 1 जनवरी, 1980 को समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो इनको पृथक कर नई नियुक्तियां न करने का क्या कारण है ?

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

जनपद फर्रुखाबाद के कतिपय अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रेणी-2 व 3 के कार्यकाल जनवरी-फरवरी, 1980 में समाप्त हो गये और वे तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हैं । उनके कार्यकाल के नवीनीकरण का प्रश्न जिले से पूर्ण प्रस्ताव व सूचना प्राप्त होने के अभाव में अभी विचाराधीन है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, जनवरी 80 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, फरवरी, 81 चल रहा है । क्या जिले से उनके नवीनीकरण या नई नियुक्ति के सम्बन्ध में संस्तुतियां मांगी गयीं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । संस्तुतियां मांगी गयी हैं । जिलाधिकारी को कई बार लिखकर भेजा गया है । अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । आने पर कार्य किया जायेगा ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जिले के प्रशासन से किस तारीख को संस्तुतियां प्राप्त की और दूसरा, क्या यह सही नहीं है कि फर्रुखाबाद जनपद के विधायकों ने 3-7-80 को ही एक पत्र इस सम्बन्ध में दिया था ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने दिनांक 26-2-80 को सूचित किया था कि उन्होंने नवीनीकरण हेतु न्यायाधीश की संस्तुति मांगी है । वहां से अभी प्राप्त नहीं हुई । पुनः 3-4-80 को न्यायाधीश से संस्तुति शीघ्र भेजने का अनुरोध किया है । 3-5-80 को पुनः स्मरण कराया गया है ।

होमगार्ड विभाग द्वारा ऊनी कपड़े एवं कोट की खरीद में भ्रष्टाचार

*8--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल में ही ऊनी कपड़े तथा कोट की खरीद के बारे में होम गार्ड विभाग में भारी भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रकाश में आया है ? क्या कपड़ा अमृतसर की किरण टेक्सटाइल्स मिल से खरीदा गया था ? यदि हां, तो विवरण क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

जी नहीं । बल्कि 1978-79 में ग्रेटकोट तैयार करने के लिए 5432 मीटर कपड़ा खरीदा गया था जिसमें 392 मीटर कपड़ा स्तरीय नहीं था, उतनी लम्बाई के कपड़े की फर्म से स्तरीय कपड़े द्वारा प्रतिपूर्ति कर ली गयी थी । जी नहीं । कपड़े की खरीददारी से सम्बन्धित क्वार्टर मास्टर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी और उन्हें विभागीय कार्यवाही में दोषी पाकर उनकी सत्य निष्ठा प्रमाणित नहीं की गयी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कपड़ा शेष बच रहा है और जिस कपड़े के कोट बन चुके थे, उसका कोई भौतिक या रासायनिक परीक्षण किया गया था ? यदि किया गया था, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जिस 392 मीटर कपड़े के सम्बन्ध में चर्चा की गई है, उसमें पहले ही सब कपड़ों के कोट नहीं बन गये थे । जिन कपड़ों के कोट बन गये थे, उनकी भी जांच हुई और जिनके नहीं बने थे, उनकी भी जांच हुई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय जांच हुई, उस समय तीन सौ कुछ मीटर कपड़ा स्टाक में पाया गया, बाकी के कोट बन चुके थे, तो जिस कपड़े के कोट बन चुके थे, उसके बारे में कैसे पता लगा कि वह ठीक था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, यह कपड़ा खरीदने के पहले इसका परीक्षण क्वालिटी मार्केटिंग सेन्टर, अमृतसर में कराया गया । "रेन्डम सैम्पलिंग" में जो कपड़ा सही पाया जाता है, उसे ठीक माना जाता है । लेकिन जब शासन के समक्ष यह बात आयी, तो यह पाया गया कि कपड़ा उस स्तर का नहीं था, जिस स्तर का कपड़ा परीक्षण के दौरान बताया गया था। यह 1978-79 का केस है ।

श्री ख्वाजा हलीम--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि "रेन्डम सैम्पलिंग" किस तरीके से लिया जाता है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, 'रेन्डम सैम्पलिंग' के लिए एक क्वालिटी मार्केटिंग सेन्टर, अमृतसर म है । जो गाठें ली जाती हैं, उसमें कहीं से भी कपड़ा निकाल लिया जाता है कि क्या यह स्टैन्डर्ड के हिसाब से है या नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी के अनुसार सिलाई से पहले इसकी जाँच हो चुकी थी, उसके बाद यह दोषपूर्ण पाया गया, तो पहले किस एजेन्सी से जाँच कराई गई थी और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? मैं अपने प्रश्न को फिर दोहरा रहा हूं, क्या यह सही है कि सतर्कता विभाग ने उस जगह जाकर केस पकड़ा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जहां तक परीक्षण कराये जाने का प्रश्न है, परीक्षण पंजाब सरकार के क्वालिटी मार्केटिंग सेन्टर, अमृतसर में कराया गया था । उसके बाद जो गड़बड़ी जानकारी में आयी, तो उसकी जाँच हुई । इसकी और विस्तृत जानकारी के लिए शासन सतर्कता विभाग से इसकी जांच करा रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं 3 बार प्रश्न कर चुका हूं लेकिन सरकार इसको जानबूझ कर दबा रही है । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है । जिस कपड़े के कोट बन चुके थे, वे भी पकड़े गये, तो उसका परीक्षण कराया गया या नहीं और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जिस कपड़े के कोट बन चुके थे, उसके खराब होने की जानकारी शासन के समक्ष नहीं है । अगर माननीय सदस्य को जानकारी है, तो उसको दे दें, उसकी जानकारी करा ली जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस कपड़े के कोट बन चुके थे, उसका भौतिक और रासायनिक परीक्षण कराया गया ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, कोट बनने के पूर्व कपड़ा देखा जाता है। जो कपड़ा खराब आ गया उसकी प्रतिपूर्ति कर ली गयी थी और उसके कोट नहीं बने।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, कोट बनने के बाद क्या परीक्षण कराया गया था या नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, कोट बनने के बाद, बने हुए कोट में कोई शिकायत नहीं थी, वह ठीक पाये गये। बने हुये कपड़े की कोई जाँच कराने की आवश्यकता नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सतर्कता विभाग ने कोट पकड़े कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, कोट पकड़े जाने की कोई जानकारी शासन के समक्ष नहीं है। अगर माननीय सदस्य को कोई जानकारी हो, तो बता दें कि वह कोट कहां-कहां है। जानकारी करा ली जायगी।

*9—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

मधुरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिबाई, जिला बुलन्दशहर के प्रधानाचार्य, श्री दिगम्बर सिंह वर्मा का निलम्बन

*10—श्री छत्तर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि कार्यकारिणी मधुरिया उ0 मा0 विद्यालय डिबाई, बुलन्दशहर में गम्भीर गबन के आरोपों में दिनांक 18-8-80 को श्री दिगम्बर सिंह वर्मा, प्रधानाचार्य को निलम्बित कर दिया था जिसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बुलन्दशहर में प्राप्त करा दी थी परन्तु उसके बावजूद भी जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर ने उनको निलम्बित नहीं माना ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या सरकार इस पर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

मधुरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिबाई की एक प्रबन्ध समिति ने श्री दिगम्बर सिंह वर्मा, प्रधानाचार्य को निलम्बित किया। यह निलम्बन दिनांक 25-8-80 से प्रभावी मानते हुए श्री राम सिंह, प्रबन्धक ने जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर को दिनांक 30-8-80 को इसकी सूचना दी।

प्रधानाचार्य के निलम्बन के पूर्व ही दिनांक 10-3-80 को विद्यालय की साधारण सभा द्वारा एक नई प्रबन्ध समिति का गठन कर लिया गया जिसके प्रबन्धक श्री नाहर सिंह चुने गए। विधिवत रूप से चयनित प्रबन्ध समिति को जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिनांक 26-8-80 को मान्यता प्रदान कर दी और नव गठित

[श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी---]

प्रबन्ध समिति ने प्रधानाचार्य के निलम्बन को समाप्त कर दिया। जिसके कारण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्य के निलम्बन को प्रभावी नहीं माना गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*11---श्री सत्यपाल सिंह यादव, श्री नाजिर अली---

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

*12---श्री पंचानन---

[दिनांक 7-10-80 के तारांकित प्रश्न संख्या 12 द्वारा उत्तरित]

श्री ए0 पी0 सिंह, प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के विरुद्ध एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं पीटे जाने की घटना

*13---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अक्तूबर 1980 के अन्तिम सप्ताह में राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, लखनऊ के किसी क्लब में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में पीटे गए ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मंत्री जी कितना असत्य बोल सकते हैं, इसकी कल्पना हम आप कोई नहीं कर सकते हैं । मैं आपकी इजाजत से अखबार से जो अंग्रेजी में है, सुना देना चाहता हूं जिससे मंत्री जी की याद ताजा हो जायगी । यह 'नेशनल हेराल्ड' में है । इसमें लिखा है "ए सीनियर ब्लो टू आई0 ए0 एस0 केडर"। एक आई0 एस0 एस0 अफसर एक क्लब में गए थे । मिलीटरी परसनल की एक नव विवाहिता स्त्री को पकड़ने की उन्होंने कोशिश की और उससे आगे बढ़ने की कोशिश की । मिलीटरी अफसर ने कहा कि हम जान से मार डालेंगे । यह 30 अक्तूबर के नेशनल हेराल्ड में है । मान्यवर, इसके अलावा नार्दन इंडिया पत्रिका में है "टाप लेविल बिड टू सेव आई0 ए0 एस0 मैन" इसमें साफ लिखा है "दि स्टेट गवर्नमेन्ट हैज आर्डरड इन्क्वाइरी इन टू दि एफेयर, बट नोधिंग इज एक्सपेक्ट टू डेवलेप एज दि आई0 ए0 एस0 मैन कर्नर्ड इज सेड टू बी इन "गुड बुक्स" आफ पीपुल हू मैटर ।"

यह स्पष्ट है कि स्टेट गवर्नमेन्ट ने कोई इन्क्वायरी सेट अप की थी । लेकिन उत्तर में कुछ नहीं आया है ।

"मिस्टर सिंह हैज प्रोसीडेड आन वन मंथ्स लीव ।" नार्दन इंडिया पत्रिका में दूसरी न्यूज है ।

"दि एडमिनिस्ट्रेटर, नगर महापालिका, मिस्टर ए० पी० सिंह, अन इन्स ट्रक्शन्स फ्राम दि स्टेट गवर्नमेन्ट, हन्डेड ओवर चार्ज आफ हिज आफिस टू दि डी० एम० मिस्टर ए० के० रस्तोगी दिस आफटरनून ।" यह सारी बातें स्पष्ट हैं । उसके बाद भी मंत्री जी कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता है । उच्च स्तरीय अभियान, उस आई० ए० एस० आफिसर को बचाने के लिये सरकार ने जांच के आदेश दे दिये हैं लेकिन उसका परिपालन होना संभव नहीं है, उसको बचाया जा रहा है । दूसरी न्यूज है कि शासन के आदेश से उस अधिकारी को तत्कालीन पद से हटा दिया गया है और वह एक महीने की छुट्टी पर चला गया है । यह प्रचारित समाचार है और उसके बाद भी मंत्री का आदेश है कि इसकी जांच की जाय । उन्हीं के आदेश से अधिकारी को हटाया गया और फिर कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता है । इसलिये मैं मंत्री जी से नहीं मान्यवर, आपसे जानना चाहता हूं कि यह प्रदेश इस तरह से कहां जा रहा है, मंत्री जी कितनी गलतबयानी करेंगे, विशेषाधिकार की कितनी सूचनायें दें ? इस पर मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं स्वतः कुछ नहीं जानता, आप जो बताते हैं उससे जानता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न के बारे में मंत्री जी को क्या कहना है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

अखबार में छपा है यह सही है । इस बारे में छानबीन की गयी तो न मुख्य मंत्री के कार्यालय में ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है, न सतर्कता विभाग, न अभ्यर्थना विभाग और न गृह विभाग के पास ही ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है । गृह विभाग ने सूचित किया है कि इस मामले में कोई जांच के आदेश नहीं किये गये । मान्यवर, एक चीज मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि एक पत्र हमको मिला है उस क्लब की ओर से जो नार्दन इंडिया पत्रिका को लिखा है, उसमें भी इस चीज का खंडन किया गया है । यह निष्कर्ष निकालने की बात व्यक्तिगत है । लेकिन शिकायत सरकार के पास नहीं है । उसकी कापी हमको प्राप्त हुई है जिसमें चार बातें कही गयी हैं और चौथी बात है कि किसी क्लब के प्रबन्धकों की ओर से इस प्रकार की किसी घटना की सूचना हमको नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इसी न्यूज में एक तथ्य और है ।

"ए नम्बर आफ अदर कम्पलेन्ट्स हैव बीन रिसीवड बाई दी गवर्नमेन्ट थ्रू इट्स वैरियस सीकरेट् सर्विसेज एबाउट दि सेम आफिसर फार मिस बिहेविंग बिद बूमैन आफटर गेटिंग ड्रंक" फिर भी मंत्री जी कहते हैं कहीं से कोई शिकायत नहीं है । खबर में साफ है कि जो अन्य एजेन्सी हैं उनके द्वारा उस आफिसर के अलावा और भी शिकायतें आई हैं । इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में उस अधिकारी के ट्रान्सफर के कोई आदेश दिये, क्या कोई इन्क्वायरी का आदेश गया, क्या वह अधिकारी एक महीने की छुट्टी पर चला गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह घटना से सम्बन्धित प्रश्न है, इसके बारे में कोई शिकायत जितने विभाग मैंने बताये उनमें शिकायत नहीं है और न उसकी जांच की गयी । व्यक्ति से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न हो सकता है लेकिन यह तो घटना से सम्बन्धित है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मंत्री जी यदि इस अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी तो तत्काल उससे क्यों चार्ज लिया गया ? चार्ज लेने का कारण क्या था और तत्काल उनको उस पद से मुक्त करने का क्या कारण था, क्या मंत्री जी इनको बतायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह एक घटना के सम्बन्ध में प्रश्न है, जिसके बारे में मैंने तथ्य दिये, लेकिन चार्ज के सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न होना चाहिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रश्न का इससे सम्बन्ध है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक ही सज्जन पूछें ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । नौटियाल साहब ने एक प्रश्न किया और आपने अनुमति दे दी । परन्तु मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता । अब मान्यवर, कौन निर्णय करेगा ? यह अध्यक्ष पीठ निर्णय करेगी या मंत्री जी निर्णय करेंगे या एक साधारण व्यक्ति निर्णय करेगा कि यह प्रश्न होता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय नौटियाल साहब ने एक प्रश्न यह किया कि अगर यह घटना से सम्बन्धित नहीं है, तो तत्काल उनको क्यों हटाया गया, उनको हटाने का क्या कारण था । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैंने आपको कहा कि उस अधिकारी को किस

वजह से हटाया गया । अब क्या उत्तर आप दे रहे हैं या आप उत्तर देना चाहते हैं और अगर यह प्रश्न उस घटना से सम्बन्धित नहीं है, तो उसका उत्तर उस तरह से आप दे दीजिये कि किस कारण से ट्रान्सफर हुआ हो तो बात और है, लेकिन प्रश्न नहीं उठता, यह कहना अलग बात है ।

(विरोधी दल के सदस्यों ने मेज थपथपा कर श्री अध्यक्ष की रूलिंग की सराहना की)

श्री ब्रह्मदत्त--

मेरा सदन की अवमानना करने का कोई इरादा नहीं है । मैं केवल इतना यह कह रहा हूं कि जो तथ्य पूछे गये, वह घटना से सम्बन्धित नहीं है। उस अधिकारी का नाम मेरे पास नहीं है न उससे सम्बन्धित कोई तथ्य ही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी माननीय मंत्री जी ने बड़ी सफाई से कहा कि कोई भी जानकारी उनको नहीं है । मैं उनसे दूसरी बात जानना चाहूंगा कि यह इतना गम्भीर प्रश्न है कि जब हमारे मंत्री जी के मंत्रालय ने जांच की तो छानबीन में इतना गम्भीर मामला सामने आया जो हमारी सम्पूर्ण ब्यूरोक्रेसी को लांछित करने वाला प्रश्न है । वस्तुस्थिति तक पहुंचने के लिये क्या शासन द्वारा कोई जांच कराई गई क्योंकि आरोप यह है कि कम्पलेन करने वाले व्यक्ति को दबाया गया और सरकार ने सही स्थिति की जानकारी करने के लिये कोई जांच कराई ? यदि हां, तो जांच किससे कराई गई, जांच करने वाले व्यक्ति ने किस-किस का साक्ष्य लिया, क्या परिणाम सामने आये ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जांच उस बात की कराई जाती है कि कोई शिकायत हो या कोई शिकायती प्रश्न हो । कोई शिकायत मिली नहीं । लेकिन पेपर में आ गया कि छानबीन कराई गई । इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली नहीं, इसलिये इस सम्बन्ध में जांच कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सदन के सम्मानित सदस्य कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं यह शिकायत ही है या शिकायत की परिधि में हम नहीं आते ? या माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न शिकायत नहीं है ? और यदि यह शिकायत है, तो उस पर जांच न कराने के क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इस प्रश्न से मैं शिकायत नहीं समझ पा रहा हूं । मान्यवर, आप स्वयं इस प्रश्न को देख लें कि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, लखनऊ को किसी क्लब में अभद्र व्यवहार के आरोप में पीटा गया, तो यह एक प्रश्न पूछा गया इसमें शिकायत कहां है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने दो बातें कहीं । आपने उत्तर में कहा कि जो अखबार में छपा उससे पता चला तो आपने इस बात की छानबीन की कि इसकी कोई शिकायत आई या नहीं आई ?

क्यों यह हुआ था ? क्या यह जरूरी था या यह जरूरी नहीं था कि अखबार से पता चल गया तो उसके बारे में कोई इनक्वायरी करा दें कि तथ्य क्या हैं या सिर्फ शिकायत की जांच कराई गई कि शिकायत हमारे पास आई है या नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

समाचार पत्रों के बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं कि अखबार में आने के बाद यह जानकारी अवश्य प्राप्त की गई कि क्या कोई शिकायत है । मामला गंभीर है ।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था वह तथ्य है या वह गलत है, इसकी जांच कर ई कि नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मैंने इसके पहले उस क्लब के मैनेजर का पत्र भी पढ़ कर सुनाया था । जब वही डिनाई कर रहे हैं, क्लब के लोग, तो इसका आधार नहीं बनता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न पूछा था और वह यह था कि जो हम लोगों की शिकायत जाती है क्या इस शिकायत पर मामले की जांच नहीं करनी चाहिए ? अब तक जो प्रशासनिक जानकारी है, उसके अनुसार निरीक्षण शाखा को अखबारों की कतरन पहुंचती है जिसके आधार पर सभी तथ्यों का निरीक्षण कराया जाता है । जो मैनेजर वहां का है वह तो प्रशासनिक अधिकारी से दबा हुआ है । उन्होंने जानबूझ कर उस अधिकारी को संरक्षण देने के लिए बयान दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य यहां प्रश्न करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं । प्रश्न करते हैं और प्रश्नों के उत्तर से जब संतोष नहीं होता तब वे शिकायत के रूप में प्रश्न रखते हैं । तथ्यों को जानकारी के किए वे प्रश्न करते हैं । जो प्रश्न होत है उसकी जांच करके उसका सही उत्तर देना यह शासन के लिए है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह मामला कितना गम्भीर है, आप की सहमति भी होगी और सदन के हर एक सदस्य की सहमति है । जनहित में तथ्य जनता के सामने आने चाहिए । इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि शासन जो अखबार में प्रकाशित हुआ है इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराये और पुनः इसके तथ्य दिये जायं । आप इस प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें । यह जनहित में है वरना सम्पूर्ण प्रशासनिक सेवा लांछित हो रही है । जनता के सामने उस अधिकारी का नाम आना चाहिए जिससे इस प्रशासनिक सेवा में हमारे जो अच्छे चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, वे लांछित न हों । आप कृपया इसे स्थगित कर दें और शासन को आदेश दें कि वह इसकी पूरी जांच करके फिर से इस प्रश्न का उत्तर दे ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर जो शासन ने सही समझा, दिया। शासन ने यह उत्तर दिया कि कोई शिकायत उसको प्राप्त नहीं हुई, जहां यह घटना हुई उन लोगों ने कोई शिकायत नहीं दी। यह भी एक तरह से उत्तर दे दिया, जैसा कि उनके उत्तर में निहित है कि जो पत्र उनके पास आया कि यह तथ्य सही नहीं है, यह निष्कर्ष उससे निकाला है। जहां घटना घटी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला है कि यह ठीक नहीं है। अब इसके बाद आप के प्रश्न का उत्तर तो पूरा हो गया चाहे संतोषजनक हो या असंतोजनक हो। अगर इस सम्बन्ध में आप चाहते हैं कि जांच हो, तो इसके लिए और प्रकिया और माध्यम है। अपने साथियों से कहें, जांच होगी। जो प्रक्रिया हैं उनका सहारा लीजिए। स्थगन का प्रश्न उठता नहीं है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उन अधिकारी का ट्रान्सफर किस तारीख को किया गया और वह जो लेटर है क्लब का वह कि तारीख का है।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, यह जो क्लब की चिट्ठी है जिसका हवाला मैंने दिया है यह पत्र 30 नवम्बर, 1980 का है जो कि अहमूदाबाद क्लब, 202, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ का है। अधिकारी का नाम इसमें स्पष्ट नहीं है कि उसका स्थानांतरण क्यों हुआ। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राजेन्द्र सिंह—

शासन को इस पत्र की कापी इन्क्वायरी के लिये कब मिली?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, क्लब के सेक्रेटरी ने एडीटर नार्दर्न इंडिया पत्रिका को एक चिट्ठी लिखी और उसकी एक प्रतिलिपि हमें प्राप्त हुई थी।

श्री ऊदल—

मान्यवर, सरकार कहती है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई तो क्या मंत्री जी जिन अखबार वालों ने यह गलत खबर छापी है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री ब्रह्मदत्त—

नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह ऐसी घटना है जिसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं कहता कि उस समय मंत्री जी वहां थे लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह खुद उस क्लब में जाने की तकलीफ करेंगे और खुद जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आपकी एजेन्सी तो जवाब देने वाली नहीं है और आई० ए० एस० प्रशासन इतना नपुंसक हो गया है कि वह जवाब नहीं दे सकता। तो क्या मंत्री जी स्वयं कष्ट करके मामले की गम्भीरता

को देखते हुये हमारी इस जानकारी के आधार पर समस्त प्रशासन की नौकरशाही का मुंह काला करने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच करने का आश्वासन देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, माननीय सदस्य स्पष्ट कोई जांच की मांग करें तब तो कोई जांच हो सकती है.... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति और जिस चीज के सम्बन्ध में जांच करने के लिये वे मांग कर रहे हैं यदि वे कोई स्पष्ट जांच चाहेंगे तो उनके अनुरोध को हम स्वीकार कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो सदस्य नहीं होता है, उसका यहां पर नाम नहीं लिया जाता है लेकिन नार्दर्न इंडिया पत्रिका में उसका नाम निकला है और वह व्यक्ति राष्ट्रपति शासन में महामहिम राज्यपाल के स्पेशल सेक्रेटरी थे और उसके बाद महापालिका में नियुक्त किये गये थे । 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'नार्दर्न इंडिया पत्रिका' में उस अधिकारी का नाम भी निकला है, तो क्या उस अधिकारी के सम्बन्ध में मंत्री जी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इस सम्बन्ध में जो आवश्यक कार्यवाही शासन ने समझी, वह कर ली गई । माननीय सदस्य उसके बाद भी कोई जांच चाहते हैं, तो वे हमको आपके माध्यम से बता दें उसके आधार पर हम जांच कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष जी, साइड ट्रैक करने की बात समझ में नहीं आ रही है । हमने नाम तक भी बता दिया और कहा कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति शासन के दौरान महामहिम राज्यपाल के स्पेशल सेक्रेटरी थे और लखनऊ महापालिका के प्रशासक भी रहे और आज, मैं समझता हूं कि किसी ट्रिब्यूनल के सदस्य हैं । उनका नाम श्री० ए० पी० सिंह है । उनका नाम अखबारों में निकल चुका है । तो क्या इस आधार पर आप जांच करके सदन के सामने रिपोर्ट रखेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

अगर माननीय सदस्यों का यह कहना है और जिस अधिकारी का नाम उन्होंने लिया है, वे इस घटना से सम्बन्धित हैं और उसको वे जांच का आधार मानते हैं तो उस पर हम छानबीन करा लेंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी कुछ कह रहे हैं उनको पहले सुन लीजिये ।

श्री ब्रह्मदत्त--

जांच जिस बात की की जाती है, उसके तथ्य सामने आने चाहिये और जांच की मांग होनी चाहिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, बार-बार यह कहा जा रहा है कि हमने जांच करा ली । बात आपके सामने आ चुकी है कि जांच नहीं हुई, कहते हैं कि इस तरह की कंप्लेंट

नहीं आई, इसलिए जांच नहीं करा सके । जब हम निवेदन कर रहे हैं कि फलां अधिकारी हैं, उसका नाम भी बता दिया श्री ए० पी० सिंह और वह कहां-कहां रहे यह भी बता दिया, जिनके बारे में 'अमृत बाजार पत्रिका' में निकल भी चुका है, तो क्या उनके बारे में जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सदस्यों ने....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

सम्पूर्ण सदस्य कहिये, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--

जब मैंने, नेता विरोधी दल, ने यह कह दिया तो उसमें सभी विरोधी दल आ गये (व्यवधान) अन्य सभी माननीय सदस्यों ने स्पष्ट रूप से इस घटना का नाम लिया और इस घटना से सम्बन्धित अधिकारी का नाम लिया और शब्द कैप्लेंट का प्रयोग किया तो ऐसी स्थिति में आप जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

निश्चित मान्यवर, जो यहां पर कहा गया हैं उसके सम्बन्ध में प्रभावशाली कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जांच की मांग हम कर रहे हैं और मंत्री जी जानबूझ कर प्रशासनिक सेवाओं को लांछित कर रहे हैं, एक अधिकारी को बचाना चाहते हैं, तो शासन की इस नीति के विरुद्ध हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जांच कराने की मांग की है ।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, आवश्यक कार्यवाही में जांच सम्मिलित है ।

*14--श्री रियासत हुसैन--

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री अशोक प्रियदर्शी, ए० डी० एम० (विकास), जिला बरेली

को जीप का गबन

*15--श्री चेतराम गंगवार--

क्या सरकार को पता है कि 1 तथा 2-9-1980 की रात्रि में ए० डी० एम० (डी०), जिला बरेली की सरकारी नई डीजल की जीप बरेली शहर में ही मवल होटल के सामने से जिसमें जिले के कई अधिकारी ए० डी० एम० (पी०) श्री मक्कू तथा आई० पी० एस० अधिकारी, कुमारी रेनू भाटिया और ए० डी० एम०

श्री प्रियदर्शी आदि थे, चोरी चली गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह सब अधिकारी रात्रि में नवल होटल पर क्यों गये थे तथा होटल के मालिक का मुख्य व्यापार क्या है और जीप किसने चुराई और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्री अशोक प्रियदर्शी, ए० डी० एम० (विकास) ने थाना कोतवाली, बरेली में दिनांक 9-8-1980 को लिखित सूचना इस आशय की दी कि उनकी सरकारी डीजल जीप उनके आवास-4 डी० एम० कम्पाउन्ड पर दिनांक 8/9-8-80 की रात एक बजे तक रही और 6 बजे प्रातः स्टाफ द्वारा गायब पायी गई।

उक्त सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 1529, धारा 380 भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। विवेचन से जीप तथा अभियुक्तों का कुछ पता नहीं चल सका। अतः अंतिम रिपोर्ट द्वारा विवेचना दिनांक 18-12-1980 को समाप्त कर दी गई। उक्त जीप नवल होटल के सामने से चोरी जाने की बात विवेचना से प्रकाश में नहीं आयी। होटल के मालिक श्री नवल किशोर टंडन द्वारा उक्त होटल चलाया जाता है और यही उनका मुख्य व्यापार बताया जाता है।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, जैसा आपने देखा प्रश्न 4 और प्रश्न 14 के बारे में ओझा जी ने कहा इस शासन की नीति है कि जो दुष्कर्म करने वाले अधिकारी हैं, उनके कार्यों को छिपाया जाय, तो मेरा प्रश्न 3 आई० ए० एस० और 2 आई० पी० एस० अधिकारियों से सम्बन्धित है इसकी जांच किससे आपने कराई ?

(व्यवधान)

(गृह राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री चेतराम गंगवार--

मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार मैं मांग करता हूं कि 2/9 को यह जीप चोरी गई थी और जो कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री बरेली के हैं, जिनके बाल सफेद हो गये हैं, उनके भतीजे उक्त होटल को नवल टंडन चलाते हैं, यह तीन अफसर नवल टंडन के साथ रेनू भाटिया को जीप में बिठाकर ले गये थे और मामले के इस रूप में रंग दिया जा रहा है। इसमें तीन महीने बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। इसमें जीप को चुराने में मंत्री और उसके भतीजे का हाथ है और उस होटल में रेप के कैसेज भी हुए हैं, तो क्या मंत्री जी मेरी इस तमाम जानकारी को सही मानकर उक्त घटना के सन्दर्भ में मामले की सी० आई० डी० विभाग द्वारा या जूडिशियल इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

जो माननीय सदस्य ने कहा, मंत्री जी बतायें कि क्या आई० पी० एस० अधिकारी के साथ भी बलात्कार हुआ है, अब नौबत यहां तक पहुंची है। इसके बारे में मंत्री जी स्पष्ट बताय कि क्या बलात्कार इस सूरत तक आ गया है ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, आप गंगवार जी के प्रश्न का उत्तर दे दीजिये ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्य का जो प्रश्न था उसके सम्बन्ध में उत्तर दिया । लेकिन अब एक ऐसी बात माननीय सदस्य ने कही, जिसकी माननीय सदस्य को शायद जानकारी हो, किन्तु शासन के समक्ष ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि जिसमें किसी आई० पी० एस० ने अपने प्रति दुर्व्यवहार की शिकायत की हो ।

श्री चेतराम गंगवार--

मेरा स्पष्ट प्रश्न है, यह 70 हजार की जीप चोरी गयी है और इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, मंत्री जी उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

सीतापुर जिले में अटरिया-लालपुर मार्ग का निर्माण

*16--श्री राम लाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिधौली, जनपद सीतापुर के अटरिया से लालपुर, जो कि अधिशासी अभियंता (अस्थायी निर्माण खंड) के अन्तर्गत आता है, को 5 कि० मी० तक निर्माण विभाग द्वारा करने के उपरान्त उसे आगे न बढ़ाये जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि इसी से प्रारम्भ जमनापुर पोखर मार्ग पर कंकड़ की ढुलाई व कुटाई फर्जी ढंग से की गयी है ? यदि हां, तो इसके मूल तथ्य क्या हैं और सरकार दोषी व्यक्तियों के प्रति क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

ग्रीष्म ऋतु में पानी के अभाव के कारण, तथा बाद में अतिवृष्टि व बाढ़ से प्रश्नगत मार्ग के कुछ भाग पर हुआ कंकड़ की कुटाई का कार्य पुनः कराये जाने के कारण, कार्य आगे न बढ़ सका । कंकड़ की ढुलाई व कुटाई फर्जी ढंग से कराये जाने के बारे में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है ।

न्यायिक सेवा, पी० सी० एस० (जे०) की आयु सीमा

*17--श्री जंगबहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, पी० सी० एस० (जे०) की परीक्षा के लिये आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष किये जाने के लिए सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

इस मामले पर शासन स्तर पर विचार किया जा चुका है और विचारोपरान्त प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, गोरखपुर के कर्मचारियों की हड़ताल

*18--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी व जूनियर इंजीनियर माह अगस्त, सितम्बर, 198 में हड़ताल पर थे ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर के कार्यालय के कर्मचारियों ने दिनांक 19-8-1980 से 30-8-80 तक धरना दिया । उनकी मांगें संलग्न तालिका* के अनुसार थीं जिनमें प्रत्येक मांग के समक्ष स्थिति अंकित कर दी गयी है ।

राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी के बेसिक एल0 टी0 प्रवक्ता की नियुक्ति

*19--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी में आरम्भ से ही मात्र बेसिक प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति की परम्परा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि इस समस्या का उल्लंघन करके इस समय उक्त प्रशिक्षण महाविद्यालय में 15 में से केवल दो बेसिक प्रशिक्षित प्रवक्ता प्रशिक्षक कार्यरत हैं ? क्या सरकार इस अनियमितता को दूर कर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है । अतः परम्परा के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता । इस समय 14 प्रवक्ताओं में दो बेसिक एल0 टी0 प्रशिक्षित प्रवक्ता कार्यरत हैं । इसमें कोई अनियमितता नहीं है अतः इसके दूर करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बयालसी इण्टर कालेज, जलालपुर, जिला जौनपुर में प्रधानाचार्य की नियुक्ति

*20--श्री हरदेव--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बयालसी इण्टर कालेज, जलालपुर, जौनपुर में अवैधानिक ढंग से विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक को बिना साक्षात्कार में बुलाए एवं समय से वैधानिक ढंग से प्रार्थना-पत्र दिए योग्य अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र वापस कराके दिनांक 30 दिसम्बर, 1979 को एक अयोग्य व्यक्ति को प्रधानाचार्य नियुक्त कर लिया गया ? यदि हां तो क्या विभाग इस अवैधानिक कार्यवाही को निरस्त करके सम्बन्धित व्यक्तियों को न्याय दिलाने की कृपा करेगा ?

---

*छापी नहीं गयी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

वाराणसी जिले में वकीलों पर लाठी चार्ज

**1--श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 को वाराणसी में अदालत के परिसर में पुलिस ने वकीलों पर लाठी चार्ज किया ? क्या इसकी लिखित शिकायत वकीलों द्वारा जिला प्रशासन को की गई ? यदि हां तो शिकायत के अनुसार घटना के विवरण क्या हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

20 दिसम्बर, 1980 को वाराणसी में हुई घटना के सम्बन्ध में वकीलों द्वारा दिया गया शिकायती पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ था । शासन द्वारा उक्त घटना तथा उससे सम्बन्धित तथ्यों, कारणों और उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में सही जानकारी हेतु एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त कर दिया गया है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं जानना चाहता हूं कि इसकी प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट क्या है और वह किस तारीख की है ?

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में नियम 51 में भी वक्तव्य आ रहा है, प्रश्न भी आपका है, इसका आप ध्यान रखें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

यह बेहतर होगा कि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, तो दे दें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं समझदार हैं और वह शासन में रहे भी हैं, उसमें लिखा है कि एक सदस्यीय आयोग द्वारा उसकी जांच हो रही है और जिन कारणों को आपने बताया है, उस सबका आकलन करने के लिए जांच हो रही है ।

श्री ऊदल--

शासन की तरफ से कहा गया था कि जो पुलिस अधिकारी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उनको दंडित कर दिया गया है, तो क्या यह बात सही नहीं है कि उन अधिकारियों का सिर्फ तबादला किया गया है, किसी को दंड नहीं दिया गया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यही तो बात है, जब जाँच आयोग बैठा है, तो वह निश्चित करेगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, जो दोषी होगा उसको दंड दिया जाएगा । बिना दोष सिद्ध हुए किसी को कैसे दण्ड दे दिया जाए ।

श्री यदुनाथ--

हमारे मंत्री जी ने ऐसा वक्तव्य दे दिया और अखबारों में भी छपा है, उसके कारण वकीलों और युवाओं में रोष पैदा हो गया है और यही नहीं उस दिन वकीलों की पिटाई के समय मंत्री जो भी वहां मौजूद थे, तो इससे स्पष्ट है कि इस घटनाक्रम के लिए जो राज्य मंत्री थे और आज भी हैं वह भी जिम्मेदार हैं। तो क्या वह भविष्य में उसे वक्तव्य देना बन्द करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो वकीलों द्वारा शिकायत की गई है, वह क्या है और आयोग अपनी जांच रिपोर्ट कब तक दे देगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, वकीलों ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था, वह बहुत लम्बा है। उसको यदि आप कहें तो मैं पढ़कर सुना भी सकता हूं।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसके लिए तीन महीने का समय निर्धारित किया गया है।

श्री मोहन सिंह--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 20 दिसम्बर, 1980 को जो वकीलों पर प्रहार हुआ है, उस पर प्रशासनिक वर्ग में रहने वाले कर्मचारियों ने क्या इस बात को तत्काल महत्व देकर कोई आदेश दिया था क्योंकि इसी के परिणामस्वरूप प्रदेश के अनेक जिलों में प्रदर्शन और काम न करने की बात हुई थी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में तो आप पहले भी समाचार-पत्रों में पढ़ चुके हैं। घटना के तत्काल बाद मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के आदेश दिए गए थे, लेकिन जब वकीलों ने कहा कि जुडीशियल इन्क्वायरी हो तो जुडीशियल इन्क्वायरी के आदेश दिए गए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सच है कि घटना के तत्काल बाद शासन ने यह आश्वासन दिया था कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना में कौन अधिकारी दोषी पाये गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, दोषी कौन है। दोषी पुलिस कर्मचारी हैं या नहीं, इसी के लिए तो आयोग गठित हुआ है। जब उसकी रिपोर्ट आ जायेगी तो उसके अनुसार

कार्यवाही होगी ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जांच आयोग के गठित होने के बाद शासन के जिन अधिकारियों के ट्रान्सफर या अन्य प्रकार के आदेश दिए गए वे कौन-कौन अधिकारी हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह घटना से सम्बन्धित चीजों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि जो ऐसे आदेश शासन द्वारा जनहित में होते रहते हैं, उसके अनुसार ऐसा किया गया था तथा वह इस घटना से सम्बन्धित आयोग गठित होने के बाद नहीं दिए गए ।

श्री धरमपाल--

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जुडिशियल इन्क्वायरी किसके द्वारा की जा रही है ? क्या उन अधिकारियों का नाम बताने का कष्ट करेंगे कि इन्क्वायरी में कौन-कौन अधिकारी हैं और क्या उन्होंने काम शुरू कर दिया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह जांच आर० डी० खन्डेलवाल, जिला जज, गोरखपुर द्वारा की जा रही है । माननीय राज्यपाल ने इन्हें नियुक्त किया है और इसके लिए वही अधिकारी हैं ।

पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतन न्यायाधिकरण की रिपोर्ट की संस्तुतियां

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पत्रकारों तथा गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए गठित वेतन न्यायाधिकरण की रिपोर्ट प्रदेश में लागू कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए गठित वेतन न्यायाधिकरण की संस्तुतियां, कतिपय संशोधनों के साथ, भारत सरकार द्वारा 26 दिसम्बर, 1980 को स्वीकार की जा चुकी हैं । प्रदेश के समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उक्त संस्तुतियों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में 16 जनवरी, 1981 को दैनिक समाचार-पत्र उद्योग का एक त्रिदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था । सम्मेलन में इस विषय में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :--

(1) श्रमजीवी पत्रकार एवं गैर-पत्रकार कर्मचारियों के सम्बन्ध में पालेकर एवार्ड्स की जो संस्तुतियां भारत सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1980 के द्वारा लागू की गई हैं, उनका प्रदेश के दैनिक समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में पूर्णतया कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा । समाचार-पत्रों के उनकी कुल आय के आधार पर वर्गीकरण,

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--]

कर्मचारियों के कार्यानुसार पदनाम निर्धारण तथा फिटमेन्ट एवं अन्य आनुषंगिक विषयों को लेकर उठने वाले विवादों के निराकरण के लिए एक शासन-तंत्र निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा :--

(क) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों एवं श्रमजीवी पत्रकार तथा/या गैर पत्रकार कर्मचारियों जिनका विवाद हो, की ओर से एक-एक प्रतिनिधि, जिन्हें श्रमायुक्त द्वारा आमेलित किया जायेगा	सदस्य
(ग) सम्बन्धित क्षेत्रीय श्रम अधिकारी	सदस्य सचिव

(2) पालेकर ट्रिब्यूनल्स की अनन्तिम संस्तुतियां दिनांक 15 फरवरी, 1980 को प्रकाशित हुई थीं। यदि किसी पत्रकार या गैर-पत्रकार कर्मचारी, जिसे सेवा में उक्त तिथि को 240 दिन पूरे हो गये हों, की सेवायें, अनुशासनिक कार्यवाही के अतिरिक्त, उक्त तिथि के बाद 16 जनवरी, 1981 तक समाप्त की गई हों, तो उसे समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों द्वारा काम पर लिया जायेगा।

त्रिदलीय सम्मेलन के उक्त सर्वसम्मत निर्णयों के अनुसार एक शासन-तन्त्र गठित किये जाने के आदेश दिनांक 24 जनवरी, 1981 को निर्गत किये जा चुके हैं।

जहां तक दूसरे निर्णय का प्रश्न है, 20 जनवरी, 1981 को राज्य सरकार द्वारा इस आशय का एक संकल्प जारी किया जा चुका है कि यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार या गैर-पत्रकार कर्मचारी, जिसे सेवा में 15 फरवरी, 1980 को पिछले 12 मासों में 240 दिन पूरे हो चुके हों, की सेवायें, अनुशासनिक कार्यवाही के अतिरिक्त, समाप्त की गई हैं, तो उसे दैनिक समाचार-पत्र के प्रबन्धकों द्वारा 1 मार्च, 1981 तक काम पर ले लिया जायेगा। श्रमायुक्त को निर्देश भेजे जा चुके हैं कि वे प्रदेश में दैनिक समाचार-पत्रों के प्रबन्धकों द्वारा स्वेच्छापूर्वक उक्त संकल्प का अनुपालन करने का प्रयास करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो त्रिदलीय कमेटी बन गयी है अगर उसकी सिफारिशों और उसके निर्णयों को जो दैनिक समाचार-पत्र या प्रतिष्ठान नहीं मानेंगे, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, यह सदन बधाई का पात्र है। इसके आशीर्वाद से जो भी निर्णय हुआ है वह सर्वसम्मति से हुआ है। उसके बाद ही हमारे आदेश निकाले गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सदन किसी भी पक्ष पर संदेह न करे। मुझे विश्वास है कि ये सभी निर्णय लागू होंगे। यदि नहीं होंगे तो मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि हम अनुशासनहीन समाचार-पत्रों को विज्ञापन देना बन्द कर देंगे। जब सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है तो इस प्रकार की आशंका न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वे कौन-कौन से समाचार-पत्र या प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को लाभ देना आरम्भ कर दिया है ?

दीश चन्द्र दीक्षित--

पालेकर एवार्ड में 9 महीने का समय दिया गया है । अब तक कोई ऐसा विवाद हमारे पास नहीं आया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पालेकर एवार्ड की जो संस्तुतियां हैं एवं उनका पत्रकार या गैर पत्रकार कर्मचारी संघों के प्रबल प्रतिरोध को दृष्टि में रखते हुए श्रम जीवी पत्रकार संघों की जो शिकायतें हैं, उनके सम्बन्ध में, चूंकि माननीय मन्त्री जी मजदूरों के नेता भी हैं, कुछ करिश्मा दिखाने का आश्वासन देंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

करिश्मा तो नहीं लेकिन आप लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश की सरकार पहली सरकार थी, जिसने पालेकर एवार्ड के सम्बन्ध में कुछ विषयों पर जिनपर उसने कर्मचारियों से अपने को सहमत पाया और अपना मत भारत सरकार को विचारार्थ भजा। आपको यह जान कर हर्ष होगा कि वे चार प्रस्ताव जो प्रदेश को सरकार ने भारत सरकार को सुझाये थे वह सहमत हो गयी और 26 दिसम्बर, 1980 को उनका अपने संकल्प के साथ नोटिफिकेशन कर दिया । वैसे यह केन्द्रीय मामला है और केन्द्रीय स्तर पर ही इसको चर्चा की जा सकती है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

अब तक किन-किन समाचार-पत्रों में यह नियम लागू हो गया है और अगर लागू नहीं हुआ है तो कितना समय लागू होने में लगेगा ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मैंने निवेदन किया था और यह बतला दिया था कि 16 जनवरी के दोनों पक्षों में सहमति हो कर जो निर्णय हुआ था उसे राजज्ञा का रूप दे दिया गया है । दोनों पक्ष उससे सहमत थे इसलिए आशंका का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता ।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ के सहायक छात्रावास अधीक्षक श्री डी० डी० मिश्र को आवास सुविधा

1--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में असिस्टेंट वार्डन पद पर नियुक्त श्री डी० डी० मिश्रा महाविद्यालय स्थित सरकारी आवास का भी उपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर और कब से ? इसका किराया कौन अदा कर रहा है ?

नोट : अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

श्री डी0 डी0 मिश्र को नियमानुसार दिनांक 25 जुलाई, 1970 से सहायक छात्रावास अधीक्षक नियुक्त किया गया तथा छात्रावास अधीक्षक के आवास के ही एक भाग में आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई ह । अलग से किसी आवास की व्यवस्था नहीं की गई है ।

भवन शासकीय है और छात्रावास अधीक्षक के लिए ही निर्माण किया गया है, जिन्हें निःशुल्क आवास की सुविधा शिक्षा संहिता की धारा-132 (घ) के अनुसार की गई है । इसलिए किराये के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

2--श्री राम आसरे वर्मा--

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय इन्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

3--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के कितने राजकीय उ0 मा0 विद्यालय व इन्टर कालेज ऐसे हैं जहां पूरी संख्या में अध्यापक नहीं है और उसका क्या कारण है ? कृपया बताने का कष्ट करेंगे कब तक अध्यापकों की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

14 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 6 राजकीय इन्टर कालेज ऐसे हैं जहां अध्यापकों के अवकाश पर जाने, त्याग पत्र देने, नियुक्त अध्यापकों के कार्यभार ग्रहण न करने तथा स्थानान्तरण के कारण पूरी संख्या में अध्यापक नहीं हैं । रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षा निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं ।

4--श्री मुहम्मद आजम खां--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

दुर्गेश्वर नाथ इन्टर कालेज एवं रामजी सहाय डिग्री कालेज, रुद्रपुर, देवरिया के अध्यापक एवं लिपिक

5--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1980 के प्रथम सप्ताह अथवा उसके आस-पास देवरिया के एक सदस्य विधान सभा ने इस आशय की एक शिकायत की थी कि रामजी सहाय डिग्री कालेज, रुद्रपुर, देवरिया के कतिपय अध्यापक व लिपिक रामजी सहाय डिग्री कालेज व दुर्गेश्वर नाथ इन्टर कालेज, रुद्रपुर, देवरिया से एक साथ वेतन भुगतान व इन्क्रीमेंट आदि प्राप्त किये हैं ? यदि हां, तो शिकायत-पत्र में अंकित अलग-अलग शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

शिकायती-पत्र में अंकित अन्य शिकायतें निम्नवत् हैं :

1—प्रबन्धक ने कालेज के वारिष्ठतम प्रवक्ता श्री महेश्वर सिंह को निलम्बित करके श्री पारस नाथ यादव को अनियमित ढंग से कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त कर दिया है ।

2—प्रबन्धक एवं प्राचार्य ने कालेज के एक भाग को 500 रुपया प्रति माह की दर से बिना प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्ताव के कालीन प्रशिक्षण अधिकारी रुद्रपुर को किराये पर दे दिया है जबकि कालेज का भवन छात्रों के पठन-पाठन के लिए ही पर्याप्त नहीं है ।

3—श्री पारस नाथ यादव को कार्यवाहक प्राचार्य बनाये रखने हेतु स्थायी प्राचार्य का चयन नहीं कराया जा रहा है ।

उल्लिखित शिकायतों पर उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के माध्यम से जांच कराई गई। जांच से ज्ञात हुआ कि :

(क) दो अध्यापकों व प्रधान लिपिक का एक साथ इन्टर कालेज व डिग्री कालेज में विभिन्न तिथियों तक कार्यरत पाया गया परन्तु एक साथ दोनों संस्थाओं से वेतन प्राप्त किया जाना प्रमाणित नही पाया गया ।

(ख) श्री महेश्वर सिंह वर्ष 1976 से 1978 तक परीक्षा एवं नामांकन शुल्क जमा न करने के कारण निलम्बित हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पत्र एपिल 78-79, दिनांक 12 जनवरी, 1980 के द्वारा श्री पारस नाथ यादव को वरिष्ठतम अध्यापक मानते हुए परिनियम 13'20 के अन्तर्गत कुलपति ने कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में मान्यता प्रदान की है ।

(ग) कालेज के भवन के एक भाग को कालीन प्रशिक्षण हेतु 500 रुपया किराए पर दिया जाना प्रमाणित है ।

(घ) महाविद्यालय में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति न किए जाने की पुष्टि के पश्चात् प्रबन्धतन्त्र को कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है कि क्यों न उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए । प्रबन्धतन्त्र का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर विधि परामर्शी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

आरक्षी अधीक्षक, पुलिस, बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

6—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताऐंगे कि क्या कतिपय विधायकों को अगस्त, 80 के प्रथम सप्ताह अथवा उसके आस पास की शिकायत तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, बाराबंकी के विरुद्ध शासन सचिवालय को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र में व्यक्त शिकायतें क्या हैं ? किस एजेन्सी से शिकायतों की जांच करवाई जा रही है और जांच किस स्टेज पर है तथा कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां ।

तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, बाराबंकी के विरुद्ध थानों की नीलामी किए जाने विषयक लेने के प्रयास में जल्दी-जल्दी थानाध्यक्षों/उपनिरीक्षकों के स्थानान्तरण किए

जाने, जूनियर थानेदारों से पैसा लेकर उन्हें थानाध्यक्ष बनाए जाने, भ्रष्ट थानेदारों को आश्रय देने तथा भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा दी गई जांच आख्या के बावजूद उन्हें दोषमुक्त किए जाने, प्राईवेट फन्ड का धन गबन किए जाने, अपने डी० आई० जी० के विरुद्ध अपमान सूचक भाषा का प्रयोग किए जाने तथा चरित्र हीनता के आरोप हैं जिनकी जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराई जा रही है । जांच अभी प्रचलित है तथा इसके पूरा होने में कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

7–श्री श्यामलाल वाजपेयी––

[1ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 179 द्वारा उत्तरित ।]

पुलिस अधीक्षकों को दिया गया थानाधिकारी के तबादले एवं नियुक्ति का अधिकार

8–श्री श्यामलाल बाजपेयी––

क्या मुख्य मंत्री पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार कम करने के लिए थानाधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक के बजाय मन्डलीय उप पुलिस महानिरीक्षक तथा उप पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय को देने की सोच रहे हैं ? यदि हां, तो यह नीति कब से लागू हो जाने की सम्भावना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

थानाधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार जिला पुलिस अधीक्षक के बजाए मन्डलीय उप पुलिस महानिरीक्षक अथवा उप पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय को देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री राम सिंह, प्रबन्धक, मथुरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिवाई, बुलन्दशहर को विद्यालय निरीक्षक का पत्र

9–श्री छत्तर सिंह––

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 30–8–80 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने श्री राम सिंह, प्रबन्धक, मथुरिया उ० मा० विद्यालय, डिवाई, बलन्दशहर को अपने पत्रांक सं० 2/2088/80 व 81 दिनांक 27–8–80 के द्वारा कागजात दिखाने हेतु बुलाया था परन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 26–8–80 को श्री नाहर सिंह, निवासी ग्राम रतनपुर को उक्त विद्यालय का मैनेजर बना दिया जब कि नाहर सिंह व उसकी कमेटी के सदस्य विद्यालय की साधारण सभा के भी सदस्य नहीं थे, ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हां ।

विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर ने अपने पत्र दिनांक 27–8–80 द्वारा श्री राम सिंह को दिनांक 30–8–80 को कागजात दिखाने हेतु बुलाया एवं दिनांक 26–8–80 को श्री नाहर सिंह को विद्यालय के प्रबन्धक के रूप में हस्ताक्षर प्रमाणित किए । श्री नाहर सिंह विद्यालय की साधारण सभा के सदस्य हैं ।

श्री राम सिंह प्रबन्धक ने 10-8-80 में साधारण सभा की बैठक बुलाई और दिनांक 10-8-80 को, प्रबन्ध समिति का गठन हुआ जिसमें श्री नाहर सिंह प्रबन्धक चुने गए । श्री नाहर सिंह ने प्रबन्ध समिति के गठन की सूचना स्थानीय विद्यालय निरीक्षक को दी । स्थानीय विद्यालय निरीक्षक ने, प्रबन्ध समिति की वैधता की जांच हेतु रिकार्ड श्री नाहर सिंह से दिनांक 19-8-80 को प्रस्तुत करने के लिए लिखा तथा श्री राम सिंह को भी उक्त तिथि में अभिलेखों सहित उपस्थित होने हेतु लिखा । दोनों पक्ष उपस्थित हुए किन्तु श्री राम सिंह ने दिनांक 25-8-80 तक अभिलेख दिखाने का आश्वासन दिया । श्री नाहर सिंह ने उसी दिन अपना रिकार्ड दिखा दिया । दिनांक 25-8-80 को भी श्री राम सिंह ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए वरन् 25-8-80 को ही न्यायालय मुंसिफ खुरजा में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद सं0 272/80 दायर किया, परन्तु न्यायालय से कोई निषेधाज्ञा नहीं मिली एवं वाद दिनांक 20-9-80 को खारिज हो गया ।

विद्यालय के प्राधानाचार्य ने दिनांक 25-8-80 को स्थानीय विद्यालय निरीक्षक को सूचित किया कि अध्यापकों के जुलाई वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है जिससे अध्यापक हड़ताल पर जाने को तैयार हैं । ऐसी स्थिति में स्थानीय विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय कर्मचारियों के हित में दिनांक 10-8-80 को गठित प्रबन्ध समिति जिसके प्रबन्धक श्री नाहर सिंह हैं, के हस्ताक्षर दिनांक 28-8-80 को प्रमाणित किए गए थे । श्री नाहर सिंह के हस्ताक्षर, प्रमाणित करने के पश्चात भी स्थानीय विद्यालय निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 27-8-80 द्वारा श्री राम सिंह को दिनांक 30-8-80 तक सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उन्होंने 30-8-80 तक भी कोई अभिलेख नहीं दिखाया ।

विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

10— श्री छत्तर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिनांक 15-9-80 को श्री सोहन पाल सिंह आदि सदस्य साधारण सभा, मथुरिया उ0 मा0 विद्यालय, डिबाई की दरख्वास्त आई है ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार उसके परिणाम से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । सर्वश्री सोहन पाल सिंह आदि सदस्यगण साधारण सभा मथुरिया उ0 मा0 विद्यालय डिबाई का एक दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ था ।

मामले में जांच करने के आदेश शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को दे दिये गये हैं ।

अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान से नागरिक पुलिस में इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक पुलिस के सी0 आई0 डी0 विजिलेंस आदि विभागों में सब इन्सपेक्टर एवं इन्सपेक्टर के पद धारकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में फरवरी, 1980 में कोई शासनादेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो वह क्या है ? उक्त शासनादेश की अवहेलना कर कितने निरीक्षकों

को 3 वर्ष से कम की अवधि तक रहने के उपरांत विजिलेंस, सी० आई० डी० इत्यादि से जिला पुलिस में स्थानान्तरित किया गया ? क्या उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां, शासनादेश दिनांक 7 फरवरी, 1980 में पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को यह आदेश निर्गत किये गये थे कि अभिसूचना विभाग को छोड़कर अन्य समस्त सब इन्सपेक्टर को इन्सपेक्टर के पद पर प्रोन्नति जिला पुलिस से बाहर अन्य शाखायें (अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान व विभिन्न सेल) में दी जायेगी। यदि कोई सब इन्सपेक्टर प्रोन्नति पाने पर अन्य शाखाओं में नियुक्ति पर नहीं जाता है तो उसे कम से कम 3 वर्ष के लिए प्रोन्नति से वंचित कर दिया जायेगा। यह भी आदेश निर्गत किये गये थे कि अन्य शाखाओं/सेलों में सामान्यतया 3–5 वर्ष नियुक्त रहने के पश्चात् उनकी वरिष्ठता तथा विशिष्ट उपयुक्तता के आधार पर निरीक्षकों (इन्सपेक्टरों) को जिला पुलिस में स्थानान्तरित किया जायेगा।

इन आदेशों का पालन पूर्ण रूपेण करते हुए उप निरीक्षकों को स्थानापन्न निरीक्षक के पद पर प्रथम प्रोन्नति देकर अपराध शाखा, सतर्कता अधिष्ठान व विभिन्न शाखाओं/सेलों में नियुक्त किया गया। इनमें से 32 निरीक्षकों को सामान्यतया निर्धारित 3 वर्ष की सेवा अवधि के पूर्व जनपद में जनहित एवं उनकी विशिष्ट उपयुक्तता के आधार पर स्थानान्तरण किया गया। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 823 पर।)

सचिवालय कर्मचारियों को मोती झील के क्वार्टरों का आबंटन एवं राम सागर मिश्र कालोनी में आवासों की खरीद

12—श्री छत्तर सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा—

हाल में ही मोती झील लखनऊ स्थित सरकारी आवास कालोनी में सचिवालय कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करने में कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है तथा क्या यह सत्य है कि इसमें पहले से आवेदन पत्र दिये रहने के बावजूद कई कर्मचारियों को उपेक्षित करते हुये उनसे बाद में सेवा में आने वाले तथा उनके बाद में आवेदन पत्र जमा करने वाले कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसका मापदण्ड क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

मोती झील स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के 120 दो कमरे वाले आवास सचिवालय के तृतीय श्रेणी के इच्छुक सहायकों को मुख्य रूप से वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किये गये हैं। कुछ आवास विशेष आवासीय कठिनाई के कारण गुणावगुण के आधार पर वरिष्ठता का सिद्धान्त शिथिल कर आवंटित किये गये हैं। आवासों का आवंटन राज्य सम्पत्ति विभाग में वरिष्ठता के आधार पर तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची से मुख्यतया वरिष्ठता के आधार पर तथा कतिपय मामलों में विशेष आवासीय कठिनाइयों के कारण गुणावगुण पर विचार करके वरिष्ठता के सिद्धान्त को शिथिल कर किया जाता है। मोती झील कालोनी के आबंटन में भी यही प्रक्रिया अपनाई गयी है।

इस विषय में अब स्पष्ट नियमावली बना ली गयी है। आवंटन करते समय इसका पालन किया जा रहा है।

13--श्री छत्तर सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा--

मोतीझील के बाद सरकारी सेवा में कार्यरत सचिवालय कर्मचारियों के आवास हेतु अब और कहां-कहां सरकारी भवनों का इन्तजाम किया जा रहा है अथवा किया जाना प्रस्तावित है और वह पूर्ण रूप से कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

निकट भविष्य में राम सागर मिश्र नगर में कुछ आवास तृतीय श्रेणी कर्मचारियों हेतु क्रय किये जा रहे हैं जिसमें कुछ आवास सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी प्राप्त होंगे ।

सिटी मजिस्ट्रेट, आर्म्स इंचार्ज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं स्थानान्तरण

14--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिटी मजिस्ट्रेट/आर्म्स इंचार्ज, लखनऊ के विरुद्ध कुछ विधायकों का एक पत्र दिनांक 23-9-80 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । उस शिकायती-पत्र में सिटी मजिस्ट्रेट, लखनऊ के विरुद्ध उनके तथा उनके परिवार के कुछ सदस्यों के नाम से आग्नेय-शस्त्रों का लाइसेंस तथा आग्नेय-शस्त्र प्राप्त करने, अन्य अस्त्र प्राप्त करने तथा एक अभियुक्त के बारे में संस्तुति करके उसके नाम रिवाल्वर का लाइसेंस बनवाने और लाइसेंस सम्बन्धी कागजात सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा अपने पास रखने के आरोप लगाये गये हैं । उस शिकायती-पत्र में यह भी कहा गया है कि सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्राप्त आग्नेय-शस्त्रों को बेच कर लाभ कमाना चाहते हैं । अमीनाबाद की नानक शाही बिल्डिंग को मकान मालिक से मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा गिराने का आदेश देने, थानों में लावारिस सम्पत्ति को अपने मिलने वालों को सुपुर्दी में देने तथा उनकी अदालत में लंग हुए काफी समय से लम्बित अनिर्णीत मुकदमों के आरोप भी उक्त शिकायती-पत्र में लगाये गये हैं शिकायती-पत्र में सिटी मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण करने तथा आरोपों की जांच करवाने की मांग की गयी है । यह शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, लखनऊ को जांच हेतु भेजा गया है ।

15--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट/आर्म्स इंचार्ज का स्थानान्तरण दिनांक 12-9-80 को हो गया था, जिनका चार्ज लखनऊ में ही 6 वर्ष से कार्यरत अन्य मजिस्ट्रेट ने ले लिया था ? यदि हां, तो स्थानांतरण करने तथा पुनः रोकने का क्या कारण था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। किन्तु अन्य मजिस्ट्रेट ने उक्त पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया था । यह स्थानांतरण आदेश कतिपय प्रशासनिक कारणों से निर्गत किए गए थे तथा बाद में उन्हीं कारणों से इन्हें निरस्त कर दिया गया ।

16--श्री जैराज गौतम--

[मंत्रि परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।]

विकास क्षेत्र, खुटहन एवं बदलापुर, जिला जौनपुर की भवन विहीन प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल

17--श्री जंग बहादुर--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र खुटहन एवं बदलापुर में कितने बेसिक प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर स्कूल के भवन नहीं हैं और कितनों में पठन-पाठन की साज-सज्जा की व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार भवन निर्माण कराने तथा साज-सज्जा की व्यवस्था शीघ्र करायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

18--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

श्री एस० सी० शर्मा, अध्यक्ष, सिविल अभियंता, राजकीय पालीटेक्निक बरेली का स्थानान्तरण

19--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री जो जवाब देंगे कि श्री एस० सी० शर्मा, अध्यक्ष, सिविल अभियंता, राजकीय पालीटेक्निक, बरेली का स्थानान्तरण फरवरी, 1980 से सितम्बर, 1980 के दरमियान मिर्जापुर से खुर्जा, खुर्जा से कानपुर, कानपुर से बरेली एवं बरेली से झांसी किन कारणों से किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री एस० सी० शर्मा, अध्यक्ष, सिविल अभियन्ता, राजकीय पालीटेक्निक, बरेली का स्थानान्तरण जनवरी 1980 में मिर्जापुर से खुर्जा शिकायत के आधार पर एवं स्वयं श्री शर्मा के अन्यत्र स्थानान्तरण किए जाने के अनुरोध पर किया गया था परन्तु खुर्जा से जिस अधिकारी को स्थानान्तरित किया जा रहा था उसका स्थानान्तरण रुक जाने से पद रिक्त न होने के कारण फरवरी, 1980 में खुर्जा के बजाय श्री शर्मा को बरेली में रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया गया । सितम्बर, 1980 में श्री शर्मा का बरेली से झांसी प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया । इनका स्थानान्तरण कानपुर नहीं किया गया ।

20--श्री सत्यपाल सिंह यादव तथा श्री नाजिर अली--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

लेडी प्रसन्नकौर, इंटर कालेज, बसडीला, गोरखपुर के प्रधानाचार्य का चयन

21--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेडी प्रसन्नकौर इंटर कालेज, बसडीला, गोरखपुर के प्रधानाचार्य पद के चयन के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ई (10) के अन्तर्गत कोई प्रत्यावेदन शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह शासन को कब प्राप्त हुआ था और इस पर अब तक (20 अक्तूबर, 1980) क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । प्रत्यावेदन शासन को 28–12–78 को प्राप्त हुआ था। प्रश्नगत धारा के अन्तर्गत चयन में अनियमितता के तथ्यों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है ।

शिक्षा विभाग में हरिजन राजपत्रित अधिकारियों का आरक्षण कोटा

22—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में राजपत्रित द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में कुल कितने पद सृजित हैं ? इन पदों के सम्बन्ध में हरिजनों के 18 प्रतिशत आरक्षित कोटे की क्या स्थिति है ? यदि कोटा अपूर्ण है तो क्यों ? जनवरी, 1975 से अगस्त 1980 के मध्य कुल कितने और कौन-कौन अधिकारी हरिजनों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में कब पदोन्नत किए गए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी जिले में कत्ल की घटनायें

23—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में अलग-अलग थानावार कत्ल (धारा 302 व 304 ता० हि०) दोनों मिलाकर तथा एकदाम कत्ल (हत्या का प्रयास) की कितनी घटनायें पहली सितम्बर, 80 व 20 सितम्बर, 80 के बीच हुई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की बाढ़ को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

पहली सितम्बर, 80 व 20 सितम्बर, 80 के बीच कत्ल (धारा 302 व 304 ता० हि० दोनों को मिलाकर) की जनपद बाराबंकी के थानों में से कोतवाली में दो, देवा और लोनी कटरा में एक-एक घटना हुई तथा हत्या के प्रयास की थाना कोतवाली में दो, थाना जैदपुर और कोठी में एक-एक घटना हुई ।

बाराबंकी जिले के क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्षों को समय-समय निर्देश दिये गये हैं कि हत्या के अपराधों की ओर विशेष ध्यान दें तथा शान्ति भंग की सम्भावना होने पर तुरन्त कार्यवाही करें ।

24—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[1ले शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 180 द्वारा उत्तरित ।]

ग्राम परिनगर, जिला बाराबंकी की श्रीमती कुन्ती के साथ थाना कुर्सी के कान्सटेबिलों द्वारा बलात्कार एवं हत्या

25—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 17/18 जून, सन् 1980 की दरमियानी रात को जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत थाना कुर्सी के ग्राम परिनगर की निवासिनी श्रीमती कुन्ती के साथ थाना हाजा के सिपाहियों ने बलात्कार कर उसे

जान से मार डाला और अपनी बचत के लिए श्रीमती कुन्ती को रस्सी के सहारे धन्नी से लटका कर आत्महत्या का मामला बनाने का प्रयास किया ? यदि हां, तो शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? उक्त घटना की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या सरकार द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त परिवार को कोई आर्थिक सहायता भी की गई ? यदि हां, तो क्या ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

कथित घटना के सम्बन्ध में शासन को सूचना मिली और मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराई गई। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस का0 राधेश्याम पान्डेय व का0 श्रीराम सरोज तथा एक श्री लल्ला के विरुद्ध धारा 449/378/302/34 भा0 दं0 वि0 का अपराध, प्रथम दृष्टया, बनता पाया गया। उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया और मुकदमा इस समय सत्र न्यायालय बाराबंकी में विचाराधीन है। मृतक के पति को 5,000 रु0 की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

ग्राम बदौली, जिला इलाहाबाद में पाया गया फारमोसा सरकार का गुब्बारा एवं पर्चा

26--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दिनांक 8-8-80 को इलाहाबाद जिले के थाना मांडा के ग्राम बदौली के पास काफी मात्रा में चीनी भाषा में मुद्रित पुस्तकें, पर्चे तथा अन्य साहित्य और खाने योग्य बिस्कुट पाये गये ? यदि हां, तो यह सामान वहां कैसे आया ? तथा इस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 7 अगस्त, 1980 को जनपद इलाहाबाद के थाना मांडा के ग्राम बदौली में एक गुब्बारा पाया गया, जिसमें दो प्लास्टिक के थैलों में लगभग 2000 चीनी भाषा में छपे हुए पर्चे तथा सफेद फोम के छोटे डिब्बे में जापान निर्मित दो टार्च सेल थे।

जांच कराये जाने पर यह ज्ञात हुआ है कि यह गुब्बारा फारमोसा (ताइवान) सरकार द्वारा कम्युनिस्ट चीन विरोधी प्रचार सामग्री के साथ कम्युनिस्ट चीन की ओर छोड़ा गया था, जो भटक कर भारत में आ गया था। गुब्बारे के साथ पाये गये साहित्य में फारमोसा (ताइवान) की प्रगति का उल्लेख किया गया है। गुब्बारे के साथ पाई गई प्रचार सामग्री में कोई भी भारत विरोधी तथ्य नहीं पाया गया, इस कारण इस मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

थाना खामपार, जिला देवरिया के अन्तर्गत चोरी, डकैती एवं राहजनी

27--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंग कि जिला देवरिया, थाना खामपार में गत 1 जनवरी, 1980 से 30 अक्तूबर, 1980 के बीच कितनी चोरियां, डकैतियां

तथा राहजनी हुई ? कितने में चार्जशीट लगी तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ? फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत अवधि में 51 नकबजनी व चोरी, 8 डकैती तथा 4 राहजनी के अपराध कायम हुए । इनमें से क्रमशः 5, 4 व 1 मामले में चार्जशीट लगी तथा क्रमशः 43:3 व शून्य में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई । फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण सही अभियुक्तों का पता न चलना, पर्याप्त साक्ष्य का अभाव, आदि रहा । इसके अतिरिक्त डकैती के 1 मामले में तथा राहजनी के तीन मामलों में जुर्म धारा 323 भा० दं० वि० में तरमीम करके फाइनल रिपोर्ट लगाई गयी ।

चौकी मुराई मोहल्ला, जिला फतेहपुर के कान्सटेबिल श्री प्रद्युम्न प्रसाद तिवारी, श्री गोपाल जी आदि का निलम्बन एवं गोपाल जी द्वारा थाना में लिखाई गई रिपोर्ट एवं अभिलेख

28--श्री राम हर्ष राय--

प्रथम सत्र 1980 के 6वें मंगलवार दिनांक 7-10-80 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के सम्बन्ध में क्या सरकार को जानकारी है कि विवेचनाकर्त्ता तथा सी० ओ० सिटी श्री रुद्र दत्त तिवारी ने ही अभिलेख जी० डी० नं० 28844 पेज नं० 47 रिपोर्ट नं० 15 को रगड़ कर मिटाया है ? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार उक्त अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण सी० आई० डी० द्वारा करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आरोप निराधार पाया गया । अतः अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

29--श्री राम हर्ष राय--

प्रथम सत्र 1980 के 6वें मंगलवार दिनांक 7-10-80 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के सम्बन्ध में क्या सरकार बतायेगी कि जं० डं० नं० 28844 रिपोर्ट नं० 20 समय 18·35 में कांस्टेबिल गोपाल जी को चोट आना तथा सदर अस्पताल डाक्टरी हेतु भेजना दर्ज है ? यदि हां, तो न्यायालय के आदेश पर केवल जुआ ऐक्ट धारा 13 का ही मुकदमा एक माह 13 दिन बाद क्यों कायम किया गया ? इसके पूर्व मुकदमा दर्ज न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार चौकी मुराई मोहल्ला के जी० डी० के रिपोर्ट नं० 20 में कांस्टेबिल गोपाल जी को चोट आना तथा सदर अस्पताल जाना दर्ज है । लेखक प्रथम सूचना ने प्रार्थना-पत्र के अनुसार सम्पूर्ण घायायें नहीं लिखी थीं जिन्हें विवेचना के दौरान ठीक करने के निर्देश पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये हैं । मुकदमा दर्ज करने में विलम्ब का कारण यह है कि कान्स्टेबिल गोपाल जी ने इस आशय की कोई सूचना, अभिलेख आदि पहले प्रस्तुत नहीं किये ।

जी० डी० की रिपोर्ट नं० 20 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 825 पर ।)

तिलकधारी डिग्री कालेज, जौनपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

30--श्री जंग बहादुर--

शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के तिलकधारी डिग्री कालेज के 4-8-75 से कार्यरत 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब तक वेतन भुगतान किन कारणों से नहीं किया गया ? क्या सरकार शीघ्र ही उनके वेतन भुगतान की व्यवस्था कालेज को दिये गये अनुदान से करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत नियुक्तियाँ विधिवत न होने के कारण तत्कालीन प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। अतः वेतन भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता है। इनमें से कई कर्मचारियों ने सिविल जज, जौनपुर के न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर रखा है। मुकदमा अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

मोहान, जिला अल्मोड़ा में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

31--जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि मोहान, जिला अल्मोड़ा में उद्योग स्थापित करने हेतु शासन द्वारा कई भवन स्थापित किये हैं ? जिनमें अभी तक उद्योग नहीं चल रहे हैं और भवन वीरान पड़े हैं ? यदि हाँ, तो कब तक उद्योग चलाये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

जी हां। इण्डियन मेडिसिन फारमेस्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में इकाई लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शेष भाग में औद्योगिक इकाइयों के स्थापनार्थ प्रयास जारी है।

श्री प्रभुनाथ मिश्र, राज्य सम्पत्ति अधिकारी का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

32--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ में कितने और कौन-कौन आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी हैं जिन्हें लखनऊ वास करते 10 वर्ष से ज्यादा हो गया है ? क्या यह सत्य है कि श्री प्रभुनाथ मिश्र, राज्य सम्पत्ति अधिकारी को लखनऊ में रहते कितने वर्ष हो गये हैं ? क्या शासन श्री मिश्र को लखनऊ से हटाने पर विचार कर रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इस समय लखनऊ में तैनात नौ आई० ए० एस० अधिकारी सर्वश्री बी० जे० खोदायजो, आर० के० गुप्त, भवानी शंकर शर्मा, लक्ष्मीकांत गुप्त, श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव, ज्ञान चन्द्र जैन, शहजाद बहादुर, रवि प्रकाश एवं लक्ष्मीनारायण तथा पांच पी० सी० एस० अधिकारी सर्वश्री महेश चन्द्र चतुर्वेदी, प्रभा शंकर मिश्र, श्याम सुन्दर, प्रभुनाथ मिश्र एवं गोपाल जी दूसरे ऐसे हैं, जिन्हें लखनऊ वास करते दस वर्ष से ज्यादा हो गया है। श्री प्रभुनाथ मिश्र वर्तमान राज्य सम्पत्ति अधिकारी, लखनऊ में दिनांक 9 मई, 1970 से कार्यरत हैं। श्री मिश्र का स्थानान्तरण कर उनकी सेवायें भारत सरकार को प्रतिनियुक्ति पर अर्पित करने के आदेश जारी किये

जा चुके हैं किन्तु भारत सरकार से सेवा शर्तों की प्रतीक्षा में उन्हें अभी अवमुक्त नहीं किया गया है ।

33 –श्री रियासत हुसेन––

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

काल्विन तालुकेदार्स कालेज, लखनऊ को दिया गया अनुदान

34––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि यू० पी० माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यताप्राप्त लखनऊ के काल्विन तालुकेदार्स कालेज को वर्ष 1977 से 1980 तक कितने रुपयों का अनुदान (ग्रांट) शासन द्वारा दिया गया तथा कालेज द्वारा फीस के मद में कितनी धनराशि वसूल की गयी और इस धनराशि को किन-किन मदों में किस हिसाब से खर्च किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

काल्विन तालुकेदार्स कालेज, लखनऊ को शासन द्वारा निम्नलिखित वर्षों में उनके समक्ष अंकित धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई :––

1977–78 रु० 1,18,360 ।

1978–79 रु० 1,18,360 ।

1979–80 रु० 1,18,360 ।

कालेज द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर वर्ष 1977–80 तक वर्षवार निम्नवत् शुल्क वसूल किया गया :––

1977–78 रु० 22,69,132·39 ।

1978–79 रु० 25,56,220·84 ।

1979–80 रु० 25,70,553·00 ।

कालेज द्वारा प्रश्नगत अवधि में निम्नवत् धनराशि व्यय की गई :––

1977–78 रु० 22,76,343·51 ।

1978–79 रु० 23,06,718·81 ।

1979–80 रु० 26,51,608·00 ।

विस्तृत विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 826 पर ।)

आजमगढ़ जिले के ओमला दरगाह मार्ग का निर्माण

35––श्री पंचानन––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बनने वाले ओमला दरगाह मार्ग के निर्धारित मार्ग को ग्राम मोहम्मदपुर, करौदी, नरायनपुर एवं मीरपुर के पास बदलने पर विचार किया जा रहा है और क्या पूर्व निर्धारित मार्ग के लिए निर्माण विभाग की सहमति से चकबन्दी विभाग में सामूहिक कटौती से जमीन छोड़ दी थी ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि इस परिवर्तन से स्थानीय जनता में भारी असन्तोष है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में सड़कों का निर्माण

36--श्री पंचानन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में 1 जून, 1977 से 31 मई, 1980 के बीच कुल कितने कि0 मी0 पक्की सड़क का निर्माण हुआ है ? इसमें से कितनी सड़क अजमतगढ़ एवं हरैया ब्लाक में बनी है तथा कितनी-कितनी मुहम्मदपुर, फूलपुर तथा मिर्जापुर ब्लाक में बनी है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

आजमगढ़ जनपद में जून, 1977 से 31 मई, 1980 के बीच कुल 178 कि0 मी0 पक्के मार्ग का नव निर्माण हुआ है । उसमें से अजमतगढ़ ब्लाक में 2·50 कि0 मी0, हरैया ब्लाक में 20·46 कि0 मी0, मुहम्मदपुर ब्लाक में 5·00, फूलपुर में 3·00 कि0 मी0 तथा मिर्जापुर ब्लाक में 13·70 कि0 मी0 मार्ग बने ।

गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, रावलीकला, गाजियाबाद के अध्यापकों का वेतन

37--पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, रावली कला गाजियाबाद के शिक्षक एवं कर्मचारियों को जुलाई तथा अगस्त, 1980 के वेतन का भुगतान कब किया गया ? क्या वेतन वितरण अधिनियम में यह प्राविधान होते हुए कि वेतन का भुगतान 20 तारीख से पूर्व कर दिया जायेगा? समय से वेतन न देने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, रावलीकला, गाजियाबाद के अध्यापकों व कर्मचारियों के माह जुलाई, 1980 का वेतन बिल दिनाँक 12-8-80 में और अगस्त, 80 का वेतन बिल प्रधानाचार्य द्वारा समय से प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 2-1-1981 में जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद के कार्यालय द्वारा पारित किया गया ।

अभिलेख प्रधानाचार्य के पास होने व उनके द्वारा अगस्त, 1980 का बिल समय से प्रस्तुत न करने के कारण प्रबन्धक द्वारा प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की गई , परन्तु प्रक्रिया पूर्ण न होने से निलम्बन का अनुमोदन नहीं दिया जा सका ।

नवभारत कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मदनपुरा, गोरखपुर को दिया गया अनुदान

38--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवभारत कृषक उ0 मा0 विद्यालय, मदनपुरा गोरखपुर, के प्रबन्धक ने 1 जुलाई, 1975 से 31 मार्च, 1978

के मध्य बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर से विभिन्न मदों में कुल कितना अनुदान प्राप्त किया ? क्या यह सही है कि इस अनुदान को प्रबन्धक ने अनियमित तरीके से व्यय किया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

नवभारत कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मदनपुरा, गोरखपुर के प्रबन्धक ने 1 जुलाई, 1975 से 31 मार्च, 1978 के मध्य में जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर से विभिन्न मदों में कुल 1,16,688·60 रु0 का अनुदान प्राप्त किया ।

अनुदान के अनियमित व्यय की जांच के लिए प्रबन्धक से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया पर उन्होंने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये, जिसके कारण अनियमितताओं की पुष्टि नहीं की जा सकी, परन्तु अभिलेख जांच के लिए न प्रस्तुत करने से आर्थिक अनियमितताओं के होने का आभास होता है ।

गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोड़िया, आजमगढ़ के अध्यापकों का नियमितीकरण

30--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी उ0 मा0 विद्यालय, कोड़िया, आजमगढ़ के तीन शिक्षकों की सेवा को विनियमित करने के सम्बध में न्यायालय का कोई निर्णय 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1980 के बीच हुआ है ? यदि हां, तो क्या उन शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों, और उनका वेतन कब से बाकी है और न्यायालय का निर्णय कब हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी शिकायती-पत्र

40--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1979 में परीक्षकों की अनियमित नियुक्ति तथा अन्य अनिमितताओं से सम्बन्धित श्री राम जनम सिंह, मंत्री, उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़ का कोई शिकायती पत्र शिक्षा निदेशक एवं रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं को 1 जुलाई, 1978 से 21 अक्तूबर, 1979 के बीच प्राप्त हुआ था ? यदि हां तो प्रमुख शिकायतों की जांच किससे करायी गयी तथा जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां ।

प्रमुख शिकायतों की जांच तदर्थ गठित एक समिति द्वारा की जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

41--श्री पंचानन--

[1ले शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 181 द्वारा उत्तरित ।]

आजमगढ़ जिले के जौनपुर-विलरियागंज सड़क के निर्माण हेतु ग्राम खालिसपुर की भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

42--श्री पंचानन--

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जौनपुर-विलरियागंज रोड के लिए ग्राम खालिसपुर एवं मालटारी में जमीन कब एक्वायर की गई थी और क्या किसानों को उसका मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं और यह कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

आजमगढ़ जनपद में जियनपुर-विलरियागंज मार्ग के लिए ग्राम खालिसपुर की भूमि 4/78 में अर्जित की जा चुकी है । चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ हो जाने के कारण प्रतिकर के वितरण में विलम्ब हुआ है । उप भूमि अध्यापित अधिकारी को प्रतिकर के शीघ्र वितरण के लिए निर्देश दिया गया है । ग्राम मालटारी में चकबन्दी प्रक्रिया के आरम्भ हो जाने के कारण भूमि अर्जन की कार्यवाही नहीं की जा सकी है । भू-अर्जन प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है । तदुपरान्त प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही सम्भव होगी ।

गंगादास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़ के प्रबन्धक के विरुद्ध जांच

43--श्री पंचानन--

क्या अिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गंगादास उ0मा0 विद्यालय, घबीरया तथा आजमगढ़ की आर्थिक अनियमितताओं की कोई जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) द्वारा 1 मई, 1980 से 20 जुलाई, 1980 के बीच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्रबन्धक को तीन दिन के अन्दर धन जमा करने का आदेश दिया गया था, प्रबन्धक ने धन जमा नहीं किया, जिसके कारण प्रबन्धक के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के यहां आवश्यक कार्यवाही हेतु एफ0 आई0 आर0 दर्ज कर दी गई । तत्कालीन सह जिला विद्यालय निरीक्षक को चेतावनी दी जा चुकी है ।

राजकीय बालिका विद्यालय इंटर कालेज, आजमगढ़ की अध्यापिकाओं का स्थायीकरण

44--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका विद्यालय इंटर कालेज, आजमगढ़ में 31 अगस्त, 80 को बी0 टी0 सी0 वेतनक्रम में कितनी ऐसी शिक्षिकाएं कार्यरत हैं तथा उनमें से किनकी-किनकी उच्च वेतनक्रमों में तदर्थ पदोन्नति की गई है ? उन्हें अब तक स्थायी न किए जाने का क्या प्रमुख कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित अध्यापिकायें बी0 टी0 सी0 के वेतनक्रम में स्थायी नहीं की गई हैं :--

अध्यापिका का नाम			बी0टी0सी0 वेतनक्रम में नियुक्ति का तिथि
1--श्रीमती शीला राय	..	..	19-6-1969
2--श्रीमती सुषमा उपाध्याय	..	..	23-8-1975
3--श्रीमती चिता सिंह	..	..	11-3-1976
4--कुमारी बालसिन पर्स	..	..	3-2-1978
5--श्रीमती लालती यादव	..	..	6-3-1978

इनकी उच्च वेतनक्रम में पदोन्नति भी नहीं हुई है । स्थायी न किए जाने के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़ के कर्मचारियों एवं शिक्षकों की अनिवार्य जमा योजना की धनराशि

45--पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के किन-किन गैर सरकारी सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि का पूरा भुगतान किया गया है ? किन-किन विद्यालयों में कितनी-कितनी धनराशियों का भुगतान नहीं हुआ है और क्यों ? भुगतान करने के लिए शासन तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेशनल इंटर कालेज, अदरी इन्दारा, आजमगढ़ के अध्यापकों एव कर्मचारियों के पद

46--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इंटर कालेज अदरी इन्दारा, आजमगढ़ में अध्यापकों तथा कर्मचारियों में कुल कितने पद 1 जुलाई, 78 से 21 मई, 80 के बीच सृजित किए गए ? इन पदों की छात्र संख्या के अनुसार सृजित न किए जाने का औचित्य क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 1-7-78 से 21-5-80 के बीच 6 एल0टी0, 3 सी0टी0 तथा एक परिचारक का पद सृजित किया गया। छात्र संख्या की अशुद्ध सूचना प्राप्त होने के कारण इन पदों का सृजन किया गया था, बाद में जांचोपरान्त एक परिचारक के पद को छोड़कर शेष पदों को निरस्त कर दिया गया।

जमुनादेवी बलिका इन्टर कालेज, कृष्णनगर, कानपुर से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

47--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुना देवी बालिका इन्टर कालेज, कृष्णनगर, कानपुर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध अनियमितता, पक्षपात एवं आर्थिक गोलमाल की शिकायत शासन या शिक्षा विभाग को 1 मई, 1980 से 20 जून, 1980 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस स्तर के अधिकारी से करायी गई तथा जांच के क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आदर्श इन्टर कालेज, मानिकपुर जिला बांदा के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

48--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श इन्टर कालेज, मानिकपुर, बांदा के प्रबन्धाधिकरण एवं साधिकार नियन्त्रक द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायतें शासन एवं विभाग को वर्ष 1978-79 में प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या थीं और क्या उनकी जांच करायी गयी ? जांच के क्या परिणाम निकले तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सम्राट अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करहना, जिला बस्ती के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

49--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि सम्राट् अशोक उ० मा० विद्यालय करहना (बस्ती) के कितने शिक्षक एवं कर्मचारियों को अक्टूबर, 1977 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और वेतन न देने के क्या प्रमुख कारण हैं ? इस सम्बन्ध में वेतन दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति

50—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1975 से अगस्त, 1980 के मध्य में शिक्षा विभाग के कुल कितने और कौन-कौन अधिकारी द्वितीय श्रेणी (550—1200) से प्रथम श्रेणी (800—1450) में पदोन्नत किये गये हैं ? पदोन्नति के समय उपरोक्त अधिकारियों ने द्वितीय श्रेणी में कितने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पुरुष शाखा में 126 तथा महिला शाखा में 12 अधिकारी प्रोन्नत किये गये जिनकी सूचियां संलग्न हैं।

उक्त सूचियों के स्तम्भ 5 में विवरण अंकित है।

कूबा महाविद्यालय, दरियापुर नवादा, आजमगढ़ के प्रवक्ता श्री रमा शंकर सिंह के वेतन का भुगतान

51—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कूबा महाविद्यालय, दरियापुर नवादा, आजमगढ़ के किन-किन प्रवाक्ताओं को जून, 1976 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? भुगतान न किये जाने के क्या प्रमुख कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कूबा महाविद्यालय दरियापुर नवादा, आजमगढ़ ने तत्समय कार्यरत अस्थायी हिन्दी प्रवक्ता श्री रमा शंकर सिंह को जून, 1976 का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है, क्योंकि श्री रमा शंकर सिंह की सेवा सम्बन्धी कुछ तथ्यों की सूचना विभाग के पास नहीं थी। अपेक्षित तथ्यात्मक सूचना प्राप्त कर श्री रमा शंकर सिंह को जून, 1976 के नियमानुसार देय वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

दयानन्द इन्टर कालेज, गोरखपुर की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट

52—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या दयानन्द इन्टर कालेज, गोरखपुर का विशेष लेखा परीक्षण वर्ष 1975-76 में कराया गया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी अनियमितताये प्रकाश में आईं तथा लेखा परीक्षण में इंगित गम्भीर अनियमितताओं में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन द्वारा दिनांक 31-8-80 तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

नोट:—छापी नहीं गयी।

150 आपत्तियां प्रकाश में आयीं। प्रबन्धक की अनुसार सभी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है तथा जिन व्यक्तियों के ऊपर धन के अपहरण के आरोप हैं उनसे धन वसूल कर सम्बन्धित खातों में जमा कर दिया गया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली द्वारा विद्यालयों के साज सज्जा हेतु निकाली गयी धनराशि

53—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली जनपद में मार्च, 1980 में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कितनी धनराशि विद्यालयों की साज-सज्जा, उपकरण एवं अन्य शिक्षण सामग्री क्रय हेतु निकाली गई ? यह धनराशि बैंक ड्राफ्ट, नगद अथवा प्रोफार्मा बिल आदि किस रूप में निकाली गई तथा किस खाते में जमा की गई ? क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त धनराशि से जो सामग्री खरीदी गई, वह पंचायत उद्योग से खरीदी गई, अथवा पंचायत उद्योग को माध्यम बनाकर ठेकेदारों से आपूर्ति कराई गई ? क्या खरीदी गई सामग्री की कोई जांच किसी विशेषज्ञ से कराई गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली द्वारा मार्च, 1980 में 2,79,981·88 रु0 की धनराशि निकाली गई।

यह धनराशि प्रोफार्मा पर निकाली गई और जूनियर हाई स्कूल परीक्षा निधि के (पी0 एल0 ए0) में जमा कर दी गई।

पंचायत राज विभाग द्वारा अनुमोदित पंचायत उद्योगों से 2,51,743·81 रु0 की काष्ठोपकरण एवं टाटपट्टी क्रय की गई, शेष 28,238·97 रु0 मूल्य की स्टेशनरी, नक्शा, विज्ञान सामग्री आदि का क्रय जिला क्रय समिति के निर्णय के अनुसार टेन्डर कोटेशन आदि लेकर फर्मों से किया गया।

जी नहीं।

क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन पूर्व प्राप्त नमूने के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा कराया जा चुका है।

थानाध्यक्ष, गौरीगंज, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

54—श्री पंचानन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष गौरीगंज, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायतों की कोई जांच उच्चाधिकारियों द्वारा 1 जुलाई, 1980 से 10 सितम्बर के बीच की गयी ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या थीं और जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्नगत अवधि में थानाध्यक्ष, गौरीगंज जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध क्षेत्राधिकारी अमेठी द्वारा तीन शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच की गई। इनमें उल्लिखित प्रमुख शिकायतों का ब्योरा संलग्न है। जांच से आरोप सत्यापित नहीं हुये।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 831 पर।)

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नामावली लेखकों के नियमितीकरण की मांग

55—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् में कितने नामावली लेखक (एम0 आर0 डब्लू0) तथा कितने श्रमिक दैनिक मजदूरी पर कार्यरत हैं? इन्हें कितनी-कितनी मजदूरी तथा कितना वाहन व्यय प्रतिदिन दिया जाता है? प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं? क्या सरकार इनको नियमित करने पर विचार कर रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् में 207 नामावली लेखक तथा 632 श्रमिक दैनिक मजदूरी पर कार्यरत हैं।

नामावली लेखकों को 8 प्रतिदिन वाहन व्यय तथा श्रमिकों को 7 रु0 प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है।

5 वर्ष से अधिक समय से सतत रूप से कार्यरत रहने वाला कोई कर्मचारी नहीं है, परन्तु पुनः नियुक्ति के आधार पर 39 नामावली लेखक व 195 श्रमिक ऐसे हैं जो परिषद् में 5 वर्ष से पुराने हैं।

जी हां।

नगरपालिका के शिक्षकों की सामूहिक बीमा योजना

56—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश के म्युनिसिपल विद्यालयों के शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि प्रदेश के अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में तथा नगरपालिकाओं के अन्य कर्मचारियों को यह लाभ मिल रहा है? यदि हां, तो शिक्षा मन्त्री नगरपालिका के शिक्षकों पर भी इस योजना को लागू कराने की कृपा करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

इन संस्थाओं के अध्यापकों पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत सामूहिक बीमा योजना लागू है।

राजकीय आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों की ज्येष्ठता-सूची

57--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शिक्षा विभाग में राजकीय आदर्श विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची प्रदेश स्तर पर उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अध्यापकों को कभी इसकी जानकारी कराई गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के अध्यापकों की अनिवार्य जमा योजना की धनराशि

58--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का भुगतान 20 अक्टूबर, 80 तक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । इसके भुगतान के लिए क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है, जिसके लिये उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था । उस प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां लगाकर उन्होंने वापस कर दिया है । आपत्तियों का निराकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही धनराशि अवमुक्त कराने के लिये पुनः प्रस्ताव भेजा जायेगा ।

आजमगढ़ जिले के गंड़ेरुआ के जूनियर हाई स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान

59--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में स्थित जूनियर हाई स्कूल गंड़ेरुआ में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें केवल 31 रुपये 50 पैसे प्रतिमाह वेतन मिलता है ? वेतन आयोग द्वारा 165 रुपये न्यूनतम वेतन तय किये जाने के बाद इन्हें मूल वेतन के क्रम में बारह रुपया दिया जाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चपरासी की सेवा समाप्ति सम्बन्धी अपील

60--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सहायता प्राप्त उ० मा० विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

की अपील जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में 30 सितम्बर, 1980 को विचाराधीन थी ? यह अपीलें कब से विचाराधीन हैं और निर्णय न किये जाने के क्या प्रमुख कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 30-9-80 को इस जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के केवल एक चपरासी की सेवा समाप्ति की अपील जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय में विचाराधीन थी। यह अपील 18-5-78 से विचाराधीन ह । निर्णय लेने से पूर्व अधिकारियों के स्थानान्तरण हो जाने तथा पुनः सुनवाई हेतु पक्षों के निर्धारित समय पर उपस्थित न होने के कारण अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

श्याम कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थवईपार, गोरखपुर में विभिन्न पदों का सृजन एवं प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

61--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम कृष्ण उ0 मा0 विद्यालय, थवईपार, गोरखपुर में 1 जनवरी, 1978 से 31 मार्च, 1980 के बीच विभिन्न वेतन-क्रमों में कितने पद सृजित किये गये ? क्या यह सही है कि इस विद्यालय में इन पदों की आवश्यकता नहीं थी ? यदि हां, तो किन कारणों से ये पद सृजित किए गए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

1-1-78 से 31-3-80 के बीच 1 अतिरिक्त लिपिक, 6 प्रवक्ता, 5 एल0 टी0 ग्रेड तथा 2 अनुचरों के पदों का सृजन किया गया ।

कतिपय पदों के सृजन की आवश्यकता सम्भवतया नहीं थी ।

विस्तृत जांच न कराये जाने के कारण पदों के सृजन की आवश्यकता का सही-सही निर्धारण नहीं किया जा सका ।

62--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम कृष्ण इंटर कालेज, थवईपार, गोरखपुर के प्रबन्धकारिणी के विरुद्ध आर्थिक अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की शिकायतें शासन एवं शिक्षा विभाग को 1 फरवरी, 1980 से 30 मई, 1980 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस स्तर के अधिकारी से करायी गयी तथा जांच के क्या परिणाम निकले ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास क्षेत्र आजमतगढ़ एवं हरैया जिला आजमगढ़ के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

63--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ तथा हरैया ब्लाक में कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल बिना भवन के हैं ? क्या

सरकार इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए इनके भवनों के निर्माण की कोई विशेष योजना तैयार कराने पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लाक में 5 प्राइमरी तथा 2 जूनियर हाई स्कूल तथा हरया ब्लाक में 9 प्राइमरी और एक जूनियर हाई स्कूल भवनहीन हैं। इस प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने और संतुलित विकास के उद्देश्य से पूर्वी जिलों के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त अनुदान स्वीकार किए जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री मुरारी उपाध्याय, मवैया, लखनऊ का थाना आलमबाग की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

64--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुरारी उपाध्याय निवासी 281/85 मवैया, लखनऊ का थाना आलमबाग की पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र 26 जून, 1980 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मुख्य मंत्री जी को मिला ? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

श्री मुरारी उपाध्याय के दो शिकायती पत्र अगस्त, 1980 में प्राप्त हुए थे, जिसमें एक दिनांक रहित था तथा दूसरा 17-7-80 का था। इन शिकायती-पत्रों में मुख्य आरोप यह लगाया गया था कि श्री शिव अधार तिवारी मालिक मकान नं0 281/35 मवैया, लखनऊ तथा श्री मुरारी उपाध्याय के आपसी विवाद में थाना आलमबाग की पुलिस मकान मालिक का पक्षपात कर रही है। इसी सन्दर्भ में श्री जी0 सिंह, सब इंसपेक्टर के विरुद्ध भी पक्षपात तथा रिश्वत के आरोप लगाए गए थे। इन शिकायतों की जांच की गई जिसमें सभी आरोप निराधार पाए गए।

65--श्री गोपाल रामदास--

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

66--श्री गोपाल रामदास--

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

लखनऊ-सीतापुर मार्ग की मरम्मत

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई तथा अगस्त, 1980 में भारी वर्षा के कारण लखनऊ, सीतापुर के बीच राष्ट्रीय मार्ग को हुई क्षति की मरम्मत में संबंधित काल में सड़क टूटने से आज तक कुल कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जुलाई तथा अगस्त 1980 में हुई वर्षा के फलस्वरूप लखनऊ-सीतापुर के बीच स्थित राष्ट्रीय मार्ग को हुई क्षति की मरम्मत में नवम्बर माह के अन्त तक 6·829 लाख रुपए का व्यय किया गया ।

सीतापुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा योजना के संचालित केन्द्र

68--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा योजना के अधीन फरवरी, 1980 से कितने केन्द्र चलाए जा रहे हैं ? प्रति केन्द्र पर कितने कर्मचारी तथा कितने छात्र हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद सीतापुर में प्रौढ़ शिक्षा योजना के अधीन फरवरी, 1980 से चलाए गए केन्द्रों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :--

(1) शासन द्वारा फरवरी 1980 में 54 केन्द्र तथा आगामी महीनों में जुलाई 1980 तक 246 केन्द्र, कुल 300 केन्द्र संचालित किए गए। इनमें से 292 केन्द्रों पर प्रति केन्द्र 30 प्रतिभागी, 5 केन्द्रों पर प्रति केन्द्र 28 प्रतिभागी तथा शेष 3 केन्द्रों पर क्रमशः 27, 26 तथा 25 प्रतिभागी पंजीकृत किए गए ।

(2) दो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रति संस्था 30 केन्द्र, कुल 60 केन्द्र, फरवरी 1980 में संचालित किए गए । इनमें से 58 केन्द्रों पर प्रति केन्द्र 30 प्रतिभागी, एक केन्द्र पर 31 प्रतिभागी तथा एक केन्द्र पर 36 प्रतिभागी पंजीकृत किए गए ।

(3) नेहरू युवक केन्द्र सीतापुर द्वारा फरवरी, 1980 में 19 केन्द्र संचालित किए गए। प्रत्येक केन्द्र पर 27 से लेकर 41 प्रतिभागी पंजीकृत किए गए ।

उपरोक्त सभी केन्द्रों पर प्रति केन्द्र एक अंशकालिक अनुदेशक रखे गए। फरवरी 1980 से संचालित किए गए सभी केन्द्रों का सत्र दिसम्बर 1980 में समाप्त हो गया ।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग के कर्मचारियों का कार्यकाल

69--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के सचिवालय (प्रशासन) अनुभागों में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी गत दस वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण अन्य विभागों में न किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उत्तर प्रदेश सचिवालय के सचिवालय प्रशासन अनुभागों में गत् दस वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न है। इस सूची में दिखाये गये विभिन्न सम्वर्गों के कर्मचारियों में से केवल प्रवर वर्ग सहायकों

के सम्बन्ध में शासन की यह सामान्य नीति है कि उन्हें दस वर्षों के उपरान्त दूसरी शाखा में स्थानान्तरित कर दिया जाय, किन्तु संलग्न सूची में उल्लिखित प्रवर वर्ग सहायकों का स्थानान्तरण करना कार्य हित में उचित नहीं समझा गया ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 832 पर) ।

थाना गोसाईगंज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती–पत्र

70––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा एक शिकायती–पत्र श्री प्रेमनारायण वर्मा ग्राम कमालपुर, थाना गोसांईगंज, जनपद लखनऊ की रिपोर्ट उक्त थाने के थानाध्यक्ष द्वारा चोरी की न लिखे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22–8–80 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

जी हां । शिकायती पत्र पर जांच करायी गई । जांच से 17–6–80 को रिपोर्ट न लिखे जाने का आरोप सही प्रतीत नहीं होता है । किसी हस्तक्षेपीय अपराध का होना नहीं पाया गया । मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है । शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से पुलिस द्वारा धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की जा चुकी है ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलावल, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती–पत्र

71––श्री रियासत हुसेन––

क्या शिक्षा मंत्री को जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलावल, मुरादाबाद में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती–पत्र दिनांक 27–8–80 नेता जनता पार्टी (जे0 पी0) विधायक दल का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हां ।

इस संस्था के प्रबंधक के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16–घ (2) के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 1981 द्वारा नोटिस दे दिया गया है ।

इन्डस्ट्रियल इन्टर कालेज, लखनऊ में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के अध्यापकों का आरक्षण कोटा

72––श्री शिवपाल सिंह––

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1970 से अब तक समय–समय पर इन्डस्ट्रियल इन्टर कालेज, लखनऊ में अध्यापकों के पद पर कितनी–कितनी नियुक्तियां की गयीं और उनमें आरक्षण कोटे के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के कितने अभ्यर्थी नियुक्त किये गये ? क्या यह भी सही है कि कतिपय आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों को न रखकर सवर्ण जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1970 से अब तक प्रश्नगत विद्यालय में 11 नियुक्तियां की गई हैं जिसमें से 3 नियुक्तियां आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों की हैं।

वर्ष 1980 में दो पदों का विज्ञापन विद्यालय द्वारा किया गया था, यह पद आरक्षित कोटे के अन्तर्गत आरक्षित थे। गुण विषयक अंक प्रदान करने के पश्चात शिक्षा संशोधन अधिनियम के अध्याय विनियम 10 (घ) के अनुसार साक्षात्कार हेतु सात नाम भेजे गये थे। चयन समिति ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया एवं सामान्य अभ्यर्थियों का चयन, समिति द्वारा किया गया था जिसे अमान्य घोषित किया गया है। प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है

बुन्देलखन्ड मन्डल हेतु स्वीकृत औद्योगिक योजनायें

73—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले कौन-कौन से हैं और उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का क्या कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसके किए क्या मानदन्ड अपनाये गये हैं और उद्योग निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा।

श्री नियाज हसन खां—

बुन्देलखंड के सभी पांचों जिले (झांसी बांदा, जालौन, हमीरपुर एवं ललितपुर) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित हैं। इन जिलों में निम्नलिखित बृहत् उद्योगों की स्थापना स्वीकृत हैं।

(1) झांसी जिले में राज्य वस्त्र उद्योग निगम द्वारा स्थापित सूती कताई मिल की क्षमता दुगनी की जा रही है।

(2) बांदा जनपद में एक सूती कताई मिल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस जनपद में राज्य खनिज विकास निगम सिंथेटिक एमरी संयंत्र तथा सिलिका सैंड के लिए वाशिंग प्लांट की स्थापना कर रहा है।

(3) ललितपुर जनपद में राज्य खनिज विकास निगम द्वारा राक फासफेट का पाथलट खनन कार्य प्रारम्भ कर रहा है। इस जनपद में विस्फोटक पदार्थ बनाने का एक कारखाना मेसर्स नरेन्द्रा इक्सप्लोसिव्स (प्रा0) लि0 स्थापित किया जा रहा है।

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में औद्योगिक इकाइयों के स्थापनाथ उद्यमियों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराकर औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थान का चयन किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन के अतिरिक्त अन्य तथ्यों जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता एवं अवस्थापन सुविधा इत्यादि के आधार पर किया जाता है। इन योजनाओं के निमार्ण कार्य के प्रारम्भ होने की तिथि से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास विकास परिषद के आवासों की खरीद

74--श्री राम अ सरे वर्मा--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् द्वारा किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित और कुल कितने आवास राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा 31 अक्तूबर, 1980 तक क्रय किये गये हैं तथा कुल कितन आवासों के क्रय मूल्य का भुगतान किया गया है और कितने ऐसे आवास हैं जिसके लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा तो कर दिया गया है परन्तु आवास विकास परिषद् ने न तो उक्त आवासों का निर्माण ही किया है और न उक्त धनराशि पर कोई ब्याज ही दे रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की लखनऊ स्थित डायमंड डेरी, रामसागर मिश्र नगर, पार्क रोड तथा ताल कटोरा रोड की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित कुल 554 आवास 31 अक्तूबर, 1980 तक क्रय किये गये हैं (24 आवास पार्क रोड पर निर्माणाधीन हैं) तथा इनके लिए 2,56,37,987·10 रुपये का भुगतान किया गया है। प्राप्त आवासों के मूल्य के रूप में की गई अदायगी के अतिरिक्त पार्क रोड पर निर्माणार्थ आवासों हेतु आवास विकास परिषद के साथ 29,40,000 रुपये अग्रिम जमा है जबकि इसकी अनुमानित लागत का प्रारम्भिक आगणन 33·74 लाख रुपये हैं।

जमा की गई धनराशि के प्रति आवासों के अन्तिम बिलों का भुगतान करते समय सामान्यतया ब्याज का भुगतान आवास विकास परिषद् द्वारा शासन को नहीं किया जाता है।

आवास विकास परिषद् भी शासन का ही एक संस्थान है। कभी-कभी पूरी धनराशि अदा किए बिना ही आवास का लाभ शासन को पहले से ही प्राप्त होने लगता है। अतः आवासों को क्रय करने के लिए किस सीमा तक अग्रिम उक्त संस्था को दिया जाये, इसका निर्धारण आवश्यक नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कादीपुर, सुल्तानपुर के आवासों का निर्माण

75--श्री राम सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में चिकित्साधिकारी का निवास तथा परिवार कल्याण केन्द्र एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित 4 आवासीय गृह, जो विगत 1970 से निर्माणाधीन हैं, का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में चिकित्साधिकारी का निवास तथा परिवार कल्याण केन्द्र व परिवार कल्याण से सम्बन्धित अन्य चार आवासीय गृह पहले से निर्मित हैं तथा सम्बन्धित विभाग के प्रयोग में हैं।

राज्य सम्पत्ति विभाग के द्वारा राज्य कर्मचारियों को आवासों का आवंटन

76—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को सरकारी आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने के क्या नार्म्स हैं ? इन नार्म्स के आधार पर, गत दो वर्षों (1978-79, 1979-80) में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की बनाई गई प्रतीक्षा सूची तथा इसी अवधि में कर्मचारियों को आवंटित भवनों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? क्या भवन आवंटन में निर्धारित नार्म्स का पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों का राज्य कर्मचारियों को आवंटन "सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवरण स्थल) आवंटन नियमावली 1980" के अन्तर्गत किया जाता है । गत दो वर्षों (1978-79, 1979-80) में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर प्रतीक्षारत कर्मचारियों की सूचियां तथा इसी अवधि में कर्मचारियों को आवंटित भवनों की सूची तैयार करके पटल पर रखने में लगने वाला श्रम, समय तथा धन उसके लाभ के अनुरूप नहीं है । गत दो वर्षों में राजकीय कर्मचारियों को सरकारी आवासों का आवंटन राज्य सम्पत्ति विभाग में वरिष्ठता के आधार पर तैयार की गई, प्रतीक्षा सूची से पुनः वरिष्ठता के आधार पर तथा कतिपय मामलों में विशेष आवासीय कठिनाइयों के कारण गुणावगुण पर विचार करके वरिष्ठता के सिद्धान्त का शिथिल करके किया गया है ।

सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं, बाराबंकी के स्थानान्तरण की मांग

77—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् बाराबंकी के अन्तर्गत कितनी ऐसी ए0 आई0 जी0 एस0 हैं जो पांच साल से 10 वर्षों की ज्यादा अवधि से जनपद बाराबंकी में कार्यरत हैं ? यदि हां तो क्या पांच साल से अधिक समय से कार्यरत ए0 आई0 जी0 एस0 का स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

तीन सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकायें पांच वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं । किन्तु किसी ने भी 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी नहीं की है ।

वर्तमान आदेशों के अनुसार 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं का स्थानान्तरण किया जाना चाहिये ।

कारबाइन राइफल के लाइसेन्स पर लगाया गया प्रतिबन्ध

78—श्री शंकर सिंह तथा श्री दलगंजन सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने 0.30 कारबाइन के लाइसेन्स देने पर इस समय रोक लगा दी है ? यदि हां, तो इस आदेश के क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है ।

श्री शिवराम शुक्ल एडवोकेट, ग्राम नयनपुरवा, जिला गोण्डा का मिथ्या अभियोग के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

79--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिवराम शुक्ल एडवोकेट ग्राम नयनपुरवा थाना कौड़िया जिला गोण्डा तथा उनके परिवार जनों को पुलिस द्वारा मिथ्या अभियोगों में फंसाये जाने के सिलसिले में उक्त श्री शुक्ल के प्रार्थना पत्र पर अप्रैल 80 में पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश द्वारा गुप्तचर विभाग के भ्रष्टाचार निवारक संगठन द्वारा जांच के आदेश किये गये तथा जून, 80 में जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है यदि हां तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस आधार पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि कार्यवाही नहीं हुई तो उसके क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। श्री शिवराम शुक्ल एडवोकेट ग्राम नयनपुरवा थाना कौड़िया जिल गोंण्डा के दि0 18-4-80 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोपा की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की गई और जाँच रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक, उ0 प्र0 को भेजी गई । इस जांच में दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई अभी लम्बित ह क्योंकि अपराध अनुसंधान विभाग को इस मामले को जांच सौप दी गई है । अपराध अनुसंधान विभाग की जांच के निष्कर्षो के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जयेगी ।

बांदा-राजापुर मार्ग का निर्माण एवं धुरी तथा उमरेढ़ा का पुल

80--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा जनपद में बांदा से राजापुर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क कई वर्षों से निर्माणधीन है ? यदि हां तो उक्त सड़क के निर्माण म विलम्ब क्यों हो रहा है और यह कब तक पूरी होगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

बांदा से राजापुर जोड़ने वाले मार्ग में से केवल ओरन से पहाड़ी तक के भाग का निर्माण कार्य बागेन तथा पेश्मनी नदियों पर पुलों को तथा नहर पर पुलियों के निर्माण को स्वीकृति की अपेक्षा में कहीं-कहीं पर छोड़ दिया गया है । उक्त पुल एवं पुलिया के स्वीकृत हो जाने पर उक्त कार्य पूरा किया जा सकेगा ।

81--चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार बतायेगी कि इसी सड़क में धुरी तथा उमरेहड़ा के पास पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

ग्राम घुरी तथा उकरेहड़ा में अभी पुल स्वीकृत नहीं हैं, जिन्हें स्वीकृति के पश्चात् ही बनाया जा सकेगा ।

फर्रुखाबाद जिले में छात्रों के जलूस पर चलायी गयी गोली से छात्रों की मृत्यु एवं घटना से सम्बन्धित विधायकों का पत्र तथा मुकदमा एवं कर्फ्यू

82—श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 80 के 2रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अपराध संख्या 865 की रपट में यह कहीं नहीं आया है कि छात्र कोतवाली को आग लगाने का प्रयास कर रहे थे जबकि पुलिस द्वारा गृह सचिव को 25-10-79 को दी गयी सूचना में उक्त बात कही गई थी जिसके आधार पर गृह सचिव का वक्तव्य उसी शाम प्रादेशिक समाचार में प्रसारित हुआ ? यदि हां, तो इस विसंगति का क्या कारण है तथा इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

अ0 सं0 865/79 की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो थाना कोतवाली फर्रुखाबाद में अंकित कराई गई उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया, "इसी बीच चौक पर पक्के पुल लोहाई रोड तथा रेलवे रोड की ओर से पांच-पांच, छः-छः सौ लोगों की उत्तेजित भीड़ अत्यन्त जोर-जोर से नारे लगाते हुये कि थाना चौकी फूंक देंगे।" आगे इसी रिपोर्ट में यह अंकित है, "इस चेतावनी का कोई प्रभाव भीड़ पर नहीं पड़ा और बराबर भीड़ के लोग पुलिस दल पर हमला करने, दुकानों में लूटपाट करने तथा आग लगाने का प्रयास करते रहे।"

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है कि थाना को आग लगाने का प्रयास कर रहे थे। मिट्टी के तेल की बोतलें घटनास्थल से बरामद हुई जिनसे यह साफ है कि ऐसा करने की पूर्ण योजना थी। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। विवेचना से यह बात और साफ हो गई कि भीड़ थाना कोतवाली आदि को फूंक देने का प्रयास कर रही थी।

83—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 2रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि भारतीय पाठशाला के बाहर उग्र एवं आक्रामक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा गोली नहीं चलाई गई वरन् गोली घुमना तथा किराना बाजार की ओर चलाई गई जहां 2 छात्रों की मृत्यु हुई तथा 5 घायल हुए जैसा कि अपराध संख्या 865, दिनांक 25-10-78 को एस0 ओ0, फर्रुखाबाद द्वारा लिखाई रपट से स्पष्ट है ? यदि हां, तो गलत उत्तर देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

पूर्व में दिये गये उत्तर में कही गयी इस बात का कि "दिनांक 25-10-79 को भारतीय इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद के बाहर उग्र एवं आक्रामक भीड़ को नियंत्रित

करन के लिए अन्य उपायों के विफल होने पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरू। 2 लड़कों की मृत्यु हो गई तथा 5 अन्य लोग घायल हुए" का आशय केवल यही था कि गोली कालेज परिसर में नहीं चली वरन् गोली कालेज परिसर के बाहर चली। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में विस्तार से जानने की इच्छा करते तो उन्हें पूर्ण विवरणों से अवश्य अवगत कराया जाता। इस प्रकार न तो कोई गलत सूचना दी गई और न ही किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उठता है।

फर्रुखाबाद गोली काण्ड की न्यायिक जांच सम्बन्धी विधायकों का पत्र

84--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 2रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि तत्कालीन विधायकों एवं संसद सदस्य के पत्र में क्या-क्या लिखा था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र (1980) के दुसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के संबंध में दिये गये उत्तर में संदर्भित फर्रुखाबाद के तत्कालीन विधायकों सर्वश्री गिरीश चन्द्र तिवारी, ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा वंश गोपाल चतुर्वेदी एवं लोक सभा के एक सदस्य द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री को संबोधित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ट 833 पर)

85--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 2रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 को फर्रुखाबाद में पुलिस को गोली चलाने के स्पष्ट आदेश तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने नहीं दिये थे उन्होंने केवल सी० ओ० सिटी को इतना आदेश दिया था कि यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग करें ? यदि हां, तो बिना स्पष्ट आदेश के गोली चलाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

अपराध संख्या 865/79 में आरोप-पत्र 16-6-80 को न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया था वरन् आरोप पत्र दिनांक 23-10-80 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस प्रकार न तो कोई गलत सूचना दी गई और न ही किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उठता है।

86--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 2रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 को फर्रुखाबाद में पुलिस को गोली चलाने के स्पष्ट आदेश तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने नहीं दिये थे उन्होंने केवल सी० ओ० सिटी को इतना आदेश दिया था कि यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग करें ? यदि हां, तो बिना स्पष्ट आदेश के गोली चलाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 को तत्कालीन नगर मजिस्ट्रट के लिखित आदेश पर ही पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी अतः इस संबंध में किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

87--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 2रे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 25 अक्तूबर, 1979 को फर्रुखाबाद में हुए गोलीकांड के उपरान्त यह एलान किया गया कि नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है तथा उसकी स्वीकृति प्रदेश के गृह सचिव से मांगी गई तथा स्वीकृत न मिलने पर अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि कर्फ्यू लगाया ही नहीं गया जब कि अनेक विभाग के अध्यक्षों ने कर्फ्यू पास जारी किये ? यदि हां, तो इस प्रकार कर्फ्यू की गलत घोषणा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 को फर्रुखाबाद में गोलीकांड हो जाने के बाद कोई कर्फ्यू नगर में नहीं लगाया गया था और न कर्फ्यू लगाने के लिए प्रदेश के गृह सचिव से स्वीकृति ही मांगी गयी । जब कर्फ्यू लगा ही नहीं था तो अधिकृत तौर पर कर्फ्यू पास जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि किसी विभागाध्यक्ष ने अपने कर्मचारियों के पक्ष में परिचय पत्र इत्यादि निर्गत कर दिये हों तो वह उनके ही दायित्व पर निर्गत किये गये होंगे ।

88--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 2रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनके अधिकारी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 865, दिनांक 25-10-79 को कायम किया गया जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 336 लगायी गयी है तो इस घटना के दौरान कोई सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति की क्षति हुई ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो गलत रूप से धारा को लगाए जाने का क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

अपराध संख्या 865/79 में भा० दं० वि० की अन्य धाराओं के साथ धारा 336 भा० दं० वि० भी अंकित की गई क्योंकि भीड़ द्वारा पथराव व शीशों के टुकड़ों से पुलिस दल पर बौछार की गयी थी जिससे जन जीवन खतरे में पड़ गया था । अतः धारा 336 भा० दं० वि० का अपराध बनता था । धारा 336 भा० दं० वि० का अपराध सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को क्षति पहुंचे । धारा 336 भा० दं० वि० इस प्रकार है :

"कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो :

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न होता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 250 रु० तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा ।"

अतः इस धारा को अंकित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई ।

89--श्री राम आसरे वर्मा--

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेन्शन में की गयी वृद्धि

90--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली सुविधाओं और पेन्शन में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सभी राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जो 60 रुपये से 100 रु0 तक प्रतिमाह पेन्शन पा रहे थे, की पेन्शन की धनराशि दिनांक 14-11-1980 से समानरूप से 100 रु0 प्रतिमाह कर दी गयी है ।

आजमगढ़ जिले के बाढ़ ग्रस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दिया गया अनुदान

91--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि आजमगढ़ जनपद के किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को बाढ़ तथा अति वृष्टि से हुई क्षति की पूर्ति के लिए भवनों की मरम्मत हेतु वर्ष 1978-79 तथा 79-80 में अनुदान स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो इनमें से किन विद्यालयों को उक्त धनराशि का 15 अक्तूबर, 1980 तक भुगतान नहीं दिया गया है ? भुगतान न दिये जाने के क्या प्रमुख कारण हैं ? क्या सरकार इस उदासीनता के लिए उत्तर-दायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1978-79 में संलग्न सूची "क" में अंकित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बाढ़ तथा अतिवृष्टि से हुई क्षति की पूर्ति के लिए अनुदान स्वीकृत किये गये थे ।

वित्तीय वर्ष 1979-80 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त किसी विद्यालय को अनुदान नहीं स्वीकृत हुआ ।

संलग्न सूची "ख" में अंकित विद्यालयों को वर्ष 1978-79 में स्वीकृत अनुदान का भुगतान 15 अक्तूबर, 1980 तक नहीं किया जा सका क्योंकि इन विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा 31 मार्च, 1979 तक अनुदान के बिल प्रतिहस्ताक्षर के लिए सम्बन्धित अधिकारी को नहीं प्रस्तुत किये गये ।

उक्त परिस्थितियों में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उदासीनता बरतने का प्रश्न या उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 834 पर)।

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ के शिशिक्षुओं की नियुक्ति

92--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित राजकीय मुद्रणालय में प्रशिक्षित शिशिक्षुओं, अप्रेंटिसों के उपलब्ध होने के बावजूद बाहरी अभ्यर्थियो को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो शासन इन प्रशिक्षित शिशिक्षुओं को खपाने के लिए कौन सी प्रभावी कार्यवाही कर रहा है और वह कब तक प्रतिपादित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

जी हां । शिशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि शिशिक्षुओं को सेवा में अनिवार्यतः रखा ही जाय । अतः अन्य अभ्यर्थियों की भांति शिशिक्षुओं को क्रियात्मक परीक्षा, साक्षात्कार तथा श्रेष्ठता के आधार पर सेवा में रखा जाता था । शासन ने अपने आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 1979 द्वारा यह प्राविधान किया है कि प्रशिक्षित शिशिक्षुओं के उपलब्ध होने की दशा में सीधी भरती, यथा संभव न की जाय । राजकीय मुद्रणालयों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निदेश दे दिये गये हैं ।

जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, गोरखपुर के लेखाकार, श्री बनारसी लाल का वेतन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

93--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू डिग्री कालेज, महाराजगंज (गोरखपुर) के किस कर्मचारी का वेतन भुगतान सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र जुलाई, 1980 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । श्री बनारसी लाल लेखाकार का पत्र प्राप्त हुआ था ।

मामले की जांच कराने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :--

(1) उक्त कालेज के लेखाकार पद पर श्री बनारसी लाल 4-11-1971 से 20-6-1976 तक कार्यरत रहे ।

(2) उन्होंने दिनांक 21-6-1976 को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया ।

(3) श्री बनारसी लाल के त्याग-पत्र से रिक्त स्थान पर महाविद्यालय के प्रबन्धक के आदेशानुसार श्री प्रवीन चन्द्र श्रीवास्तव की नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा पर की गयी ।

(4) महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा श्री प्रवीन चन्द्र श्रीवास्तव की सेवायें 2-9-1978 से समाप्त कर दी गयीं । श्री प्रवीन चन्द्र श्रीवास्तव ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जो उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

(5) प्रबन्धक का यह कथन कि श्री बनारसी लाल तीन वर्षों के अध्ययन अवकाश पर गये थे (जो कि परिनियमों के अनुकूल भी नहीं है),

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से सिद्ध नहीं होता, वरन् उन अभिलेखों से ऊपर बिन्दु (1) और (2) में बताये तथ्य ही प्रकट होते हैं ।

वर्णित परिस्थितियों में श्री बनारसी लाल तथा कथित लेखाकार को वेतन-सहाय खाते से राजकीय अनुदान के आधार पर जून, 1979 से वेतन नहीं दिया गया है ।

गोरखपुर-देवरिया मार्ग के वृक्षों से हुई आय

94—श्रीमती गौरी देवी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर-देवरिया मार्ग के दोनों किनारों 5 कि० मी० से 20 कि० मी० के बीच में स्थित फलदार वृक्षों से वर्ष 1977-78 व 1979-80 में कितनी राजस्व प्राप्त हुई तथा इनके रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में किसान जो अब तक इन पेड़ों पर अधिकार जमाये थे वे सा० नि० वि० के बीच कोई विवाद है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

गोरखपुर-देवरिया मार्ग के दोनों किनारों 5 कि० मी० से 20 कि० मी० के बीच में स्थित फलदार वृक्षों से वर्ष 1977-78 व 1979-80 में न तो कोई राजस्व प्राप्त हुआ तथा न ही इनके रख-रखाव पर कोई व्यय किया गया। किसानों का प्रश्नगत वृक्षों पर कोई अधिकार नहीं रहा है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग व किसानों के बीच इस बारे में कोई विवाद नहीं है ।

राजकीय प्रकाशन की पुस्तकों की कमी एवं मूल्य

95—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय प्रकाशन की पुस्तकों के मूल्य निर्धारित न होने से 1980 में बहुत दिनों तक पुस्तकें अनुपलब्ध रहीं ? यदि हां, तो क्या इसका कारण उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम व पुस्तक प्रकाशकों के बीच मूल्य बढ़ाने-घटाने सम्बन्धी विवाद रहा ? यदि हां, तो इसका कारण क्या था ? यदि नहीं, तो पुस्तकें उपलब्ध न होने का क्या कारण है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राजकीय मुद्रणालयों को विद्युत् न मिलने के कारण आवरण पृष्ठों की उपलब्धता में गतिरोध हुआ था । इसके कारण पुस्तकों की उपलब्धता में थोड़ा विलम्ब हुआ किन्तु जुलाई, 1980 के अन्त तक पुस्तकें बाजार में आ गई थी । अन्य कोई कारण इस विलम्ब का नहीं था ।

गोरखपुर, कोतवाली पुलिस के विरुद्ध श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव की आत्मदाह की धमकी

96—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 29 जून, 1980 को गोरखपुर जिले के कोतवाल एवं कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अशोक कुमार श्रीवास्तव, संयोजक

एवं अध्यक्ष जनता भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस, गोरखपुर को एक सूचना एवं मांग पत्र दिया गया था ? क्या यह सही है कि मांगें न मानने पर तथा कार्यवाही न होने पर 15 अगस्त, 1980 को उप महानिरीक्षक, गोरखपुर के निवास स्थान पर उसने आत्मदाह की धमकी दी है ? यदि हां, तो सूचना एवं मांग-पत्र क्या था और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । यह भी सही है कि मांगे न मानने पर आत्मदाह की धमकी दी गयी थी । सूचना एवं मांग पत्र में कोतवाली, गोरखपुर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुय उनको निलम्बित अथवा स्थानान्तरित करने की मांग की गयी थी । आरोपों की जांच करायी गयी जो प्रमाणित नहीं हुये ।

विश्वविद्यालयों में पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के कुलपति

97--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नियुक्त कुलपतियों में कितने पिछड़ी जाति के हैं और कितने अनुसूचित जाति के ? यदि नहीं हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कुलपति, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, डा० रामजी लाल सहायक अनुसूचित जाति (हरिजन) के हैं तथा डा० ए० एस० यादव जो अक्तूबर, 1980 में कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति के पद पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, पिछड़ी जाति के थे ।

98--श्री राम आसरे वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में न्यायालयों का विकेन्द्रीकरण

99--श्री राज कुमार राव--

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के विकेन्द्रीकरण की नीति कायम है ? यदि हां, तो इस वर्ष कितने न्यायालयों का विकेन्द्रीकरण हुआ है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

वर्ष 1980 में कुल तीन न्यायालयों का विकेन्द्रीकरण किया गया । जिनमें से दो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पृथक न्यायालय सीमान्त जिले चमोली एवं पिथौरागढ़ में स्थापित किए गए तथा तीसरा न्यायालय मुंसिफ मैजिस्ट्रेट का तहसील पुरवा, जिला उन्नाव म स्थापित करने के आदेश 24 अक्तूबर, 1980 को प्रसारित किए गए । पुरवा में न्यायालय भवन की व्यवस्था हो जाने पर न्यायालय प्रारम्भ हो जायेगा ।

आजमगढ़ जिले के निजामाबाद पुल पर मिट्टी डालने का कार्य

100—श्री दल सिंगार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में निजामाबाद पुल पर 1974–1979 व 1979–80 में कितना रुपया मिट्टी डालने पर दोनों सालों में खर्च हुआ है ? क्या उसकी माननीय मंत्री जी हर वर्ष का खर्च का एक लेखा–जोखा सनवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे और उपरोक्त पुल एवं मस्ट्रोल द्वारा मिट्टी का कार्य कराया गया है ? यदि हां, मस्ट्रोल पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

प्रश्नगत पुल पर मिट्टी डालने में 1974–1979 में रुपये 5,28,654.35 तथा वर्ष 1979–80 में रु0 1,05,574.00 व्यय हुआ जिनका सनवार विवरण निम्न प्रकार है :—

	रु0
1974 से 1977 तक	शून्य
1977–78 में	4,16,479.35
1978–79 में	1,12,175.00
1979–80 में	1,05,574.00

जी हां । उक्त व्यय में से मस्ट्रोल पर रु0 4,58,110.35 व्यय हुआ ।

आजमगढ़ जिले की फैजाबाद सड़क पर केशवपुर के पुल पर मिट्टी डालने का कार्य

101—श्री दल सिंगार—

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में फैजाबाद रोड पर केशवपुर पुल पर 1974–1979 व 1979–80 में कितना मिट्टी का कार्य हुआ है ? क्या उसकी जांच तकनीकी विभाग द्वारा करायेंगे तथा जांच की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद—

वर्ष 1974–1979 के मध्य प्रश्नगत स्थल पर मिट्टी का कोई कार्य नहीं कराया गया । वर्ष 1979–80 म 509 लाख रु0 की लागत से 17,911.31 घन-मीटर मिट्टी का कार्य कराया गया । इस हेतु इस समय किसी तकनीकी जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

102—श्री दल सिंगार—

क्या मंत्री यह बतान की कृपा करगे कि मधियापार से गौर गांव व केशवपुर के पुल पर किन–किन ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया जा रहा है ? क्या उनका नाम व पता माननीय मंत्री जो सदन के पटल पर रखन का कष्ट करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

वर्तमान समय में मदियापार से गौर गांव के मध्य अतरौलिया-अहिरौला मार्ग पर तथा केशवपुर पुल के पहुंच मार्ग पर ठेकेदारों द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

महाराजगंज इन्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चन्दा

103--श्री दल सिंगार--

क्या शिक्षा मंत्री महाराजगंज इन्टर कालेज महाराजगंज आजमगढ़ के प्रबन्धक समिति के साधारण सदस्यों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिन्होंने सदस्यता शुल्क की धनराशि जमा किया है ? यह धनराशि कब किसके पास जमा की गई और उसका विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

104--श्री दल सिंगार--

क्या यह सही है कि अधिकांश सदस्यों का चन्दा अभी तक जमा नहीं है और वे समिति के सदस्य बने हैं ? यदि हां, तो कैसे और यह अवैध समिति अभी तक कार्य कैसे कर रही है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के महाराजगंज भैरो जी स्थान तक सड़क का कथित निर्माण

105--श्री दल सिंगार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज भैरो जी के स्थान तक सड़क का निर्माण सा0 नि0 वि0 द्वारा वर्ष 1978-79 में किया गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण हेतु नई गिट्टी कितनी मंगाई गई और वह कहां प्राप्त हुई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । वर्ष 1978-79 में प्रश्नगत स्थल पर कोई कार्य नहीं हुआ ।

106--श्री दल सिंगार--

क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों का निर्माण में पुरानी गिट्टी को ही नई गिट्टी दिखाकर उसका भुगतान किया गया है ? यदि हां तो क्या शासन पूरे मामले की जांच करा कर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में माध्यमिक विद्यालय एवं प्राइमरी स्कूल के भवन

107--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में इस समय कितने माध्यमिक विद्यालय व प्राइमरी विद्यालयों के भवन जीर्ण अवस्था में हैं ? क्या सरकार उनका जीर्णोद्धार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

12 मध्यमिक विद्यालय तथा 116 प्राइमरी स्कूलों के भवन जीर्ण अवस्था में हैं। जी हां।

108-श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[5-8-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 18 द्वारा उत्तरित]

109-श्री सत्यपाल सिंह--

[7-10-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 50 द्वारा उत्तरित]

110-श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बांदा जिले में कताई मिल की स्थापना का प्रस्ताव

111-श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा जनपद में इस वित्तीय वर्ष में कोई भारी उद्योग लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे क्रियान्वित कब तक किया जायेगा ?

श्री नियाज हसन खां--

बांदा में एक कताई मिल लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह मिल उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा लगाई जाएगी। अभी उसके लिए स्थान का चुनाव किया जा रहा है। उसके बाद ही उसे लगाने का काम शुरू होगा।

112-श्रीमती गौरी देवी--

[1 ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले के हरिहरपुर--गोड़सरी--उनवल मार्ग का कथित निर्माण

113-श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बताएगी कि गोरखपुर जिले में हरिहरपुर-गोड़सरी-उनवल मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था ? उसकी क्या प्रगति है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

यह मांग स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

थान कोतवाली, जिला बांदा में सब इन्सपेक्टर, श्री राम स्वरूप, के विरुद्ध अंकित मुकदमा

114–श्री बाबू राम––

क्या सरकार को ज्ञात है कि मुकदमा इल्जाम नं0 56 धारा 456 बनाम एस0 आई0 जी0 आर0 पी0 राम स्वरूप आदि थाना कोतवाली बांदा में कायम जनवरी, 1979 में हुआ जिसमें एस0 आई0, जी0 आर0 पी0 गुलाम मुहम्मद खां की पत्नी व लड़के ने इसकी एफ0 आई0 आर0 लिखाई थी ? किन कारणों से इसमें चार्जशीट नहीं लग रही है जब कि चश्मदीद गवाहों ने अदालत में गवाही दी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 26–9–80 को आरोप पत्र न्यायालय जा चुका है और मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है ।

115–श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

[1 ले बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 160 द्वारा उत्तरित]

कन्या विद्यालय, अमोला, फैजाबाद की अध्यापिका, श्रीमती सगुनादेवी का प्रार्थना–पत्र

116–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10–8–79 ई0 को जो आवेदन पत्र श्रीमती सगुना देवी स0 अ0 कन्या क्रमोत्तर विद्यालय अमोला, ब्लाक रामनगर, जिला फैजाबाद ने उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद को 1976 से प्रधानाध्यापिका पद की ग्रेड न दिए जाने और माह अक्तूबर, 1978 व माह जुलाई, 1979 का कार्यरत वेतन न देने के बारे में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जफराबाद–देवकली मार्ग, जिला जौनपुर का निर्माण

117––श्री प्रभु नारायण सिंह––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत जफराबाद से बेलाव घाट और बेलाव घाट से निर्मादेवकली (तकिया) तक जाने वाली सड़क गत दो वर्षों से निर्माणाधीन है और अब तक इस सड़क पर मिट्टी का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ ? इस सड़क को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? और क्या इस पर पड़ने वाले गठिया नाले पर पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद––

जी हां। जफराबाद–देवकली मार्ग के कुछ भागों पर गठिया नाले तथा गोमती नदी पर पुल स्वीकृत न होने के कारण उनके पहुंच मार्गों की लम्बाई में मिट्टी का

कार्य नहीं कराया जा सका । उक्त पुलों के स्थलों के निर्णय तथा योजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् सड़क निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी । गठिया नाले पर पुल निर्माण की कोई योजना अभी शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जूनियर हाई स्कूल, सफेदाबाद, बाराबंकी की अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान

118--श्री कुबेर भंडारी--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासन ने माह मई, 1980 का वेतन कर्मचारियों को 24 मई, 1980 तक देने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी ने अपने अधीन कार्यरत अध्यापिकाओं को माह मई का वेतन शासन देश की अवहेलना कर समय पर नहीं दिया ? यदि हां, तो क्या इसकी शिकायत बी० एस० ए० को की गई ? यदि हां, तो बी० एस० ए० ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शासन द्वारा इस आशय के आदेश निर्गत किये गये थे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत अध्यापक एवं कर्मचारियों का माह मई, 1980 के वेतन का भुगतान विधान सभा चुनाव से पहले कर दिया जाय । जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद की अध्यापिकाओं का वेतन विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से सदा की भांति वितरित होने हेतु दिनांक 24-5-80 को उन्हें उपलब्ध करा दिया गया था । प्रश्नगत प्रश्न ही से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह ज्ञात हो सका कि उक्त संस्था की अध्यापिकाओं को प्रधानाध्यापक द्वारा उनका वेतन समय पर भुगतान नहीं किया जा सका; किन्तु शासन को अब प्राप्त सूचना के अनुसार भुगतान हो चुका है । 20 मई, 1980 से ग्रीष्मावकाश होने पर अध्यापिकायें अपने घर चली गई थीं, अतः वेतन अवकाश काल में नहीं दिया जा सका ।

गोरखपुर जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

119--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 79-80 में कितने कि० मी० सड़कों का निर्माण किया गया तथा अलग-अलग सड़कों पर कितन-कितने खाद्यान्न खर्च किये गये ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1979-80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुल 85·03 कि० मी० सड़क का निर्माण किया गया तथा अलग-अलग सड़कों पर खाद्यान्न का खर्च संलग्न तालिकानुसार किया गया ।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 836 पर ।)

गोरखपुर जिले में कतिपय सड़कों के निर्माण की मांग

120--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर म सिसवा बाजार से सेंदुरिया, बागापार होते फरेंदा तक, महाराजगंज से चौक होते सेखुई तक, भटहट से खुटहा होते पकड़ी रेंज तक, सिकारपुर से हरखपुरा, लक्ष्मीपुर एकडगा होते मिठौरा तक, मोतीराम अड्डा से झंगहाबरही गोवडार होते कोहाबाद तक, नई बाजार से इटावा-गजाई कोल होते गजपुर तक, झगहा से राजधानी-संथना-विशुनपुरा होते गजपुर तक की सड़कों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा करा दिया जायगा ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय, सुजानगंज, जौनपुर के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट तथा निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला का निलम्बन एवं विशेष आडिट रिपोर्ट

121--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय, सुजानगंज, जौनपुर में व्याप्त गंभीर आर्थिक अनियमितताओं से संबंधित शिकायती-पत्र दिनांक 27-2-79 को जांच शासन ने तत्कालीन उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) से दिनांक 8 अप्रैल, 1979 को करवाई गई ? जिसमें प्रधानाचार्य, प्रबन्धक आदि संस्थाधिकारियों के विरुद्ध लाखों रुपयों के शासकीय अनुदान का गबन, जालसाजी, भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितताओं के प्रमाण पाये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 27-2-79 का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । संस्था के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 14-2-79 शासन को प्राप्त हुआ । जिसके आधार पर संस्था की आकस्मिक जांच 8-4-79 को तत्कालीन उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) द्वारा कराई गई ।

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट से शासकीय अनुदान के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं का पता चला ।

122--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह सही है कि शासन ने संस्थाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु दिनांक 3 फरवरी, 1980 को आदेश निर्गत किये थे और दोषी पाये गय तत्कालीन सम्बन्धित निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, प्र० तथा सहायक निरीक्षक निलम्बित किये गये थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिनांक 4 जनवरी, 1980 को दिये गये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मामलें में प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रसंग में तत्कालीन निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश तथा सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश को निलम्बित किया गया ।

123--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह सही है कि शासन ने उक्त संस्था के अभिलेखों का विशेष आडिट निदेशालय के ज्येष्ठ लेखाधिकारी के नियन्त्रण में वर्ष 1964 से 1979 तक का करने का आदेश दिया और ज्येष्ठ लेखाधिकारी की पार्टी के दो बार जौनपुर जाने पर भी प्रधनाचार्य और प्रबन्धक ने आडिट नहीं कराया ? यदि हां, तो शासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 19 मार्च, 1979 द्वारा उक्त महाविद्यालय का अनुदान मुक्त कर संस्थाधिकारियों को लगभग ढाई लाख रुपये पुनः प्रदान करने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न अनियमितताओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को प्राप्त करके वरिष्ठ लेखाधिकारी की देखरेख में संस्था का अद्यावधि विशेष आडिट करवाने के आदेश दिये गये । वर्ष विशेष का उल्लेख नहीं किया गया था ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार संस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ने आडिट पार्टी को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये । विशेष आडिट का कार्य ज्येष्ठ लेखाधिकारी के नियन्त्रण में सम्पन्न किया जा रहा है ।

अध्यापकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर उनकी वेतन सम्बन्धी समस्या के निराकरण हेतु विशेष आडिट की अवधि तक संस्था का अनुदान तथा अध्यापकों का वेतन भुगतान न रोकने के आदेश 19 मार्च, 1979 को दिये गये ।

124--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह सच है कि श्री उमा शंकर मिश्र, तत्कालीन निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ० प्र०, इलाहाबाद लगभग 4 माह पश्चात् बिना अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण किये ही प्रमोट कर दिये गये ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

125--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री सम्बन्धित पत्र दिनांक 5/18 जून, 1979 तथा शासन का सम्बन्धित पत्र दिनांक 3 जनवरी, 1980 सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे और जांच आख्या एवं उनकी संस्तुतियों के आधार पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाहियों तथा विशेष आडिट आख्या से अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

5/18 जून, 1979 का कोई पत्र नहीं है । 18 जून, 1979 का पत्र जांच पूरी होने तक प्रस्तुत करना जनहित में नहीं है । इस विषय पर शासन द्वारा 3 जनवरी, 1980 को कोई पत्र जारी नहीं किया गया । अतः इसे सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

विशेष आडिट अभी अपूर्ण है ।

126--श्री राम आसरे वर्मा--

[दिनांक 20 मार्च, 1979 को अतारांकित प्रश्न संख्या 36 द्वारा उत्तरित]

माध्यमिक शिक्षकों के सरकारीकरण पर विचार

127--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार माध्यमिक शिक्षकों के सरकारीकरण करन पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इससे सम्बन्धित सभी पहलुओं पर शासन विचार कर रहा है ।

बदायूं जिले के टिकैतगंज, निवासी कल्लू की पुलिस मुठभेड़ में हत्या

128--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 16 जून, 1980 को बिन में कल्लू पुत्र हिमचल, मु0 टिकैतगंज, बदायूं को पुलिस ने उसके घर से बुला कर गोली मार कर हत्या कर दी ? क्या उसके भाई लक्ष्मी नारायण ने इसकी शिकायत माननीय मुख्य मन्त्री एवं जिलाधिकारी, बदायूं को की ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16 जुलाई, 1980 को पुलिस मुठभड़ में कल्लू जो एक डकैत बताया जाता है, मारा गया । मृतक के भाई लक्ष्मी नारायण की शिकायत पर मामले में मजिस्टोरियल जांच कराई जा रही है ।

एस0 डी0 एम0, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध श्री अखलाक अहमद खां, का शिकायती-पत्र

129--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री अखलाक अहमद खां, मेडिको-क्लीनिक अस्पताल रोड, लखीमपुर खीरी द्वारा एस0 डी0 एम0, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती-पत्र, जो जिलाधिकारी, खीरी को सम्बोधित था, उसकी प्रतिलिपि 28-8-1980 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिली ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । श्री अखलाक अहमद खां की शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, खीरी ने जांच पुलिस विभाग से कराई ह । श्री अखलाक अहमद खां के शिकायती-पत्र, दिनांक 28-8-1980 म की गई मुख्य शिकायत तथा उनके सम्बन्ध में जांच परिणाम निम्नवत् हैं :--

शिकायतो-पत्र के प्रथम प्रस्तर में श्री आर० बी० सिंह व अन्य अध्यापकगणों द्वारा राजकीय इन्टर कालेज, लखीमपुर खीरी में फलाये गए भ्रष्टाचार एवं साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध मे शिकायतो-पत्र देन तथा उस पर कार्यवाही न किये जाने की बात कही ह । इस विषय में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि दिनांक 26 अप्रैल, 1980 को प्राप्त 6-25 बजे जब श्री आर० बी० सिंह, अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, लखीमपुर खीरी विद्यालय जा रहे थे तो शिकायतकर्त्ता श्री अखलाक अहमद खां तथा उनके एक अन्य साथी ने उन्हें मारा-पीटा तथा उनसे परीक्षा की अलमारियों की चाबियां भी छीनने की कोशिशें की, जिसके फलस्वरूप उक्त दिनांक को बोर्ड की परीक्षा भी 25 मिनट देर से प्रारम्भ हुई । इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री अखलाक अहमद खां के विरुद्ध एक वाद अपराध सख्या 294 अन्तर्गत धारा 332/393 भारतीय दन्ड संहिता पंजीकृत किया गया ह । इस मामले में शिकायतकर्त्ता श्री अखलाक अहमद खां जमानत पर हैं और उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

शिकायती-पत्र के दूसरे प्रस्तर में उक्त श्री आर०बी० सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट श्री एम० बी० सिंह के विरुद्ध ठाकुरों का गुट बनाने की शिकायत की गई ह तथा सर्वश्री संजय सिंह व राजीव सिंह जो सिटी मजिस्ट्रेट के लड़के हैं के द्वारा दिनांक 23-7-1980 को शिकायतकर्ता की दुकान पर जाकर मारपीट करने की बात कही गई है । जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि गुट बनाने सम्बन्धी शिकायत निराधार है तथा ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है । इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता के मेडिको-क्लीनिक दुकान पर कोई मारपीट की घटना घटित नहीं हुई थी बल्कि शिकायतकर्ता के भाई श्री फरीद अहमद ने एक मारपीट की घटना के सम्बन्ध में एक वाद पंजीकृत कराया था । तफतीश में यह पाया गया कि कुछ कहा-सुनी व मामूली मारपीट दुकान के बाहर सड़क पर हुई, जिसे बढ़ा-चढ़ा कर शिकायतकर्ता के भाई ने पुलिस में लिखाया था । साक्ष्य के अभाव में पुलिस द्वारा इस मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई, जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ।

शिकायती-पत्र के प्रस्तर-3 में श्री आर० बी० सिंह, संजय सिंह व राजीव सिंह द्वारा साम्प्रदायिक विषमता फैलाने व धमकियां आदि देने की बात कही गई हैं । जांच से यह ज्ञात हुआ कि श्री राजीव सिंह बंगलौर (कर्नाटक प्रदेश) में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा सर्वश्री आर० बी० सिंह, अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज व संजय सिंह द्वारा साम्प्रदायिक विषमता फैलाने तथा धमकियां देने आदि की बात असत्य है ।

शिकायती-पत्र के प्रस्तर-4 में शिकायतकर्ता के प्रार्थना-पत्र, दिनांक 20-8-1980 की जांच सिटी मैजिस्ट्रेट श्री एम० बी० सिंह को सौंपे जाने तथा उनके द्वारा निष्पक्ष जांच न होने की शिकायत की गई है । उक्त जांच का सम्बन्ध पुलिस से था अतएव यह जांच पुलिस द्वारा कराई गई थी । शिकायतकर्ता का यह कहना कि उक्त शिकायती-पत्र की जांच सिटी मैजिस्ट्रेट श्री एम० बी० सिंह द्वारा कराई जा रही है, सर्वथा निराधार है ।

शिकायती–पत्र के अन्तिम प्रस्तर में शिकायतकर्ता श्री अखलाक अहमद खां ने उपरोक्त आरोपों के आधार पर श्री एम0 बी0 सिंह, सिटी मैजिस्ट्रेट तथा सर्वश्री आर0 बी0 सिंह, अनिल कपूर, पी0 एन0 पान्डे, महादेव प्रसाद चौरसिया, गंगा प्रसाद पाठक आदि अध्यापकगण, राजकीय इंटर कालेज, लखीमपुर खीरी का स्थानान्तरण कराकर निष्पक्ष जांच कराये जाने का अनुरोध किया था। चूंकि शिकायती–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई वास्तविकता नहीं पाई गई, अतएव इस बिन्दु पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्कृत पाठशालायें

130––श्री राम स्वरूप वर्मा––

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी संस्कृत पाठशालायें सरकारी और कितनी पाठशालायें सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं तथा कितने विश्वविद्यालय संस्कृत के सारे प्रदेश में हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

(क) सरकारी संस्कृत पाठशालायें 9

(ख) राज्य सहायता प्राप्त गैर सरकारी पाठशालायें 1007

(ग) एक–(सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी)।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित फौजदारी के मुकदमें

131––श्री विमल प्रसाद तिवारी––

क्या न्याय मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 जून, 1980 तक कितने मुकदमे क्रमशः दीवानी एवं फौजदारी के फैसले के लिये विचाराधीन हैं ? इनमें सबसे पुराना मुकदमा किस तिथि का है ?

श्री जगदीश प्रसाद––

दिनांक 30 जून, 1980 को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में (लखनऊ पीठ को सम्मिलित करते हुये) 85,872 दीवानी के एवं 19,913 फौजदारी के मुकदमें लम्बित थे। इनमें सबसे पुराना मुकदमा प्रथम अपील का है जो लखनऊ पीठ में 1953 से लम्बित है।

132––श्री प्रभुनारायण सिंह––

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जौनपुर जिले के मछलीशहर, सटवा, मुगरा बादशाहपुर प्राथमिक विद्यालय के चपरासियों का वेतन–मान

133––श्री प्रभुनारायण सिंह––

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के मछलीशहर तहसील के सटवा, मछलीशहर, मुगरा बादशाहपुर के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत चपरासी आज भी मात्र पचास रुपये वेतन पाते हैं ? क्या इन पूर्णकालिक चपरासियों को अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति वेतन व अन्य सुविधायें दी जायेंगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद में अंकित श्रीमती रामबेटी की रिपोर्ट

134--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 24-6-77 को बेवा श्रीमती रामबेटी ने एक रिपोर्ट धारा 466, 467, 468 व 420 के अन्तर्गत चौकी अमृतपूर, थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो इस मुकदमें को अदालत भेजने में देरी का क्या कारण है और इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, मामले की विवेचना अभी प्रचलित है । विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि विवेचना को दूसरे थाने स्थानान्तरित करते समय भेजे गए कागजात उपलब्ध नहीं हो रहे हैं । विवेचना में देरी के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने हेतु आदेश दिए जा चुके हैं ।

श्री प्रेम छिब्बर, ब्रान्च मैनेजर, ओरिएन्टल फायर एवं जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी, हल्द्वानी, नैनीताल की कार की चोरी

135--श्री जसवन्त सिंह 'विष्ट'--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24 अक्तूबर, 1980 की रात्रि हल्द्वानी, जिला नैनीताल से श्री प्रेम छिब्बर, ब्रांच मैनेजर, ओरियन्टल फायर ऐंड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी की कार नं0 यू0 टी0 यफ0 8200 एम्बेसेडर चोरी गयी है । चोरी द्वारा अब्दुल्ला पम्प से मोबिल आयल के डिब्बे लगभग 700 00 रु0 मूल्य के व नकदी भी उसी कार में ले गये हैं ? यदि हां, तो क्या चोरी व कार पकड़ी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-10-80 को श्री इन्द्रजग रावत, निवासी ग्राम मल्ली बमौरी, थाना हल्द्वानी (नैनीताल) ने अपने किराएदार श्री प्रेम छिब्बर, ब्रान्च मैनेजर, ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी की एम्बेसडर कार नं0 यू0 टी0 एफ0 8200 की चोरी हो जाने की घटना की सूचना थाना हल्द्वानी पर अंकित करायी । उक्त सूचना के आधार पर धारा 379 भा0 दं0 वि0 का अपराध कायम किया गया ।

दिनांक 24-10-80 को ही सेल्समैन अब्दुल्ला फिलिंग स्टेशन ने उपर्युक्त कार नं0 यू0 टी0 एफ0 8200 में सवार 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा फिलिंग स्टेशन से मोबिल आयल की कीमत 4,778 रु0 तथा नकद 540 रु0 तथा एक घड़ी लूट कर ले जाने की घटना की सूचना थाना हल्द्वानी पर अंकित करायी । उक्त सूचना के आधार पर धारा 392 भा0 दं0 वि0 का अपराध कायम किया गया ।

उपर्युक्त दोनों अपराधों से सम्बद्ध अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा चोरी गयी कार एवं लुटे गये माल आदि की बरामदगी हेतु पुलिस द्वारा समग्र प्रयास किये गये परन्तु विवेचना से कुछ पता नहीं लग सका । उक्त दोनों अपराधों की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की जा चुकी है ।

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की टंकक के पद पर पदोन्नति एवं जूनियर ग्रेड क्लर्क के रिक्त पदों पर विधान भवन रक्षकों की पदोन्नति

136--श्री झिलमिट राम--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-7-1979 से 15-10-1980 तक उत्तर प्रदेश सचिवालय के कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्ग-3 के निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों पर प्रोन्नति प्रदान की गयी ? उपरोक्त अवधि में कितन दैनिक वेतन के कर्मचारियों को वर्ग-3 के टंकक संवर्ग में नियुक्तियां की गयीं ? क्या इन नियुक्तियों पर 10 प्रतिशत का आरक्षण चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रोन्नति हेतु प्रदान किया गया ? यदि हां, तो आरक्षित पदों की संख्या कितनी है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उक्त अवधि में चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारियों को वर्ग-3 के निम्नतम श्रेणी के टंकक पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी और पहले से सचिवालय में दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत 496 कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित कर टंकक के वेतनमान में नियुक्तियां प्रदान की गयीं ।

उपर्युक्त 496 दैनिक वेतन कर्मचारियों (जिनकी सेवायें विनियमित की गयीं) में से 371 को टंकक संवर्ग के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किया गया है, शेष 125 को अवर वर्ग सहायक के संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध टंकक के वेतनमान में तैनात किया गया है । इस प्रकार टंकक संवर्ग के लिए स्वीकृत 371 पदों के विरुद्ध 10 प्रतिशत कोटा से कुल 37 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु आरक्षित किए गए हैं ।

137--श्री झिलमिट राम--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1977 में जूनियर ग्रेड क्लर्क के 11 आरक्षित पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी थीं ? इसके उपरान्त अब तक किन कारणों से लिपिक पदों (जूनियर ग्रेड) पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं ? इस समय जूनियर ग्रेड क्लर्क के कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन पदों पर सचिवालय के प्रोन्नति के मात्र चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति संभव है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वर्ष 1977 में, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रोन्नति देने के उद्देश्य से 11 जूनियर ग्रेड क्लर्कों के पद सृजित कराके उन पर प्रोन्नतियां दी गयी थीं । उक्त आरक्षित जूनियर ग्रेड क्लर्क का कोई पद इस समय रिक्त नहीं है ।

138—श्री झिलमिट राम—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1975 से सचिवालय के विधान भवन रक्षकों को किस नियम के अन्तर्गत वर्ग-3 के निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय आरक्षित पदों पर नियुक्तियां की गयीं ? जब कि नियमानुसार उक्त आरक्षित पद केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए ही आरक्षित है ? क्या इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी तथा पदोन्नति हुए विधान भवन रक्षकों को उनके मूल पदों पर वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो किस नियम से ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 19/11/74-कार्मिक-1-76, दिनांक 4 सितम्बर, 1976 के अन्तर्गत विधान भवन रक्षकों को समूह "घ" में वर्गीकृत माना गया था और तदनुसार उन्हें टंकक के निम्नतम् लिपिक वर्गीय पदों पर जो समूह "ग" में आते हैं, प्रोन्नति हेतु परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी थी ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली, 1980, जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 से प्रख्यापित हुई, के अधीन विधान भवन रक्षक के पदों को समूह "ग" में रखा गया है । इस प्रकार अब स्थिति बदल गयी है । वर्णित परिस्थिति में रक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित किए जाने में कोई अनियमितता नहीं हुई है । अतः किसी अधिकारी के दोषी होने या उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता और न ही प्रोन्नत रक्षकों के मूल पद पर प्रत्यावर्तन का प्रश्न पैदा होता है ।

एस0 के0 पी0 इन्टर कालेज, आजमगढ़ के शिक्षकों को किया गया अनियमित भुगतान

139—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 के0 पी0 इंटर कालेज, आजमगढ़ में कतिपय शिक्षकों के अनियमित भुगतान की कोई शिकायत शासन एवं शिक्षा विभाग को 1 जुलाई, 1978 से 22 जुलाई, 1980 के बीच प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस स्तर के अधिकारी से करायी गयी और जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, उप शिक्षा निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा जांच कराई गई । जांच की अग्रिम कार्यवाही जारी है ।

140—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

जौनपुर-औराई मार्ग की मरम्मत

141—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में भदोही नगरपालिका क्षेत्र में पड़ने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की जौनपुर-औराई रोड करीब एक किलोमीटर लम्बाई में टूट गयी है और एक-एक फिट गहरे गड्ढे हो

गये हैं और पानी भरा हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत न करने तथा दोनों किनारे से जल निकासी हेतु नाली की व्यवस्था न करने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

भदोही शहर में पड़ने वाले लुम्बिनी-बुद्धा मार्ग (जौनपुर, औराई मार्ग) के किलोमीटर 282 में मार्ग पर अत्यधिक वर्षा से जल भर जाने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था । गड्ढ़ों को रोडी से भरवाकर रोलर चलवाकर मरम्मत करवा दी गयी है ।

मार्ग के दोनों ओर जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण धनाभाव के कारण नहीं किया जा सका है ।

142--श्री ऊदल--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

खादी ग्रामोद्योग समिति, भरुई, जिला वाराणसी के सम्बन्ध में कथित शिकायती-पत्र एवं बटाई उद्योग

143--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग समिति, भरुई, जिला वाराणसी में व्याप्त भ्रष्टाचार, गबन एवं कुनवापरस्ती तथा समिति के सामानों को बिना समिति की स्वीकृति के बेच देना आदि के सम्बन्ध में निदेशक खादी ग्रामोद्योग कमीशन, लखनऊ को क्रमशः 1-7-79, 4-10-79, 7-11-79, 12-12-79 एवं जिलाधीश, वाराणसी को 13-3-80 व माननीय मुख्य मंत्री को 27-8-80 को शिकायती प्रार्थना-पत्र भेज गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नियाज हसन खां--

मुख्य मंत्री जी अथवा जिलाधीश वाराणसी को ऐसा कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है अतः उसके सम्बन्ध में कुछ कहना राज्य सरकार के लिए उपयुक्त नहीं होगा ।

144--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि उक्त समिति के खिलाफ यह भी आरोप है कि बुनकरों की जो संख्या है उसमें फर्जी, कितने सूत खरीद एवं बुनाई शतें प्रतिशत फर्जी और ट्रक तथा बस को बिना स्वीकृति के बेच देने की शिकायत प्रत्येक प्रार्थना-पत्रों में दिया गया है ? यदि हां तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नियाजहसन खां--

प्रश्न नहीं उठता ।

145--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि बान बढाई उद्योग के लिये 16 हजार रुपया मिला था जिसे 18 जून, 79 से 28 जून, 80 के बीच म ही बैंक से निकाल कर हड़प लिया गया है और बान बटाई उद्योग नहीं स्थापित किया गया ?

श्री नियाज हसन खां--

प्रश्न नहीं उठता ।

146--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि उन प्रार्थना-पत्रों में समिति से संबंधित कितने लोगों पर आरोप लगाये गये हैं ? उनके नाम क्या हैं क्या उसकी भी जांच की गई, परिणाम क्या हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम अहिरौली, जिला हरदोई में राजकीय हाई स्कूल की स्थापना की मांग

147--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अहिरौली, पोस्ट अहिरौली, जिला हरदोई में एक हाई स्कूल खोलने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई ने अपने पत्र संख्या 6110, दिनांक 14-12-78 द्वारा संस्तुति करके शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को भेजा है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि गांव अहिरौला में हाई स्कूल के लिये 10 एकड़ जमीन भी दान में दी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों एवं भौतिक लक्ष्यों के कारण अहिरौली में राजकीय हाई स्कूल खोलना संभव न हो सका ।

गांव सभा द्वारा 10 एकड़ भूमि निःशुल्क दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

148--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगीं कि इस क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल 85 ग्राम सभाओं के अन्तर्गत नहीं है ? यदि हां, तो शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार एक राजकीय हाई स्कूल खोलने पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

अगले वर्ष प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री श्याम लाल, ग्राम डालपुरा, मैनपुरी द्वारा थाना कोतवाली में लिखायी गयी रिपोर्ट

149—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली, जिला मैनपुरी में 24-7-80 को एक रिपोर्ट क्राइम नं0 476 बफा 419, 420, 467, 468 आई0 पी0 सी0 में श्री श्याम लाल पुत्र हरीराम शाक्य, निवासी डालपुर, थाना करहल, जिला मैनपुरी ने श्री कुलदीप सिंह एडवोकेट तथा और लोगों के खिलाफ किया है और जिलाधीश मैनपुरी को एक प्रार्थना पत्र ता0 26-7-80 को दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार जिलाधीश को दिए हुए प्रार्थना पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्याम लाल पुत्र हरीराम शाक्य, निवासी डालपुरा, थाना करहल, जिला मैनपुरी ने कुलदीप सिंह चौहान एडवोकेट व अन्य के विरुद्ध दिनांक 24-7-80 को थाना कोतवाली, मैनपुरी में मुकदमा अपराध संख्या 476 अन्तर्गत धारा 419/420/467/468 भा0 दं0 सं0 पंजीकृत कराया जो विवेचनाधीन हैं ।

श्री श्याम लाल पुत्र हरीराम शाक्य निवासी डालपुरा, थाना करहल, मैनपुरी द्वारा जिलाधीश मैनपुरी को दिए गए दिनांक 26-7-80 के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है । इस प्रार्थना-पत्र में उपर्युक्त अभियुक्तों को पुलिस को निर्देश देकर दंडित कराने का निवेदन किया गया है । इस मामले में कथित अभियोग अभी विवेचनाधीन हैं, अतः निवेदित कार्यवाही का प्रश्न इस समय नहीं उठता है ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 838 पर) ।

फूलपुर-सिधोरा मार्ग, कठिरांव-अनेई मार्ग, वाराणसी को पक्का किए जाने की योजना

150—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रथम सत्र 1980 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर से सिधोरा मार्ग, कठिरांव वाया कुवार अनेई मार्ग, कुवर से बड़ागांव मार्ग, जिला वाराणसी को सार्वजनिक निर्माण विभाग वाराणसी ने ले लिया है और इन मार्गों पर मिट्टी तथा पुलिया का कार्य करा दिया ह ? यदि हां, तो पक्का करने के कार्य के लिए मिट्टी आदि के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मार्गों के लिए इस वित्तीय वर्ष में धन की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां । कार्य प्रगति पर हैं । खडंजा के टेंडर आमंत्रित किए गए हैं । आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

बसुही नदी, जिला जौनपुर के मार्गों का निर्माण

151—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रथम सत्र 1980 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि स्थान कठवतियां बसुही नदी, जिला जौनपुर में दोनों तरफ से सड़क राहत कार्य में बना दी गई है और पुल के न बनने से आवागमन की असुविधा जनता को है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग रामपुर–भदोही से जौनपुर–चोल्ह राजकीय मार्ग एवं वाराणसी में कछवां–बड़ागांव मार्ग को जोड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त पुल के निर्माण की योजना बनायेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

सूखा राहत योजना के अन्तर्गत बसुही नदी के दोनों ओर मार्ग पर कुछ निर्माण कार्य हुआ है । मार्ग पर पुल न होने के कारण जनता को आवागमन की असुविधा है ।

जी हां ।

पुल निर्माण की योजना बनना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

पेट्रोल डीजल पम्प के मालिक श्री सूरज प्रकाश एवं श्री कांति प्रकाश, जिला झांसी के विरुद्ध श्री प्रेमचन्द्र बब्बर का षड़यंत्र

152—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी में डीजल आदि के विक्रेताओं के विरुद्ध सरकार बनाम प्रेमचन्द्र बब्बर आदि इल्जाम संख्या 2780 थाना प्रेमनगर धारा 420, 120बी, 3/7 में तथा सरकार बनाम बी0 पी0 दीक्षित, सुभाष बब्बर के विरुद्ध इल्जाम संख्या 8580 तथा धारा 420, 120 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 से सम्बन्धित मुकदमों की जांच प्रांतीय सी0 आई0 डी0 की लखनऊ शाखा द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो मुख्य–मुख्य आरोप क्या हैं ? क्या–क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । मुख्य आरोप निम्नवत् हैं :—

(क) झांसी नगर के प्रकाश मोटर्स राजगढ़ खिजौली जनपद झांसी पेट्रोल डीजल पम्प के मालिक सर्वश्री सूरज प्रकाश, कांति प्रकाश, निवासी जिला जालौन हैं । श्री प्रेमचन्द्र बब्बर, निवासी सिविल लाइन, झांसी, षड़यंत्र रचकर अनधिकृत रूप से इस पेट्रोल पम्प के मालिक बन गए ।

(ख) प्रेमचन्द्र बब्बर ने लगभग दो लाख रुपए का एक भवन पेट्रोल पम्प के पास बिना नक्शा पास कराए निर्मित करा लिया है । श्री बब्बर ने सिविल लाइन्स, झांसी में भी डेढ़ लाख रुपए से अधिक लागत का एक भवन निर्मित करवाया है ।

(ग) सर्वश्री सूरज प्रकाश, कांति प्रकाश के नाम से पेट्रोल पम्प का लाइसेन्स स्वीकृत रहा है। पेट्रोल पम्प का लाइसेन्स श्री बब्बर ने गलत ढंग से ट्रांसफर कराकर अपने नाम करा लिया।

(घ) श्री प्रेमचन्द बब्बर तथा उनके पेट्रोल पम्प के कर्मचारीगण, ट्रकों के मालिक तथा ड्राइवरों को यह कह कर धोखा दे रहें ह कि उनके पेट्रोल पम्प से 122 लीटर डीजल निकाले जाने पर 125 लीटर डीजल निकलता हैं तथा 97 लीटर डीजल निकाले जाने पर 100 लीटर डीजल निकलता है। बांट तथा माप अधिकारी के आदेश से श्री के0 एस0 दूबे, निरीक्षक बांट तथा माप द्वारा डीजल पम्प की चेकिंग दिनांक 22-1-80 को 4·15 मिनट शाम को करायी गयी तो पम्प की मशीन व डिलवरी सही पाई गई।

इस सम्बन्ध में अपराध संख्या-85 वर्ष 80 धारा 420/120 बी भा0 दं0 वि0 एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पंजीकृत किया गया। अपराध अनुसंधान विभाग की जांच से अपराध को प्रभावित करने हेतु साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। किन्तु इस विवेचना में प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर पेट्रोल पम्प का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा इसी सम्बन्ध में अन्य पंजीकृत अभियोग संख्या-87 वर्ष 1980 धारा 420/120 बी भा0 दं0 वि0 एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की विवेचना की गई, पर विवेचना से अपराध प्रमाणित नहीं हुआ। बांट एवं माप विभाग द्वारा फर्म के विरुद्ध न्यायालय में कतिपय वाद दाखिल हुए हैं, जिनके परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सेल आफ मोटर स्प्रिट एण्ड डीजल आयल टेक्सेशन ऐक्ट, 1939 के नियम-9 के अन्तर्गत फर्म के रजिस्टेशन सर्टीफिकेट के नवोनीकरण के समय उसे निरस्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

153--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि आरोपों द्वारा दिनांक 14-7-1980 व 4-9-80 को मुख्य मंत्री को तफतीश करने वाले सी0 आई0 डी0 इन्स्पेक्टर व अन्य के विरुद्ध कोई आरोप पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त इंस्पेक्टर तथा आरोप से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। श्री लक्ष्पत राम शर्मा से केवल उनका दिनांकित 14-7-1980 का ही शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था।

अपराध शास्त्र के पूर्व विवेचक के विरुद्ध कोई उल्लेखनीय तथ्य प्रकाश में नहीं आया, अतः किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी। किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पूर्व विवेचक पहले झांसी में तैनात रहे थे. अभियोगों की विवेचना उनसे स्थानान्तिरित करके दूसरे विवेचक द्वारा कराई गई है।

श्री बद्री, केदार यात्रा सीजन के दौरान नियुक्त किये गये अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी

154--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1978, 1979 तथा 1980 में बद्री, केदार यात्रा सीजन के दौरान टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली

[श्री विद्या सागर नौटियाल]

तथा गढ़वाल जनपदों में सौजनल कर्त्तव्यों का पालन करने हेतु कुल कितने पुलिस कर्मी दीगर जनपदों से उक्त जिलों में क्रमशः स्थानान्तरित किये गये तथा उनके स्थानान्तरण भत्तों एवं विशेष ड्यूटी भत्तों पर कुल कितना व्यय वर्षवार किया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 839 पर)

155--श्री विद्या सागर नौटियाल--

[दिनांक 7-10-1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 67 द्वारा उत्तरित]

उत्तरकाशी के तिलाड़ी काण्ड के शहीदों को प्रदान की गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मान्यता

156--विद्या सागर नौटियाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर काशी जनपद की यमुना घाटी में स्थित तिलाड़ी मैदान में सन् 1930 में सामन्ती फौजी शक्ति का मुकाबला कर शहीद होने वाले व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भांति सुविधाओं के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सन् 1930 के तिलाड़ी काण्ड में जिन लोगों ने भाग लिया था, उनको राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान लिया है । शहीद/मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के पात्र सदस्य को पारिवारिक पेन्शन इस शर्त के सर्वथा अधीन रहते हुए कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति उसके हकदार न होंगे, अनुमन्य है, किन्तु यदि स्वर्गीय सेनानी की दो या अधिक विधवायें हों तो देय पेंशन अनुपात के अनुसार उनमें बराबर बांट दी जायगी ।

पात्रता का क्रम इस प्रकार होगा कि सर्वप्रथम विधवा जो इस मृत्यु या पुनर्विवाह तक पा सकेगी । तत्पश्चात् ज्येष्ठतम जीवित अवयस्क पुत्र यदि कोई हो, और यह क्रम जीवित अवयस्क पुत्रों तक चलता रहेगा जो इसे 18 वर्ष की आयु तक पा सकेंगे । इसके पश्चात ज्येष्ठतम जीवित अवयस्क एवं अविवाहित पुत्री जो इसे विवाह या 21 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले घटित हो, पा सकेगी । यह क्रम अविवाहित पुत्रियों तक इस प्रकार चलता रहेगा । तिलाड़ी काण्ड के शहीद व्यक्तियों के जो उत्तराधिकारी उपर्युक्तानुसार पारिवारिक पेन्शन के पात्र हैं, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अनुमन्य सुविधायें देय हैं ।

ग्राम नेवलगांज, जिला उन्नाव की कथित ग्राम सुरक्षा समिति

157--श्री राम सागर--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1977 में ग्राम नेवलगंज थाना हसन गंज, जनपद-उन्नाव में ग्राम सुरक्षा समिति (वी० डी० एस०) बनायी

गयी थी ? उस समिति में कितने सदस्य हैं, तथा उनके नाम व पता व पद क्या-क्या हैं, तथा समिति गठित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पद क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

थाना हसनगंज जनपद उन्नाव के ग्राम नेवलगंज में वर्ष 1977 में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन नहीं हुआ था । प्रश्न नहीं उठता ।

158--श्री विद्या सागर नौटियाल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

बरेली जिले के ग्राम क्योलड़िया में थाना निर्माण की मांग

159--श्री चेतराम गंगवार--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला बरेली के ब्लाक भदपुरा जिसका मुख्यालय ग्राम क्योलड़िया में है समस्त ब्लाक में कोई पुलिस का थाना नहीं है ? यदि हां, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वह वहां थाना स्थापित करेंगे तथा कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जिला बरेली के ग्राम क्योलड़िया, ब्लाक भदपुरा, में थाना नहीं है । उक्त ग्राम में सुरक्षा व्यवस्था हेतु चौकी स्थापित है । थाना खोलने का कोई औचित्य नहीं है ।

मुजफ्फरनगर की प्राइमरी पाठशालाओं के भवन एवं अध्यापक तथा मुबारकपुर के स्कूल में अध्यापक की नियुक्ति की मांग

160-श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 12-11-80 को जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण अंचलों में कितनी प्राइमरी पाठशालायें हैं ? कितनी पाठशालाओं की इमारत (भवन) पूर्ण हैं ? कितने प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक एवं अध्यापिकायें साथ-साथ कार्यरत हैं ? क्या अलग-अलग अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की नियुक्ति अलग-अलग विद्यालयों में की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण अंचलों में वर्तमान समय में 983 प्राइमरी पाठशालायें हैं । इनमें से 820 प्राइमरी स्कूलों की इमारत (भवन) पूर्ण है । 305 प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक एवं अध्यापिकाएं साथ-साथ कार्यरत हैं । जहां तक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को अलग-अलग विद्यालयों में नियुक्त करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अब सभी प्राइमरी विद्यालयों को मिश्रित घोषित कर दिए जाने के फलस्वरूप अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को अलग अलग स्कूलों में नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

161-श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

क्या शासन को जानकारी में है कि ग्राम मुबारकपुर विकास खंड शाहपुर के स्कूल में नियुक्ति हेतु, छात्रों की संख्या के आधार पर ग्रामवासियों का प्रार्थना

[श्री धर्मवीर सिंह त्यागी]

पत्र बेसिक शिक्षाधिकारी मुजफ्फरनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

ग्राम मुबारकपुर, विकास खन्डशाहपुर के स्कूल में निर्धारित मानक के अनुसार चार अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं, जिस पर इस समय जनगणना कार्य के कारण स्थानान्तरण द्वारा तैनाती का कार्य संभव नहीं हो सका है एवं आगामी शिक्षा सत्र में वार्षिक प्रबन्ध में उक्त रिक्तियों की पूर्ति कर दी जाएगी ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), जिला कानपुर का कार्यकाल

162-श्री मोती लाल देहलवी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर की वर्तमान बी० एस० ए० (महिला) इस पद के पूर्व कानपुर में ही उप जिला विद्यालय निरीक्षका (महिला) के पद पर थीं और कानपुर में ही पदोन्नति पाकर बी० एस० ए० (महिला) के पद पर नियुक्त हुई हैं ? यदि हां तो वह कानपुर में कितने वर्ष से हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

गत 4 वर्षों से हैं ।

श्री दुर्गा गीता विद्यालय, बाबूगंज लखनऊ के अध्यापकों की सेवा समाप्ति

163-श्री मित्रसेन--

प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 6-2-1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि श्री दुर्गा गीता विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाबगंज, लखनऊ के प्रबन्धक को बेसिक विभाग के अध्यापकों की सेवायें समाप्त न किए जाने के विषय में शासन द्वारा दिए गए आदेशों का परिपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचनानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ ने विद्यालय के प्रबन्धक को दिनांक 2 जून 1979 को अध्यापकों की सेवायें समाप्त न करने का नोटिस दिया । परन्तु प्रबन्धतन्त्र ने आर्थिक कठिनाइयों के आधार पर उनकी सेवायें समाप्त कर दीं । इन्हें सेवा में पुनः लेने हेतु प्रबन्धाधिकरण को बाध्य कर सकने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद् अधिनियम या नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है ।

ग्राम उड़वा महुवारी, जिला फैजाबाद की घटना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

164-श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम उड़वा महुवारी, थाना इब्राहीमपुर, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत घटित घटना दिनांक 4-4-1980 को जांच हेतु प्रश्न-कर्ता का कोई प्रार्थना पत्र पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को दिनांक 5-7-1980 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

कथित घटना जो दिनांक 3-4-1980 की है, के बारे में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया । घटना के सम्बन्ध में थाना इब्राहीम पुर, जनपद फैजाबाद में अपराध सं0 41/80 धारा 147/323/504 भा0 द0 वि0 तथा 41 ए धारा 147/323/307/302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुए हैं । विवेचनोपरान्त अ0 सं0 41/80 में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई है तथा अ0 सं0-41/80 में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

गाजीपुर जिले के औंडिहार निवासी श्री नन्द लाल की पुलिस की गोली से मृत्यु

165--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि औंडिहार निवासी नन्द लाल पुत्र भगवान दास, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर को थाना सैदपुर के एक कान्सटेबुल ने तारीख 12-7-79 को उसके घर पर आकर गोली मार दी जिसकी रिपोर्ट थाना सैदपुर गाजीपुर में की गयी और पुलिस ने नन्द लाल को राजकीय अस्पताल श्री शिव प्रसाद गुप्त, वाराणसी में 13-7-79 को भर्ती कराया और 7-8-79 को उसकी मृत्यु अस्पताल में हो गयी ? यदि हां, तो उसके परिवार में उसकी स्त्री भगमानी तथा एक लड़की, तीन लड़के नाबालिग रह गये हैं उनको कोई सहायता सरकार की ओर से दी गयी ? क्या यह भी सत्य है कि नन्द लाल के मरने के बाद उसकी सम्पत्ति में उक्त महिला तथा बच्चों को परिवार वाले हक नहीं दे रहे हैं, इस संबंध में सरकार ने क्या किया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-7-79 को एक सिपाही की रायफल से गोली लगने के कारण औंडिहार निवासी श्री नन्द लाल के घायल होने की सूचना पर थाना सैदपुर (गाजीपुर) में एक अपराध धारा 307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया तथा बाद में दिनांक 7-8-79 को श्री नन्द लाल की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियोग धारा 302 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया । विवेचना के दौरान यह ज्ञात होने पर कि गोली इत्तफाकिया चल गयी थी, अभियोग को धारा 304 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित कर दिया गया और दो कान्सटेबिलों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया । मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है । मृतक के परिवार में उसकी पत्नी के अतिरिक्त दो लड़कियां व चार लड़के नाबालिग रह गये हैं, जिनको राजकीय सहायता नहीं दी गयी है । मृतक की पत्नी व बच्चों को सम्पत्ति में हक न मिलने के आरोप की पुष्टि नहीं होती है ।

जिला परामर्श दात्री समिति, बरेली द्वारा क्योलड़िया–मौआ मार्ग के निर्माण सम्बन्धी लिया गया निर्णय

166—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 अगस्त, 1980 को उनके विभाग की जिला परामर्श दात्री समिति, बरेली की बैठक में जिला बरेली के तहसील नवाबगंज में भदपुरा ब्लाक के मुख्यालय ग्राम क्योलड़िया से तिजासिन, किशनापुर, महमूदापुर ग्रामों में से होकर ग्राम मौआ बाजार तक पक्की सड़क बनाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है और जिसकी एक प्रतिलिपि माह सितम्बर 1980 में सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा शासन को स्वीकृति हेतु भेजी गई है ? यदि हां, तो शासन ने इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया और सड़क निर्माण कब से प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? तथा इस मार्ग की लम्बाई क्या होगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जिला परामर्शदात्री समिति, बरेली की दिनांक 16–8–80 की बैठक की कार्यवाही शासन को प्राप्त हो गई है ।

यह मार्ग अभी स्वीकृत नहीं है । इसकी स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

इस मार्ग की लम्बाई लगभग 10 किलोमीटर होगी ।

ब्लाक नवाबगंज, जिला बरेली की प्राइमरी पाठशालाओं का क्षतिग्रस्त भवन

167—श्री चेतराम गंगवार—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बरेली के ब्लाक नवाबगंज में प्राइमरी पाठशाला ग्राम हिमकरपुर चमरौखा, ग्राम रतना, ग्राम अहमदाबाद, ग्राम लामी खेडा तालिब हुसेन, ग्राम पंगा, और ग्राम पचपेड़ा के भवन गिर गये हैं अथवा जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें पुनः निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला बरेली के ब्लाक नवाबगंज में ग्राम रता व ग्राम लामी खेड़ा तालिब हुसेन के प्राइमरी स्कूल पंचायत घर में संचालित होते हैं और जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं । उनकी मरम्मत का दायित्व ग्राम पंचायत का है । ग्राम पचपेड़ा का प्राइमरी स्कूल भवन भी जिला परिषद का नहीं है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है । उसकी मरम्मत का दायित्व भी भवन स्वामी का है । जैसे–जैसे धन उपलब्ध होगा इन तीनों स्कूलों के निजी भवन निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी । ग्राम हिमकरपुर चमरौखा के प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण अध्यापकों ने स्थानीय सहयोग से करवा लिया है । ग्राम पंगा के प्राइमरी स्कूल का भवन स्कूल का भूमि की आय से बनाया गया है जो अभी अपूर्ण है । ग्राम अहमदाबाद के प्राइमरी स्कूल का भवन भी जीर्ण शीर्ण दशा में है और धन की उपलब्धता पर उसकी मरम्मत करायी जायेगी ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं उनके द्वारा अध्यापकों का निलम्बन

168--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के भ्रष्टाचार के विषय में पिछले छः माह में कितनी शिकायतें प्रश्न-कर्त्ता तथा शाहजहांपुर के लोगों द्वारा शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व उप शिक्षा निदेशक, बरेली को की गई हैं ? क्या इनकी जांच करायी गई ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त शिक्षा अधिकारी को शाहजहांपुर से हटा कर दंडित क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

169--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत वर्तमान बेसिक अधिकारी ने अपने कार्यालय में कुल कितने अध्यापक निलम्बित किये ? उनमें कितने बहाल किये गये, कितनों को सजा दी गई और कितने निलम्बन अब भी लम्बित हैं ? क्या सभी निलम्बित अध्यापकों की पत्रावलियां बनाई गईं तथा कार्यालय में मौजूद हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अब तक 97 शिक्षकों को निलम्बित किया गया है। इन 97 शिक्षकों में से 77 शिक्षकों को बहाल कर दिया है जिसमें से 74 को सजा दी गई है । एक शिक्षक के न्यायालय से निर्दोष घोषित किये जाने पर बहाल किया गया । जो 20 अध्यापक अब भी निलम्बित हैं उनम से 7 अध्यापकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमें चल रहे हैं और न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही उनके मामलों में अंतिम निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा । शेष 13 शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विभिन्न आरोपों के अन्तर्गत विचाराधीन हैं और जैसे-जैसे जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके मामलों में प्राप्त होती जायेगी, उनके मामलों पर निर्णय लिया जाना संभव होगा । इन सभी अध्यापकों की पत्रावलियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं ।

शाहजहांपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की बी० टी० सी० अध्यापकों के पद पर नियुक्ति

170--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में बी० टी० सी० प्रशिक्षण उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति में सन् 1974 व 1975 के उत्तीर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की नियुक्ति कर दी गई है और सन् 1973 के उत्तीर्ण अध्यापकों की उपेक्षा की गई है ? यदि हां, तो सरकार बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अध्यापकों का स्थानान्तरण एवं कागज की खरीद

171--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिला परिषदीय अध्यापकों के स्थानान्तरण माह जून, जुलाई सन् 1980 में किए हैं ? यदि हां, तो उनका क्या आधार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जिला स्थानान्तरण समिति का अनुमोदन प्राप्त करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर ने बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के स्थानान्तरण माह जून, जुलाई, 1980 में किए थे । यह स्थानान्तरण शिक्षकों के प्रार्थना-पत्रों, उनके विरुद्ध शिकायतों एवं प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किए गए थे ।

172--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजांपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी को सन् 1979 व 1980 में कितना टन कागज सरकार द्वारा आबंटित किया गया था ? यह कागज उपरोक्त अधिकारी ने ब लेकर प्राइवेट दुकानदारों से खरीदा ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त अधिकारी को तत्काल दंडित करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के निवर्तन पर सन् 1979 व 1980 में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1980 की उत्तर-पुस्तिकाओं के लिये रियायती मूल्य का 4 टन कागज रखा गया था । उक्त कागज के लिए मिल को आर्डर समय से नहीं भेजे जाने के कारण वह अप्राप्त (लेप्स) हो गया । अतः उक्त परीक्षा के लिए उत्तर-पुस्तिकाएं स्टोर-पर्चेज नियमों के अन्तर्गत स्थानीय प्राइवेट दुकानदारों से क्रय की गईं । प्रश्नगत 4 टन कागज अप्राप्त होने के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को चेतावनी दी गई है ।

शाहजहांपुर जिले के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल एवं बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापक

173--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कितने जूनियर व प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें कोई भी अध्यापक न होने के कारण विद्यालय बन्द पड़े हैं तथा ऐसे कितने विद्यालयों म जिनमें विद्यार्थियों के अनुपात से कम अध्यापक हैं ? क्या सरकार उपरोक्त बन्द पड़े विद्यालयों एवं कम अध्यापकों के विद्यालयों में तत्काल अध्यापकों की समुचित व्यवस्था कराके इस उपेक्षा के दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कोई भी प्राइमरी अथवा जूनियर हाई स्कूल बन्द नहीं हैं। 201 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें विद्यार्थियों के अनुपात में अध्यापक कम हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर ने शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अतिरिक्त पदों के सृजन के विषय में लिखा है और शिक्षा निदेशक से इस सम्बन्ध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जांच की गई है तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है। जब तक शिक्षा निदेशक से आख्या प्राप्त नहीं होती तब तक दोषी अधिकारी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

174 --श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कुल कितने बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापक बेरोजगार हैं ? क्या नियमों के प्रतिकूल कुछ ट्रेन्ड अध्यापकों को वर्तमान बी० एस० ए०, शाहजहांपुर ने शाहजहांपुर में सेवा में लगा दिया है ? उपरोक्त ट्रेन्ड अध्यापकों को रोजगार दिलाने की सरकार की क्या नीति है और कब तक इन्हें नौकरी मिल जाने की सम्भावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद शाहजहांपुर में वर्तमान में 1664 बी० टी० सी० ट्रेंड अध्यापक बेरोजगार हैं। किसी भी ट्रेंड अध्यापक को बी० एस० ए०, शाहजहांपुर द्वारा नियमों के प्रतिकूल नियुक्त किए जाने की सूचना शासन को नहीं है। उपरोक्त बी० टी० सी० ट्रेड बेरोजगारों को अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु तथा नये खोले जाने वाले विद्यालयों के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली रिक्तियों पर उनकी प्रशिक्षण की वर्षवार वरीयता के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी, किन्तु इसकी निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है।

लखनऊ जिले के थाना बन्थरा की पुलिस द्वारा पकड़ा गया क्रूड आयल

175--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि विगत 21 मार्च, 1980 को 3 ड्रम अवैध एवं लावारिस डीजल जनपद लखनऊ के अन्तर्गत थाना बन्थरा की पुलिस ने गांव बनी में पाकर पहले श्री नसीरुद्दीन पयूजमैन कोआपरेटिव एलेक्ट्रिक सोसाइटी की सुपुर्दगी में रखा और फिर उसी रात उसी पुलिस ने उस डीजल को बेंच दिया और जिसकी जांच रपट परगनाधिकारी, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी को भेजी गई ? परन्तु अभी तक पुलिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां तो इसका कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 21 मार्च, 1980 को प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई घटना नहीं घटी। बल्कि 27 मार्च, 1980 को बन्थरा थाने पर ग्राम बनी में अवैध डीजल मौजूद होने की सूचना मिली। पुलिस के वहां पहुंचने पर 3 ड्रम लावारिस पाये गये थे। खोलने पर उनमें क्रूड आयल पाया गया। क्रूड आयल पर कोई प्रतिबंध न होने के कारण कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया।

जांच से बरामद तेल को श्री नसीरुद्दीन की सुपुर्दगी में दिये जाने की पुष्टि नहीं हुई । यह भी सही नहीं पाया गया कि उक्त ड्रमों को पुलिस ने बेच दिया, किन्तु सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी सब इन्स्पेक्टर व असिस्टेन्ट सब इंस्पेक्टर लावारिस पाये गये क्रूड आयल को बाकायदा अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार निस्तारण न किये जाने के दोषी पाये गये । अतः उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

कस्बा खतौब, जिला कानपुर की श्रीमती अलीमन की हत्या

176--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत थाना बिल्हौर में विगत माह अगस्त सन् 1980 के द्वितीय सप्ताह में मुसम्मात अलीमन के साथ पहले बलात्कार करने व बाद में उसकी हत्या किये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उसका पोस्ट मार्टम कराया गया था ? यदि हां, तो उसके अभियुक्त कौन थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार अगस्त, 1980 में श्रीमती अलीमन नाम की किसी महिला के साथ बलात्कार करन व उसकी हत्या किए जाने की घटना की सूचना थाना बिल्हौर में प्राप्त नहीं हुई । तथ्य यह है कि दिनांक 8 अगस्त, 1980 को थाना बिल्हौर में लिखित सूचना मिली कि खतौव कस्बा, बिल्हौर की एक 70 वर्षीय श्रीमती हलीमन की हत्या कर दी गई है । इस सूचना पर थाना बिल्हौर में अ0 सं0 230/80 धारा 460 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया । शव का पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम कराने पर मृतका का गला दबा कर मार डालना ज्ञात हुआ । बलात्कार का कोई चिन्ह नहीं पाया गया । विवेचना के दौरान एक अभियुक्त गोकरन, निवासी फर्रुखाबाद पकड़ा गया जिसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुकी है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जाति के सचिवालय कर्मचारियों को आवासों का आवंटन

177--श्री मित्रसेन तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि सरकारी कर्मचारियों के मकान के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़ी जाति के कर्मचारियों के लिए क्रमशः 18, 2 तथा 15 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है ? यदि हां तो सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अब तक कुल कितने मकान आवंटित किये जा चुके हैं जिसमें उपरोक्त जाति के कर्मचारियों को कुल कितने मकान आवंटित किये गये हैं ? क्या इनका आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं तो इसको पूरा करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए आरक्षण शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 1978 द्वारा किया गया है। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे पूर्व में निर्मित एवं आवंटित कालोनियों में

उपरोक्तानुसार आरक्षण करना सम्भव नहीं है क्योंकि इन कर्मचारियों का प्रायः स्थानान्तरण नहीं होता । एक बार अध्यासन लेने के पश्चात् वे उसी आवास में बने रहते हैं । नव निर्मित टाइप–2 तथा टाइप–1 के आवासों की स्थिति निम्नवत् है :—

नैपियर रोड टाइप–2, तालकटोरा टाइप–2 कालोनी में कुल 298 आवास हैं । इन 298 आवासों में से सचिवालय के कर्मचरियों को 200 आवास आवंटित किए गए हैं जिनमें से सचिवालय के 40 अनुसूचित जाति तथा 18 पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को आवास आवंटित हुये । इस भांति इस नवनिर्मित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के आवासों में सचिवालय के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूरे से अधिक है । पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के आरक्षण कोटे में 12 की कमी है ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के टाइप–1 के कुल 234 आवास हैं जिनमें से 179 आवास सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवंटित हैं । इनमें से 31 अनुसूचित जाति के तथा 42 पिछड़े वर्ग के सचिवालय के कर्मचारी हैं । इस भांति नवनिर्मित चतुर्थ श्रेणी के टाइप–1 के आवासों में सचिवालय के अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूरे से अधिक है ।

सचिवालय के तृतीय श्रेणी के पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के आरक्षण कोटे को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ।

178—श्री निर्मल कुमार——

[मंत्रि परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।]

179——श्री जसवन्त सिंह बिष्ट——

[1ले बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 159 द्वारा उत्तरित ।]

अल्मोड़ा जिले के भिकिया सेन विनायक एवं भिकिया सेन बेल्टी मार्ग का निर्माण

180——श्री जसवन्त सिंह बिष्ट——

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भिकियासैन विनायक–भिकियासैन–बेल्टी मोटर मार्ग अल्मोड़ा का निर्माण कब आरम्भ हुआ है और कब पूर्ण होगा ? अब तक इन मार्गों के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ? कब तक जनता को इन मार्गों से यातायात की सुविधा प्राप्त होगी ?

श्री जगदीश प्रसाद——

भिकिया सेन——विनायक मोटर मार्ग के प्रथम भाग का निर्माण कार्य मार्च, 1974 में आरम्भ हुआ तथा अक्तूबर, 1975 में पूर्ण हुआ । यह मार्ग यातायात के लिये खुला है । इस मार्ग पर 10.46 लाख रु0 की लागत आई ।

द्वितीय भाग का निर्माण कार्य मार्च, 1975 में आरम्भ हुआ था । एक पुल को छोड़कर लगभग समस्त मार्ग पूर्ण हो चुका है । पुल के जून, 1982 तक पूर्ण होने की आशा है । तभी यह मार्ग यातायात के लिय उपलब्ध हो सकेगा । इस मार्ग पर 16.38 लाख रु0 व्यय हो चुके हैं ।

भिकियासेन बेल्टी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य मार्च, 1977 में आरम्भ हुआ तथा मार्च, 1983 तक पूर्ण होने की आशा है । इस मार्ग पर 8.917 लाख रु0 व्यय हो चुके हैं । निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यह मार्ग यातायात के लिये उपलब्ध हो सकेगा ।

181-182—श्री राम आसरे वर्मा—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

श्री सम्पूर्णा नन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं कुलपति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

183—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व-विद्यालय वाराणसी के सम्बन्ध में तथा कुलपति के खिलाफ एक स्मृति पत्र प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ 8 अक्तूबर, 1980 को माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? और उसकी जांच किसके द्वारा करायी जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । कुलपति के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में उनकी आख्या प्राप्त की गयी है जिनका परीक्षण हो रहा है ।

बाराबंकी जिले में हत्या एवं डकैती तथा श्री शिव दुलारे सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

184—श्री श्यामलाल वाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 जून, 1980 से अब तक बाराबंकी जनपद के हर थाने में कितनी हत्यायें और डकैतियां हुई हैं ? क्या शासन को पता है कि थाना असन्दरा के ग्राम सतरही में कोई शिवदुलारे सिंह नामक व्यक्ति अवैध बन्दूक के साथ गिरोह बनाकर लोगों को पकड़ कर फिरौती लेकर छोड़ता है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने 15-11-1980 को एस0 पी0 बाराबंकी को कोई शिकायत भी भेजी है ? यदि हां तो शासन बाराबंकी जनपद में बढ़ते हुये अपराधों को रोकने के लिए क्या उपाय सोच रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

दिनांक 8 जून, 1980 से 20-11-1980 तक जिला बाराबंकी के थानों में घटित हत्या व डकैती की सूचना संलग्न है ।

श्री शिव दुलारे सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप अब तक की जांच से साबित नहीं हुए । जांच पूरी होने पर ही अन्तिम निष्कर्ष ज्ञात हो सकेगा । यह सत्य है कि 15-11-1980 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस विषय पर शिकायती पत्र भेजा गया । अपराधों की रोकथाम के लिए ग्राम सुरक्षा समितियां पुनर्गठित की गयीं । कुख्यात डकैतों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी । रात्रि गश्त की व्यवस्था की गयी तथा थानाध्यक्षों को अपराध नियन्त्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही के निदश दिये गये ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 840 पर)।

फैजाबाद मण्डल में गुंडा ऐक्ट के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमा

185—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में फैजाबाद मंडल के अलग-अलग जिलों में गुंडा ऐक्ट कितने-कितने मुकदमें/कार्यवाही जिला अधिकारियों के सम्मुख लम्बित हैं तथा मुकदमा/कार्यवाही वार कौन मुकदमा/कार्यवाही जिला अधिकारी के सामने कब दाखिल किया गया था और सितम्बर 25, 1980 तक अलग-अलग मुकदमा/कार्यवाही किस स्टेज पर थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

फैजाबाद मण्डल के अलग-अलग जिलों के जिला अधिकारियों के समक्ष वर्ष 1980 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत नीचे प्रत्येक के सामने अंकित मुकदमें/कार्यवाही लम्बित थी :—

बहराइच	..	72
सुल्तानपुर	..	10
फैजाबाद	..	66
प्रतापगढ़	..	37
गोन्डा	..	20
बाराबंकी	..	68
कुल	..	273

उक्त वादों में से फैजाबाद में दो, सुल्तानपुर में दो, बहराइच में दस तथा गोन्डा में तीन वाद अन्तिम रूप से (कुल-17) निस्तारित किये गये ।

उपर्युक्त 273 वादों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तैयार करने में लगने वाले समय, श्रम व व्यय की तुलना में उसकी उपयोगिता एवं सार्थकता को देखते हुए प्रत्येक मसले का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है ।

श्री मोहन लाल गर्ग, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला एटा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

186—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री नबाब सिंह वर्मा ग्राम बेढ़िया पोस्ट मारहरा, जिला एटा द्वारा श्री मोहन लाल गर्ग सहायक अभियन्ता प्रा0 खंड सा0 नि0 वि0 एटा के विरुद्ध भवन सम्बन्धी एक शिकायती पत्र 1-7-1980 को मुख्य प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ सा0 नि0 वि0 कक्ष संख्या 518 जवाहर भवन, लखनऊ के नाम भेजा गया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । इस मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच करायी जा रही है ।

187--श्री सत्यपाल सिंह--

[1 ले गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के द्वारा उत्तरित]

ईदगाह, मुरादाबाद पर लगाया गयी पुलिस फोर्स

188--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह पर कितने पुलिस फोर्स पी० ए० सी० तथा सिविल और होमगार्ड लगवाये गये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह पर निम्नलिखित फोर्स लगाया गया था :--

1--मजिस्ट्रेट	1	
2--अति० पुलिस अधीक्षक	1	
3--राजपत्रित अधिकारी	2	
4--निरीक्षक	2	
5--उप निरीक्षक	17	
6--हेड कांस्टिबिल	16	
7--कांस्टिबिल	151	
8--होमगार्ड	29	
9--पी० ए० सी०	10	सेक्शन
10--ए० पी० गार्ड	1	
11--टीयर गैस स्क्वाड	1	

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी ईदगाह पर उपस्थित थे ।

हरदोई जिले के अधिशासी अभियन्ता, श्री गोपाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध डीजल के गबन का अभियोग

189--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (श्री गोपाल) द्वारा तीन हजार लीटर डीजल सरकारी कार्यों हेतु प्राप्त करके ब्लैक कर दिए जाने के सम्बन्ध में अभियोजन के सिलसिले में जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो वह क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जिलाधिकारी हरदोई ने अधिशासी अभियन्ता, हरदोई के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने की अनुमति मांगी है । मामला शासन के विचाराधीन है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले में प्रस्तावित कथित सड़कें

190--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले में कितने किलोमीटर पक्की सड़कों के निर्माण की योजना है तथा योजना में किन सड़कों को निर्माण हेतु चुना गया है तथा चुनाव का आधार क्या था ?

श्री जगदीश प्रसाद--

छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी निश्चित नहीं हुआ है अतः गोंडा जिले में कितनी किलोमीटर की योजना बनेगी, बताना सम्भव नहीं है ।

वाराणसी जिले के गांव कहरका, राजपुर, रसुलहा एवं चंगवार में कत्ल सहित डकैती

191--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कहरका व गांव राजपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में ता० 8/9 नवम्बर, 80 की रात में डकैतों ने कई घरों में डकैतियां डालीं और क्रमशः दो तथा एक को गोली से बुरी तरह घायल कर दिया ? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी और थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने ए० एस० पी० वाराणसी से मिलकर 9-11-80 को एक पत्र भी दिया था और बात भी किया था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त डकैतियों की सूचना एस० एस० पी० तथा एस० पी० आर० ए० को तुरन्त नहीं दी गई थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

192--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रसुलहा, थाना मिर्जामुराद के जिला वाराणसी में तथा गांव चंगवार, थाना बड़ागांव वाराणसी में नवम्बर 80 में डकैतियां डाली गयीं और रसुलहा में डाकुओं का मुकाबला करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गयी ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम रसुलहा थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी में दिनांक 1/2-11-80 की रात में डकैती पड़ने व उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना मिर्जामुराद पर एक अपराध धारा 396 भा० दं० वि० के अधीन कायम करके विवेचना शुरू की गयी । विवेचना से प्रकाश में आए दो डकैतों की मुठभेड़ में मृत्यु हो चुकी है ।

ग्राम चंगवार थाना बड़ागांव में डकैती पड़ने की सूचना प्राप्त होने पर थाना बड़ागांव पर धारा 396/397 भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई तथा विवेचना के उपरान्त उसमें अंतिम रिपोर्ट लगाई गई ।

193--श्री ऊदल--

क्या यह सत्य है कि सन् 80 में गांव देवराई, गांव असवालपुर, गांव कहरका, गांव राजपुर, ओदार थाना फूलपुर में कुर्मियों, अहिरों तथा गांव खानपट्टी, गिरधवलपुर, कुसहां, शाहपुर-चंगवार थाना बड़ागांव, वाराणसी में कुर्मियों कोइरियों के यहां तथा गांव रसुलहा टटहरा, करधना, बिसहूपुर, थाना मिर्जामुराद में कुर्मियों/यादवों के यहां डकैतियां और लोग जान से मारे गये, लूटे गये, इसको रोकने के लिय क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1980 में थाना फूलपुर के ग्राम देवराई, असवालपुर, कहरका, राजपुर व ओदार तथा थाना मिर्जामुराद के ग्राम रसुलहा करधना व बिसहूपुर में कुर्मियों/यादव के यहां एवं थाना बड़ागांव के ग्राम खानपट्टी, गिरधवलपुर, कुसहो व चंगवार में कुर्मियों/कोइरियों के यहां डकैतियां पड़ने व कुछ लोगों की मृत्यु होने की सूचनायें सम्बन्धित थानों पर प्राप्त हुई । ग्राम शाहपुर थाना बड़ा बड़ागांव में उक्त अवधि में डकैती पड़ने की सूचना थाना बड़ागांव पर नहीं प्राप्त हुई । ग्राम टटहरा थाना मिर्जामुराद में हुई घटना के सम्बन्ध में थाना मिर्जामुराद पर धारा 452/307 भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक अभियोग कायम किया । डकैती की घटनाओं की रोकथाम के लिए शातिर बदमाशों की पतारसी सुरागरसी व रात्रि गस्त में चुस्ती रखने की कार्यवाही की गई है ।

194--श्री मित्रसेन--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जिले हेतु प्रस्तावित कताई मिल

195--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बांदा जनपद में एक कताई मिल लगाने का निश्चय कर लिया है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री नियाज हसन खां--

जी हां । यह मिल सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की जायेगी और 50,000 तकुओं की होगी ।

देवरिया जिले के हाई स्कूल के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल

196--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में देवरिया में हाई स्कूल के व्यक्तिगत रूप से जो पंजीकृत परीक्षार्थी थे उसमें से जिन छात्रों का परीक्षाफल सूची 'ई' के आधार पर रोका गया ह उसका विस्तृत विवरण क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में वास्तुविद के रिक्त पद

197--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में 4 वर्ष पूर्व वरिष्ठ वास्तुविद के 2 पद तथा उनकी पूरी इकाइयों का सृजन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन पदों पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो इनको अब तक भरे न जाने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । स्थायी वास्तुविद उपलब्ध न होने के कारण वरिष्ठ वास्तुविद के के दो पदों पर नियुक्ति अब तक नहीं की जा सकी थी, इन पदों पर नियुक्ति करन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के मोतीराम अड्डा-झंगहा मार्ग के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

198--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन व अधिशासी अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर को माह अगस्त, 1980 से 16 नवम्बर, 1980 तक कितने शिकायती-पत्र सड़कों के संदर्भ में प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या इनमें से मोतीराम झंगहा सड़क भी है ? यदि हां, तो मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त सड़क पर पुरानी पत्थर की गिट्टी कितनी है और उस पर नई गिट्टी कितनी पड़ी, दोनों गिट्टियों की ऊंचाई अलग-अलग कितनी है ? यह भी बतावे कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

शासन को कोई प्रश्नगत शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुये । अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर को प्राप्त हुये कुल 6 शिकायती-पत्रों में से 4 का निस्तारण कर दिया गया । शेष दो शिकायती-पत्र जिनका सम्बन्ध मोतीराम अड्डा-झंगहा मार्ग से था, के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को साथ लेकर शिकायतों की जांच की गयी, जो निराधार पाई गयीं। उक्त मार्ग पर औसतन पुरानी गिट्टी की तह 5 से0 मी0 तथा नई गिट्टी की औसतन ऊंचाई 5·3 से0 मी0 पाई गयी । बिटुमिन के अभाव के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है ।

मुन्सिफ परीक्षा का परीक्षाफल

199--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, 1979 में हुई मुन्सिफ प्रतियोगिता परीक्षा--पी0 सी0 एस0 (जे0)--के परिणाम को घोषित करने में देरी का क्या कारण है ? यह परिणाम कब तक घोषित हो जाने की सम्भावना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत परीक्षाफल घोषित किये जाने की आवश्यक कार्यवाही लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती ह जिसके पूर्ण होने पर ही परीक्षाफल घोषित किया जाता हैं । यह आयोग द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 में घोषित भी किया जा चुका ह ।

देवरिया जिले में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये डकैत

201--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला देवरिया में गत 1 जून, 1980 से 31 अक्टूबर, 1980 के बीच कितने लोगों को पुलिस डकैत मुठभेड़ में मारा गया, उनके नाम व जाति, पता सहित क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत अवधि में पुलिस डकैत मुठभेड़ में कुल 26 कैत पुलिस द्वारा मारे गये । उनके नाम, पता तथा जाति का विवरण संलग्न हैं ।

*(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 841 पर) ।

लखनऊ मण्डल, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की नियुक्ति

202--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लागू होने की तिथि (12 अगस्त, 1978) से 20-7-80 तक लखनऊ मण्डल में आरक्षण कोटे में कितने अध्यापकों की नियुक्ति तथा प्रोन्नति की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

प्रश्नगत अवधि में लखनऊ मण्डल में आरक्षण कोटे के अन्तर्गत एक अध्यापक की नियुक्ति की गई हैं ।

202--श्रीमती गौरी देवी--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मैलानी गोंडा प्रखण्ड के चिलवरिया व पयागपुर स्टेशनों के बीच कथित लूट-पाट

203--श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मन्त्री की जानकारी में यह तथ्य आये हैं कि पूर्व उत्तर रेलवे के मैलानी गोण्डा प्रखंड पर चिलवरिया व पयागपुर स्टेशनों के बीच 2 जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह रात के समय एक यात्री गाड़ी के तीन डिब्बों में घुसकर पिस्तौल की नोक पर कुछ लुटेरों ने यात्रियों से उनका सामान, जेवरात व नकदी छीन लिया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

थाना जी० आर० पी०, गोण्डा चौकी जं० आर० पी०, बहराइच या जनपद गोण्डा व बहराइच के थानों पर ऐसी किसी घटना के संबंध मे कोई अपराध पंजीकृत नहीं है ।

प्रदेश में बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापक

201--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि प्रदेश में कितने प्रशिक्षित बेरोजगार बी० टी० सी० पड़े हैं ? उनको समायोजित एवं काम देने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन ह ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इनको समायोजित करने की दिशा में क्या प्रगति है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

लगभग 69,000 प्रशिक्षित बी० टी० सी० बेरोजगार हैं ।

कोई विधिवत योजना नहीं है परन्तु इन पूर्व बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष बी० टी० सी० प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया है और इसे एक वर्ष के अंतराल में चालू रखने की योजना है । सेवा निवृत्ति, मृत्यु एवं पदोन्नति के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों पर नियुक्तियां की जा रही हैं । साथ ही नवीन विद्यालयों में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां करके उनको धीरे-धीरे समायोजित कर दिया जायगा ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (1980-81) में प्रदेश के पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों नवीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में, उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल 728 पद सृजित हुए हैं जिनमें बेरोजगार बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी नियुक्त किए जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले में विभिन्न जातियों के यहां डकैती

205--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1977 से लेकर 15 अगस्त, 1980 तक वाराणसी जिले में कितनी डकैतियां पड़ीं ? उसमें कितनी पिछड़ी जातियों के यहां, कितनी हरिजनों के यहां, कितनी उच्च जातियों के यहां पड़ी हैं ? क्या यह सही है कि 90 फीसदी से ऊपर डकैतियां पिछड़ी जातियों हरिजनों के यहां पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरा ब्योरा प्रत्येक थानेवार बनाकर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1977 से लेकर 15 अगस्त, 1980 की अवधि में वाराणसी जिले के विभिन्न थानों पर कुल 377 डकैतियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई । इनमें से पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा 194, हरिजन लोगों द्वारा 44 तथा उच्च जाति के लोगों द्वारा 139 रिपोर्ट दर्ज करायी गयीं । यह कहना सही नहीं है कि पिछड़ी जाति एवं हरिजनों के यहां 90 प्रतिशत से अधिक डकैती पड़ी। उक्त अवधि के डकैतियों के बारे में थानेवार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 843 पर)

आजमगढ़ जिले के यदुनाथ इन्टर कालेज के अध्यापकों का सेलेक्शन ग्रेड

206—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के सभी इन्टर कालेजों के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड का वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि यदुनाथ इन्टर कालेज, बहादुरपुर में अध्यापकों को यह सेलेक्शन ग्रेड जो सन् 72 से लागू हैं, न देने का कारण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आजमगढ़ के सभी इन्टर कालेजों के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड का वेतन अभी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पांच विद्यालय ऐसे हैं जिनके अध्यापकों के सेलेक्शन ग्रेड के प्रकरण अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुये हैं। इन पांच विद्यालयों में से एक यदुनाथ इन्टर कालेज बहादुरपुर भी है।

रायबरेली जिले के प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

207—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कितना धन आज तक सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ और कितने विद्यालयों का निर्माण इस धन से हुआ? क्या सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि रायबरेली के सतांव विधान सभा क्षेत्र में कुछ प्राथमिक विद्यालय जीर्ण दशा में हैं? यदि हां, तो उनके पुनर्निर्माण के लिए क्या कार्यवाहियां की गईं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जनपद रायबरेली के 57 प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु अब तक कुल रुपया 16,38,300 शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। अब तक 26 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 4 भवन निर्माणाधीन हैं। शेष 27 भवनों के निर्माण हेतु स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है विधान सभा क्षेत्र सतांव रायबरेली में कुछ प्राथमिक विद्यालय जीर्ण दशा में हैं। धन उपलब्ध होने पर इन भवनों के पुनर्निर्माण की कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली द्वारा की जायेगी।

फैजाबाद जिले में जनता पार्टी (एस०) द्वारा सत्याग्रह एवं मांग

208—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक 9 अगस्त, 80 को जनपद फैजाबाद में जिला जनता पार्टी (एस0) के कार्यकर्त्ताओं ने जनहित की कुछ मांगों को लेकर सत्याग्रह किया और जेल गये? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं? और क्या सरकार उन मांगों को पूरा करने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही कर रही है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां। सत्याग्रहियों की मांगें तथा उनके संबंध में कुल कार्यवाही संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 845 पर)

भारत सरकार द्वारा प्रदेश को कागज का आवंटन

209--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 80 से जुलाई, 80 तक प्रतिमास प्रदेश को अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए कितना कागज का कोटा आवंटित किया गया तथा उसमें से कितना कागज प्रदेश में आया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

भारत सरकार से प्रदेश को रियायती मूल्य का कागज त्रैमासिक आवंटित होता है, जिसकी स्थिति त्रैमासवार निम्नवत् है :

	टन
1--जनवरी-मार्च, 1980	2500
2--अप्रैल-जून, 1980	1998
3--जुलाई-सितम्बर, 1980	2800
कुल ..	7298

उपरोक्त अवधि में मिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार 6066 टन कागज की आपूर्ति हुई।

210--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1979 में इन्हीं दिनों (उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित माहों में) कितना कागज आवंटित किया गया था तथा कितना मिला था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

भारत सरकार से प्रश्नगत अवधि में निम्न मात्रा में कागज प्रदेश को आवंटित किया गया :--

	टन
1--जनवरी-मार्च 1979	3400
2--अप्रैल-जून, 1979	5000
3--जुलाई-सितम्बर, 1979	2800
कुल ..	11,200

उपरोक्त अवधि में मिलों से 8483 टन कागज की आपूर्ति की गई।

211-212--श्री गजेन्द्र सिंह--

[5वें सोमवार म अतारांकित प्रश्न संख्या 10-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका सीतापुर की प्राइमरी पाठशालाओं के सेवा निवृत्त अध्यापक

213--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगरपालिका सीमा में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के जिन प्रधानाध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों ने जून, 1978 में अवकाश ग्रहण किया उनके नाम क्या हैं तथा उन्हें पेंशन तथा ग्रेचुएटी मिलना प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब से मिलना प्रारम्भ हो जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सितम्बर, 1980 में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार सीतापुर नगरपालिका सीमा क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में जून, 1978 में केवल तीन प्रधानाध्यापक सेवा निवृत्त हुए जिनके नाम निम्नवत् हैं :--

1--श्री कृष्ण स्वरूप सक्सेना ।

2--श्री कृष्ण बिहारी पांडे ।

3--श्री कृष्ण कुमार मिश्रा ।

उपरोक्त तीनों प्रधान अध्यापकों को अभी पेंशन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है क्योंकि दो प्रधान अध्यापकों के पत्राजात अभी प्राप्त नहीं हुए हैं तथा एक प्रधान अध्यापक के पत्राजात अपूर्ण हैं । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित प्रधान अध्यापकों को लिखित रूप से पेंशन के पत्राजात शीघ्र भेजने को कहा गया है । सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर से वर्तमान स्थिति ज्ञात की जा रही है । 1972 के बाद सेवा निवृत्त हुए अध्यापकों के लिए ग्रेचुएटी का कोई प्रावधान नहीं है ।

झांसी जिले के बिजौली सय्यर मार्ग का निर्माण

214--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद झांसी में ग्राम बिजौली से सय्यर ग्राम तथा झांसी नगर से गड़िया ग्राम तक सड़क निर्माण विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

बिजौली से सय्यर ग्राम मार्ग सीलिंग स्तर तक स्वीकृत है तथा झांसी नगर से गड़िया ग्राम तक मार्ग अभी स्वीकृत नहीं है । बिजौली से सय्यर ग्राम स्वीकृत मार्ग पर सीलिंग स्तर तक कार्य हो चुका है ।

झांसी नगर से गड़िया ग्राम मार्ग स्वीकृत नहीं है, उसके निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

टिहरी गढ़वाल जिले का कताई बुनाई सेन्टर

215—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में कुल कितने कताई बुनाई सेंटर (ऊनी तथा सूती) इस समय विद्यमान हैं तथा राज्य सरकार की ओर से विगत तीन वर्षों के अन्दर सन् 1977 से अब तक उन्हें क्या सहायता प्रदान की गयी ?

श्री नियाज हसन खां—

टिहरी गढ़वाल जनपद में इस समय कोई राजकीय कताई बुनाई सेन्टर (ऊनी तथा सूती) कार्यरत नहीं है । खादी बोर्ड के तीन बुनाई-कताई केन्द्र कार्यरत हैं । इन केन्द्रों के संचालन का समस्त व्यय बोर्ड द्वारा वहन किया जा रहा है ।

मथुरा जिले के बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापक

216—श्री कन्हैया लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में कुल कितने शिक्षा प्राप्त प्राइमरी अध्यापकों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है और सरकारी योजनानुसार इन लोगों को कितने वर्षों में नौकरी मिल जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद मथुरा में 3185 प्रशिक्षित बी० टी० सी० अभी तक बेरोजगार हैं । अध्यापकों की सेवा निवृत्ति, मृत्यु, पदोन्नति, त्यागपत्र तथा नये खुलने वाले विद्यालयों हेतु स्वीकृत पदों के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों पर नियमानुसार इन प्रशिक्षित बी० टी० सी० बेरोजगारों की नियुक्तियां की जा रही हैं । निश्चित तिथि बतलाना संभव नहीं है ।

टिहरी बांध परियोजना के निर्माण में लगी थापर इंट्राफर कम्पनी आफ इन्डिया लि० द्वारा बोनस भुगतान की मांग

217—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध की बांई व्यावर्तन सुरंग पर कार्यरत थापर इंट्राफार कम्पनी लि० ने सन् 1978-79 तथा 1980 में अपने कर्मकारों की कितनी संख्या को कितना बोनस अदा किया है ? यदि नहीं, तो सरकार की ओर से इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

टिहरी बांध परियोजना में बनने वाली बांई व्यावर्तन सुरंग के निर्माण में लगी थापर इन्ट्राफर कम्पनी आफ इन्डिया लि० ने उक्त निर्माण कार्य अगस्त, 1978 से आरम्भ किया है । कम्पनी का लेखा वर्ष 1 नवम्बर से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 31 अक्तूबर तक चलता है । प्रतिष्ठान ने लेखा वर्ष 1977-78 व 1978-79 में घाटा होने के कारण बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 16(1-ए) के प्राविधानों के अनुसार अपने कर्मकारों को कोई बोनस भुगतान नहीं किया है । प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1979-80 गत 31 अक्तूबर, 1980 को समाप्त हुआ है । उक्त वर्ष में भी लाभ होने की स्थिति में ही श्रमिकों को बोनस देय होगा । देय

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--]

होने पर बोनस भुगतान नियामनुसार लेखा वर्ष की समाप्ति के 8 महीने के अन्दर हो जाना चाहिए। अतः अभी सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी के राजकीय हाई स्कूल एवं डिग्री कालेजों में विकलांग प्रवक्ताओं की नियुक्ति

218--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जनपदों के राजकीय हाई स्कूलों, इन्टरमीडिएट कालेजों तथा डिग्री कालेजों में सन् 1979 तथा 1980 के दौरान क्रमशः कितने योग्यता प्राप्त विकलांग छात्रों ने शिक्षक के तौर पर नियुक्त किए जाने हेतु आवेदन-पत्र दिये तथा उनमें से कितनी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राजकीय इन्टर कालेज में प्रवक्ता पद हेतु केवल एक विकलांग अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। अभ्यर्थी नेत्रहीन था। चयन नहीं हुआ। राजकीय डिग्री कालेजों में प्रवक्ता पद हेतु 20 विकलांग अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन किया था। केवल 6 अभ्यर्थी ही अर्ह थे। एक विकलांग अभ्यर्थी चुना गया।

बदायूं जिले की औद्योगिक विकास योजनायें

219--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद बदायूं उद्योग में सबसे पिछड़ा जिला है ? यदि हां, तो उसमें उद्योग के अभाव को दूर करने के लिए अब सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और जनपद में वृहत, मध्यम और कुटीर के कौन-कौन से कारखाने लगाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

जनपद बदायूं प्रदेश के 39 पिछड़े जिलों में से एक है। जनपद के औद्योगिक विकास हेतु निम्नांकित कार्यवाही की गई है/की जा रही है :

(क) सलारपुर में एक औद्योगिक आस्थान स्थापित किया जा रहा है।

(ख) उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में 40 उद्यमियों को प्रशिक्षण हेतु एक शिविर आयोजित किया गया।

(ग) जनपद के उझियानी तथा दातागंज ग्रामीण विकास केन्द्र घोषित किये गये हैं।

(घ) उद्यमियों को सभी वांछित सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई है तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण लघु उद्योगों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

2--जनपद बदायूं में सरकार स्वयं कोई कारखाना लगाने पर विचार नहीं कर रही है।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, रायबरेली में छुआछूत का कथित मामला एवं हरिजन छात्रा की टी० सी०

220—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि रायबरेली जनपद के किसी विद्यालय में छुआछूत की भावनाओं से प्रेरित कोई मामला मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका का (षष्ठम मण्डल) लखनऊ में पत्रांक एन० डी (4)/9963-78-79, दिनांक 25-1-79 के अनुसार निर्णीत हुआ है ? यदि हां, तो जांच अधिकारी की आख्या क्या है ? तथा उस पर कब कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, किन्तु प्रसंगागत निर्णय के पृष्ठभूमि में किसी प्रकार की छुआछूत की भावना का निहित होना प्रकाश में नहीं आता ।

जांच अधिकारी की आख्या के अनुसार शिक्षा सत्र 1978-79 में राजकीय बालिका इन्टर कालेज रायबरेली में कक्षा 6 में प्रवेश के मामले में अनुसूचित जाति के आरक्षण विषयक नियमों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई ।

मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ द्वारा निर्णयोपरान्त छात्र के अभिभावक को लिखा गया कि "यदि आप चाहें तो आपके द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर छात्रा का राजकीय बालिका इंटर कालेज, रायबरेली में शिक्षा संहिता की धारा 90 एन० के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया जा सकता है, अथवा आगामी सत्र में उसके प्रवेश के आदेश दिये जा सकते हैं।"

221—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि रायबरेली जनपद हरिजन छात्रा की टी० सी० निर्गत करते समय छुआछूत के व्यवहार का कोई मामला मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, षष्ठम मन्डल, लखनऊ के पत्रांक एन० डी०-4/3005(80-81), दिनांक 4-8-80 के अन्तर्गत निर्णीत हुआ है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है ? तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या क्या है ? और उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी, हां किन्तु प्रसंगागत निर्णय की पृष्ठभूमि में किसी प्रकार की छुआछूत की भावना का निहित होना प्रकाश में नहीं आता ।

संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है । जांच अधिकारी की आख्या के अनुसार सम्बन्धित छात्रा के मामले में एस० आर० रजिस्टर एवं निर्गत टी० सी० में भिन्नता पाई गई और जो टी० सी० निर्गत की गई वह एस० आर० रजिस्टर में छात्रा से सम्बन्धित मूल प्रविष्टियों से निम्न थी । इस त्रुटि के लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्या के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी की संस्तुति पर विचार किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 847 पर ।)

जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्री मदन कुमार गोयल के विरुद्ध शिकायती पत्र

222—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण (श्री मदन कुमार गोयल) जौनपुर के विरुद्ध कितने शिकायती पत्र मा0 विधायकों तथा वहां के नागरिकों द्वारा 1 अप्रैल, 1980 से अब तक भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं सरकारी धन के गबन किये जाने के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

प्रश्न कर्ता महोदय का एक तथा नागरिकों से पांच शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं जिन पर जांच कराई जा रही है ।

223—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बेसिक शिक्षा अधिकारी, मनपुरी द्वारा अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

224—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 1 जनवरी, 1980 के पश्चात कितने प्राइमरी स्कूल शिक्षक और कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये और उन्हें किस माह तक का वेतन भुगतान हो चुका है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी ने 1 जनवरी, 1980 के पश्चात और 5 अक्तूबर, 1980 तक 80 प्राइमरी स्कूल अध्यापकों की और 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की थी । इनमें से किसी को भी वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।

जिला परिषद्, वाराणसी द्वारा विद्यालयों के भवनों का कथित निर्माण

225—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में स्कूल की इमारत बनाने की जिम्मेदारी जिला परिषद् को दी गयी है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में कितने बेसिक प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों तथा हाई एवं इण्टर कालेजों की इमारतों को जिला परिषद् ने बनवाया और सरकार ने कितना रुपया दिया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के ग्राम जियामऊ का गाजी उद्दीन हैदर कैनाल पर कथित पुल

226—श्री शम्भूनाथ सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बनारसी बाग के पीछे ग्राम जियामऊ के पास जो गाजीउद्दीन हैदर कैनाल का पुल का निर्माण किया जा रहा था, उसे अधूरा छोड़ने का कारण क्या है ? भविष्य में इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

लखनऊ स्थित बनारसीबाग के पीछे जियामऊ ग्राम के पास गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर महापालिका, लखनऊ द्वारा केवल दो गर्डर रख कर अस्थायी क्रासिंग बहुत पहले बनाई गई थी । इस स्थान पर पुल निर्माण की कोई योजना नहीं है । अतः पुल के पूरा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय का प्रान्तीयकरण एवं कर्मचारी

227--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में सन् 1975 से अब तक कितने माध्यमिक विद्यालयों का पर्वतीय क्षेत्र में प्रान्तीयकरण किया गया तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक राजकीय सेवाओं में नियुक्त न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद जिले के सूखाग्रस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों द्वारा दी गयी शिक्षण शुल्क की छूट

228--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद में वित्तीय वर्ष 1979-80 का किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सूखे के कारण उत्पन्न क्षति पूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है ? उक्त धनराशि का भुगतान सरकार कब तक कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गत वित्तीय वर्ष 1979-80 में जनपद के 63 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (62 सहायता प्राप्त तथा 1 असहायता प्राप्त, जिनकी सूची संलग्न है) को सूखे के कारण स्वीकृत शुल्क के फलस्वरूप हुई क्षति की पूर्ति हेतु अनुदान धनाभाव के कारण नहीं दिया जा सका है ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ 848 पर ।)

आगरा मण्डल के हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के प्रबन्धाधिकरण सम्बन्धी लम्बित मुकदमे

229--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या शिक्षा मन्त्री सूचित करने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल में कौन से हाई स्कूल व इन्टर कालेज हैं जहाँ प्रबन्धाधिकरण सम्बन्धी विवाद 31-7-80 को न्यायालयों में लम्बित हैं ? और कौन-कौन ऐसे हैं जिनके विवाद विभागीय अधिकारियों के विचाराधीन हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आगरा मन्डल के निम्नांकित हाई स्कूल व इन्टर कालेजों के प्रबन्धाधिकरण सम्बन्धी विवाद दिनांक 31-7-80 को न्यायालयों में लम्बित हैं :--

अलीगढ़ जनपद--

(1) सालपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सालपुर, अलीगढ़ ।

(2) आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिरौली हीरा सिंह, अलीगढ़ ।

(3) आर्यन कल्चर एकेडमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुर, अलीगढ़ ।

(4) श्री जुगल किशोर बारहसैनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कासिमाबाद, अलीगढ़ ।

(5) अंकूर इन्टर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ ।

(6) सेठ हरचरनदास कन्या इन्टर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ ।

(7) संस्कृत कन्या पाठशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अलीगढ़ ।

मैनपुरी जनपद--

(8) डी० ए० वी० इन्टर कालेज, मैनपुरी ।

(9) शिव आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पेउत, मैनपुरी ।

(10) शिक्षा सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुचेला, मैनपुरी ।

(11) दयानंद इन्टर कालेज, ज्योती, मैनपुरी ।

आगरा जनपद--

(12) महाराजा अग्रसेन इन्टर कालेज, आगरा ।

(13) गिरधारी लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चुल्हावली, आगरा ।

(14) गांधी स्मारक इन्टर कालेज, जैगारा, आगरा ।

(15) जनता इन्टर कालेज, खैरगढ़, आगरा ।

मथुरा जनपद--

(16) बृज कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टेढीगांव, मथुरा ।

(17) नेहरू स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चांदपुर कलां, मथुरा ।

(18) एस० बी० जे० इन्टर कालेज, बिसावर, मथुरा ।

(19) सराय दाउद इन्टर कालेज, घनौटी, मथुरा ।

(20) अक्रूर इन्टर कालेज, छाता, मथुरा ।

(21) जैन इन्टर कालेज, चौरासी, मथुरा ।

एटा जनपद--

(22) भारतीय इन्टर कालेज, न्यौराई, एटा ।

(23) हरनरायन इन्टर कालेज, गंजडुवारा, एटा ।

(24) श्री गणेश इंटर कालेज, कासगंज, एटा ।

(25) राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निन्हैरा मिरहची, एटा ।

(26) शिवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कांतौर, एटा ।

निम्नांकित विद्यालयों के विवाद विभागीय अधिकारियों के विचाराधीन हैं :--

(1) सेठ हरचरनदास कन्या इन्टर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ ।

(2) भक्त वत्सल इंटर कालेज, बिछवां, मैनपुरी ।

(3) डी० ए० वी० इन्टर कालेज, घिरोर, मैनपुरी ।

(4) सी० पी० पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धुलियागंज, आगरा ।

(5) डी० बी० संतोष सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, परतपुर, आगरा ।

(6) डी० ए० बी० इन्टर कालेज, फिरोजाबाद, आगरा ।

(7) तिलक इन्टर कालेज, फिरोजाबाद, आगरा ।

(8) डी० ए० वी० इन्टर कालेज, आगरा ।

(9) भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अडोग, मथुरा ।

(10) जनता इंटर कालेज, राजागढ़ी, मथुरा ।

(11) श्रीकृष्ण वनस्थली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मानागढ़ी, मथुरा ।

टिहरी गढ़वाल जिले के छात्रों को तकनीकी शिक्षण हेतु छात्र-वृत्ति की कथित स्वीकृति

230--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद के निवासी छात्र, छात्राओं के लिए सन् 1979-80 के शिक्षा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षण हेतु कितनी छात्रवृत्तियां स्वीकार की तथा कितने छात्र, छात्राओं को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त छात्र-वृत्तियां वितरित की गयीं ? स्वीकृति के बाद छात्रवृत्तियां न बांटे जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा विभाग द्वारा कोई छात्रवृत्ति नहीं स्वीकृत की गई । अतएव छात्रवृत्ति वितरित न करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़, सिकन्दरपुर–नरियांव मार्ग पर पिकिया नदी के पुल निर्माण की मांग

231––श्री शम्भूनाथ सिंह––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1976–77 में शासन द्वारा आजमगढ़ जनपद म सिकन्दरपुर–नरियांव मार्ग, जो निर्माण हेतु स्वीकार किया गया था उसके बीच बहने वाली पिकिया नदी पर पुल का निर्माण कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद––

इस पुल का निर्माण–कार्य स्वीकृत नहीं है ।

बदायूं जिले के कुंवर गांव के हाई स्कूल के प्रान्तीयकरण की मांग

232––श्री मोहम्मद अबरार अहमद––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के नगर कुंवर गांव में जिला परिषद् द्वारा जो हाई स्कूल चलाया जा रहा है उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने 1978–79 में यह संस्तुति की थी कि वह सीधा सरकार द्वारा कब्जे में ले लिया जाय ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हां । प्रस्ताव के अपूर्ण एवं सशर्त होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की अंग्रेजी परीक्षा को समाप्त करन सम्बन्धी प्रस्ताव

233––श्री जयदीप सिंह––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के दिनांक 17–11–79 के प्रस्ताव संख्या 1, जो वाराणसी सस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षाएं "अंग्रेजी सहित उत्तीर्ण करने के प्रतिबन्ध को हटाने के विषय में है, का अनुमोदन करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हां, परिषद् के प्रश्नगत प्रस्ताव की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है ।

जौनपुर–सुल्तानपुर मार्ग हेतु कलीचाबाद में भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

234––श्री जंगबहादुर––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवासित भूमि बाई पास जौनपुर–सुल्तानपुर मार्ग के लिये मौ० कलीचाबाद, तहसील व जिला जौनपुर के काश्तकारों से ली गई थी ? यदि हाँ, तो उन्हें मुआवजा दे दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हाँ, मौजा कलीचाबाद की 4,530 एकड़ अर्जित भूमि का 49,303 रु0 (राउन्ड) अतिकर निर्धारित किया गया था। इसमें से पांच कृषकों को छोड़कर जिनका मामला विवादित है, शेष कृषकों को 48,219 रु0 (राउन्ड) प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ।

आजमगढ़ जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

235--श्री राजकुमार राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ में 1979 से 1980 तक कितनी किलो मीटर सड़क बनी और कितना खाद्यान्न लगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में 1979 से 1980 तक कुल 118·00 कि0 मी0 मार्ग बनाये गये तथा उस पर 1215·2 मी0 टन खाद्यान्न वितरित किया गया ।

गोरखपुर जिले के थाना गोला के थानाध्यक्ष श्री महिमाराय की छीनी गयी पिस्टल

236--श्री दल सिंगार--

क्या यह सही है कि जनपद गोरखपुर के थाना गोला के थानाध्यक्ष श्री महिमा राय की लापरवाही के कारण उनकी रिवाल्वर गायब हो गई थी ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महिमाराय ने थाना गोला पर इस आशय का एक मुकदमा लिखाया है कि जब वे शाँति व्यवस्था ड्यूटी के लिए दिनांक 20-5-80 को कस्बा गोला में तैनात थे कतिपय व्यक्तियों ने उन्हें व उनके सहयोगी कर्मचारीगण को मारापीटा तथा उनकी सरकारी पिस्टल छीन ली । मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । अतः जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

आजमगढ़ जिले के शस्त्रों के लाइसेन्स का नवीनीकरण

237--श्री राजकुमार राय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में शस्त्रास्त्र सूत्रों के लाइसेन्स का नवीनीकरण इस समय रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी नहीं । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

घोसी-बेलथरा रोड

238--श्री राजकुमार राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि क्या सरकार का घोसी-बेलथरा रोड को 1981 तक पिच कराने का इरादा है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं ।

चाचा नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कानपुर के प्रधानाचार्य का चयन

239—श्री भगवानदीन कुशवाहा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या चाचा नेहरू उ० मा० विद्यालय मझावन (कानपुर) में प्रधानाचार्य के चयन की विधिवत प्रक्रिया अपनायी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा चयनित प्रधानाचार्य को कार्यभार क्यों नहीं ग्रहण करवाया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । प्रबंधक द्वारा प्रश्नगत चयन के विरुद्ध मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को अपील की गई है जो उनके यहां विचाराधीन है ।

240—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर मण्डल से हेड कान्सटेबिलों का सब-इन्सपेक्टर के पद पर चयन

241—श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर मण्डल में वर्ष 1978 में कितने हेड कान्सटेबिलों का चयन सब-इन्सपेक्टर के प्रशिक्षण हेतु किया गया और उनमें से कितनों को वर्ष 1978 में ही प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और कितनों को वर्ष 1980 में तथा कितनों को नहीं भेजा गया जबकि सब के लिए एक ही नियम लागू होते हैं ? क्या सरकार उनको भी प्रशिक्षण देने हेतु भेजने की कृपा करेगी कि जो अभी तक प्रशिक्षण हेतु नहीं गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वर्ष 1978 के सत्र के लिए पी० टी० सी०, मुरादाबाद में उप निरीक्षक के पद पर प्रशिक्षण हेतु गोरखपुर मंडल से कुल 48 हेड कान्सटिबुलों का चयन किया गया था जिनमें से 44 को सत्र 1978 में प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया था तथा उनमें से एक हेड कान्सटेबुल को वर्ष 1980 में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है । एक को प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा गया है क्योंकि उसके विरुद्ध धारा 161 भा० द० वि० व 5 (2) पी० सी० ऐक्ट का मुकदमा थाना गोला, जनपद गोरखपुर में दिनांक 1-10-1978 को पंजीकृत हुआ है जिसकी जांच पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, गोरखपुर कर रहे हैं । अतः उसको प्रशिक्षण में भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवा निवृत्त अध्यापकों का प्रावीडेण्ट फण्ड

242—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् गठित होने के बाद से आज तक कितने अध्यापक अवकाश ग्रहण किए ? उन

अवकाश प्राप्त अध्यापकों में से अब तक उनके प्राविडेन्ट फन्ड की सम्पूर्ण धनराशि ब्याज सहित कितने अध्यापकों को दिया गया और कितनों को अभी तक नहीं दिया गया ? जिनको नहीं मिला, उसका कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उपलब्ध सूचना के अनुसार बस्ती जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के गठित होने के बाद से अक्तूबर, 1980 तक 362 अध्यापक सेवा निवृत्त हुए जिनमें से 137 अध्यापकों को उनके प्राविडेन्ट फन्ड की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया है और 225 अध्यापकों को अभी तक उनके प्राविडेन्ट फन्ड का भुगतान नहीं किया गया है। जिन अध्यापकों को अभी तक उनके प्राविडेन्ट फन्ड का भुगतान नहीं किया गया है उसका मुख्य कारण यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व जिला परिषदों की सेवा काल में इन अध्यापकों के अभिलेख अपूर्ण थे और उसी अपूर्ण हालत में जिला परिषदों ने उन्हें बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित कर दिया। इन अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने का और सम्बन्धित अध्यापकों को उनके बकाया भुगतान की कार्यवाही चल रही है।

आजमगढ़ जिले के सिकन्दरपुर नीरगांव व बूढ़नपुर–मखनहां मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

243—श्री शम्भूनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सिकन्दरपुर, नीरगांव व बूढ़नपुर मखनहां के बीच नदी में पुल का निर्माण होना है ? यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

सिकन्दरपुर–नीरगांव मार्ग पर पड़ने वाले पिकिया नाले पर सेतु निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बूढ़नपुर–मखनहां के बीच नदी पर पुल बनाए जाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

आजमगढ़ जिले में कतिपय मार्गों का निर्माण

244—श्री शम्भूनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बूढ़नपुर, मखनहा, सिकन्दरपुर, नीरगांव व अहिरौला, कप्तानगंज तथा देउरपुर, अहिरौला से अतरौलिया की सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जायेगी और इसके अब तक पूरा न किए जाने के कारण क्या हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद—

देउरपुर–हाराजगंज मार्ग जिला परिषद् के अन्तर्गत है। अहिरौला से अतरौलिया मार्ग स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्नगत मार्ग निर्माणाधीन हैं जो मेक्सफाल्ट के उपलब्ध होने पर ही पूर्ण हो सकेंगे।

245—श्री सत्यपाल सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गांधी मिशन एच0 एम0 के0 डी0 इंटर कालेज, मोहान, उन्नाव में अध्यापकों के रिक्त पद

246—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी मिशन एच0 एम0 के0 डी0 इंटर कालेज, मोहान, उन्नाव में मार्च/अप्रैल, 1980 में अध्यापकों के रिक्त पदों पर चुनाव हुआ था ? क्या हरिजन सुरक्षित अध्यापक पद पर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गयी है और हरिजन अभ्यर्थी को नहीं लिया गया ह ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पटेल आयोग के आधार पर पूर्वान्चल एवं गाजीपुर की औद्योगिक योजनाएं

247—श्री राम नारायन—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सम्यक् विकास हेतु आज तक सरकार द्वारा कौन-कौन सी ठोस योजनाएं बनाई गयी हैं और अब तक कितनी धनराशि उन पर व्यय की गयी है ? इस सम्बन्ध में क्या सरकार छठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जनपद में कोई छोटी या बड़ा उद्योग की स्थापना करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

पटेल आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सम्यक् विकास हेतु उद्योग विकास के अन्तर्गत सुर्खी, चूना, होजरी, बोन मिल, जूट मिल एवं लौह कला, प्रेस, कालीन आदि हैण्डीक्राफ्ट एवं ग्रोथ सेन्टर के अन्तर्गत योजनाएं बनाई गई तथा इन पर लगभग 16,57,300 रु0 व्यय किया गया । छठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जनपद मे सहकारी क्षेत्र में एक सूती कताई मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है । शासन की नीति के अनुसार लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को विभिन्न सुविधाएं व सहायताएं जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से दिलवा कर प्रोत्साहित किया जाता है । छठी योजनाकाल में भी यह कार्य चलता रहेगा ।

आजमगढ़ जिले के चकउथ-असना मार्ग का निर्माण

248—श्री राजकुमार राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील घोसी आजमगढ़ में स्थित चकउथ-असना रोड को चकउथ से 3 किलोमीटर दक्षिण क्यों छोड़ दी गयी ? क्या चकउथ गांव तक बनाने और बढ़ाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद—

मार्ग की कुल लम्बाई 12 किलोमीटर है जिसमें से 8 किलोमीटर लम्बाई विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत है । शेष मार्ग की स्वीकृति धनाभाव के कारण नहीं दी जा सकी ह । स्वीकृत मार्ग पर निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

स्वीकृत मार्ग को आगे बढ़ाने की स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

आगरा मण्डल के बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापक

249--ललू सिंह चौहान--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल में कितने बी० टी० सी० ट्रेनिंग उत्तीर्ण अध्यापक अभी भी बेरोजगार हैं। क्या जिलावार संख्या देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आगरा मण्डल में कुल 11,796 बी० टी० सी० उत्तीर्ण अध्यापक बेरोजगार हैं।

जनपदवार विवरण निम्नवत् हैं :--

(1) आगरा जनपद	..	3390
(2) अलीगढ़ जनपद	..	1439
(3) मथुरा जनपद	..	3300
(4) मैनपुरी जनपद	..	1986
(5) एटा जनपद	..	1681
योग	..	11796

[समय 12-20 अपराह्न से]

सीतापुर जिले में सरकारी वितरण केन्द्रों पर यूरिया खाद के स्टाक की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें 5 स्वीकृत हुई हैं।

*राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सीतापुर जिले में सरकारी वितरण केन्द्रों में आजकल लगभग एक माह से यूरिया खाद नहीं के बराबर है। इससे खड़ी फसल में छिड़काव के लिये खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। निजी व्यापारियों के यहां ज्यादा कीमत पर बड़ी कठिनाई से मिलती है और इसमें नमक मिले होने की आम शिकायत है। मैंने स्वयं नमक मिलावट वाली खाद बिकते देखा है।

मान्यवर, जिलाधिकारियों का ध्यान इस ओर बारम्बार आकृष्ट करने के बाद भी यूरिया की व्यवस्था नहीं हो सकी।

आज शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाकर त्वरित प्रबन्ध की आशा करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम मकरंदापुर, थाना भोगनीपुर (कानपुर) में अर्जक संघ द्वारा ड्रामा खेले जाने पर पुलिस द्वारा रोक तथा अत्याचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय, मैं सदन के संज्ञान में पुलिस द्वारा जुल्म व ज्यादती के निम्नलिखित तथ्य लाना चाहता हूं। दिनांक 17-1-81 को कानपुर जिले के ग्राम मकरंदापुर, थाना भोगनीपुर में अर्जक संघ, जिला कानपुर की ओर से एक ड्रामा खेला जाने वाला था। थाना भोगनीपुर के दो दारोगा तथा पुलिस व पी० ए० सी० के सिपाही उक्त ड्रामा स्थल पर आठ बजे रात में जाकर ड्रामा खलने से ड्रामा वालों को मना करने लगे। जब ड्रामा खेलने वालों ने लिखित आदेश की मांग की तो पुलिस वाले नाराज होकर ड्रामा के पर्दे आदि समेटने लगे। इस पर उपस्थित जनता ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाना शुरू किया तो पुलिस वाले फायर करने लगे जिससे आतंकित होकर जनता तितर-बितर हो गयी। पुलिस ड्रामा को होने के पहले ही भंग कर चली गयी।

18-1-81 को पुलिस ने वहां जाकर अनेक लोगों को पकड़ा और मारा-पीटा तथा 6 व्यक्तियों को जेल भेज दिया और उक्त गांव में और आस-पास के गांवों में जाकर लोगों को धमका रही है कि उन्हें भी जेल भेजा जायगा। इस प्रकार क्षेत्र में पुलिस आतंक व्याप्त है और लोग पुलिस के डर के मारे खुल कर खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं।

अतः मैं सरकार से अवैध रूप से ड्रामा भंग करने वाली पुलिस के खिलाफ उचित कार्यवाही करने और पुलिस द्वारा दर्ज फर्जी मुकदमें की वापसी की मांग करता हूं ताकि शान्तिप्रिय जनता शान्ति के साथ वहां रह सके और पुलिस जुल्म की शिकार न हो।

प्रदेश के डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत--

माननीय, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्बन्धित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित और अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के फार्मेसिस्ट, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के आवाहन पर अपनी वेतन विसंगतियों के विरोधस्वरूप 23 जनवरी से निरंतर सांकेतिक हड़ताल पर रहे हैं तथा 2 फरवरी, 1981 से अनिश्चितकालीन प्रदेश व्यापी हड़ताल पर चले गये हैं, जिसके कारण प्रदेश की समस्त चिकित्सा व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है, जिसके कारण अनेकों रोगियों के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि शासन की ओर से शीघ्र समुचित कार्यवाही न की गयी तो स्थिति भयावह हो सकती है।

उत्तर प्रदेश के फार्मेसिस्ट, सरकार से यह जानना चाहते हैं कि वे किस स्तर के कर्मचारी हैं। क्या वे टेक्निकल वेतनमान पाने के हकदार हैं। क्या उन्हें इसके अनुरूप वेतन मिल रहा है, जब कि देश के अन्य प्रान्तों में फार्मेसिस्टों का वेतन-मान अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, फिजियोथिरासिस्ट इत्यादि से अधिक है। फार्मेसिस्टों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट साइंस एवं प्राविधिक शिक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिप्लोमा इन फार्मेसी हर प्रान्तों में समान हैं। उदाहरणार्थ पंजाब (1979) 510–940 द्वितीय ग्रेड एवं 680–1120 प्रथम ग्रेड, हरियाणा (1979) 525–1025 द्वितीय ग्रड एवं 600–1000 प्रथम ग्रेड के वेतनमान हैं परन्तु उत्तर प्रदेश में वेतन आयोग द्वारा 1981 में 400–615 तथा 470–735 का वेतनमान दिया है। उत्तर प्रदेश में फार्मेसिस्टों के समकक्ष योग्यता रखने वाले अन्य वर्ग जूनियर इंजीनियर, फिजियोथिरापिस्ट, चेत्रक सुपरवाइजर, नर्सेज इत्यादि को अधिक वेतनमान दिये गये हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्र ही फार्मेसिस्टों की समस्या के निदान हेतु अविलम्ब सदन में घोषणा करें ताकि प्रदेश को भावी आशंका से बचाया जा सके।

जनता इन्टर कालेज अम्बारी, जनपद आजमगढ़ के शिक्षकों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के समने धरना देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। जनता इंटर कालेज, अम्बारी, जनपद आजमगढ़ में शिक्षक कल दिनांक 2 फरवरी 1981 से जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इसके कारण हजारों छात्रों की पढ़ाई बन्द है। शिक्षकों की मांगों को पूरा न किए जाने से छात्रों एवं अभिभावकों में भारी असन्तोष है। छात्रों ने भी अध्यापकों के समर्थन में आंदोलन करने का फैसला किया है। अध्यापकों की प्रमुख शिकायतों में संस्थान की अनुरक्षण निधि में भारी आर्थिक गोलमाल तथा छात्रनिधि का प्रधानाचार्य द्वारा किए गए दुरुपयोग की जांच कराया जाना, प्रधानाचार्य का मनमाने तरीके से संस्था से अनुपस्थित रहना तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम प्रवक्ता को कार्यवाहक प्रधानाचार्य न बनाया जाना, विभिन्न अवशेषों का भुगतान तथा पदोन्नति के पात्र अध्यापकों की पदोन्नति न किया जाना आदि शामिल हैं। शिक्षक समय–समय पर पिछले तीन वर्षों से सरकार तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस धांधली, मनमाने भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद एव अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करते आ रहे हैं किन्तु राजनीतिक दबावों के कारण न्याय न मिलने के फलस्वरूप सामूहिक धरना देने पर बाध्य हुए हैं। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इन अनियमितताओं की तत्काल जांच कराई जाय, शिक्षकों की न्यायोचित मांगों को पूरा किया जाय तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय।

बागपत, जिला मेरठ में घटित घटना तथा उसके सम्बन्ध में जांच आयोग की रिपोर्ट

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 18 जून, 1980 को बागपत, जिला मेरठ में घटित घटना तथा उसके सम्बन्ध में जांच आयोग की रिपोर्ट ज्ञापन सहित, कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छापी नहीं गई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी अनुमति से एक सवाल पूछ लूं ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें क्या सवाल पूछना है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, 1977-78†

नियोजन राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 1977-78 की कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1976-77†

नियोजन राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1976-77 को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

नोट :—[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980†

नियोजन राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0 2-2740/दस-900(7)-69, उ0 प्र0 अधि0-15/1948-नियम/1948-संशो0(प्रथम)-1980, दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा-विवरण 1978-79†

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1978-79 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1980††

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कार्मिक अनुभाग की अधिसूचना सं0 15/43/80-कार्मिक-1, दिनांक 10 दिसम्बर, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1980 को संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर)(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980*

परिवहन राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना सं0 4738-टी/तीस-4-31-पी-79, दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त बिक्री-कर अनुभाग 2 की विज्ञप्तियां†††

वित्त राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 31 अगस्त, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित :—

---

*छापी नहीं गई ।

†छापा नहीं गया ।

†††छापी नहीं गयीं ।

[श्री काशी नाथ मिश्र---]

(1) विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-7305/दस-6(32)-75-उ0 प्र0 अधि0-15/48, आदेश 1979, दिनांक 31 अगस्त, 1979 ।

(2) विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-8221/दस-9 (213)-77-उ0प्र0 अधि0-15/48-आदेश-1979---दिनांक 31 अगस्त, 1979 ।

(3) विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-8222/दस-9(213)-77-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-1979, दिनांक 31 अगस्त, 1979 ।

(4) विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-8223/दस-9-(213) 77-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-1979, दिनांक 31 अगस्त, 1979 ।

(5) विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-8224/दस-9-(213)-77-उ0प्र0 अधि0-15/48-आदेश-1979, दिनांक 31 अगस्त, 1979, दिनांक 28 जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर रखी गई थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम् विधान सभा के विघटन के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 31 अगस्त, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-8225/दस-9(213) 77-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-1979, दिनांक 31 अगस्त, 1979, जो दिनांक 28 जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर रखी गई थी, तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम् विधान सभा के विघटन के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-घ की उपधारा (8) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 7 दिसम्बर, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित :—

(1) विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-10852/दस-6-(23)/79-उ0प्र0 अधि0 15/48-आदेश-79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979,

(2) विज्ञप्ति सं0 एस0-टी0-2-10853/दस-6-(23)-79-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979, एवं

(3) विज्ञप्ति सं0 एस0-टी0-2-10854/दस-9(213)-77-उ0प्र0 अधि0-15/48-आदेश-79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979, जो दिनांक 28 जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम् विधान सभा के विघटन के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 7 दिसम्बर, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-10855/दस-6(23)-79-उ0 प्र0-अधि0-5/48-आदेश-79, दिनांक 7 दिसम्बर,

1979 जो दिनांक 28 जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर रखी गई थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम् विधान सभा के विघटन के कारण पूरी नहीं हो सकी है को, उत्तर प्रदेश बिक्री–कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–घ की उपधारा (8) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हू ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981†

वित्त राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री काशी नाथ मिश्र––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 †

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बैजनाथ कुरील––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुर:स्थापित करता हूं ।

[समय 12.35 अपराह्न]

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, अलीगढ़ के बारे में मैंने एक कार्य स्थगन दिया है उसके बारे में सुन लें ।

अनेक सदस्यों के खड़े होने पर (शोर)

---

†दिनांक 5 फरवरी, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठ जांय, उसके बाद कुछ प्रारम्भ हो ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

31 जनवरी को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर में घुसकर हमारे उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी० न जो बर्बरतापूर्वक और निरंकुश व्यवहार किया है वह प्रशासन के लिये कलंक है । 7 विद्यार्थी केवल झरना दे रहे थे अपनी मांगों के लिये । उनकी मांगें केन्द्र सरकार से थीं उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । किन्तु जिस तरह से ढाई तीन सौ लड़कों को गिरफ्तार किया गया ह जबरदस्ती, विश्व-विद्यालय के परिसर में घुसकर जिस प्रकार से गिरफ्तारियां की गई है वहां विद्यार्थी इतना आतंकित हैं कि आज भी प्लेटफार्म और धर्मशालाओं में पड़े हुये हैं । मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है इसकी ग्राह्यता के बारे में में केवल दो बात कहना चाहूंगा ।

मान्यवर, आप कह सकते हैं कि यह मामला ऐसे विश्वविद्यालय का है जो केन्द्रीय सरकार के अधीन है इस पर विचार नहीं हो सकता है । मैं इस सम्बन्ध में पूर्व दृष्टांत की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । उत्तर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णयों का संहत संकलन जो है मान्यवर, इसके पृष्ठ 166 पर आप देखें इसमे लिखा है 43--केन्द्र द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में शान्ति व्यवस्थापन से सम्बन्धित विषयों पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है । मान्यवर, उसके अन्त में देख लें "संविधान के अनुसार प्रदेशीय सरकार का अधिकार व्यवस्था कायम करने का था तो उस व्यवस्था को उन्होंने कायम किया है । उस व्यवस्था के सम्बन्ध में अगर माननीय सदस्य कोई बहस करना चाहें, म पूरी रूलिंग नहीं पढ़ना चाहता हूं सदन का समय क्यों बेकार में जाये मान्यवर. . .।

श्री अध्यक्ष--

आप विस्तृत होते जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आगे आप पृष्ठ 163 पर देखें इसमें लिखा है क्योंकि मेरे खिलाफ यह बात कही जा सकती है कि सामान्य चर्चा हो रही है और आज जनरल डिस्कसन का जवाब भी आने वाला है तो इसको कहा जा सकता है और इसलिये इस पर कार्यस्थगन नहीं लाया जा सकता है । 36--आय-व्ययक पर विवाद के दिनों में केवल उन्हीं विशेष महत्व के कार्य-स्थगन प्रस्तावों को विवाद के लिये स्वीकार किया जा सकता ह जिनके बारे में अध्यक्ष को यह आभास हो जाय कि आय-व्ययक के विवाद में उन प्रश्नों को उठाया नहीं जा सकता है । मान्यवर, यह आपके विवेक पर है । मैं इसका स्पेसिफिक उत्तर चाहता हूं । वहां पर विद्यार्थियों में बड़ा असंतोष है । यह ज्वाला पूरे प्रदेश में फैल सकती है । मान्यवर, मेरी प्रार्थना ह इस अविलम्बनीय प्रश्न पर चर्चा अवश्य करा दें । मान्यवर, सवाल 18 हजार विद्यार्थियों का नहीं है सवाल इस बात का है कि पुलिस ने किस प्रकार से विद्यार्थियों को मारा-पीटा और उनको रौंदा है ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, इससे पूरे प्रदेश में आग लग सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

सूबेदार सिंह जी, आपकी नोटिस नहीं है जिसकी है उसको कहने दीजिये ।

*श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, इस विषय को मैं 2 मिनट में बता देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

दो नहीं एक मिनट में कहिये ।

श्री ख्वाजा हलीम--

जनाबेवाला, वहां पर किस हालत में घटना चल रही है और उनके अन्दरूनी मामलों के संबंध में वी० सी० दो बार दिल्ली गये उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरदस्ती इन्टरफियर करके उन छात्रों पर क्रिमिनल ऐक्ट लगाया । जब कि ऐसा कहीं नहीं हुआ है । बनारस में डीन को पीटा गया । 65 से बराबर यह सरकार इस युनिवर्सिटी के किरदार को समाप्त करना चाहती है इसीलिए ऐसा किया जा रहा है । मान्यवर, अखबार में दिया है "बट फार दि एलेज्ड इन्टरफियरेंस आई डी० एम०, आर० आर० शाह इन अफेयर्स ह्विच वेयर क्लीयर्ली बियांण्ड हिज पर्व्यू" । पुलिस युनिवर्सिटी में घुसी और वहां के छात्रों को पीटा, बन्द किया । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार करें ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

एक छोटी सी मक्खी को भगाने के लिए इस शासन ने तलवार का प्रयोग किया है जिससे इस प्रदेश के सारे छात्रों में असंतोष व्याप्त हो गया है और उसके समर्थन में कार्यवाही को प्रारम्भ कर दिया है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे समुचित जानकारी है कि वहां इस प्रकार का कर्फ्यू लगा दिया गया है कि अगर कोई मां-बाप अपने बेटे को ढूंढना चाहे तो ढूंढ नहीं पा रहा है । छात्रों को छात्रावासों से ले जाकर कहां फेंक दिया गया है, किसी को इसकी जानकारी नहीं है, अगर वह टेलीफोन पर बात करना चाहे तो प्रशासन द्वारा उस पर भी रोक लगा दी गई है । ऐसी स्थिति में यह चर्चा का विषय है । आप इसको अवश्य स्वीकार करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं स्वयं वहां गया था । डी० एम० और वी० सी० से मिला था । 30-29 को वहां के कुछ छात्र नेता वी० सी० से मिलने गये थे । वहां उनसे बदतमीजी से पेश आया गया और उनसे कहा गया कि तुमको उठाकर बाहर फेंक दूंगा । इस पर कुछ झगड़ा हो गया । 452 का मुकदमा उनके खिलाफ कायम होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

श्री नरेन्द्र सिंह को सुनकर मैं माता प्रसाद जी को सुनूंगा तब मैं इस पर निर्णय दूंगा । आप बहुत थोड़े में अपनी बात कहें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेन्द्र सिह--

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट खण्डपीठ की मांग तो पुरानी है । इस सदन में पिछली सरकार ने, श्री बनारसीदास जी की सरकार ने और श्री नारायण दत्त जी की सरकार ने निर्णय लिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना होनी चाहिए लेकिन इसकी बराबर उपेक्षा होती रही है । यह मामला बराबर आन्दोलनों के रूप में पश्चिमी उ0 प्र0 में उठता रहा है ? दिनांक 25-1-81 को मुरादाबाद, मेरठ मण्डलों की बार एसोसियेशन्स के प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों तथा विधायकों की मेरठ में सभा हुई थी । कांग्रेस (आई0) के विधायक भी उसमें सम्मिलित थे । सर्वसम्मति से तय किया गया कि खंड पीठ की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिय । इस मांग को लेकर मेरठ, मुरादाबाद आदि की अदालतें आज बन्द हैं और इससे बड़ा जन रोष है । वहां के वकीलों में भारी असन्तोष है । मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इसके बारे में कोई वक्तव्य दे । मान्यवर, आप नियम 52 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा दें । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर निश्चित रूप से वक्तव्य दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, हमारा बस्ती जिला बहुत पिछड़ा जिला है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बहुत थोड़े में कहिये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, पहले ये गांव बाढ़ में डूब गये, पिछले साल सूखा पड़ा । इस बार जब फसल बनकर तैयार हुई तो बाढ़ आ गई । अबकी बार जब फसल तैयार होने को हुई तो ओला पड़ा और सारी फसल नष्ट हो गई । लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, जानवर भूख से मर रहे हैं । लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं । पेड़ों के पत्ते भी सूख कर टूट कर गिर गये हैं । मैंने जब जिलाधिकारी से, अधिकारियों से सम्पर्क किया तो जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे पास कोई धन नहीं है । जब आदमी के घर में खाना न हो, वह भूख से मर रहा हो तो इससे अधिक महत्वपूर्ण विषय क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । मेरे समक्ष कार्य-स्थगन प्रस्ताव की 4 सूचनायें आई थीं, एक श्री नरेन्द्र सिंह जी की थी जिसका विषय था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंड पीठ की स्थापना को लेकर मेरठ, मुरादाबाद आदि मण्डलों की जनता एवं बार एसोसियेशन्स द्वारा दिनांक 3, 4, 5 फरवरी, 1981 को सभी स्तरों पर न्यायालयों का बहिष्कार करने से उत्पन्न विषम स्थिति के सम्बन्ध में । दूसरा माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री खाजा हलीम का प्रस्ताव था जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस जुल्म, 300 छात्रों की गिरफ्तारी तथा अघोषित कर्फ्यू से जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की बस्ती जनपद में विगत तीन वर्षों से लगातार बाढ़, ओला, सूखा की विषम स्थिति के फलस्वरूप खाद्यान्न के अभाव में विकास खंड, इटवा के ग्राम देउली के श्री सन्नम पुत्र श्री फौजदार की 22 जनवरी, 1981 तथा श्री भिन्ना पुत्र जोखू की दिनांक 24

जनवरी, 1981 को मृत्यु होने तथा भुखमरी के कारण ग्रामीणों के पलायन के विषय में थी। चौथी, श्री राम आसरे शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश फार्मासिस्टों द्वारा 2 फरवरी, 1981 से अनिश्चितकालीन हड़ताल किये जाने से उत्पन्न विषम स्थिति के सम्बन्ध में थी। इस विषय पर नियम 301 में भी एक सूचना थी, जो स्वीकार हो गई थी। श्री नरेन्द्र सिंह जी का प्रस्ताव और श्री माता प्रसाद पान्डेय का जो प्रस्ताव है वह जो चर्चा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही है उसमें यह विषय लाया जा सकता था। दूसरी सूचना अलीगढ़ विश्वविद्यालय की थी, इस सम्बन्ध में मैं शासन को वक्तव्य देने का निर्देश देता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

[समय 12·50 अपराह्न से]

श्री अध्यक्ष—

अब धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरी एक विशेषाधिकार की सूचना है।

श्री यदुनाथ—

मद संख्या 15 छूट गई है भूल से। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। एक मिनट सर।

श्री अध्यक्ष—

आपका हाउस इतने गौरवान्वित ढंग से चल रहा है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई नहीं।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, आपने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, मैं इस सदन में एक ऐतिहासिक बात बतलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। जब विदेश की फौज आकर किसी देश पर आक्रमण करती है और जब वह वहां से पलायन करती है तो वह वहां के जितने भी पानी के तालाब हैं, कुये हैं, या और जो भंडार हैं, उनको नष्ट करती चली जाती है। मान्यवर, मैं इसकी तुलना हिटलर से देते हुये कहना चाहता हूं कि हिटलर का जर्मनी में शासन हुआ। उसको 28 वर्ष लगे जर्मनी को नष्ट करने में। लेकिन मान्यवर, हमारी पिछली सरकार ने विदेशी फौज की तरह का व्यवहार हमारे देश और प्रदेश के साथ किया और जर्मनी वाले हिटलर को मात कर दिया। उसको नष्ट करने में 28 वर्ष लगे थे लेकिन इन्होंने 28 महीनों में देश को नष्ट करके जमीन के नीचे लाकर रख दिया। जो देश में अन्न का भंडार था उसको नष्ट कर दिया, जो देश में स्वर्ण का भंडार था, जो सैकड़ों टन सोना था जिसको हमने अपने शासन में इकट्ठा करके रखा था उसको अपने नष्ट कर दिया। इसके अलावा जो दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं जैसे पेट्रोल, डीजल के जो भंडार थे वह भी आपने समाप्त कर दिया और साथ ही साथ अरब देशों से जो मित्रता करके हम जो पेट्रोल, डीजल मंगाया करते थे उसकी आयात की सीमा खत्म कर दिया जिससे वह

†दिनांक 30 जनवरी 1981 की कार्यवाही से।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा--]

बहुत थोड़ी मात्रा में आने लगा । जो विदेशों में इस देश की प्रतिष्ठा थी वह भी इन्होंने समाप्त कर दी। जो देश पूरे संसार में 5व और छठे स्थान पर था वह इनके कारण 15वें और 16वें स्थान पर आ गया । इस थोड़ी सी अवधि में जो हमारा शासन लौट कर आया और माननीय विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने यहां का चार्ज संभाला । इस थोड़े से समय के अन्दर हमने क्या किया इसको मैं बतला देना चाहता हूं जिससे हमारे विरोधी दल के भाई हमारे धन्यवाद के प्रस्ताव पर हमारे साथ अपनी सहमति प्रकट कर सकेंगे ।

मान्यवर, गन्ने के सम्बन्ध में बार-बार बतलाया गया है, तीन रुपये क्विंटल गन्ना बिका, गन्ना कृषकों ने नष्ट कर दिया । हमने पहली बार संभवतः पूरे देश में सबसे ऊंची कीमत दी है 23 रु0 क्विंटल और साथ ही साथ गन्ने की नई फैक्टरियाँ खोलने जा रहे हैं । जो गन्ने की फैक्टरियां हैं उनका हम प्रसार भी कर रहे हैं जिससे किसानों का गन्ना समय के अन्दर पूरी मात्रा में पेरा जा सके । जो आपने अन्न के भंडार नष्ट कर दिये थे उनमें हमने फिर से भंडारीकरण करना प्रारम्भ कर दिया है । इतना ही नहीं पूरे देश और प्रदेश में नये-नये अन्न भंडार खोले जा रहे हैं । मान्यवर, जो मिट्टी की अनगिनत सड़कें यह बनाकर छोड़ गये हैं, उन सड़कों का गिनना भी बहुत मुश्किल है, जहां चाहा मिट्टी डाल दी गई और उसको कह दिया गया कि हमने सड़क बना दी है । मान्यवर, सारा अन्न इनकी सरकार ने समाप्त कर दिया, उपजाऊ मिट्टी समाप्त कर दिया और उसका नाम दे दिया सड़कें, जो कि अधूरी हैं । हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आप देखेंगे कि बजट में उसके लिए प्राविधान किया गया है जिससे बहुत कुछ हम उनको पक्का कराने का प्रयास करेंगे जिससे इनके किये हुये कार्य, जो बालू की दीवार खड़ा किया था उनको संभाल कर जनता के इस्तेमाल के लिए, उपयोगी हो सकें ।

मान्यवर, हमारी सरकार गेहूं का अच्छा मूल्य देने का प्रयास कर रही है । इसी तरह हमने पहले भी आलू के अच्छे दाम देने के लिए मांग किया था और आज फिर मांग कर रहा हूं कि आलू के अच्छे मूल्य दिये जायें । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू अच्छी मात्रा में पैदा होता है, इसलिए उनको अच्छे मूल्य आलू के दिये जायें । हमारी सरकार इस वर्ष इस दिशा में नये 150 कोल्ड स्टोरेज खोल रही है । सबसे बड़ी बात सरकार ने 7-8 महीनों में जो किया है वह यह है कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग के मन में एक आशा की किरण पैदा किया है जिससे वह महसूस कर रहे हैं कि वह एक सभ्य देश

(इस समय 12 बज कर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

में रह रहे हैं और उनको संरक्षण प्राप्त हो गया है कि कानून की सरकार अब चलेगी, लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी । इस थोड़े समय में हरिजनों को सताने की थोड़ी घटना हुई है । मान्यवर, अपने क्षेत्र में सेखूपुर एक गांव है उसमें हरिजनों पर एक कातिलाना हमला किया गया जिसमें एक हरिजन मारा गया और कई के घर जला दिये गए । उसमें लोकदल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमला किया और हरिजनों को मारा पीटा गया था । जो मर गया था उसका शव हमने जलवा दिया । इतना ही नहीं जनता सरकार के पहले 30 वर्षों में जितना हमने मेहनत किया था उसको 30 महीनों में जनता सरकार ने बरबाद कर दिया । इतिहास बताता है कि शाहजहां ने ताजमहल को 20 वर्षों में बनवाया था लेकिन उसको यदि तोड़ा जाये तो 5 वर्ष लगेंगे लेकिन धन्य, है 30 वर्ष देश को हमने

बनाया था लेकिन ढाई वर्षों में ही इन्होंने समाप्त कर दिया जिसके लिए इनको फर्स्ट प्राइज मिलना चाहियें ।

मान्यवर, आज प्रदेश में एक आशा की किरण बंधी है क्योंकि पिछले 3 वर्षों के आंकड़े देखें तो जो अपराधों की दंगों फसादों की गिनती थी वह घट कर कम हो गयी है । इसके साथ ही हम महसूस करते हैं कि प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है और उद्योग में हम आगे बढ़ रहे हैं । मान्यवर, इनके शासन काल में विद्युत् गृह जो थी उनकी सफाई तक नहीं हुई थी । तीन चार साल के जो गंदे थे उनकी सफाई हमको करानी पड़ रही है जैसे ओवरा विद्युत् गृह । इसी तरह मान्यवर, इनकी सरकार में टरबाईन तक ठीक नहीं किये गये थे, जो विदेशों से आयात किये जाते हैं, उनकी यह रखवाली तक नहीं कर सके लेकिन हमारी सरकार ने प्रयास करके बिजली की एक सीमा बांध दी है जिससे बिजली आ रही है । थोड़ी कठिनाई है जिसके लिए मैं राज्यपाल महोदय और मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह ध्यान रखें कि बिजली में थोड़े सुधार की जरूरत है जिससे किसानों को अपने कार्यों के लिए बिजली बराबर मिलती रहे । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको मान्यवर, धन्यवाद देता हूं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के भाषण पर जो बहस चल रही है उसके सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में जनता और लोकदल की सरकारों को कोसा है और उन्होंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जो भी प्रशासन में खराबियां आयी हैं वह जनता और लोकदल की सरकारों की देन हैं । मान्यवर, यह भी कहा गया है कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आयी हुई अस्थिरता, चीजों के बढ़ते हुए दाम, आर्थिक स्थिति में ह्रास तथा मुद्रास्फीति से जनता त्रस्त रही ह । तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में केवल ढाई साल जनता और लोकदल की सरकारें रही हैं । परन्तु 30 साल केवल एक ही पार्टी की सरकार, इन्दिरा कांग्रेस की सरकार और उनके स्वर्गीय पिता श्री नेहरू जी की सरकार ने शासन किया है । इन सब बातों के कहने के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी 30 तारीख को मैंने एक प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में जो जवाब आया था उसको पहले मैं बताता हूं । मेरा प्रश्न था कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी क्या है तो बताया गया कि 1975-76 में प्रति व्यक्ति औसत आय 481 रु0 थी, 1976-77 में 497 रु0 थी, 1977-78 में 5 1 रु0 थी तथा 1978-79 में 509 रु0 थी । मैं इसलिए इसका जिक्र करना चाहता हूं कि सन् 1975 से 1977 तक कांग्रेस सरकार रही और उस जमाने में 491 और 487 रु0 प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी थी और ढाई साल जनता तथा लोकदल की सरकारें रहीं जब कि प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 501 और 509 रु0 रही । इस हिसाब से भी जाहिर होता है कि जनता सरकार के जमाने में प्रदेश की हालत सुधरी है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में इस वर्ष कोई नयी बात नहीं कही है, वहीं पहले वाली बातों को दोहराया है । योजना प्रणाली में सुधार करने की बात कही है । ग्राम्य विकास के लिए एकीकृत ग्राम्य विकास का कार्यक्रम तथा समादेश क्षेत्रीय विकास योजनाओं को सुदृढ़ करने की बात कही है । इस उद्देश्य से प्रदेश के विकास खण्डों में "ट्राइसेम" योजना का जिक्र किया है । इन सभी प्रकार की योजनाओं के नाम गिनाये हैं । प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए स्कूलों की मरम्मत और बी0 ए0

[श्री प्रदीप कुमार यादव—]

की पढ़ाई को दो वर्ष के बजाय 3 वर्ष का करके डिग्री देने का जिक्र किया है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी माननीय कई राज्यपालों ने अपने भाषण में इस माननीय सदन में ऐसी बातें कही हैं, उन्हीं बातों को इस भाषण में भी दोहराया गया है, कोई नई बात माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में नहीं कही है।

नलकूपों की बात कही गयी। तो मान्यवर, 425 निर्वाचन क्षेत्रों में यानी एक-एक विधायक के क्षेत्र में मुश्किल से सवा तीन नलकूप पड़ते हैं और इसी प्रकार स्कूल मुश्किल से सवा के औसत पर आते हैं। परन्तु मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा भारी चमत्कार होने वाला है। राज्यपाल के भाषण में बताया गया कि इनकी सरकार योजना प्रणाली में एक मौलिक परिवर्तन करेगी। तो क्या मौलिक परिवर्तन से बी० ए० की दो साल की पढ़ाई के बजाय तीन साल की पढ़ाई से आनर्स की डिग्री देने से हो जायेगा? सही है कि कभी नहीं होगा। शिक्षा का सुचारु रूप से व्यवस्था करना होगा, डिग्रियां बांटने से नहीं। कितने स्कूलों के भवन मरम्मत के लिए खड़े हैं प्रदेश में? तो कम से कम 10 साल के लिए कानून और कला की डिग्रियों को देना बन्द करना होगा। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में अमीरी और गरीबी के दो प्रकार के जो स्कूल चल रहे हैं, उनको आमूल समाप्त करना होगा और पूर्व प्राइमरी एजूकेशन और प्राइमरी एजूकेशन के स्तर में समानता लानी होगी। प्राइमरी एजूकेशन के पहले जो पूर्व प्राइमरी एजूकेशन है जिसके जगह-जगह मान्टेसरी स्कूल चल रहे हैं और जिसमें बड़े-बड़े लोगों के बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं गांव के बच्चे जब इस स्कूल में आते हैं तो नतीजा क्या होता है कि शिक्षा के स्तर में यह अलगाव की भावना बराबर बनी रहती है। यह अलगाव की भावना तब तक बनी रहेगी जब तक शिक्षा में कोई आमूल परिवर्तन नहीं होता। शिक्षा इस प्रकार की हो जिसमें प्रधान मन्त्री का लड़का, मुख्य मन्त्री का बेटा, मंत्रियों के बेटे और अन्य लोगों के बेटे जो गांवों में रहते हैं एक ही स्कूल में जा कर पढ़ाई का काम करें। तभी जाकर समानता का वातावरण पैदा हो सकता है।

मान्यवर, इस संबंध में मैं आपका ध्यान यूनाइटेड नेशन्स आरगनाइजेशन की रिपोर्ट की ओर ले जाना चाहता हूं कि क्या हालत आज दुनिया की है? दुनिया में लगभग एक अरब के पास ऐसे लोग हैं जिनका जीवन स्तर गरीबी की रेखा से नीचे हैं कहने का मतलब यह है कि जिन्दगी और मौत के बीच वे जी रहे हैं और अपने देश की बुरी हालत है। अपने देश में गरीबी से नीचे जीने वालों की संख्या करीब 44-45 करोड़ है। जहां तक खुराक का ताल्लुक है, इस रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को मुश्किल से 6-7 छटांक प्रति दिन की खुराक बैठती है जब कि जो अगुवा लोग हैं, साहब वर्ग के लोग हैं, उनकी ज्यादा बैठती है। जब तक इस समाज में जिन्दगी और मौत के बीच जीने वाले लोगों की हालत नहीं सुधरेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस सिलसिले में आप से कहना चाहता हूं कि इस देश में एक नई व्यवस्था लाने की आवश्यकता है जिससे की गरीबों की हालत सुधरे।

इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल स्टेटिसटिकल आरगनाइजेशन की रिपोर्ट की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आज समाज में पूंजी का केन्द्रीयकरण हो रहा है और जो लोग गांव में रहते हैं शहरों में रहने वालों के मुकाबले उनको सुविधायें कम मिलती हैं और जो लोग

शहरों में रहते हैं उनको सुविधायें अधिक मिलती हैं जैसे उन को रहने की सुविधा बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, पढ़ने की सुविधा अधिक अच्छी तरह से उपलब्ध होती है। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की जो आर्थिक विषमता आज समाज में फैली है जब तक उस विषमता को दूर नहीं किया जायगा उस समय तक प्रदेश तरक्की के रास्ते पर नहीं पहुंच सकता। इस सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं कि 1974 में अंतर था वह 1:2 था जो 1971 में 1 : 4 हो गया।

मान्यवर, सरकार प्रदेश और देश में पंचवर्षीय योजनायें बनाती चली जा रही है और इन पंचवर्षीय योजनाओं का ढिंढोरा पीटती चली जा रही है कि इन योजनाओं के माध्यम से हम देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1971 में साक्षरता शहर में 52 प्रतिशत थी और देहात में रहने वाले लोगों की साक्षरता 23 प्रतिशत थी। जहां तक मृत्यु का सवाल है, शहर में हजार पीछे 9 व्यक्ति मरते हैं और देहात में 16। इस असमानता को कैसे दूर किया जाय, इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि इसको दूर करने के लिए यह जरूर है कि साहब वर्ग के लोगों को जो आमदनी खर्च है उस में पाबन्दी लगाई जाय और जो पैसा बचे उसे छोटे-छोटे कल कारखाने खेती के उत्पादन के लिए उसमें लगाया जाय जिससे समाज के जो नेगलेक्टेड लोग हैं उनकी हालत में सुधार हो सकता है।

मान्यवर, इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान एक एडीटोरियल की कि "अमृत प्रभात" में छपा है, की ओर दिलाना चाहता हूं। उसका जिस्ट यह है कि गत एक वर्ष के शासन ने सभी वर्गों के लोगों में केवल निराशा को ही जन्म दिया। श्रीमती गांधी ने सत्तासीन होने के पहले वायदा किया था कि वे ऐसी सरकार लायेंगी, जो "काम करेगी"। पर इस सरकार ने कोई भी "काम" तो नहीं दिखाया "काम" के नाम पर केवल नौकरशाहों का उखाड़-पछाड़ा होता रहा। शेष क्षेत्रों में प्रशासन की निष्क्रियता ने स्थिति को बद से बदतर बना दिया। मंहगाई अत्यधिक बढ़ी--सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि 13 प्रतिशत बढ़ गई। गेहूं का भाव सवा दो रुपये किलो, शकर का भाव 8 रुपये किलो और गुड़ 5 रुपये किलो, दालें साढ़े चार से पांच रुपये किलो। कैसे जी रहे हैं लोग, यह देखने वाला कोई नहीं है। मान्यवर, यह प्रशासन की हालत है।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, आज सुबह प्रश्नकाल में आपने देखा माननीय बहुगुणा जी जो मुख्य मंत्री जी की तरफ से जवाब दे रहे थे उन्होंने सही बात को भी स्वीकार नहीं किया। इससे साफ जाहिर हो है कि अपने प्रशासन का काम किस तरह से चलेगा। जब शासन चलाने वाले लोग ही सही तथ्यों को छिपाते हैं तो यह सत्यानाश होने की ही बात है।

मान्यवर, जो खाद्य वितरण के सम्बन्ध में प्रणाली आजकल है उसकी ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सदन के सब सदस्य जानते हैं कि आज गिरानी की वजह से आम जनता कराह रही है। मंहगाई बढ़ती जा रही है। निरंकुश होती जा रही है। सरकार दुकानों में जो सस्ते खाद्य पदार्थ, चीनी, तेल आदि मिलता था उन पर पिछले दो महीनों से मुसलसल कोई सामान नहीं है। लोग भूखों मर रहे हैं और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। मुख्य मंत्री जी ने 10-12-1980 को एक बयान दिया था और कहा था कि राशन की दुकानें खाद्यान्न से भर दी जायेंगी। अगर उन्होंने यह कहा था तो उनको अवश्य अपने बयान पर दृढ़ रहना चाहिए और उसे करना

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

चाहिए । उन को यह भी देखना चाहिए कि आज लोगों के साथ और जन जीवन के साथ क्या हो रहा है । इसको देखने वाला आज कोई नहीं है । उसमें यह भी कहा गया था कि हम खाद्यान्न वगैरह का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से करायेंगे । यह कोई नई चीज नहीं है । सहकारिता विभाग बहुत पुराना विभाग है और सब लोग जानते हैं कि जितना भ्रष्टाचार इस विभाग में है उतना किसी अन्य विभाग में नहीं है । यह अच्छी बात है कि सहकारी समितियों के माध्यम से आप वितरण करवायेंगे लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए । इससे पहले भी महामहिम राज्यपाल के भाषण हुये थे और यही बातें उन्होंने भी कहीं थी लेकिन आज देश और प्रदेश की हालत बिगड़ती जा रही है । लोगों को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हो पाता है । इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान कानून और व्यवस्था की ओर ले जाना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

(सदन की घड़ी की ओर इंगित करते हुये) मैं भी आपका ध्यान कानून व्यवस्था की तरफ ले जा रहा हूं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, अभी तो 20 मिनट हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्यवस्थित हो जायं, तो जल्दी हो जायेगी ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

सम्मानित सदस्य जानते हैं कि आज देश और प्रदेश में कानून की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देश और प्रदेश में बलात्कार की घटनायें घट रही हैं और यह पुलिस कर रही है, यह बड़े शर्म की बात है । मंत्रीगण अखबारों में पढ़ते होंगे लेकिन उसको रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे कि ट्रेन, डकैती और बस की डकैती आये दिन का धन्धा हो गया है । लोगों का कत्लेआम भी किया जाता है और लोगों की सम्पत्ति लूटी जाती है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि निहत्थे छात्रों और वकीलों तथा श्रमिकों पर सरकार जब चाहती है पुलिस के माध्यम से पिटवाती है ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी पुलिस कितनी बहादुर है कि यह गरीब और मजदूरों के ऊपर लाठी और डंडा बरसाती है और बड़े लोगों के सामने झुक जाती है इसके लिए मैं आपको दिल्ली का हवाला देना चाहता हूं । आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में राज्य मंत्री श्री भगवत झा आजाद के मकान में एक बदमाश जाता है और उनके संतरी पर हमला करता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है और उस आदमी की इतनी हिम्मत कि मंत्री के घर में जाकर छानबीन करके कहता है मंत्री जी कहां हैं अगर वह पाखाने में न दुबके होते तो उनका भी वह कत्ल कर देता । तो आपकी पुलिस कितनी बहादुर है इस सिलसिले में मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं । इसी लखनऊ में दिसम्बर के महीने में एक घटना घटी एक शाहिद नाम के व्यक्ति को जब पुलिस लेकर

बस में चली, उसके साथ तीन सब-इंस्पेक्टर असलहा सहित थे और 5 पुलिस के सिपाही भी असलहा सहित थे । रास्ते में 10 लोग मोटर साइकिल पर सवार होकर तेजी से आते हैं और उस बस को रुकवाते हैं और उसमें चढ़ जाते हैं और पुलिस वालों के सामने उस मुलजिम को, जिसको पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं, मार देते हैं । तो यह कितनी शर्मनाक बात है लेकिन वह सब मूकदर्शक बन कर देखते रहते है । मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस वाले किस तरह आज बहादुर हैं जो निहत्थे गरीब और मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए मांग करते हैं उन पर कुठाराघात किया जाता है उनके हाथ पैर तोड़ दिये जाते हैं ।

राज्यपाल महोदय, ने कहा है कि इस सरकार ने 5, 6 महीने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और चारों तरफ अमन चैन हुआ है, दूध की नदियां बह रही हैं । मेरे पास यह एक माया पुस्तक है जो इलाहाबाद से छपती है इसमें कहा गया है जिसके लिए राज्यपाल महोदय ने कहा है कि 6 महीने में वह स्वच्छ प्रशासन लाये हैं और आगे भी इसकी व्यवस्था करेंगे, उसी के सम्बन्ध में मैं कह रहा हूं कि आप इस पुस्तक के पृष्ठ 88 से 93 तक देख लें उससे आपको पता चल जायेगा उसमें अब्दुल रहमान नश्तर, विद्याभूषण, यशपाल सिंह, राम सिंह खन्ना, बलराम सिंह, वीर बहादुर सिंह, ब्रह्म दत्त पर स्पष्ट एलिगेशन लगाये हैं । उसको देखने से स्पष्ट मालूम होता हैं कि यह खबर कहीं बाहर से नहीं मिली है बल्कि मुख्य मंत्री जी के जरिये से यह रिपोर्ट दी गयी है तब उन्होंने यह छापा है अगर उन्होंने न दी हो तो उनके नजदीक बैठने वाले ऐसे आदमी ने जिस पर उनका भरोसा है उसके जरिये यह रिपोर्ट छपी । इस रपट को या तो मुख्य मंत्री जी ने छपवाया है या उनके सहयोगी ने छपवाया है ।

एक सदस्य--

यह मिथ्या आरोप लगा रहे हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

जिसको पूरा अधिकार है कि कानफिडेंसियल कागज देख कर खबर दे इसमें क्या कहा गया है ? इसमें कहा गया है कि इस वर्तमान मंत्रि मंडल के जो सदस्य हैं, वह तस्कर, चोर, रिश्वतखोर हैं और डाकुओं को पनाह देने वाले गिरोह के लोग हैं । तो मेरा चार्ज है कि इन सारी चीजों की आप जांच करायें वरना देश क्या कहेगा और हमारा देश कहां जाएगा । यह 'माया' नामक पुस्तक पूरे देश और प्रदेश में पढ़ी जाती है । यह सदन देश का आईना है और यदि देश के आइने में उसके बनाने वालों की सूरतों को देश की जनता देखेगी तो वह क्या कहेगी । वह कहेगी कि यह हमारे नेता देश को कितनी बड़ी तबाही की ओर लिये जा रहें हैं तो मेरा निवेदन है कि आज जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, आप उसको सहर्ष गिरा दें । मुझे फिलहाल इतना ही कहना था ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूं । महामहिम के अभिभाषण पर जो सम्मानित सदस्य विमल प्रसाद तिवारी जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । मान्यवर,

[श्री श्याम लाल वाजपेयी—]

महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में हमारे सम्मानित साथियों ने जो विचार व्यक्त किया है, मैं उनका विरोध करता हूं। मान्यवर, जिस समय इस देश और प्रदेश के अन्दर सारे राजनैतिक दल टूट रहे हैं और उनके टूटने के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में एक अराजकता का वातावरण फैल गया है, उस समय देश में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना जो भाषण दिया है, वह अन्धकार में एक प्रकाश की तरह है। मैं अपने विरोधी दल के साथियों से कहूंगा कि विरोध करने के लिए ही आप विरोध न करें, बल्कि यह देखें, उन हालत में जब आपके नीचे की धरती खिसक चुकी है, आप कहां स्टैंड नहीं करते हैं और जो व्यवस्था आपने इस प्रदेश को दी थी। एक टूटी हुई व्यवस्था जिसका संचालन अभी कुछ समय पूर्व माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने सम्हाला और उस संचालन के तहत जिस तरह से प्रशासन का संचालन हो रहा है, उसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देनी चाहिये।

मान्यवर, इसमें दो राय नहीं हैं कि हमारे कुछ विरोधी दल के साथियों ने जो कुछ सुझाव दिये हैं वह मानने योग्य हैं और उन्हें हमारे शासन को मानना चाहिये। क्योंकि शासन का मुख्य कार्य है कि वह जनता की कठिनाइयों को सुने जहां तक हो सके उसे दूर करने का प्रयास करे। लेकिन जहां तक उनका यह तर्क है कि प्रशासन बिल्कुल अकर्मण्य हो गया है, मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि शासन का रस वह भी चख चुके हैं, शासन में आने के बाद कितनी और कैसी पीड़ा का अनुभव होता है, किन विषमताओं में काम करना पड़ता है, इसे वह अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि ढाई वर्ष आपने भी शासन किया है। देश की व्यवस्था ऐसी है, जिसमें हम जकड़े हुए हैं जिस तरह आप उसमें बन्दी थे, उसमें हम भी बन्दी हैं। उन अड़चनों और व्यवस्थाओं में जिस तरह का प्रशासन हम कर रहे हैं, उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है और उसका प्रशासन सराहनीय है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्तर से नीचे उतरकर एक छोटी सी बात के लिए सदन का ध्यान आकर्षित किया, जिसकी मुझे पीड़ा है। माननीय नेता विरोधी दल ने राज्य के गृह मंत्री श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के बारे में भी कुछ बातें कहीं थीं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें उनसे कहना चाहूंगा, माननीय नेता विरोधी दल से। माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी एक सूझ-बूझ के आदमी हैं, अनुभवी हैं और राजनीतिक जीवन में उन्हें कई गद्दियों का अनुभव है और जहां तक प्रश्न है कि उनके लड़के ने स्कूटर चुराया तो इस तरह की छोटी-मोटी बातें तो नेता विरोधी दल को नजरान्दाज कर देना चाहिये। यदि उसने एक किक मार दिया और स्कूटर लेकर चला गया तो उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी। राजेन्द्र त्रिपाठी को मैं जानता हूं जहां तक उनके व्यक्तिगत मामलों का प्रश्न है, उनका एक दामाद है एस० डी० एम०, हमारे हैदरगढ़ में था जिसको उन्होंने लखनऊ बुला लिया है। मैं जानता हूं कि इस तरह का उनका व्यवहार है लेकिन उनके व्यवहार की तरफ इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिये। लड़कों की बात लड़कों तक ही रहने दीजिए।

मान्यवर, आपके ही माध्यम से मैं अपने लोकदल के सचेतक भाई मोहन सिंह की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप जरा स्वयं श्री सरजू प्रसाद

सरोज की तरफ देखें जिन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने लड़की भगाया। मैं जब विद्यार्थी जीवन में लखनऊ विश्वविद्यालय में था तो यह भी विद्यार्थी थे। मान्यवर, मैं इनकी योग्यता से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं। यह सब कुछ कर सकते हैं मगर वह नहीं कर सकते जो इन पर आरोप लगाया गया है। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार श्री बाबू लाल जी इनसे चुनाव में पराजित हुए और बाबूलाल जी ने दिनांक 18-1-1981 को निर्मला नाम की लड़की को अपने घर बुलाया। उस लड़की ने जो रिपोर्ट की है उसकी नकल यहां मौजूद है, वह कहती है कि रात को मैं अपने पिता के साथ बाबू लाल के घर गयी तो बाबू लाल ने मेरे पिता को लौटा दिया और मेरे साथ गुत्थमगुत्थी करने लगे। तो आप बाबू लाल जी का आरोप इन पर क्यों लगाते हैं ? कितनी भोली सूरत है, जरा देखिये तो, मंत्री बन गया तो क्या हुआ, मंत्री बनना कोई पाप नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह के आप अपने आरोप वापस ले लीजिये।

एक सदस्य--

अब बस करिये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

जरा सुन लीजिये। अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

घड़ी तो भूमिका पर नहीं जाती।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की ओर दिलाना चाहूंगा। उन्होंने इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। मैं और बात तो नहीं करता हूं। एक छोटी सी बात बताता हूं। हैदरगढ़ से मैं जीता और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही हारा। उस क्षेत्र में अराजकता और अशांति पैदा करने वाले कौन लोग हैं। जितने भी वहां पर अवैध हथियार निकले वे सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों से ही प्राप्त हुए। मैं नाम तक बताये देता हूं....।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इन सब बातों की जांच कराई जाये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, कृष्ण कुमार पांडेय नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके यहां से 2 अवैध बंदूकें और बहुत से हथगोले बरामद हुए। एक श्री सुन्दर लाल दीक्षित के सगे साले हैं श्री राम सागर त्रिवेदी, उन्होंने तहसील के प्रांगण में घुसकर नायब तहसीलदार को मारा या नहीं मारा। यह दशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। जांच के आदेश यहां से दिये जाते हैं, जिले में जाते हैं, तो वे ही अधिकारी जांच करने वाले होते हैं तो जांच में क्या होता है ? इसके लिए हमें और आप सब को जो व्यवस्थायें हैं, उनको बदलना है। मैं तो सभी माननीय सदस्यों को दावत देता हूं कि वे सब श्रीमती इन्दिरा गांधी के

[श्री श्याम लाल बाजपेयी--]

झंडे के नीचे आयें और शपथ लें कि हम देश को बनायेंगे । तभी यह देश बनेगा । जहां तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा अभिभाषण नहीं होने वाला है । मैं तो कहूंगा कि इससे प्रकाश लो । यह आपको रास्ता दिखायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा । इसके पहले के भी अभिभाषणों को पढ़ा लेकिन मुझे इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिला । यह एक दम कोरा लगता है । मुझे यह भी लगा कि राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण को उसी मुद्रा में लिखा जिसमें उनका यहां पर आगमन हुआ था । इसे कौंसिल आफ मिनिस्टर ने ही तैयार किया होगा और उनकी तस्वीर क्या है, स्पष्ट होगी कि कोई जमीन चोर, कोई और चोर...

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मवेशी चोर से तो अच्छे रहे होंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मवेशी चोर से भी ज्यादा चोर यहाँ पर लोग मौजूद हैं । कौंसिल आफ मिनिस्टर्स, जो राज्यपाल के सलाहकार यहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें एक दो को छोड़ कर किसी की भी इन्टेग्रिटी मान्यवर ऐसी नहीं है कि जिस पर ऊंगली न उठायी जाय । जिस प्रदेश में मंत्रियों की प्रतिष्ठा और रेप्युटेशन ऐसी रही हो रबर के बबुओं की तरह इस लुंज पुंज मंत्रिमंडल को लेकर पता नहीं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कहां इस प्रदेश को ले जायेंगे ?

(सत्ता पक्ष की ओर से 'मंत्रिपरिषद् फौलादी है" कहे जाने पर)

मंत्रिपरिषद् फौलादी तो नहीं है लेकिन यह बात अवश्य है कि इस प्रशासन में निरीह गरीब लोगों को घरों से निकाल-निकाल कर और काउन्टर दिखाकर, गोली अवश्य मार दी गयी । चाहे गोरखपुर का मसला हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों का मामला हो सब को डंडों से पीटना, हाथ पैर बांधकर संगीन दफाओं में बन्द करना आज की पुलिस का काम रह गया है । "टाइम्स आफ इंडिया" की खबर है कि प्रदेश में एक दिन में ही 10 कत्ल हुए हैं और इटावा में पुलिस डकैतों के मुकाबले में हार जाती है । मासूम बच्चों पर प्रहार करती है । इसी प्रकार जेल अधीक्षक महोदय ने दो लड़कियों के साथ बलात्कार किया । यहां कोई राजा साहब हैं सत्ता पक्ष से उनका सम्बन्ध है उन्हीं के घर की लड़कियां भागी थीं । तो यह स्थिति है । घरे क्षेत्र गांव पहोटिया का कोइरी टोला, गांव घघली में दो नौजवान लड़कों को जो कभी अपराधी नहीं रहे पुलिस उनको पकड़ कर 6 बजे ले गई और जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो आर्म्स ऐक्ट में उनका चालान कर दिया । अपराधी तत्वों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से काउन्टर लेने के बहाने पुलिस निरीह लोगों को सार्वजनिक रूप से उनके घरों से पकड़ कर ले जाती है और गोली से मार देती है । इस प्रकार आपके शासन के सम्बन्ध में लोगों की क्या राय बनेगी । इस पर गंभीरता से आपको सोचना चाहिये । प्रदेश को बनाने का ठेका केवल आप ही ने नहीं लिया है, हमारा भी हक है । विरोध पक्ष भी चाहता है कि उत्तर प्रदेश को विशाल प्रदेश बनाया जाय, गति के रास्ते पर ले जाया जाय । लेकिन आप हमारा सहयोग लेते कहां हैं ? यदि विरोध पक्ष का कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई संस्तुति करता है, तो प्रदेश के किसी कोने में भी बैठा हुआ कांग्रेस (आई०) का कार्यकर्त्ता मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिख देता है जिससे वह कार्य रुक जाता है । मैं उसका सबूत दे सकता हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि कांग्रेस (आई०) कार्यकर्त्ता की दशा आज कल बड़ी दयनीय चल रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह सही है । झांसी कांग्रेस (आई०) कार्यकर्त्ता को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पीटा । आज सार्वजनिक कार्यकर्त्ता का जीवन सुरक्षित नहीं है । इसी प्रकार घुघली, गोरखपुर में थाने के अन्दर और थानेदार के समक्ष विधायक को गोली मारने की धमकी दी गई । यह उत्तरी हेराल्ड में बैनर लाइन में छपा है, 5 जनवरी को मैंने इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था लेकिन आज तक कोई उत्तर मुझे नहीं मिला । अखबार वालों ने बैनर लाइन में यह घटना दी है । इसी तरह से झांसी रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस (आई०) कार्यकर्त्ता को पुलिस पकड़ कर ले गयी और उसको पीटा । वह आदरणीय सदन के सदस्य रह चुके हैं उनको दिन दहाड़े 4 बजे काउन्टर करने की दृष्टि से पकड़ ले गये ताकि उनको गोली मार कर यह दिखाया जा सके कि बदमाशों ने उनको गोली मार दी। इस तरह का गुन्डागर्दी, अराजकता और अव्यवस्था वहां पर फैली हुई है । मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करें । यह प्रश्न विपक्ष का नहीं है, यह प्रश्न इस प्रदेश के जन जीवन से सम्बन्धित है । उनकी अस्मत, सम्मान और जिन्दगी का सवाल है । इस सम्बन्ध में उनको आत्म निरीक्षण करना चाहिये ।

मैं कुछ निवेदन महंगाई के सम्बन्ध में करना चाहता हूं । शर्मा जी ने कुछ मैथमेटिक्स लगाई कि 1977 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया में कितना सोना था और 1979 में कितना सोना था । सोना बढ़ा ही था, घटा नहीं था । इसी प्रकार से महंगाई के सम्बन्ध में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं आंकड़े उनको देना चाहता हूं । रिजर्व बैंक आफ इंडिया का कहना है कि महंगाई 1980 के बाद 13 फीसदी बढ़ी है । वास्तव में महंगाई 45 प्रतिशत बढ़ी है जिसका अनुभव आप भी और हम भी करते हैं । लेकिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट है कि जनता पार्टी के राज्य में पिछली आजादी के 29 साल के बाद 229 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है । प्राइस इस्टेबिलिटी कभी भी नहीं रही है, जितनी कि जनता पार्टी के शासन में रही है । जनता पार्टी के शासन काल में कुछ गड़बड़ी तो हुई, तभी तो उसका नतीजा है कि हम इधर आकर बैठे हैं । लेकिन आपसे आग्रह है कि आप भी वह गलती न करें ।

मान्यवर, अन्त्योदय ऐसा कर दिया कि अन्त्योदय को बैंक में जाना पड़ेगा । मान्यवर, अन्त्योदय वही है जिसके पास कोई हैसियत नहीं है और आपने अन्त्योदय की स्थिति को भी खत्म कर दिया । छोड़िये आप । जो जनता पार्टी ने गल्तियां की हैं, अब उसको आप पूरा

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

कर दीजिए । जो काम पिछले 30 सालों में कभी नहीं हुआ था, गांधी जी के स्वप्नों को साकार करने का काम, जो जनता पार्टी ने शुरू किया, इस काम को आप पूरा कीजिए । गन्ना विकास मंत्री जी ने घोषणा किया कि 10 प्रतिशत से कम अगर किसी गन्ना किसान को दिया जायगा, तो मिल वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी । हुगली मिल, गोरखपुर की बन्द होने वाली है । मजदूर असन्तुष्ट हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है । रिसीवर ने लिखकर दिया है कि उसकी जान-माल सुरक्षित नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी पर तो आप रिकवरी सर्टिफिकेट ईशू कर देते हैं । लेकिन 10 हजार की रिकवरी वहां पर पड़ी हुई है, उसको क्यों नहीं आप रिकवरी सर्टिफिकेट ईशू करते हैं ? जिस प्रकार से गन्ने के पैसे के सम्बन्ध में आप बात करते हैं, उसी प्रकार से मजदूरों को जो पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके सम्बन्ध में भी आपको कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ओझा जी, आपका समय समाप्त ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

एक विस्फोटक स्थिति यह है कि गोरखपुर में गरीबी की रेखा से बहुत नीचे लोग हैं वसूली का आलम यह है कि वहां के 5 हजार किसान लोग तहसील छोड़कर नेपाल दूसरे देश में चले गये हैं । इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जायं । वह तहसील बाढ़ग्रस्त घोषित हो गई है । वहां पर एक व्यक्ति को रेंजर ने मारा । पूरा वन विभाग का कर्मचारी हड़ताल पर है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर तत्काल कार्यवाही करें । जो उधर के बैठे हुए भाई लोग हैं, वह कहते हैं कि जनता पार्टी सी० आई० ए० की एजेंट है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर विदेशी तत्वों का हाथ है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता फिर से उठने लगी है—वह चाहे हिन्दू साम्प्रदायिकता हो, चाहे मुस्लिम साम्प्रदायिकता हो । इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता की कठिनाइयों से कोई बचा नहीं सकता । अभी उर्दू का सवाल है । इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया । अल्पसंख्यकों के लिए, हरिजनों के लिए और दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों के लिए इस राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया । उनके सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री जियाराम शुक्ल विकल "साकेती"—

मान्यवर, आपने जो मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय श्री विमल तिवारी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उस पर जो मुझको बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं । मान्यवर, मैं रचनात्मक सुझावों का आदर भी करता हूं । लेकिन उनके भाषण को सुनने से ज्ञात हुआ कि उन्होंने कहीं भी किसी रचनात्मक बात की तरफ इशारा नहीं किया । मान्यवर, जब अच्छे और रचनात्मक सुझाव दिये जाते हैं तो उनसे

लाभ होता है और मार्गदर्शन मिलता है । लेकिन ऐसी कोई भी बातें नहीं कही गयी थीं ।

इधर हम नयी कल्पना कर रहे हैं,
उधर लोग आलोचना कर रहे हैं,
प्रगति के दिये को बुझाया जिन्होंने,
वही रोशनी को मना कर रहे हैं ।

मान्यवर, यह मानना पड़ेगा कि जनता शासन काल में प्रदेश की उन्नति में ह्रास हुआ है । माननीया इन्दिरा जी ने देश और प्रदेश की प्रगति के लिए जो अच्छी-अच्छी बातें कर रखी थीं, उनको जनता शासन काल में समाप्त कर दिया गया । अब उन कमियों को दूर करने में 4/6/10 महीनें तो लगेंगे ही ।

मान्यवर, कानून की व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बातें कही गयीं । इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था में सुधार हो रहा है । अब पढ़ाई-लिखाई भी कायदे से होने लगी है । तो नार्मल कन्डीशन प्रदेश में आने लगी हैं । कानून व्यवस्था तो मान्यवर, खुद ही इन लोगों की ओर हाथ उठाकर कहना चाहती है कि इन्हीं लोगों ने, इससे आगे क्या कहूं । कानून व्यवस्था जिन लोगों ने बिगाड़ी है, वे ही आज कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं ।

मान्यवर, इसी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रदेश के विकास के लिये जनपदीय योजनाओं को शुरू किया है । मान्यवर, यह पहली बार हमारी सरकार के द्वारा ऐसी बात की गयी है । इसका हम स्वागत करते हैं । अब इन जनपदीय योजनाओं के द्वारा जिलों में उद्योग, नदी पुल और सड़कों आदि के लिये विचार किया जायेगा और प्रभावशाली कदम उठाये जायेंगे ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मजदूरों को उद्योगों में साझेदारी दिया है यह बिल्कुल नया कदम है, इसका भी स्वागत करना चाहिए हमारे माननीय सदस्यों को । यह बहुत बड़ी बात हुयी है । मान्यवर, कम से कम मजदूर तो इस बात की अनुभव करने लगे हैं कि उसका भी कुछ हक है उस क्षेत्र में । और दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार यह प्रश्न उठाया गया। मैं सभी माननीय सदस्यों का इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वे कृपया उर्दू को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग न करें । उर्दू भाषा एक ऐसी भाषा है जो हिन्दी भाषा के एक अंग का काम करती है ।

हर शाना को खमदार गेसू से मतलब,
मुसलमान से मतलब न हिन्दू से मतलब,
ख्यालात अच्छे तो बोली भी अच्छी,
न हिन्दी से मतलब न उर्दू से मतलब ।
हिन्दी भी हमारी है और उर्दू भी हमारी है,
यह भी हमें प्यारी है और वह भी हमें प्यारी है,
एक हाथ में शाना और एक हाथ में आईना,
एक खालिदा खानम है एक राजकुमारी है ।

[श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'—]

इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से अपने माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उर्दू की सेवा के लिए हम जो भी कदम उठा सकते हैं, इसकी उन्नति के लिए उठायेंगे और मान्यवर, इसके साथ ही इस सम्बन्ध में हमारे पास कुछ संशोधन और सुझाव भी हैं, जो आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं । पहला महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि जहां बजट में हर चीज की चर्चा की गयी है, वहीं कलात्मक और सांस्कृतिक उन्नति की ओर कोई चर्चा नहीं की गयी है । इसकी ओर सरकार का कुछ इशारा होना चाहिए था । इस ओर कोई प्रभावी कदम उठाया नहीं गया है । इसके साथ ही एक बात और कहूंगा कि इस जनपदीय योजना के माध्यम से हमारे क्षेत्र म दरबन झील है, जिसमें 4 माइनर आकर गिरती हैं, जिसकी वजह से हजारों एकड़ भूमि डूबी हुयी है । इसके लिए बराबर कहा जाता रहा है, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप में भी परन्तु अभी इस ओर कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है । इसलिए पुनः आज माननीय मुख्य मंत्री जी और सम्बन्धित मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

एक सदस्य—

कल्पना के रूप में काम हो जायेगा ।

श्री जिया राम शुक्ल विकल "साकेती"—

ऐसी बात नहीं है, हमारे क्षेत्र में कुछ काम हुए भी हैं 40 ट्यूबवेल विश्व बैंक द्वारा युद्धस्तर पर लगवाए गय हैं । अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करते हुए । क्योंकि मेरा समय भी समाप्त हो रहा है, सम्भवतः ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय नहीं समाप्त हो रहा है, बल्कि यहां जो समय रखा गया है, वह समय समाप्त हो रहा है ।

श्री जियाराम शुक्ल विकल "साकेती"—

माननीय मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं । मैं अपने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कर बताना चाहता हूं कि—

कश्ती का जिम्मेदार फकत न खुदा नहीं
कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए ।

[समय 1.55 अपराह्न]

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका हार्दिक समर्थन कर रहा हूं । मान्यवर, मैं सन् 67 से लगातार इस माननीय सदन का सदस्य चला आ रहा हूं और इस बीच मैंने कई सरकारें देखी । इस आधार पर निश्चित रूप से और दृढ़ता पूर्वक यह कहता हूं कि इस वर्तमान शासन से ज्यादा खराब सरकार अभी तक नहीं देखी ।

मान्यवर, जैसा कि कहा जा चुका है वर्तमान मंत्रिमण्डल में, 2–3 मंत्रियों को तो नहीं कह सकता, बाकी तमाम मंत्रियों के विरुद्ध कुछ न कुछ गम्भीर आरोप हैं परन्तु जिनको देखते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी जबरन उनको मंत्रिमण्डल का सदस्य बनाये हुए हैं। मुख्य मंत्री जी के बारे में है कि वह बड़े अच्छे हैं, न्यायप्रिय हैं, शुद्ध विचार के हैं, लेकिन इन बातों को देखते हुए इस प्रदेश की जनता को इन बातों पर भी संदेह होने लगा है कि वह ऐसे हैं भी या नहीं। कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में कहा कि व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर किसी जन प्रतिनिधि का या मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य का चरित्र या आचरण अच्छा न हो तो उससे किसी अच्छे समाज, अच्छी व्यवस्था की आशा की ही नहीं जा सकती, सम्भव ही नहीं है। व्यक्तिगत आक्षेप की यह बात हो सकती है कि कोई मंत्री क्या खाता-पीता है, कितना खाता है, कहां सोता है, सिनेमा देखता है या नहीं, कहां रहता है, यह कहा जाय तो व्यक्तिगत आक्षेप की बात हो सकती है लेकिन अगर कोई मंत्री किसी चोर के साथ लिप्त है या जिनका आचरण चोरी के मामले में संदिग्ध है तो यह कहना जरूरी है कि उन मंत्री जी से केवल चोरों को ही प्रोत्साहन मिलेगा और उससे तमाम प्रदेश की जनता को परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर कोई मंत्री तस्कर है तो तमाम तस्करों को उससे प्रोत्साहन मिलेगा और देश में तस्करी बढ़ेगी और जनता को उसका खामियाजा भुगतान पड़ेगा। इसी तरह से मान्यवर, अगर कोई मंत्री डाकू या हत्यारे से दोस्ती रखता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको सहयोग देता है तो इस बात को न कहना विधायकों के लिए अपने कर्त्तव्य की चोरी कही जायेगी। इस तरह का कोई मंत्री हो तो यह कहना व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कहा जायेगा। इस तरह की बात अगर कही गयी है तो वह विधायकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया है।

आज जो महंगाई है वह वर्तमान मंत्रिमण्डल, वर्तमान सरकार की देन है वह जनता को खाये जा रही है। आज जो शासन व्यवस्था है उससे आम जनता के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। मेरे पास मूल्यों की एक तुलनात्मक सूची है। गेहूं पिछली जनवरी 80 को 1.30 रुपये प्रति किलो था और 31 दिसम्बर को मान्यवर, 2.50 रुपये प्रति किलो हो गया। चावल पहली जनवरी, 80 को 2 रुपए 30 पैसे किलो था और 31 दिसम्बर, 80 को 2 रुपया 50 पैसे किलो, चना जनवरी में 2 रुपए किलो था वह साढ़े चार रुपए में बिक रहा है। दाल तब 3.40 पैसे किलो थी वह 5 रुपए 10 पैसे में है। सरसों का तेल 9.50 प्रति किलो वाला आज 13.80 रु० प्रति किलो में बिक रहा है। इस तरह से मान्यवर, आज यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोई भी सामान सस्ता नहीं है। इस तरह से निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आज कोई भी सामान शुद्ध नहीं मिल रहा है हर सामान में मिलावट मिलेगी। कानून व्यवस्था की बात कही जाती है, आप जो कुछ भी जवाब दे दें किन्तु थोड़ा भगवान से डरिए, क्या यह सही नहीं है कि आज वह हालत है कि प्रदेश के अन्दर लोग न तो बस में सुरक्षित महसूस कर रहे है न रेल में महसूस कर रहे हैं, न घर में महसूस कर रहे हैं, आज यह हालत है। यह उदाहरण देते हैं जनता पार्टी के 3 साल के शासन का। 30 साल बनाम 3 साल। आपको कहने में थोड़ी झिझक होनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद शासन कांग्रेस के हाथ में आया। क्या कभी आपने अंग्रेज के डेढ़ सौ साल के कार्यकाल में, जिसने काफी आपके यहां तरक्की की है, काफी विकास हुआ है, रेल बनी, डाक तार का इन्तजाम हुआ, मिलें बनीं, चीनी मिले बनीं, कारखाने खुले, नहर बंबे

[श्री मोती लाल देहलवी—]

बने काफी विकास किया, लेकिन फिर भी हम कहते रहे कि अंग्रेज हमारे देश का सारा धन उठाकर अपने देश में ले जा रहा है। आज क्या गांधी जी का समर्थन करते हुए यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि यह काले अंग्रेज जो बैठे हुए हैं 30 सालों से, क्या यह सही नहीं हैं कि देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को अपने और नौकरशाही के यहां इकट्ठा कर रहे हैं? अगर आप तुलना देना चाहते हैं तो आप डेढ़ सौ साल के शासन काल से अपने को मिलाइए कहीं इतनी चोरियां थीं, कहीं इतनी डकैती थी, कहीं इतनी महंगाई थी, कहीं इतनी राहजनी थी। महंगाई इसलिए आपके शासनकाल में बढ़ी, क्योंकि आपके दिमाग में आपके ख्याल में यह है कि देश चाहे जहन्नुम में जाय, प्रदेश जहन्नुम में जाय हर हालत में शासन आपका बना रहे। चुनाव जीतने के लिए पूंजीपतियों से आपकी सांठगांठ, शासन बरकरार रखने के लिए नौकरशाही के गलत कामों पर पर्दा आए दिन देखने को मिलता है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि अखबार में बयान कुछ देते हैं, सदन में घोषणा कुछ करते हैं, केवल प्रोपेगन्डा के लिए। लेकिन असलियत क्या है, एक भी चीज कार्यान्वित नहीं होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बजट सत्र से पहले मैं जनता से चुनकर आऊंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

चुनाव हो तो।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह क्यों चोर दरवाजे से आये। कहां जनता से चुनाव लड़कर आए। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। हिम्मत अगर होती तो इस सदन में तब बैठते जब अपनी घोषणा के अनुसार वह जनता से चुनकर आते।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष —

मान्यवर, आपका समय समाप्त हो गया।

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह उचित नहीं है। माननीय सदस्य ने अभी विधान परिषद् को चोर दरवाजा कहा है।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, व्यवस्था उठाई गई है, व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष —

मान्यवर, जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मेरा उससे कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है।

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा दिए गए अभिभाषण के सम्बन्ध में सम्मानित सदस्य श्री विमल तिवारी जी ने जो धन्यवाद का

प्रस्ताव रखा है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं । मान्यवर, महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में इस प्रदेश की प्रगति के लिए जो दिशा निर्देशन किया है, वह अभूतपूर्व ह और जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में 6200 करोड़ रुपए की जो योजना की बात कही है, वह हमारे इतिहास में इतना बड़ा बजट कभी नहीं रहा । इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं । वर्ष 1980 और 81 के बजट में जो 850 करोड़ रु0 से बढ़ाकर 933 करोड़ 83 लाख रु0 का बजट इनको मिला, वह इनके प्रयास से मिला लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अभी सदन में चर्चा सुन रहा था विरोधी भाइयों की, उन्हें अच्छाइयां तो नजर आती नहीं उन्होंने जिस भ्रष्टाचार का जिक्र किया इस सदन के अन्दर, उस नजर से वे न केवल हमें देखते हैं बल्कि वे अपने भाइयों को किस तरह से देख रहे हैं, इसका भी अन्दाजा लगता है । उदाहरणस्वरूप, जनता पार्टी के शासनकाल में जो घटनाएं प्रकाशित होती रहती थीं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । "हिन्दुस्तान समाचार" में 16 जुलाई, 1978 में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि "जनता पार्टी के विधायकों के एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप ।" उस समय जनता पार्टी के दो प्रमुख विधायक भूतपूर्व कृषि मन्त्री और विधान सभा में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष थे । उन्होंने खुले तरीके से एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे । "नवजीवन" 25 जुलाई, 1978 में एक समाचार निकला कि "9 मन्त्रियों पर और 36 विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप ।" मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इनके समक्ष प्रदेश के बिकास के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं । मान्यवर, जब ये सत्ता में थे, तब भ्रष्टाचार के चश्मे को लगाकर देख रहे थे और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि वह चश्मा आज तक लगा हुआ है । इन्होंने कोई रचनात्मक सुझाव नहीं रखे हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान । इन अभिभाषण में निर्बल वर्ग के आवास विकास की बात आई, ग्रामों के विकास की बात आई, 1400 ट्यूबवेलों का जाल बिछाने की बात आई, 1800 किलोमीटर सड़कों के बनाने की बात आई ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विरोधी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम और आप इस प्रदेश की प्रगति के लिए यहां आए हैं और हमें और आपको इस प्रदेश की प्रगति में योगदान करना चाहिए । आपने जो अपने हृदय के अन्दर संकीर्ण वातावरण बना रखा है उससे ऊपर आइए । मुझे फख्र है इस बात का कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसा ईमानदार मुख्य मंत्री इस प्रदेश को मिला है और मैं इस विधान सभा का सदस्य हूं । मैं आपका ध्यान बुन्देलखंड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । बुन्देलखन्ड उत्तर प्रदेश का एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसका विकास करने के लिए वहां एक बुन्देलखन्ड विकास परिषद् का गठन करना आवश्यक है । माननीय मुख्य मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं इस प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए । वह जो सार्वजनिक क्षेत्र की योजनायें ला रहे हैं खाद के कारखाने की, एयरोनाटिक्स की उस संबंध में बुन्देलखन्ड में उन कारखानों की स्थापना की जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखन्ड में सिंचाई के साधनों का अभाव है । इसलिए वहां पर बुन्देलखन्ड लघु सिंचाई कारपोरेशन की भी स्थापना होनी चाहिए जो उस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों को बढ़ाए । इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का मसला बहुत महत्वपूर्ण है इस पर भी आगे निर्णय लिया जाना चाहिए ।

मान्यवर, इस अभिभाषण में जो योजनाएं बताई गई हैं उनके सम्बन्ध में आप लोगों को विचार करके हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद

[श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--]

देना चाहिए कि उन्होंने इस प्रदेश की प्रगति के लिए इतना अच्छा अभिभाषण दिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इस भावना और आकांक्षा के साथ, आप इस अभिभाषण को खुले दिल से समर्थन दें, इस अभिभाषण का हार्दिक समर्थन करता हूं।

*श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सही बात यह है कि यह सरकार सारे मुद्दों पर फेल रही है। हम जानते हैं, एक हजार तन्खवाह मिल रही है लेकिन बचता नहीं होगा, भले ही आप पूंजीपतियों के पैसे से जीत कर आए हैं लेकिन महंगाई का असर उनके ऊपर जरूर है। दिल से कहें या न कहें। राज्यपाल के अभिभाषण में लिखा है कि भूमि का वितरण करा रहे हैं, आसामी घोषित किया गया है। मैं आपके पड़ोसी जिले का रहने वाला हूं। वहां सुरेन्द्र सिंह मजीठिया के पास 5 हजार एकड़ भूमि उनके कब्जे में है। 30-32 साल तक कानून लागू होते रहें लेकिन आज भी वह जमीन उनके कब्जे में है। उस आदमी ने किससे जमीन लिया है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू बन्धू सिंह रहे हैं उसकी हत्या कराने के लिए इन्होंने सी0 आई0 डी0 का काम किया था और अंग्रेजों ने इस साजिश के लिए इनको जमीन दिया। आज वह कांग्रेसी हैं। अगर सुरेन्द्र सिंह मजीठिया कांग्रेस कमेटी के मेम्बर न हों तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। उनके कब्ज में 5 हजार एकड़ जमीन कैसे बची रही। पंजाबी जो उनकी मिल में काम करते है उनके नाम फर्जी पट्टे एलाट कराए गए हैं और राज्यपाल महोदय के भाषण में आसामी घोषित किया गया है। मंत्री लोग हैं, लोकपति त्रिपाठी जी के पास बड़ा फार्म है। एक कहावत है अंधा बांटे खिरनी, घरै घर ना खाय। सारी जमीन कांग्रेसी भाइयों के पास है। मुख्य मंत्री जी के भाई के पास काफी जमीन हैं। देवी-देवताओं के नाम पर, राम-कृष्ण के नाम पर जमीनें बचायी गयी हैं। भगवान का नाम बदनाम किया गया है। यह सरकार हर मुद्दों पर फेल है। बलात्कार का मौसम आ गया है, जैसे जाड़ा बरसात का मौसम आता है उसी तरह से बलात्कार का मौसम आ गया है। बलात्कार में पुलिस और अधिकारी शामिल हैं। 'माया' फरवरी, 1981 पत्रिका में छपा है कि यहां लखनऊ में एक अतिरिक्त जिला अधिकारी महिला हैं। उनके साथ एक मंत्री ने छेड़खानी की और पिकनिक में चलने के लिए कहा लेकिन महिला ने इंकार कर दिया और उसकी सूचना मुख्य सचिव को भेजा है। यह इनके शासन के कारनामें हैं। मंत्रिमंडल में 9 रत्न चुने गए थे उसमें एक भागीरथ पैदा हुए थे--यशपाल सिंह।

श्री उपाध्यक्ष--

जो सदन में उपस्थित नहीं हैं उनके बारे में न कहें।

श्री कुबेर भंडारी--

वह मंत्री रह चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं। वह मुजरा शराब के नशे में उन्नाव में सुन रहे थे तो उन्होंने आदेश दिया कि उन्नाव और नवाबगंज में गंगा की धारा बहेगी। यह बयान 'माया' फरवरी, 1981 में छपा है। इस तरह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनका शासन है । इसके बावजूद राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हर मामले में सरकार सफल है जबकि हर सरकारी मामले में सरकार असफल है । यह लज्जा की बात है ।

हिन्दुस्तान में मुसलमान और हिन्दू दोनों हैं सब भाई हैं लेकिन इतना बड़ा साम्प्रदायिक दंगा जोकि इस सरकार के जमाने में हुआ उतना मुगल सल्तनत और दूसरी सरकार के समय में नहीं हुआ था । केवल ढाई साल हम लोग बदकिस्मती से आए थे जिसका यह लोग बहाना कर रहे हैं । जब कि 32 साल में 10 करोड़ लोग बिना घर के हैं और भीख मांगते हैं । हिन्दुस्तान स्वतंत्र देश है किन्तु रेलवे स्टेशन पर आप देखें तो वहां एक तरफ आदमी रोटी खाते हैं और दूसरी तरफ कुत्ते दौड़ते हैं । मंत्री जी शायद न जानते हों क्योंकि वह तो फस्ट क्लास में जाते हैं लेकिन हम इसको देखते हैं। ऐसा हिन्दुस्तान स्वतंत्र देश है ।

मान्यवर, हमारे देवरिया जिले में मुख्य मंत्री जी गए थे तो वहां मजदूरों की मजदूरी बन्द करके चले आए हैं । शिकायत थी कि खाद्यान्न योजना में घोटाला किया गया था । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस घोटाले में जांच होनी चाहिए लेकिन मजदूरों की मजदूरी बन्द नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरे जिले के मजदूरों के कागज सील कर दिए गए हैं इसलिए उनकी मजदूरी बन्द है ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र---

मान्यवर, यह आदेश हुआ है कि बी० डी० ओ० ने सारा गेहूं लुप्त कर दिया था तो यह था कि उसको बन्द कर दिया जाय, मजदूरों के बारे में नहीं है ।

श्री कुबेर भंडारी---

मान्यवर, सरकार घोटाला करना चाहती है । पूरे जिले के मजदूरों की मजदूरी बन्द है ।

मान्यवर, इसी 'माया' में छपा है कि ब्रह्म दत्त मंत्री क्लब बस्ती में मनाते हैं। उनके एक सहपाठी हैं जो उनकी दलाली करते हैं और लाखों रुपए की सम्पत्ति अपनी प्रेमिका को खरीद दिया है और उसको चेयरमैन बनाया गया है । सरकार एक सवाल नरायणपुर कांड को लेकर 9 राज्यों की विधान सभाओं को भंग किया, इंदिरा गांधी वहां गयीं, देखा तो कहा कि वास्तव में हुआ है । संजय गांधी वहां गए तो संजय नगर वहां बनवा दिया गया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आयी है तब से मौसम आ गया है बलात्कार का। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह गरीबी और भ्रष्टाचार यदि मिटाना है तो मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट मंगाकर देखें और उसके अनुसार बड़े-बड़े लोगों जैसे सरदार सुरेन्द्र सिंह मजीठिया तथा अन्य जिन्होंने जमीन चुराई है उनके ऊपर कार्यवाही की जाय ।

जै हिन्द ।

*श्री तेज बहादुर सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव, जो तिवारी जी ने पेश किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं विरोधी दल के नेताओं को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके शासन काल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेज बहादुर सिंह--]

में आज कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, वह अच्छी थी, वह अब ठीक नहीं है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि आवाम में जो चोर, डाकू थे, लटेरे थे वह जनता पार्टी के शासनकाल में जो संरक्षण पा रहे थे उनको जरूर अब कठिनाई महसूस हो रही होगी। जहां तक हमारी सरकार के शासन का सवाल है, हमारे मुख्य मंत्री जी प्रदेश की जनता को, आवाम को विश्वास दिला चुके हैं और आवाम को विश्वास है कि अब वह अधिक सुरक्षित है।

चीनी के मामले को ही आप देखें, जहां जनता के शासनकाल में गन्ना 3 रुपए और 6 रुपए क्विंटल तक बिका। आज हमारे शासनकाल में गन्ने की कीमत 22 और 23 रुपए क्विन्टल तक है। प्रदेश की आवाम को इस बात का विश्वास है कि यहां प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री जी और पूरे हिन्दुस्तान में श्रीमती इंदिरा गांधी ही हमारी रहनमाई कर सकती हैं और इसके अलावा कोई नहीं। आपने अपने शासनकाल में जनता पर क्या रहनमाई की? आपके शासनकाल में आलू खेतों में सड़ गया। किसानों ने मजदूरों से आलू नहीं खुदवाए क्योंकि उन्हें खुदाई की कीमत आलू से अधिक देनी पड़ती। यह बात न आपसे छिपी है और न हमसे। जहां तक गन्ने की बात है, गन्ना खेतों में जला दिया गया, यह न हमसे छिपा है और न विरोधी पक्ष में बैठने वालों से। जितना हमसे सम्भव हो रहा है, कर रहे हैं। जितनी अव्यवस्था तीन साल में फैलायी गयी उसे सम्भालने में समय लगेगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उसे घुमा दिया। आप यों समझें कि गन्ने का भाव जो होना चाहिए उससे किसानों को फायदा मिलना चाहिए। यह कहा गया कि चीनी बहुत मंहगी चल रही है। हमारी समझ में नहीं आता कि वही बात हो गयी कि आगे जात घूरा, पीछे जात घूरा। भाई, जब गन्ना मंहगा होगा तो चीनी भी मंहगी होगी। 22 रुपए क्विन्टल गन्ने का भाव जो किया गया, हमारा अपना ख्याल है कि मान लें कि यदि 30 रु0 क्विन्टल गन्ने का भाव किया गया तो चीनी इस हिसाब से 15 रु0 किलो पड़ेगी। तब वह कहना कि चीनी का भाव बहुत बढ़ गया है, कहां तक उचित है। मैं विरोधी पक्ष की ओर बैठने वालों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आवाम के बीच जब पुनः आप आयेंगे अपने क्षेत्र में तो जनता इंसाफ चाहेगी, हर आदमी को उसकी ताकत से लड़ना पड़ेगा।

हमारी सरकार ने जो भी नई-नई योजनाएं चलायी हैं चाहे वह उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा की हो, अपराधी व समाज विरोधी तत्वों के विरोध की हो, चाहे ग्राम्य विकास की योजना हो, सारी योजनाएं लागू हो रही हैं और प्रदेश की आवाम इस बात को महसूस करती है कि आज आदमी अमन-चैन की सांस ले रहा है। मैं विरोधी पक्ष को यह बात बता देना चाहता हूं कि इनके शासनकाल में हमारे क्षेत्र में एक सज्जन यात्रा कर रहे थे तो उनके पास से उनका पर्स, रिवाल्वर तथा घड़ी चुरा ली। जब लुटेरा पकड़ा गया और उसकी शिनाख्त हुई तो वह इनके मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव के रिश्ते में से निकला। तत्काल श्री रामनरेश यादव ने दरोगा को बुलाया और उन्होंने उस दरोगा को मुअत्तल कर दिया। मुकदमा चला। अब जाकर निर्देश स्थगित हुए हैं और वे बहाल होकर अब फिर हमारे ही जिले में ट्रान्सफर करके आ गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से दरखास्त करना चाहूंगा कि अब वे हमारे जिले में तैनात हुए हैं वह उनको निर्देश दे दें कि वह जनता के साथ चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई एम0 एल0 ए0 हो, नेता हो, यदि कोई भी अराजकता की स्थिति पैदा करता है तो उनके अन्दर इतना साहस हो कि वह उन्हें गिरफ्तार करें।

मैं आप के माध्यम से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान जनपद जौनपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं । अभी उन्होंने सर्वे करायी है और सम्भवतः 6 जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किया गया है । हमारा जनपद बहुत ही पिछड़ा है । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जनपद को भी उन पिछड़े जिलों में लाया जाय । मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद में श्री संजय गांधी जी गये थे और उन्होंने उद्योगों के लिए कहा था । आज भी उन की बात टेप की हुई रखी है । आवश्यकता पड़ेगी तो सुना दिया जायगा । कोई भी उद्योग-धन्धा हमारे यहां जरूर लगाया जाय । हमारा जिला बहुत गरीब है । बाढ़ से वह तबाह हो गया । माननीय मुख्य मन्त्री जी के साहस की हम प्रशंसा करते हैं कि कोई भी आदमी हमारे यहां भूखा नहीं रहा । 1 करोड़ 7 लाख रुपये का गल्ला बांटा गया । अब तक मकान के लिए रुपया दिया जा रहा है । इस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव तिवारी जी ले आये हैं मैं उसका पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि जो धोखाधड़ी के साधन पर विश्वास करता है वही महामहिम राज्यपाल का जो भाषण है इस का समर्थन करेगा ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मान्यवर, आप से व्यवस्था चाहता हूं । ऐसी बहुत बड़ी बात माननीय सदस्य ने कह दी कि जो कोई समर्थन करता है वह धोखाधड़ी पर विश्वास करता है । इस तरह का आरोप माननीय सदस्यों को नहीं लगाना चाहिये । वह सदन में अपनी बात कह सकते हैं । जो बात कही वह कोई न्यायसंगत नहीं है । आप की व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर परटिकुलैराइज किया जाय तो वह असंसदीय है । जनरैलाइज हो तो असंसदीय नहीं है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, इस प्रकार की छूट इस पक्ष को भी होगी जैसा माननीय सदस्य ने कहा ।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था का मतलब व्यवस्था है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

स्वीकार करता हूं, मान्यवर ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

उपाध्यक्ष जी, मैं यह बहुत हिम्मत के साथ कहता हूं कि अपने मुख्य मन्त्री जी का नाम है श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह । लेकिन इनके प्रताप से उत्तर प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन में निराशा छा गयी है । और सब से बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस समय जो इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं वह बुन्देलखण्ड क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं । मैंने, यह सरकार ने जो भाषण दिया ह इसे अच्छी तरह से पढ़ा है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में न कोई खुद का आत्म विश्वास ह और न कोई इस सम्बन्ध में इनकी नीति है । मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रदेश की कोई अच्छी प्रशासन व्यवस्था नहीं है । पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे भी पिछड़े क्षेत्र हैं जहां आज भी 30 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है । माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को क्या यह जानकारी है कि बुन्देलखंड क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां के 60 प्रतिशत लोग अपने खुद के धन्धे पर जीवित रहते हैं । बाकी 40 प्रतिशत ऐसे निवासी हैं जो प्राकृतिक साधनों पर जिन्दा रहते हैं जैसे सिंघाड़ा की खेती करते हैं, पत्थर का काम करते हैं, जंगलों से लकड़ी लाकर बेचते हैं । महुवा, तेंदू की पत्ती, इन सब चीजों का राष्ट्रीयकरण होता जा रहा है । आज अगर इस की जांच करायी जाय तो मैं कह सकता हूं कि जांच करने वाले लोगों की आंखों से आंसू टपकेंगे यह जान कर कि इस क्षेत्र के 30 प्रतिशत निवासी इस ठंडक में पेड़ों के नीचे अपनी जिन्दगी गुजारते हैं । मैंने इस सत्र में सवाल उठाया था कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय अपने भाषण में इस प्रकार की नीति की घोषणा करेंगे कि बुन्देलखंड क्षेत्र आज भी पिछड़ा क्षेत्र है जो कि श्रीमान जी ने स्वीकार किया है । इस जाड़े के मौसम में भी इस क्षेत्र में आज भी पीने के पानी की कमी है । झांसी की आबादी तीन लाख हो गयी है लेकिन आज भी मुख्य मन्त्री जी, झांसी नगर के अन्दर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पानी की सप्लाई लाइन नहीं डाली गई है । आज भी वहां की जनता पानी के लिए तरसती है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रशासन के अन्दर नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं रह गया है और उसी का यह परिणाम है कि जब मुख्य मन्त्री जी हमारे बुन्देलखंड क्षेत्र में गये थे तो उनको बताया गया था कि बुन्देलखंड गरीब क्षेत्र होने की वजह से पुलिस के अधिकारियों ने वहां के सब थानों को बेच दिया है । हर थाने से 10-10 और 15-15 हजार रुपये वसूल किये जाते हैं । मैं ऐसी ही एक घटना आपको बताना चाहता हूं । अभी नवम्बर के महीने में तमासिल क्षेत्र में पुलिस ने वहां पर सामूहिक बलात्कार किया और जालौन में पुलिस ने एक व्यक्ति के घर में रहते हुये भी 3 लोगों का कत्लेआम किया है । इसके अतिरिक्त झांसी नगर से डकैत एक डाक्टर को उठाकर लेकर चले गये । जब उसके परिवार वालों ने सम्बन्धित पुलिस अधिकारी से कहा, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाना चाहिये । तो उसने कहा कि अगर आप मदद मांगते हैं तो हमको गोली चलानी पड़ेगी और उसमें आपका बच्चा भी मारा जायेगा । इसलिये गोली न चलवाइये और उससे पैसे ले लिये और डकैतों को पैसा देकर उन लोगों को अपने बच्चे को छुड़ाना पड़ा । एक समय जब बुन्देलखंड क्षेत्र के अन्दर प्रदेश के 20 मन्त्री उपस्थित थे और जहां वे ठहरे थे, थाने के सामने रात के 11 बजे पुलिस डकैती पड़ती है और हजारों रुपये का माल चोरी चला जाता है । यह है आज वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति ।

माननीय, एक चीज के बारे में मैं और जानकारी मुख्य मन्त्री जी को दिलाना चाहता हूं कि आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे इसकी सीमा को बांधें और सुनिश्चित करके मूल्यों को बांधे और तय करें कि किसानों को जो कि उत्पादक हैं उनको उनके कच्चे माल की सही कीमत मिले और जो कच्चा माल को पक्का बनाता है उसको भी उसके माल की सही कीमत मिले। अधिकारियों और मिनिस्टरों का मुनाफा भी तय हो जाना चाहिये। हरएक का मुनाफा कच्चे माल से लेकर पक्के माल तक तय हो जाना चाहिये। इससे बाजार में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के भाव ठीक रह सकेंगे और चीजे उपलब्ध हो सकेंगी। इससे आज एक विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। माननीय सदस्य कहते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि उनको जो कुछ भी मिल रहा है उसका भी वह सत्यानाश करते जा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है कि किसान की फसल उगाने के बाद उसका भाव तय होता है। इस नीति को बदलना चाहिये और मैं मांग करता हूं कि किसानों का उनके उत्पादन का भाव फसल उगाने के पहले ही नियत हो जाना चाहिये और उसकी घोषणा कर देनी चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आज शासन द्वारा अथवा किसी भी पुलिस कर्मचारी के द्वारा किसी की मृत्यु होती है तो वह सबसे ज्यादा कलंकित शासन है। यदि छात्र अपनी सही मांगों के समर्थन में मुख्य मन्त्री जी से भेंट करने के लिए आये तब उस समय गोली चलाई गई और उसमें छात्र मारे गये। फतेहपुर में मारे गये। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पुलिस की गोली से जो लोग मारे जाते हैं वे निर्दोष होते हैं। जो भीड़ इकट्ठा होती है उसको देखने के लिए चले जाते हैं। वे अपने परिवार के इकलौते होते हैं और गरीब बच्चे होते हैं। ऐसे समय में जो गोली से मर जाते हैं उनको इतना मुआवजा आप दें कि जितना वह जिंदा रहने पर कमा सकते हों।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के विकास के लिए दरिद्र नारायण कोष खोला जाय क्योंकि शासन मानता है कि वह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जहां पर 30 प्रतिशत लोगों के पास कमाने के लिए खेती नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, जिन्दगी बसर करने के लिए कोई धंधा नहीं है तो ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए दरिद्र नारायण कोष खोला जाय। सरकार वहां के विकास के लिए स्पष्ट नीति की घोषणा करे, जिस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के लिए इस बजट के अन्दर अलग से धनराशि की घोषणा की गयी है। शासन को चाहिये कि प्रदेश में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए इस बजट में अलग से धनराशि सुनिश्चित करे और भौगोलिक आधार पर सड़कों का निर्माण हो। केवल 3, 4 उद्योग खोल देने से किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। किन कारणों से वह क्षेत्र पिछड़ा है उसका पता लगाकर उनके लिए नीति बनाई जाय तभी पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सकता है। मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत दी।

[श्री राम स्वरूप वर्मा—]

मान्यवर, प्रदेश इस समय 4 समस्याओं से ग्रस्त है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मुझे उम्मीद थी कि उन समस्याओं से निपटने का संकल्प होगा लेकिन अफसोस है कि ऐसा कोई संकल्प मुझे नहीं मिला। इन चार समस्याओं में पहली समस्या अभाव की है उसका हल 33 साल में नहीं निकला। जो मानवीय आवश्यकता की चीजें हैं उनमें वृद्धि होनी चाहिये थी। लेकिन वृद्धि के बजाय उनमें कमी आयी है। आज बाजार में, जो बाढ़ से मकान गिर गये हैं उनके लिए सीमेंट की आवश्यकता है, वह नहीं मिल रही है। आज सीमेंट का अभाव है, मिट्टी का तेल इतना जरूरी है वह नहीं मिल रहा है। अभी मैं बस्ती गया तो वहां हरिजनों ने कहा कि 4 रु0 लीटर भी ढूंढ़ने पर नहीं मिल रहा है।

एक सदस्य—

हमारे यहां 8 रु0 लीटर मिल रहा है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

तो मान्यवर, यह हालत है। इसीलिए मैंने अभाव शब्द का प्रयोग किया। किसान को आज कल ट्यूबवेल चलाने की आवश्यकता है, उसको डीजल नहीं मिल रहा है। इस तरह से आज सीमेंट, मिट्टी का तेल, डीजल और चीनी और अन्य आवश्यकता की चीजें उपलब्ध नहीं हैं। वनस्पति तेल जिसके दाम आसमान छू रहे हैं वह भी नहीं मिल रहा है, इस अभाव से निपटने का कोई संकल्प इस अभिभाषण में व्यक्त नहीं किया गया है। जब अभाव होगा तो लाजमी है कि उसका परिणाम महंगाई होगी। महंगाई के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर 70 के आंकड़े को 100 मान लें तो कृषि उत्पादन के दाम डेढ़ से दो गुना बढ़े हैं और मिल की चीजें जो हैं वह तीन से साढ़े चार गुना तक बढ़ी हैं। इस प्रदेश का 80 सैकड़ा आदमी किसान है और 10 सैकड़ा मजदूर है जो कृषि पर आश्रित है। जब कृषि के अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तो वह मजदूर को अच्छे दाम नहीं दे पायेगा। और यही कारण है कि सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी कानून है, उसको कभी लागू नहीं किया है। वह कुछ सरकारी फार्मों के मजदूरों तक लागू है। क्योंकि इस सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह उसको लागू करा सके और साथ ही इस सरकार के लिए यह भी सम्भव नहीं है कि वह उसकी चीजों का उचित मूल्य दिला सके।

आज महंगाई दो तरह की है। एक वह है जो 90 प्रतिशत लोगों को झेलनी पड़ी है। मिल की चीजें जो उत्पादित होती हैं, उनके दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा वह तीन से चाढ़े चार गुना तक बढ़ गये हैं। खेतों के चीजों के दाम भी बढ़े हैं, किन्तु वह यदि उसी समानुपात में बढ़ते तो 90 प्रतिशत लोगों की दशा खुशहाल होती। इसका परिणाम यह है कि 90 प्रतिशत किसान महंगाई की भीषण मार से प्रभावित हुए और उसके पास क्रय शक्ति का अभाव हुआ। इसका तीसरा परिणाम अब बेकारी है। क्योंकि किसान के पास इतनी लागत नहीं है कि वह ज्यादा मजदूर लगाकर काम करा सके। जितने मजदूर बढ़ेंगे उतनी लागत अधिक लगेगी और उसे लागत मूल्य मिलने वाला नहीं, इसलिए उसके पास काम देने को है नहीं, मजदूर भारी संख्या में बेकार हैं और सरकार ने कसम खा रखी है कि वह कोई कारखाने प्रदेश में नहीं लगाएगी। 11 करोड़ के प्रदेश में एक नवलशी का कारखाना लगा है, उससे क्या होता है, वह तो

नगण्य हैं । इसको भी वह कारखाना लगाना मानते हों तो इससे बेकारी दूर करना कैसे मान सकते हैं । इस बेकारी के लिए सरकार की उल्टी नीतियां भी दोषी हैं ।

हमारे यहां गन्ने का बहुत बड़ा उद्योग है । 40 प्रतिशत गन्ना हम पूरे देश का पैदा करते हैं । आवश्यक है कि गन्ने को अच्छी कीमत मिले । आज क्यूबा, हवाई देश आदि किन्हीं देशों में भी कोई देश शुगर को मुख्य उपज नहीं ले रहा है और हमारे यहां रोज कहा जाता है कि शुगर इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया जाय या न किया जाय । अजीब बात है जब वह इधर रहता है तो कहता है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए किन्तु जब वह उधर पहुंच जाता है तो कहता है कि यह दिल्ली सरकार का विषय है । सीधी सी बात है आप राष्ट्रीयकरण करने को कहते हैं तो करें और आप कहते हैं कि नहीं करेंगे तो बताएं कि आप दूसरी कौन व्यवस्था करेंगे जिससे किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले और देश के लोग सस्ती शुगर पा सकें । इसके लिए आपको शुगर काम्प्लेक्स लगाने की जरूरत थी । गन्ने की सारी चीजों के लिए एक उद्योग समूह खोला जाए । 27 सैकड़ा बगास है तो उसके उपयोग के लिए आपको पल्पयूरल, कैनाइट बोर्ड अखबारी कागज और गत्ते आदि के कारखाने स्थापित करने चाहिए थे । क्योंकि खोई हम जला रहे हैं । चीनी मिलों का काम हम कोयले से चला सकते हैं, लेकिन उसका एक भी उद्योग हमने इस सूबे में नहीं लगाया है । आज बड़ी कमी महसूस हो रही है । हम विदेशों से 1 करोड़ 70 लाख टन खनिज तेल का निर्यात कर रहे हैं । वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब 88 करोड टन यहां गन्ना हुआ । हमारे यहां उत्पादन है 1 अरब 88 करोड़ टन और ब्राजील का है 1 अरब 28 करोड टन और क्यूबा का है 66 करोड़ टन । कर्नाटक ने चीनी मिल लगाया है, कागज के कारखाने को बगास देने के लिए । महाराष्ट्र में दो मिल लग रहे हैं एल्कोहल की । मैं दावा करता हूं कि अगर 20 रु0 गन्ने का दाम सरकार कर दे और शुगर कम्प्लेक्स लगवाये तो 1·50 रु0 प्रति किलो चीनी बिक सकती है । योजना बन गई, इतने करोड़ रुपये मांग लाये, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो सरकार नहीं कर पाती है और यहां तक कि रुपया वापस जाता है और काम नहीं हो पाता है ।

अन्त में एक बात और कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, वह है अराजकता । जब अभाव होगा तो महंगाई होगी, महंगाई होगी तो बेकारी होगी और बेकारी होगी तो अराजकता होगी । आजकल अराजकता की हद है । बस इतना ही कह कर खत्म करूंगा कि जितनी अराजकता बढ़ रही है, जिस तरह से बसें लूटी जा रही हैं और जिस निडरता से आजकल चोर और लुटेरे घूम रहे हैं, वैसा अज तक नहीं हुआ । रघुवंश में लिखा हुआ है :—

अकार्य चिन्ता समकालमेव प्रादुर्भवच्चापधारः पुरस्तात्
अतः शरीरेष्वपियः प्रजानां प्रत्यादिदेशा विनयंविनेता ।

दुष्कर्म की चिन्ता करते ही वह धनुष धरे सामने दिखाई देने लगते थे, इस प्रकार उस विशिष्ट नेता ने लोगों के मन से अविनय (गुंडागिरी) निकाल दी थी । यहां तो तन से ही नहीं निकाल रहे हैं तो मन से निकालने की कौन कहे । इन शब्दों के साथ मैं विपक्ष के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम सिंह (सुल्तानपुर)—

माननीय, श्री विमल प्रसाद तिवारी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम सिंह]

का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो अभियान भ्रष्टाचार और भुखमरी के विरुद्ध इस प्रदेश में चलाया है, निश्चित रूप से उनका यह कदम सराहनीय है। जहां तक विपक्ष के लोगों ने दोषारोपण किया, विपक्ष के नेता माननीय नेता विरोधी दल श्री राजेन्द्र सिंह जी उच्च पद पर आसीन हैं। उन्होंने इसी प्रकार के आरोप लगाये। एक मेरे क्षेत्र का भी मामला उन्होंने उठाया और अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस (आई०) के वर्कर्स ने 6 लोगों को जलकर मार डाला। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदन को जानकारी दे देना चाहता हूं कि वह दुर्घटना स्वतः हुई। कांग्रेस (आई०) के वर्कर्स का उसमें हाथ नहीं है और इस प्रकार के समाचार जब टाइम्स आफ इन्डिया जैसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित होंगे तो निश्चित रूप से यहां की जनता भ्रमित होगी। मैं चाहता हूं कि विपक्ष के लोग जो भी कहें उसके फैक्ट्स को पहले अच्छी तरह जान लें तब कहें। फैक्ट्स को पहले सरटेन करना चाहिए क्योंकि उनके जो भाव हैं, उनके जो विचार हैं उनका प्रभाव जनता पर पड़ रहा है। साथ ही साथ अभी मंत्रियों पर भी इसी प्रकार के दोषारोपण किए गए। 'आन लुकर' में निकाल दिया कि यशपाल सिंह उन्नाव गए तो उन्होंने वहां शराब पी, जब कि वह कभी शराब पीते नहीं। यह तो सरकार को बदनाम करने का एक तरीका इन समाचार-पत्रों के माध्यम से मैं समझता हूं विरोधी पक्ष बना रहे हैं। 'आन लुकर' ने उसका फिर कन्ट्राडिक्शन निकाला है। साथ ही साथ और दूसरे मन्त्रियों पर इसी प्रकार के आरोप लगाये हैं।

मैं नहीं चाहता कि आपके 2 1/2 साल के कार्यकलापों के बारे में कुछ कहूं, लेकिन चुनाव की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए या अनुत्तीर्ण हुये, यह आप स्वतः देख सकते है और यह इस बात का सबूत है कि यहां की जनता ने आपके 2 1/2 साल के कारनामों की सजा भी दे दी। पांच साल हमें किस प्रकार से शासन चलाना है, नीति निर्देशन कैसा होगा महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका संकेत किया है कि किस प्रकार से वीकर सेक्शन को बढ़ावा मिलेगा, गांव में किस-किस प्रकार की योजनायें चलाई जायेंगी, किस प्रकार से ट्यूबवेल्स लगाये जायेंगे, किस प्रकार से वीकर सेक्शन्स के लिये मकान बनाये जायेंगे, किस प्रकार से उनके बच्चों को स्कालरशिप दिया जायेगा। यह इस देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु बहुत बड़ा कदम है।

मेरे विचार में आपकी भूमिका और दृष्टिकोण आलोचनात्मक न होकर रचनात्मक होनी चाहिये। आपका प्रदर्शन जो प्रथम दिन सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय रहा इससे अधिक लज्जास्पद और कोई चीज नहीं हो सकती है। आपने उस दिन जो नाटक प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि विरोध पक्ष के लिए एक कलंक की बात है। इसी प्रकार से जो अन्य बातें सदन में रखी गई हैं वे उचित नहीं हैं। जिस प्रकार से सावन के अन्धे को चहुं ओर हरा ही हरा नजर आता है, उसी प्रकार से जो आपका शासन 2 1/2 साल का और उसमें गन्ने का भाव 2 1/2 रु० रहा है, उसी प्रकार की बातें कांग्रेस (ई) के शासन काल में दिखती हैं।

यहां पर प्रदेश और देश में महंगाई की बात भी कही जा रही है। लेकिन अर्थ शास्त्र की दृष्टि से उसका भी एक सिद्धान्त है। यह मांग और पूर्ति के सिद्धान्त पर है। प्रदेश और देश में जो गेहूं और चीनी का स्टाक था जब वह आपने सब समाप्त कर दिया तो निश्चित रूप से महंगाई होगी। यही कारण है कि कांग्रेस के शासन में इतनी महंगाई हो रही है। अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हमारे यहां पर वर्ष 1977 से बेटर पोजिशन होगी और हम महंगाई पर भ

काबू पा सकेंगे ।

किस प्रकार से प्रदेश में डकैत और गुंडे मारे जा रहे हैं, किस प्रकार की शांति व्यवस्था है, इसका भी संकेत आपको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिलेगा । एक बात अवश्य है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में माध्यमिक शिक्षा की ओर एक भी शब्द नहीं कहा है । शिक्षा के बिना किसी भी देश, प्रदेश और राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है । मेरे विचार में माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण बहुत ही आवश्यक है । यही नहीं आज जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे शिक्षा में भी समाप्त करें । मेरा नम्र निवेदन केवल इतना है कि माननीय सदस्यों और प्रतिपक्ष के जो रचनात्मक सुझाव व विचार हैं, उनको मानना चाहिये अन्यथा हमारे भी 5 साल इसी प्रकार से गुजर जायेंगे । इस बारे में मुझे एक शेर याद आ रहा है "उमरे दराज मांग कर लाये थे 4 दिन, दो आरजू में कट गये, दो इन्तजार में ।" तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि हमारे 5 साल का प्रशासन प्रगतिशील होगा और निश्चित रूप से इस प्रदेश को सर्वांगीण विकास की ओर ले जायगा ।

श्री लोकमणि शर्मा—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो 4–5 दिन से चर्चा चल रही है, उसके सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल और माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना । मेरे विचार में उन सबके विचार केवल अमाननीय नीतियों के ही नहीं अपितु संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल रहे हैं । हम लोग पूज्य गान्धी के चरणों में बैठकर देश और प्रदेश की नीति निर्धारित करते हैं । सबसे पहले हमारे माननीय सदस्यों ने जो हम पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाये हैं और किसी को भी उन्होंने नहीं बक्शा, यह उचित प्रतीत नहीं होता । जनतन्त्र को सुचारुरूप से चलाने के लिए दो दलों की आवश्यकता होती है । 33 वर्षों में विरोधी दल आज तक कांग्रेस का विकल्प नहीं बन पाये । यह भी शायद कांग्रेस का ही दोष है ? एक बार 1977 में इन लोगों ने जो नाटक रचा वह जनता ने देखा । चुनाव के समय चुनाव जीतने के लिए नारा दिया कि जनता इन्दिरा गांधी के शासन में कांग्रेस से जनता भयभीत हो गई है, हम उसे भय मुक्त करेंगे । आज उसी का परिणाम है कि महंगाई, अराजकता और शान्ति व्यवस्था की बिगड़ी हुई हालत हमको चारों ओर नजर आ रही है जो कि उन्हीं के द्वारा हमको विरासत में मिली है । उन्होंने जनता को भय मुक्त कर दिया । इन्दिरा गांधी के समय कौन लोग भयभीत थे ? चोर डकैत, भ्रष्टाचारी भयभीत थे, शोषण करने वाले भयभीत थे । उसके लिये कारागार का दरवाजा खुला हुआ था । आपके शासनकाल में वह भयमुक्त हो गये और आज की यह कुव्यवस्था हमको उन्हीं से विरासत में मिली है, जिसकी व्यवस्था में हम लगे हुये हैं । हम लोगों ने इसे दूर करने के लिये पहले सेशन में एक विधेयक प्रस्तुत किया था । यह इस बात का प्रमाण है कि ये लोग समाज में बढ़ते हुये दोषों के उन्मूलन के पक्ष में न हों । जब वह विधेयक वापस ले लिया गया तो उसमें उनको कितनी प्रसन्नता हुई थी यह सभी को ज्ञात है । आप लोगों को सबसे पहले मानवता बरतनी चाहिये ।

गांधी जी ने जो मार्गदर्शन किया था, उसके माध्यम से ही हमको मार्ग अपनाना चाहिये और देश तथा प्रदेश की प्रगति के लिये सुझाव देने चाहिये ताकि प्रदेश का भविष्य उज्जवल बन सके, लेकिन उन्होंने गांधी जी की नीतियों को बलायताक रख दिया । गांधी जी कहा करते थे बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, लेकिन यहां पर आज विपक्ष के सदस्य अनर्गल आरोप लगा कर अनर्गल प्रलाप करके किसी को भी बक्शना नहीं चाहते और समय का दुरुपयोग करते हैं । इससे प्रदेश का भविष्य उज्जवल नहीं बन सकेगा । महापुरुषों ने चार नीतियां प्रतिपादित की हैं । खाओ पर झुको मत, चलो पर थको मत, देखो पर ताको मत

[श्री लोकमणि शर्मा---]

और बोलो पर बको मत । लेकिन आज ये लोग अनर्गल बातें कह कर मानबीय नीतियों के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं । मेरा नम्र निवेदन है कि नीतियों के आधार पर इस प्रदेश पर अगर इस प्रदेश का भविष्य उज्जवल बनाना है तो गांधी जी की नीतियों का परिपालन करके, अपने कर्त्तव्य का पालन करें तभी हमारे प्रदेश का कल्याण होगा । इन शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का हृदय से स्वागत करता हूं ।

श्री सरदार सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं । पहली बार विधायक हुआ उम्मीद थी कि महामहिम राज्यपाल जी कुछ अच्छी बात कहेंगे, कुछ जनहित की बात होगी । लेकिन मान्यवर, जब शादी होती है, शादी से पहले पीली चिट्ठी भेजी जाती है, उसमें ठीक-ठाक बात लिखी जाती है, लेकिन इसमें पीली चिट्ठी में झूठ का ढिंढोरा पीटा गया है । मैं इतनी उम्मीद नहीं करता था । बार-बार मर्यादा की बात कही जाती है । संसदीय प्रणाली की बात कहीं जा रही है । मान्यवर, मर्यादा किसने भंग की, जब माननीय संजीव रेड्डी का चुनाव था, उसमें किसने आग लगाई मुकदमा चल रहा था, अदालतों की किसने तौहीन की । इसकी आज जब बात आती है, जब हम कोई बात कहते हैं तो मर्यादा भंग की जा रही है, संसदीय प्रणाली को खतरा हो गया है । मान्यवर, जब महंगाई, चोरी, डकैती का बोलबाला हो, चारों तरफ हाहाकार मच रहा हो, उस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी यह चाहें कि सदन शान्तिपूर्वक चलता रहे, तो यह कैसे हो सकता है ? हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता में गुजरेगी, वही यहां पर दिखाई देगा ।

मान्यवर, मैं अपने जिला मथुरा के बारे में कहना चाहता हूं । यह कृष्ण भगवान का जिला है । लेकिन आज यह जिला चोरी, डकैती का जिला बन गया है । नए-नए अपराध इस तरह हो रहे हैं कि जनजीवन बहुत ही भयभीत है । हरिद्वार मेल में लूट हुई । टनकपुर मेल में लूट हुई, इसमें मथुरा के जज आ रहे थे, उन्हें लूट लिया गया । अभी-अभी आगरा सादाबाद मार्ग पर बस जिसमें एक हमारी न्यायपालिका के अधिकारी जा रहे थे, बस को लूट लिया गया । ट्रेन में कई जगहों पर लूटमार हुई है । अभी-अभी कई डकैतियां हुई हैं । ठीक दीवाली के दिन सोनई गांव में एक सेठ के यहां पर डकैती हुई । उनको पूरी तरह से भून दिया गया । 3 आदमी मारे गए। अभी-अभी हमारे यहां मथुरा में एक बलदेव थाना है, थाने के सवा सौ मीटर दूर पर एक डकैती पड़ी, जिसमें पूरे घर का घर कत्लेआम कर दिया गया और पूरा सामान लेकर डकैत लोग चले गये । मैं आपको अखबार की कटिंग पढ़कर सुनाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, ऐसी परम्परा नहीं है ।

श्री सरदार सिंह---

मान्यवर, इसमें एक मकान मालिक जिसकी उम्र 22 साल थी, बुरी तरह से काट दिया गया, उसकी पत्नी को भी काटा गया, एक लड़की थी, उसको भी काट दिया गया । उस लड़की की उम्र 16 वर्ष की थी । यह 24 तारीख की बात है, आज 3 तारीख हो रही है, लेकिन आज तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला

इसका क्या कारण है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि हमारा क्षेत्र बुरी तरह से डकैतियों से भयभीत है, कृपया इस पर ध्यान दें ।

मान्यवर, हरिजनों को बड़ी दुहाई दी जाती है और यह कहा जाता है पिछली सरकार ने हरिजनों पर बहुत अत्याचार किया था । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक राया थाना है, उस थाने में एक हरिजन लड़का ने रिपोर्ट की थी कि उसे वोट डालने से रोका गया । थाने में जिस हरिजन नेता ने शिकायत करवाई थी, उसको 4/25 में बंद करके जेल भेज दिया गया और उससे यह कहा गया कि अगर किसी ने गवाही दिया, तो उसको बन्द करके चालान कर देंगे ।

मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । जो सड़कें टूट गयी हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है । मान्यवर, एक बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण माननीय मंत्री जी ने किया और यह आदेश दिया कि वह तुरन्त चार्ज छोड़ दें । लेकिन वह चैलेंज करके कहता है कि वह वहीं पर रहेगा और वह वहीं पर रह रहा है । उसकी वजह से वहां पर अनेकों भ्रष्टाचार फैला हुआ है और अनेकों भ्रष्टाचार की शिकायतों पर ही उसका ट्रान्सफर किया गया था ।

तो मान्यवर, जहां तक वितरण प्रणाली का सवाल है, वह बिल्कुल अस्त-व्यस्त है । पहले जो प्रणाली थी, वह खत्म हो गयी है । नयी प्रणाली शुरू नहीं की गयी । इस समय कोई प्रणाली नहीं चल रही है और जनता में असंतोष व्याप्त है । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ध्रुप राय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह 7 महीने पूर्व भी सुनने को मिला था, पिछली तारीख 27 को सुनने को मिला और नव वर्ष के अवसर को भी सुनने को मिला और मैं कहना चाहता हूं कि वे कार्यक्रम जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिये गये हैं, वे प्रदेश की प्रगति का अवलोकन करा रहे हैं ।

मान्यवर, मुरादाबाद की घटना के बारे में सुना ही होगा । बार-बार हाउस में भी उसके बारे में कहा गया । बागपत की भी बार-बार कही गयी । इलाहाबाद में जो घटना हुयी है, उसको भी विरोधी पक्ष ने बार-बार कहा और मान्यवर, यह विरोधी पक्ष का कर्तव्य है कि उन घटनाओं को बार-बार यहां उठाये ताकि सरकार जागरूक रहे । लेकिन यह निश्चित है कि कानून और व्यवस्था म भयंकर परिवर्तन आया है और गांवों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिनका इक्सप्लायटेशन होता रहा है, जो अवांछनीय तत्वों से घिरे थे, डरे हुय थे, उन लोगों में सुधार आया ह और वे अपनी सुरक्षा महसूस करन लगे हैं और सर उठा रहे हैं । वे अवांछनीय तत्व जो गांवों में रहने वालों पर दबाव डालते थ, चोरी-डकैती डलवाते थे, उनके ऊपर पुलिस अपना दबाव डाल रही है और वे मारे जा रहे हैं ।

मान्यवर, हमारे देवरिया जिले में, जहां पर कि ये बातें बराबर घटती रहती थीं, वहां गरीबों के रहन-सहन में परिवर्तन आया है और वे महसूस करने लगे हैं । उनके जीवन में सुधार आया है और वे इस सुधार को महसूस कर रहे हैं । जो हरिजन, गिरिजन, दलित वर्ग और मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके चेहरे खुश दिखाई दे रहे हैं ।

इस तरह से देखें तो पुलिस के कार्यक्रमों में प्रगति जरूर है । परन्तु इसके लिये सरकार को जागरूक रहना पड़ेगा । इस बात को देखते रहना पड़ेगा कि यह बात चलती रहे ताकि उनके जीवन में सुधार होता रहे और लोग अपनी हिफाजत

[श्री धुप राय—]

महसूस करें । लेकिन जो सुधार आया है, हम उसके लिये सरकार के आभारी हैं । हमें यह कहने में कोई डर नहीं कि कानून व्यवस्था में सुधार आया है । यह कहना कि कानून व्यवस्था गिरती जा रही है, वास्तविकता पर परदा डालना है । सत्य है कि गांव का रहने वाला गरीब मजदूर, दलित हरिजन, गिरिजन और मुसलमान आज अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।

इसी तरह से जातिपांति में जो गिरावट आयी थी, उसमें भी बराबर परिवर्तन है । जातिपांति को लेकर जो एक दूसरे को दबाया करते थे, आज वह चीज नहीं है और लोग इस बात से उठकर नयी दिशा की ओर प्रगति कर रहे हैं जो निश्चित रूप से सामाजिक सुधार और सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण है ।

इस तरह से प्रगति के लिये सरकार की तरफ से योजनायें रखी गयी हैं । 62 करोड़ की जो छठी पंच वर्षीय योजना में है, उससे 6% आर्थिक उन्नति होगी और प्रति व्यक्ति की उन्नति का मार्ग है । अगर उन योजनाओं को बराबर क्रियान्वित किया जाय, तो निश्चित रूप से प्रगति होगी और यह प्रदेश उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता जायेगा । आर्थिक प्रगति के लिये कृषि और उद्योग दोनों के लिये प्रयास किया गया है । कृषि के रूप में प्रगति की जो बात है, उसमें 22/23 रुपये का गन्ने का भाव देकर सरकार ने साबित किया है कि यह सरकार आम जनता और किसानों की सरकार है और किसानों को इस सरकार के प्रति पूरा विश्वास हो रहा है । यह कह देना कि 22/23 रुपये इस सरकार ने नहीं दिया, गलत है और इसको केवल विरोधी पक्ष ही कह सकता है । साढ़े 12 रु० भाव देकर यदि आप यह कह सकते थे कि यह भाव चौधरी चरण सिंह ने दिया है तो अब इस सरकार ने 22–23 का भाव देकर यह सिद्ध किया है यह इस सरकार की देन है और यह सरकार किसान हितैषी है । इसका अनाज उत्पादन लक्ष्य 24·2 लाख मिलियन टन था । यह कोई साधारण लक्ष्य नहीं है । 18 लाख मिलियन टन पहले उत्पादन था और अब 24·2 लाख मिलियन टन का उत्पादन होगा । यह इस बात का प्रतीक है कि किसानों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि सरकार हर सम्भव उनकी हितैषी है और जहां तक उद्योग की बात है, वह बिजली के उत्पादन पर निर्भर है । बिजली का उत्पादन भी इधर काफी बड़ा है । दो हजार एक सौ मेगावाट जितने प्लान्ट है, उनसे हुयी है । सम्भावना है कि शीघ्र ही 17 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन होगा । दूसरे, सरकार की सिंधरौली कोल फील्ड्स 3 हजार मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन शीघ्र ही तैयार हो रहा है, जो एशिया में निश्चित रूप से सबसे बड़ा पावर स्टेशन होगा ।

माननीय, हमारा इलाका बहुत ही पिछड़ा इलाका है । वहां विकास कार्य स्थिर है यह कहने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं होगा । जिसमें दो बातें बताना चाहूंगा एक तो वहां पर शिक्षा विभाग द्वारा किसान डिग्री कालेज को मान्यता देकर वहां के लोगों को बड़ा हर्ष और उल्लास दिया है, जिसका नाम आगे चलकर संजय गांधी किसान डिग्री कालेज हो जायेगा । और दूसरे गन्ना अनुसंधान केन्द्र गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन केन्द्र कर दिया गया है । यह वहां की जनता के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है । और एक बात और बताना चाहता हूं कि बैकुंठ कोठा में जिन लोगों के मकान बाढ़ में बह गये और काफी नुकसान हुआ उन लोगों को पुनः बसाया जा रहा है । जो बहुत ही प्रशंसनीय और प्रगतिशील कार्यों का द्योतक है । अब केवल सरकार को विकास कार्यों और वितरण प्रणाली की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । वितरण प्रणाली में ऐसा करें कि उसमें भ्रष्टाचार न हो ताकि सरकार की मर्यादा

बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अनुमोदन करता हूं और आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री धरमन सिंह गहलौत--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो विरोध पक्ष की ओर से प्रस्ताव आये हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो बातें हाउस में कही गयी उन्हीं बातों को पुनः दोहराना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि इससे हाउस का समय व्यर्थ में नष्ट होता है। मैं आपके माध्यम से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मन्त्रिमण्डल की इज्जत जनता के अंदर काफी धूमिल हो गयी है। इसका मान और सम्मान बहुत ही कम हो गया है। आये दिन अखबारों में इनके व्यक्तिगत आचरण पर आरोप लगते हैं, जिसके बारे में आप यह कह सकते हैं कि अखबार वाले तो गैर जिम्मेदार हैं। इनकी खबरों को क्या कहा जाए। लेकिन अगर यह गलत खबर भी मान लिया जाए तो भी किसी मंत्री द्वारा यह नहीं किया गया कि वह इनके प्रति मान-हानि का मुकदमा कायम करता। लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। ऐसा करने का सच पूछा जाए तो उनमें साहस ही नहीं है। अन्यथा कुछ तो सामने आता ही। वैसे मंत्रियों की योग्यता का स्तर तो आज हमारे सामने है, वह हाउस में बराबर देखने को मिल रहा है। अभी 28 तारीख की बात है समाज कल्याण मंत्री से सवाल पूछा कुछ जाता है और उत्तर कुछ देते हैं, जब कि कोई साहब उनको पीछे से कुछ बता भी रहे थे, लेकिन वह अपनी अयोग्यता के कारण इतना घबरा गये थे कि उनसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। यह सब देखकर प्रतिपक्ष तो हंस ही रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी हंस रहे थे और माननीय मुख्य मंत्री जी शर्मिन्दगी महसूस कर रहे थे। बजाए इसके कि वह कुछ कहते। उन्होंने फाइलों में अपनी आंखें गड़ा लीं। वह ऐसा महसूस करा रहे थे कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी का इसमें दोष नहीं क्योंकि यह उनकी अपनी टीम नहीं है वह तो दिल्ली से जो पत्थर लटका दिये गये उनके गले में उसी को स्वीकार करना पड़ता है। जो अच्छे बुरे है उन्हीं से काम चलाना है। मैं अखबार को पढ़कर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर एक बात कहना चाहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले लखनऊ के अन्दर एक सेमिनार हुआ भारतवर्ष की अर्थ व्यवस्था और अलमोनियम का स्थान। माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां पधारे थे, उसका उद्घाटन किया स्वास्थ्य मंत्री ने। मैं नहीं समझ पाया स्वास्थ्य मंत्री का अलमोनियम से क्या सम्बन्ध। उद्योग मंत्री जी वहां एक विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे किन्तु उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया और न ही उनसे कुछ पूछा गया। कौन समझायेगा इन बातों को। अखबार में लिखा गया कि यह विड़ला का तमाशा था जो उनके वेतन भोगी लोग मंत्रिमण्डल में घुस गये हैं वह उसका प्रचार कर रहे हैं। इनका आप कैसे खण्डन करेंगे। एक अखबार में पढ़ रहा था उसमें लिखा था यह मंत्रिमण्डल अली बाबा और चालीस चोर का है। मैंने एक व्यक्ति से कहा भाई वह तो 41 थे तो उसने कहा नहीं, आप भूल रहे हैं उसमें एक मरजीना नाम की औरत भी थी जिसको लेकर वह 42 थे। इससे यह घटना घट जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी मंत्रिमण्डल के घटाव या बढ़ाव से इस आरोप से तो बचे। हर महीने मंत्रिमण्डल बढ़ रहा है अभी और बढ़ सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धरमन सिंह गहलौत--]

इस सम्बन्ध में मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं अभी पिछले सत्र में एक घटना हुई जो बहुत चर्चित रही बागपत काण्ड। मैं यह नहीं कहता हूं कि मंत्रिमण्डल ने इसको कराया। किन्तु इतना कहूंगा कि सत्ता पक्ष बजाय सत्यता की जानकारी करने के सारे मंत्रिमण्डल के लोग उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जो दुराचरण किया था उसको दबाने की कोशिश किया। इन्क्वायरी में सत्यता साबित हो गई और अब फिर उसका जांच कराने की बात कही जा रही है। अब इस बात को और लम्बा खींचने की कोशिश की जा रही है। अब तो उसमें सीधे कार्यवाही की जानी चाहिए। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने पश्चिम में हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने के बात कही थी। हाई कोर्ट की एक बेंच लखनऊ में है। अगर दूसरी बेंच पश्चिम में स्थापित कर दी जाय तो उससे क्या आपत्तिजनक बात हो जायेगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि शासन में देहात और शहर की आमदनी का जो अनुपात था वह बढ़ा है शहर की आमदनी देहात की अपेक्षा बढ़ती जा रही है। इसके लिए कोई ठोस रूप रेखा नहीं आई है। देहात के अन्दर विशेष ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक यह घट नहीं सकता है। अन्त में मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*श्री कैलाश टण्डन--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि इस समय छात्रों में असंतोष बढ़ा हुआ है, महंगाई, अल्पसंख्यक, हरिजन आदि-आदि की बातें जो कर रहे थे। मैं बड़े गौर से सुन रहा था और जब इनकी बातें सुन रहा था तो मुझे 2 पंक्ति याद आ गई। उस दो पंक्ति को मैं कहना चाहता हूं :

लिटा के यार पहलू में, रात भर जो कुछ नहीं करते,
वह कमाल करते हैं।

3 साल के कार्यकाल की बात इनको नहीं याद रही। हमारे शासन काल की इनको सारी चीजें दिखाई देती हैं। हमारे विपक्ष के नेता बैठे हुये हैं। लोकदल का जो सेमिनार बनारस में हुआ था उसमें चौधरी चरण सिंह न कहा था कि 60 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसी अनुशासनहीनता कभी नहीं हुई। इसी प्रकार बहुत सी बातें कही गयीं उनको सुनते-सुनते कान पक गये। उर्दू की भी बात कही गयी। मुझे दो लाइनें याद आती हैं कि 'हिन्दी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक फिकरों की शाहजादी ह तो एक शब्दों की राजकुमारी है।' प्रसाद जी, जिन्होंने हिन्दी में एक नया मोड़ ला दिया। इलाहाबाद में भी एक फोटो टंगी है। इसमें केवल एक राजनीतिक फायदा उठाने की बातें हैं, पत्रिका की भी बातें हैं। मैं तो देख कर हैरान हो जाता हूं कि कुछ मासिक पत्रिकायें सेक्स संबंधी हैं, राजनीतिक भी हैं, ऐसी ऊल-जलूल बातें लिखी रहती हैं कि कहना कठिन है। बनारस के विधायकों को नोटिस दे दिया गया। उसी से घबराहट हो गयी। इस तरह की बातें छापने पर अदालत भी उनको सजा देता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे मित्रों ने अंग्रेजी जमाने की बड़ी तारीफ की कि रेलें बिछा दीं, चीनी मिलें लगा दीं। लेकिन बंगाल में जब सूखा पड़ा तो उस शासन में कितने लोगों की मौत हो गई। 79-80 में कोई आदमी की मौत नहीं हुई। जो 6-7 महीने गुजरे हैं ये चुनौती भरे थे। उस समय पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल दो प्रान्त थे। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा। मैं एक बार आ रहा था, खिड़की के पास बैठा। जब मैंने बाहर देखा तो दोनों तरफ सरसों की पीले-पीले फूल खिले हुए थे। तो मुझे अहसास हो गया कि चैत का महीना है, फसल अंगड़ाई ले रही है....

श्री उपाध्यक्ष--

टण्डन जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री कलाश टण्डन--

मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। हमारे प्रतिपक्ष के एक नेता ने कहा कि मुसलमानों के लिए खाने के लिए गोली, पहनने के लिए कफन और रहने के लिए कब्रिस्तान है। कितनी सत्य से परे बातें हैं। मैं स्वयं बोलता तो सदन में खड़े होकर ऐसी बातें बोल नहीं पाता। मुरादाबाद की मस्जिद की बात कही गयी। हमारे क्षेत्र में एक मस्जिद है टूटी हुई, लोकदल के लोग वहां भैंस बांधते हैं, वहां एक माननीय विधायक रूपबली जो चुनकर आये थे, वहां मस्जिद नहीं दिखाई दी। जिसको तोड़ कर जमीन बना दिया गया। मुरादाबाद की एक घटना जरूर याद आ गयी। इस तरह की बातें कहकर सदन में जनता को गुमराह न करें।

श्री उपाध्यक्ष--

टण्डन जी, आप विराजें।

श्री कैलाश टण्डन--

मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस सरकार ने 6-7 महीने में जिस बहादुरी से चुनौतियों का सामना किया....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें। अब बोलने का समय 5 मिनट ही रहेगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मैं एक शेर पढ़ूंगा केवल।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना शेर जू में छोड़ आइये।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

यह जो राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधनगत सुझाव प्रस्तुत करने का मुझे आपने अवसर दिया है, मैं आभारी हूं। पहले मैं मांग करता हूं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हैं। एक तो उपभोक्ताओं को उचित रेट पर चीनी मिल सके, दूसरे चीनी मिल में काम करने वाले श्रमिकों को उचित वेतन मिल सके और तीसरे गन्ने का उचित मूल्य मिल

[श्री श्याम नरायन तिवारी—]

सके। पिछले दिनों हमारे प्रदेश में गन्ने के प्रश्न को लेकर आन्दोलन चला। यह सही है कि जब बिजली के दाम बढ़ गये, डीजल के दाम बढ़ गये, फर्टीलाइजर के दाम बढ़ गये तो गन्ने का दाम भी बढ़ना चाहिए और हम लोग तो इस बात का समर्थन करते हैं कि 30 रु0 प्रति क्वि0 गन्ने का दाम हो। मान्यवर, एक बात का निवेदन मैं करना चाहता हू कि ऐसे लोग इन सवालों को उठाने में आगे खड़े हुए, जिन्हें जब मौका मिला था तो गन्ने के दाम, गुड़ के दाम बढ़ाने की बात तो दूर रही, किसानों को गन्ना अपने खेतों में फूंक देना पड़ा।

(मेजों की थपथपाहट)

75 पैसे के हिसाब से गुड़ बिका, इसका असर हुआ चीनी उत्पादन पर। इसके बहुत से कारण हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। मैं तो केवल यही बात कहना चाहता हू कि सरकार गन्ने का दाम 22 रु0 और 23 रु0 प्रति क्वि0 देने को तैयार हो गयी है और देना भी शुरू कर दिया। हालांकि यह कम है फिर भी स्वागत योग्य है। मैं चाहता हूं कि यह आन्दोलन, जो मन्शा युक्त है, आज विदेशी और देशी ताकतें अराजकता, बिघटन पैदा करना चाहती हैं; तो मन्शायुक्त इस आन्दोलन को पराजित करने के लिए सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करे। इससे शक्कर का दाम कम होगा, गन्ने का उचित दाम मिलेगा और मजदूरों की समस्या हल होगी। इस आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए अराजकता पैदा करने वाले लोगों से बचाव के लिए, जनवादी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न हमारे राज्य में मुख्य सवाल बन जाता है। दूसरी बात है उप्र भूमि सुधारों के महत्व का। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, रोजगारों के अधिक अवसर देने के लिए, महंगाई रोकने के लिये जमीन के उचित बंटवारे हेतु सीलिंग कानून को कारगर ढंग से लागू किया जाना चाहिये। पिछले दिनों माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक वक्तव्य भी इस सम्बन्ध में दिया जिसका स्वागत होना चाहिये परन्तु इसका फिर से सर्वेक्षण करना जरूरी है। माडीफिकेशन करके कानूनन 10 एकड़ जमीन के हिसाब से अगर बांटी जाय, तो इस तरह से इन परिस्थितियों से हम निपट सकते हैं। ये कारगर तरीके हैं। एक सुझाव और है....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप कितना समय लेंगे ?

श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, एक मिनट। मेरे खीरिदा निर्वाचन क्षेत्र में न कोई नहर है, न कोई नलकूप है, नलकूप जो हैं वे भी टूटे हुये हैं। मैं चाहता हूं कि सर्वेक्षण के कार्य को नियोजित ढंग से प्रदेश के अन्दर किया जाय। इन क्षेत्रों में नलकूप लगवाये जायं। जंगल विभाग में लिपिकों को जो 175 रु0 प्रति माह वेतन पाते हैं, उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान कर्जा देने की व्यवस्था हो तथा इन्हें उसी दर पर वेतन, मकान तथा अन्य सुविधायें दी जायं। टांगिया मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सरकार प्रयत्न करे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और आप को बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री ओम प्रकाश जिंदल--

मान्यवर, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री तिवारी जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो बोलने के लिए समय दिया है मैं उसके लिए आपको धन्यवाद अदा करता हूं । मान्यवर, हमारे शासन में आने से पहले जनता शासन के 3 सालों में जो कुछ इस देश और प्रदेश में हुआ उससे आप और सभी माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं । उस समय सारे देश और प्रदेश में लूट मार भीषण महंगाई का दौर था, लोगों म असुरक्षा की भावना भरी हुई थी । इस प्रदेश में उस वक्त किसी भी महिला का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रहा था, किसी का घर सुरक्षित नहीं रहा था जनता त्राहि कर रही थी । उस वक्त बजाय इसके कि अपने शासन को ठीक करने का काम करते उन्होंने सिवाय आपस में लड़ने के कोई काम नहीं किया । और आज जब जनता ने इनके शासन को ठुकरा दिया तो यह बड़ी-बड़ी बातें करने लगे । मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं और अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं । अभी हमारे आगरा जिले के एक गांव सान्दपुर में एक घटना घटित हुयी थी और उस घटना में इतना दोष था कि पुलिस के एक अधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल न करके कुछ लोगों को डंडे मार दिये गये थ उस पर हमारे मुख्य मन्त्री ने बड़ी कड़ाई रुख अपनाया और सख्त से सख्त आदेश देते हुये वहां के दोषी अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया और सी० आई० डी० से जांच करवाने की घोषणा कर दी । लेकिन दूसरी तरफ आप देखें इन्हीं के शासन काल में आगरा के एक गांव पिनहट में 3 आदमी गोली से मार दिये गये, सारा गांव लूट लिया गया और उसमें काफी लोगों को चोटें आयी थीं लेकिन किसी के स्थानान्तरण की बात दूर रही कोई कार्यवाही तक नहीं की गयी थी । आज वे लोग विपक्ष में बैठकर बड़ी-बड़ी अराजकता और आंदोलन की बातें कर रहे हैं जबकि हमारे मुख्य मन्त्री ने एक छोटी सी घटना पर कड़े कदम उठाकर बधाई का काम किया इसके लिए आगरे में आज भी लोग हमारे शासन की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं । इन्हीं के लोग आज प्रेस के अन्दर हमारे शासन की तारीफ कर रहे हैं । एक तरफ आप देखें कि ये आरोप लगा रहे हैं जो कि गलत होते हैं और दूसरी तरफ ये लोग गलत एवं घृणित कार्य करते हैं मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं लोकदल के एक सदस्य अपहरण एवं बलात्कार के कार्य में शामिल रहे हैं आपको ख्याल होगा पिछले दिनों जब सत्र चल रहा था तो मैंने एक घटना धारा 301 के अन्तर्गत सदन में पढ़ी थी । लोकदल के एक संसद सदस्य एक महिला को उड़ाकर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया था । (शेम शेम की आवाजें ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्री जिंदल, संसद सदस्य के बारे में कुछ कहना, आरोप लगाना मुनासिब नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश जिंदल--

मैं सच बात कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा कहने का हक नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश जिंदल--

ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं । दूसरी तरफ आप देखें महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बहुत सी बातें कही हैं इस प्रदेश के अन्दर बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगायी जा रही हैं । हमारी इंदिरा जी और भारत की सरकार ने प्रदेश के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किया है उसके लिए हमारे मुख्य मन्त्री बधाई के पात्र हैं । इन्हीं के शासन काल म हमारा जो सारा औद्योगिक विकास था वह ठप हो गया था और हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गयी थी । इनके जमाने में जरूरत की चीजें नहीं मिलती थीं और आज आटा, गेहूं, चीनी हर चीज मिल रही ह सिर्फ कुछ चीजें कम मिल रही हैं लेकिन यह भोग उसी 3 सालों का है जिसका नतीजा है कि इनके शासन में जो महंगाई बढ़ी है वह अब धीरे-धीरे ठीक हो रही है जिसके लिए हमारे मुख्य मन्त्री बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में कोई भी परीक्षा समय पर नहीं हुई थी लेकिन हमारे शासन के तीन महीनों में ही समय पर परीक्षा कराई गयी थी । हमारे शासन ने इस तरह बहुत सी चीजें दिया है । हमारे शासन ने 24 सूत्री कार्यक्रम को कड़ाई से लागू करने की बात कही है क्योंकि इमरजेंसी में 24 सूत्री कार्यक्रम से ही जनता का बड़ा भला हुआ था । इससे मैं समझता हूं कि कमजोर और हरिजनों को बड़ा फायदा पहुंचेगा, मैं इसके लिए भी शासन को बधाई देता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, बिक्री कर के संबंध में हमारे शासन ने दिल्ली में एक वित्त मन्त्रियों की एक मीटिंग बुलाई थी और बिक्री कर के सरलीकरण और उसको ठीक करने की बात कही थी जिसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि वह जितनी जल्दी हो जाय वह उतना ही अच्छा है ।

मान्यवर, आगरा के अन्दर एक हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आगरा में हाई कोर्ट बेंच खोली जाय तो उससे उस क्षेत्र की जनता को बड़ा फायदा पहुंचेगा ।

मान्यवर, अंत में मैं श्री विमल प्रसाद तिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने शासन को बधाई देता हूं । धन्यवाद ।

*श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मान्यवर, मेरे पास महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति है, मैं इसे केवल एक कोरा कागज समझता हूं क्योंकि यह दिशाहीन है । मेरा ख्याल है कि नौकरशाही ने इस पर केवल लकीरें बना दिया ह जिसको राज्यपाल ने यहां आकर पढ़ दिया है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

यह कोरा कागज नहीं है, यह छपा है चश्मा लगाकर देखें ।

श्री चेतराम गंगवार--

आप ध्यान से सुनें ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमारे बरेली जिले में नवाबगंज तहसील अत्यधिक पिछड़ी है जिसका राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इसको फाड़ कर फेंक दिया जाय।

मान्यवर, जहां तक मंत्रिपंडल का प्रश्न है, जैसे कि सभी लोगों ने कहा है, तो मैं विरोध पक्ष की राय से इत्तिफाक करता हूं। कुछ लोगों ने कहा आरोप लगा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं मिथ्या भाषण नहीं करता हूं। मैं सही बात कहता हूं। मान्यवर, आज ही मेरा प्रश्न है, आपके यहां ऐसे मंत्री बैठे हैं जिनके भतीजे नवल टंडन, नवल होटल चलाते हैं [×××] उन्होंने एक सरकारी नई डीजल जीप 70 हजार रुपये की चुरा लिया। यह जीप सरकारी आई० ए० एस० आफिसर की है प्रियदर्शी और मिट्ठू जो ए० डी० एम० पी० और ए० डी० एम० डी०, बरेली हैं उनको मिली थी। मेरे प्रश्न का जवाब दिया गया कि 6 दिन के बाद 9 तारीख को रिपोर्ट लिखाई और ....

(व्यवधान)

मान्यवर, तो उसके दो महीने के बाद 9 तारीख के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वरिष्ठ मंत्री जो बैठे जो अनतिक व्यवहार करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह "छोकरियों का व्यापार" आदि शब्द का प्रयोग करना सदन में उचित नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैंने सही बात कही।

श्री अध्यक्ष--

सही बात में भी असंसदीय शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, उस चीज को टण्डन साहब आज भी चलाते हैं। मान्यवर, एक मन्त्री ऐसे हैं, मुझे कहने की आप आज्ञा दें; जिनके लड़के और जिनके भतीजे अलग-अलग केसेज में 302 के मुलजिम हैं।

एक सदस्य--

राज्यपाल के अभिभाषण का इससे क्या सम्बन्ध है।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, तो वह मन्त्री स्वयं भी मोटर में उनके साथ जो दफा 302 के मुलजिम हैं, दोनों साथ चलते हैं। मान्यवर, एक मंत्री जो ऐसे हैं जिनका लड़का स्कूटर चुरा ले गया एक का, अगर दूसरा होता तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती। एक बार बरेली में 20-25 आदमियों को लेकर गये और एक डाक्टर को बहुत पिटवाया। 452 के तहत घर में घुस कर मारा। कितनी दफायें गिनवाऊं ?

एक सदस्य--यह कोई भूतपूर्व मन्त्री होंगे।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, फिर मैं नाम ले दूंगा। आज वे सदन में नहीं आये क्योंकि मेरा प्रश्न था। मान्यवर, बड़े-बड़े लोगों का उनका साथ है और यहीं पर 40 चोर और मरजीना वाली बात कही गयी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी आप सुनें। और माननीय चेतराम गंगवार को बोलने दें।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहे जितनें सक्षम शासक हों पर यह कहना पड़ेगा कि आज सारे प्रदेश में डेमोक्रेसी है। आज प्रदेश में नौकरशाही है और पुलिस वालों का राज्य है। मैं अपने बरेली जिले का उदाहरण दूंगा वहां डेढ़ महीने पहले जहां हमारे डी0 एम0 साहब का कोर्ट है, कलेक्टर साहब का कोर्ट है वहीं पर थोड़ी सी दूरी पर यानी 15-20 कि0 मी0 पर एस0 पी0 साहब का कोर्ट है, वहां चार आदमियों को गोली मार दी गयी।

एक सदस्य--

एस0 पी0 का कोर्ट नहीं होता, एस0 पी0 का दफ्तर होता है।

श्री अध्यक्ष--

बोलने दीजिये।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, हमारे बरेली जिले के एक कारपोरेटर साहब हैं म्युनिसपैलिटी के सदस्य हैं, माननीय रईस खां। तो मान्यवर, श्री रईस खां का कसूर था कि वहां कुछ लोग ताश खेल रहे थे। वहां के ताश खेलते हुए एक आदमी को ले गये। मान्यवर, केवल ताश का ही खेल था, जुआ नहीं खेला जा रहा था। माननीय रईस खां साहब जो कांग्रेस के भी सदस्य हैं उनके लड़के शाहिद खां एक दूकान पर जता पहनने गये। वह जूता की दुकान पुलिस दफ्तर के बगल ही में है। तो वहां एक पुलिस अफसर उन्हें जूता पहनाने गये। उन्होंने कहा कि जूता पहन लें, पैसा कल देंगे। तो मान्यवर, दूकानदार ने जूता उन्हें पहनने नहीं दिया और जूता निकलवा लिया शाहिद खां के पैर से तो, मान्यवर, उन को घर से पकड़ ले गये और दूसरे दिन साहब खां को जेल भेज दिया। उन की लड़की जो इंजीनियर साहब की वाइफ हैं, असिस्टेन्ट इंजीनियर उन के दामाद हैं आवास विकास परिषद् कालोनी में रहते हैं उस को रात में 1 बजे पी0 ए0 सी0 वाले पकड़ ले गये, लड़का, लड़की को पकड़ ले गये, बहुत मारा पीटा, जलील किया। लड़की विडो है। इंजीनियर साहब का पिछले साल देहान्त हो गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि यह पुलिस राज है। अभी हमारे यहां बरेली में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी नहीं, आशंका थी। आप के कांग्रेसमैन, बड़े लीडिंग लायर, एडवोकेट हैं, सदाकत हुसैन साहब, सब से पहले उनको पकड़ ले गये पुलिस वाले। उन्होंने कहा कि सब से ज्यादा गुण्डा और बदमाश बरेली में यह है। मैं माननीय भानु प्रताप जी को बधाई देता हूं कि अगर उस दिन वह वहां नहीं होते तो सदाकत हुसैन साहब

जेल की हवा खाते । तो हमारे माननीय बाजपेयी जी को यह भ्रम है कि इस प्रदेश में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है या माननीय सिंह जी हमारे मुख्य मंत्री हैं । मान्यवर, यह पुलिस राज है । यह आई० ए० एस० आफीसर का राज है । मुझे दो मिनट में अपनी बात खत्म करने की आज्ञा दे दें । मैंने प्रश्न किया था । भतपुरा ब्लाक है हमारे यहां जहां दो सौ गांव रहते हैं । आप गृह विभाग के भी मुख्य मन्त्री हैं...

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

झुमकाबाजार कहां है बरेली में ?

श्री चेतराम गंगवार--

आप ने उत्तर दिया उस ब्लाक में कोई थाना नहीं है । 200 गांवों के बीच में कोई थाना नहीं है । मैंने पूछा था कि खुलवा देंगे । आप कहते हैं खुलवाने का कोई औचित्य नहीं है । 200 गांव के बीच कोई पुलिस स्टेशन नहीं है । दिन रात चोरी, डकैती होती है, कोई ऐसा साल, महीना नहीं है जब कत्ल, डकैती न हो । इसी महीने झगड़े में जोरावर सिंह को जान से मार दिया । पुरवाबाजार में 6-7 कत्ल हो चुके हैं । लेकिन वहां थाना स्थापित नहीं करना चाहते ।

बहुत सी चीजें कहने को हैं । आप देखें शक्कर का दाम दस रुपये, आठ रुपया है । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि गन्ने का भाव बढ़ेगा तो शक्कर के दाम भी बढ़ेंगे । शक्कर क्रश की जा रही है । 3·45 रुपया इस का भाव होना चाहिए था ।

एक सदस्य--

आप की गन्ने की खेती है ?

श्री चेतराम गंगवार--

मिट्टी के तेल की बात है । पांच रुपये का नोट लेकर मैं घूमता रहा किसी ने मिट्टी का तेल नहीं दिया । दस रुपया, पांच रुपया लीटर है...

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

दारुलसफा से ले लेते ।

श्री चेतराम गंगवार--

जरूरत की चीजें हैं । मान्यवर, गेहूं का भाव लखनऊ में ही देख लीजिए । आप लोग मिल मालिकों के पैसे से जीत कर आये हैं । 2·30 रु० गेहूं बिक रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप का समय समाप्त हो रहा है ।

श्री चेतराम गंगवार--

किसान के पैसे से आप रंगरेलियां मना रहे हैं । माननीय, क्या जरूरत थी आप को डनलप के गद्दे खरीदने की । 6 लाख रुपया बरबाद कर दिया । आज तक हम निवार की पलंग पर सोते रहे हैं । हमारा खून उतर आया जब हमारे कमरे में डनलप आया । शर्म आनी चाहिए थी इस सरकार को । यह जो माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने जो संशोधन मूव किया है मेरे भी 15 संशोधन हैं इनको देखें । आज मंदिर, मस्जिद में मुल्ला लोग...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री चेतराम गंगवार--

भ्रष्टाचार है । इनके दो सौ सदस्य इनसे नाराज हैं । प्रधान मन्त्री को लिखते रहते हैं कि शासन असक्षम है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री चेतराम गंगवार--

आप ने जो समय दिया इसके लिए मैं आप का आभारी हूं ।

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से बहुत सी बातें हुईं । कुछ बातें तो हमें बताने के लिये हुई और कुछ बातें अखबारों में छपाने के लिये हुई । कुछ तो उधार की हुई और कुछ अपने ही दिमाग की ईजाद की हुई । नेता विरोधी दल ने जो अखबारी ज्ञान की कतरनें पेश की हम लोगों को ज्यादा सस्ता होता कि जो वह ज्ञान अब तक तो दो रुपये किलो तक रद्दी के अखबार में बिक गया होता, उससे अधिक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ । लेकिन उनमें भी अगर वे कुछ कतरनें ऐसी रखते जो विकास और प्रगति की होती तब भी उनका तोल और मोल ज्यादा ही होता । बात चाहे कई लोगों की रही, लेकिन वह एक ही तरह की रही और एक ही तरह की उस तरह से जैसे कि कोई पुराना घिसा रिकार्ड जो एक ही लाक पर अटक गया हो और वह है मंत्रियों का भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार पिछले सत्र में यह रिकार्ड बलात्कार, बलात्कार, बलत्कार की लीक पर अटक गया था ।

श्री मोहन सिंह--

वह तो जुडिशियल इन्क्वायरी से सही निकला ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

बलात्कार सही नहीं निकला। कुछ लोगों के लिये अभी भी वही मौसम है।

(व्यवधान)

परन्तु इन चार महीनों में ऐसी घटनाओं और चर्चाओं की सूचना माननीय मोहन सिंह जी के उत्सुक कानों पर नहीं पड़ रही हैं।

श्री मोहन सिंह--

सब धीरे-धीरे पड़ रही हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

अब यह बातें उनके कानों में पड़कर जो प्रमाद हो रहा है उनको यथार्थ करने की मेरी शक्ति नहीं है। लेकिन यह मेरी सुनें या न सुनें मैं तो उनकी जरूर सुन लेता हूं। कानून और व्यवस्था बिगड़ गई है, इस पर विवाद हो सकता था लेकिन कुछ ऐसे अकाट्य प्रमाण विरोधी दल के माननीय सदस्यों न रखे कि मुझे यह मानना पड़ा कि वह बहुत बिगड़ गई है। मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरा भ्रम टूट गया है और वह तारीख 27 जनवरी को थी जब इस सदन में माननीय राज्यपाल जी अपना अभिभाषण देने आये थे। मान्यवर, उस दिन संसदीय परम्परा की शृंखला की एक-एक कड़ी यहां टूट गई थी। संसदीय परम्परा और मर्यादा का मखौल हम लोगों ने यहां पर उधर देखा था। मान्यवर, व्यवस्था बाहर बिगड़ी या नहीं बिगड़ी लेकिन इस सदन में हमें स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि विरोध पक्ष उसका स्वयं प्रमाण हो रहा है उस अव्यवस्था का बाहर प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, यह स्थिति केवल इस सदन में ही नहीं जो कि यहां 27 जनवरी को हुई वही भूमिका विरोध पक्ष की बाहर भी रही। मुश्किल हमारी यह है कि इनकी अदा है कानून व्यवस्था को भंग करना और हमारा कर्तव्य है कि उसको कायम रखना। कभी जब इनकी अदायें हम लोगों के काबू से बाहर हो जाती हैं तो हम लोगों को गुनाहगार करार कर कटघरे में रख देते हैं। गुनाह करना इनका हक है। राज्यपाल महोदय भी उससे त्रस्त हो गये। यह असलियत पर पर्दा डालना चाहते हैं अपने कार्यकलापों से लेकिन उस पर पर्दा नहीं पड़ सकेगा। असलियत जन आस्था का अवलंबन है और विरोध पक्ष उसे खो चुका है उसके स्थान पर यह जन आक्रोश का सहारा लेकर इस तरह से उसे जाग्रत करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

जब चुनाव होगा आप देखेंगे कि सब बिखरे हुए एकत्र होंगे और कांग्रेस का एक सिपाही खरा उतरेगा और आप टिक नहीं पायेंगे। असलियत पर आप खड़े होते तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन जन आक्रोश को प्रज्ज्वलित करने के लिए आज विरोध पक्ष इंसान की जान को आहूत करने को तैयार है और अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हिंसा और खून का हवन भी करने को तैयार है। मैं बतलाना चाहता हूं कि सन् 77 में जनता पार्टी का जन्म जन आक्रोश में हुआ था और उसकी मौत भी जन आक्रोश से ही हुई।

(व्यवधान)

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

मुझे दुख होता है यह कहते हुए कि मौजूदा विपक्ष, विपक्ष न होकर इसको अवरोध पक्ष होना चाहिए यह आज विनाश के कगार पर खड़ा है। इसका सबूत तक आया जब इस तरह के कार्यकलापों को इस तरह की टैक्टीस को अपनाया है जिनका राजनीति में कोई स्थान नहीं। अगर वाकयी जनआक्रोश उत्पन्न हो फिर उसका यह नेतृत्व करें तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। इसी आधार पर इन्होंने किसानों का आह्वान किया और किसानों के दिमाग में एक चिनगारी लगाने की कोशिश की थी।

(व्यवधान)

नासिक से वह आग अपने प्रदेश में लगाने की कोशिश की गई, लेकिन नासिक की आग यहां के किसान को नहीं लग सकी। क्योंकि उन किसानों को, जब वह अपने गन्ने के खेतों में अपने प्राणों की आह का दाह दे रहे थे तब आप, कफन के लिए एक पैसा भी देने के लिए आप तैयार नहीं थे। नासिक से आपने बड़ी कोशिश की यहां वहां मंत्र जपकर आन्दोलन कराने का, लेकिन यहां का किसान आन्दोलित नहीं हुआ, किसान का बेटा आन्दोलित हुआ और उनके बैठे हुए यहां नाती आन्दोलित हो रहे हैं। नातियों ने अपनी छाती ठोकी, लेकिन किसान उनके मातम में नहीं शामिल हुआ, यह खुद अपना जनाजा बनाकर बैठे हुए हैं। मान्यवर, माननीय ऊदल जी ने आन्दोलनों का जिक्र किया था।

एक सदस्य--

ऊदल जी आपकी वाणी से प्रभावित होकर इधर आ गये हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

और उन्होंने सही कहा कि गन्ने के आन्दोलन को लेकर नारायण दत्त तिवारी जी ने और सभी कांग्रेसजन ने 20 रुपया क्वींटल गन्ना का मूल्य देने की मांग की थी और जब हम लोग शासन में आए, तो जिम्मेदार विरोध पक्ष का कर्तव्य होता है कि वह जिन नीतियों को लेकर आवे, उनको पूरा करे। 20 रुपये के लिए हम लोगों ने आन्दोलन किया और जेल गये थे और शासन में आते ही 20 नहीं 23 रुपया हमने दाम कर दिया। यह घोषणा करने में हम लोगों ने मिल मालिकों का पंचायत की है, लेकिन इस शासन ने यह दिखा दिया है कि यह सरकार मिल मालिकों की जेबों के साथ नहीं है, वह गरीब किसानों और मजदूरों के साथ है। हमने दिखा दिया है कि हम मिल मालिकों से चुन कर नहीं आये हैं। इसीलिए निर्भीक होकर हमने यह निर्णय लिया है। नेता विरोधी दल ने यह कहा कि भाव लोकदल के डर से बढ़ा दिये गये। हमें लोकदल का क्या डर रहा। उस दल का क्या डर, जो 3 रुपया भी नहीं दे सकी है। वह 30 रुपया मांगे और यह कहे कि हम आंसू बहायेंगे, लहू बहायेंगे, हमसे आप डर जाइये। इनका लहू और आंसू तो सूख गया था, उसके गन्ने के रस के साथ वह सूख गया था और बाद में वह नहीं निकला। जिस समय गन्ने की चिता जल रही थी, उस समय आपके नेता ने तो अपना सर ही कपाल क्रिया के लिए पेश कर दिया था इस क्रिया के लिए।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

खड़े होकर कह दीजिए, झेंपते क्यों हो ? बोलो ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वह न बैठें बोल सकते हैं, न खड़े होकर और न लेटकर बोल सकते हैं। यह बात कही गई कि चीनी महंगी है। मान्यवर, यह बात कही गई कि चीनी महंगी है, मैं मानता हूं कि चीनी महंगी है लेकिन इसलिए चीनी महंगी है कि जो 680 लाख टन का पैमाना सन् 77 में हमने आपको दिया था, उसको आपने 471 लाख पर घटाकर इस प्रदेश को दिया है। चीनी इसलिए महंगी है कि 25 पैसा सेल्स टैक्स की जो छूट है वह मिल मालिकों के हाथ में गया है, अगर किसान को दी जाती तो सस्ती होती। केवल एक चीज तीन साल में आपकी सस्ती रही है। आपकी जबान सस्ती रही है जिस पर मोरार जी देसाई ने कहा है कि हमारा घोषणा-पत्र कोई माने नहीं रखता है। मान्यवर, चीनी इसलिए भी महंगी है कि खान्डसारी के भाव 9 रु0 से घटाकर आपने 6 रु0 कर दिया जिससे किसानों का कमर टूट गई और इसलिए भी किसान हमारे साथ है कि हमने पहली बार गन्ने के मूल्य की 20 रु0 और 23 रु0 की घोषणा की और चूंकि किसानों ने साथ दिया इसलिए 15 दिसम्बर के बजाय 7 दिसम्बर से गन्ने का भाव दिया।

एक सदस्य--

फिर 16 फरवरी को परेड की जरूरत क्यों पड़ी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं तो सुझाव दूंगा कि या तो आप स्वयं ही बोल लें। उस परेड को भी आप देख लीजिए। जून सन् 77 में साढ़े सैंतालिस करोड़ रु0 सीजन का बकाया था जो अब 24 लाख रह गया है। साढ़े 10 करोड़ के पुराने बकाये थे जिसे छः महीने के अन्दर पांच करोड़ तक ला दिया है। आज किसान हम लोगों के साथ इसलिए भी है कि पूरे देश में यदि पैंडी की खरीद कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में ही हुई है। आज किसान इसलिए भी हमारे साथ है कि उसके लिए नहरें चालो हैं, उद्योगों की कटौती करके उसके ट्यूबवेल चलें हैं, उसको बिजली दी है। इसलिए भी आज वस्तुयें महंगी हैं कि जो सन् 78 और 79 में एक लाख, पन्द्रह हजार टन गेहूं की पैदावार थी, वह सन् 79-80 में केवल 97 हजार टन की रह गई। इसलिए भी महंगाई है कि सन् 1978 और 1979 में जो पैदावार 60 लाख टन की थी वह पैदावार 79-80 में केवल 26 लाख टन ही रह गई। इस-लिए भी गेहूं मंहगा है कि इन्दिरा जी ने जो गेहूं का स्टाक रखा था, 3 वर्षों में आप उसको खाली करते रहे और जो शेष बचा उसी को हम लोग राहत कार्य पर लगा सकते ह और जनता की भुखमरी को रोक सकते हैं। यह हम मानते हैं कि खाद्य और अन्य चीजों के भाव बढ़े हैं। कुछ भाव इम्पोर्टेड चीजों के कारण बढ़ते हैं। जो आयात किया हुआ माल होता है उसके कारण भाव बढ़े हैं। फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन के कारण भी कुछ भाव बढ़े हैं। आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप ही के शासन काल में तीन गुना भाव बढ़े हैं, जो इस गुणनफल में कभी नहीं बढ़े।

श्री कुबेर भण्डारी--

जो खाद्य तैयार था उसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

कहां-कहां के भंडार की बात समझाएं, खाद्य के भंडार की बात समझाएं, दिमाग के भंडार की बात समझाएं ?

आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुधारने के लिए, जनता के सामने जो कठिनाइयां आ रही थीं, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक साहसिक कदम उठाया है । उसकी भी निन्दा हमारे माननीय मित्र सेन यादव जी ने की और कहा कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण जो सहकारी क्षेत्र में दिया गया है वह भी निरर्थक है । हम लोगों का अनुभव रहा है कि जो निजी क्षेत्र में व्यापारी थे, 3 वर्ष की अवधि में आपके ही नियुक्त किए गए अधिकाश होंगे, वे गांव में एक तोला भी चीनी नहीं पहुंचा पाए थे । वह व्यवस्था केवल टूटी ही नहीं अपितु थी ही नहीं । अगर हमारी समाजवादी व्यवस्था में आस्था है तो हमको इस ओर दृढ़ता से चलना होगा अब तक 16 हजार निजी क्षेत्र से सहकारिता के क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं । हमने तहसील स्तर से ब्लाक स्तर तक सामान पहुंचाने के लिए 1 करोड रुपए का प्राविधान किया है । साथ ही साथ चोर बाजारी जो लोग करते रहे हैं, जो जान तो नहीं मारते हैं लेकिन पेट मारते आए हैं, उनके विरुद्ध सक्षम कदम उठाए हैं । अप्रैल 1980 और दिसम्बर, 1980 के बीच में हमारी सरकार द्वारा 34 हजार छापे डाले गए थे और 2 करोड़ 68 लाख रुपए का माल पकड़ा गया है और 2,720 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं । इस मामले में अवश्य ही कुछ अधिकारी कुछ लोगों को कठोर लगते हों और उनको अधिकारियों का शासन लगता हो लेकिन ऐसे चोर बाजारी और कालाबाजारी करने वाले सरकार के पंजे से भाग नहीं पाएंगे । हमारे अधिकारी ही नहीं बल्कि कारागार के अधिकारियों का भी अनुशासन उन पर रहेगा । और कोई भी उनको हथकड़ी लगाने में बाधा नहीं डाल सकेगा । बड़ी से बड़ी हस्तियां भी गिरफ्त में ले ली जाएगी ।

यहां पर एक-एक बात का छिद्रान्वेषण हुआ लेकिन मैं तो कहता हूं कि इस सम्बन्ध मे विरोधी पक्ष को इसके अलावा और कोई चीज कहने वाला नहीं है । इस सरकार ने पहली बार निर्णय किया है कि मजदूरों को प्रबन्ध में साझेदारी दी जाएगी और वे मजदूर अब बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के साथ बैठेंगे । इस सरकार ने जो चीनी मिल में श्रमिक काम करते हैं, उनकी वेजज को बढ़ा कर 461 रुपया कर दिया है । खंडसारी में भी जो श्रमिक 8 वर्ष से काम करते थे और जिनको मात्र 100 रुपया दिया जाता था, उनको एक कलम से 160 रु0 कर दिया गया है । जब पालेकर एवार्ड आया तो सरकार ने बड़ी दृढ़ता के साथ पत्रकारों के मालिकों से कहा कि पालेकर एवार्ड को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । और इसके लिए इम्पलिमेंटेशन के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी । (व्यवधान) यही नहीं जहां तक सरकारी कर्मचारी और पे कमीशन का सवाल है पूरे विश्वास के साथ और पूरे प्रजातांत्रिक ढंग से पे कमीशन की रिपोर्ट सामने रखी गई और उसे सचिवालय की किसी कोठरी में बन्द नहीं किया गया और विश्वास के साथ उसे जनता के सामने रखा गया । एक आदान प्रदान की प्रक्रिया जारी की गई । मुझे विश्वास है कि इस प्रक्रिया में टकराव का मौका नहीं है । इसके अलावा यह सरकार श्रमियों के पक्ष में भी यह सरकार मजबूती से खड़ी रहेगी । जब लाक आउट हुआ जे0 के0 रेयन, जे0 के0 स्पिनिंग मिल और मोदीनगर की मोदी टेक्सटाइल का मामला सामने आया तो सरकार ने मिल मालिकों से कहा कि सरकार मिल के बन्द दरवाजों को अपने मजबूत हाथों से

खोलेगी । इसी इमारत के अन्दर जब एक मिल मालिक ने कहा कि वह इस मामले को तय करने को तैयार नहीं हैं तो उनसे साफ कह दिया गया कि 7 दिन में उनकी फैक्टरी सरकार ले लेगी और 10 दिन में मजदूर का मामला तय हो जायगा । यह सरकार बिकी हुई सरकार नहीं है, सोने की तराजू पर चढ़ने वाली सरकार नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मुख्य मंत्री जी ने मोदीनगर के मजदूरों की चर्चा की । मैं जानना चाहूंगा कि मोदीनगर के सम्बन्ध में जो आर्बिट्रेशन हुआ क्या उनको आपने एवार्ड दे दिया ? यदि दे दिया तो क्या दिया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मैं मजदूरों के हर मामले में हमेशा खुली तौर पर जवाबदेय हूं । बोनस की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है (व्यवधान) वही एवार्ड है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

जब तक मुख्य मंत्री बैठते नहीं तब तक माननीय ओझा जी खड़े न हों ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

तीन साल में आपने क्या किया था जरा ओझा जी उसमें भी हमारी मदद करें । तीन साल में यह हुआ कि नगरपालिकाओं में सफाई मजदूर थे उस संबंध में तीन करोड़ रुपया उस समय की सरकार बकाया छोड़ गई है । जून में 3 करोड़ रुपए की मौजूदा सरकार ने व्यवस्था की है और यह आदेश दिए हैं कि इस धनराशि का अगर किसी अधिकारी ने अन्यत्र इस्तेमाल किया तो वह दंड का भागी होगा । सफाई मजदूर शहर को नरक से बचाता है, उसे चमकदार बनाता है लेकिन उस सफाई मजदूर को आपने उसके बच्चों को भूखा रखने के लिए मजबूर किया क्योंकि 3 करोड़ का आपने भुगतान नहीं किया था ।

मान्यवर, यह आंकड़े सही हैं । मान्यवर, यह भी फैसला किया गया है कि आईंदा से ऐसी शर्मनाक घटना इस प्रदेश में न हो । यह आदेश दे दिया गया है कि अगर चेक कटनी है तनख्वाह की तो पहले सफाई मजदूर का चेक कटेगा, उसके बाद अफसरों का ।

(व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जाइए । आप बैठ जाइए । जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हैं, तब तक आप बैठ जाइए । अगर वह बैठ जायंगे, तब आप खड़े हो जाइए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, मुझे दुःख है कि यह तथ्य शायद अच्छा न लग रहा हो । लेकिन यह तथ्य रखना मेरा कर्त्तव्य है । माननीय भीखा लाल जी ने एक भूमिहीन के

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

सम्बन्ध में सवाल उठाया और हमारे तिवारी जी ने भी कहा, भूमि ीन के संबंध में और आपको जानकर खुशी होगी कि जो लोग, जिनको पट्टा दिया गया है, भूमिहीनों को, अगर उसमें कोई कब्जा करता है, तो 6 महीन से 3 साल तक की सजा का प्राविधान कर दिया गया है । यह भी विचार करना होगा, आखिर जिसको हम भूमिहीन कहते हैं, क्या वे वही आदमी हैं, जो सबेरे से लेकर शाम तक किसानी करता है, किसानी की सब प्रक्रिया वह करता है, लेकिन किसान नहीं कहलाया जाता । जिसके पास कागज की मिल्कियत है और खेत पर नहीं जाते हैं, वह तो किसान है, लेकिन जो किसानी का सब काम करता है, वह किसा नहीं है और जो धरती से काम करता है, वह किस न नहीं है, जो कागज पर काम करत है, वह किसान है । जो छोटे किसान हैं 3 1/8 एकड़ से कम जिनके पास अगर भूमि है, अगर कुल रकबा 3 1/8 एकड़ से अधिक नहीं होता है, तो वह उनके कब्जे जो हैं, उनको जायज मान लिया गया है । इससे हजारों-हजारों परिवार को लाभ पहुंचा है ।

मान्यवर, जहां सामान्य प्रशासन और ला एन्ड आर्डर की बात आई । कानून और व्यवस्था की बात आई, उस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि बातें तो बहुत कही गयीं, कानून और व्यवस्था के बारे में आप जो अखबारों में पढ़कर कहते हैं, कानून और व्यवस्था का यह अर्थ नहीं है कि कोई जरायम होगा ही नहीं । अगर कोई जरायम की परिस्थिति न हो, तो शासन की आवश्यकता ही नहीं । लेकिन यह देखना है कि जो परिस्थिति है शासन के सामने, उसकी व्यवस्था, मुकाबिला कर सकता है या नहीं । इस शासन के सामने शपथ लेते ही बाढ़ की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती आई थी और मुझे याद है कि केन्द्र से जो टीम आई, वह संतुष्ट होकर गयी, चकित हो कर गयी कि कैसे यह इतना एलर्ट है । यह प्रदेश और मैं शिक्षण संस्थाओं और शिक्षकों को बधाई दूंगा कि 4 वर्षों तक कभी भी परीक्षा समय से नहीं करा पाये थे । पहली बार इलाहाबाद की जहां पर हमारे मोहन सिंह जो पहुंच गये थे, परीक्षा समय से कराई गयी थी । मान्यवर, हर जगह परीक्षायें अच्छे ढंग से सम्पन्न हुयी हैं ।

मान्यवर, अब मैं डकैती, लूट, चोरी, गृह-भेदन और बल्वे के आंकड़े जनता पार्टी के प्रथम 6 माह के और मौजूदा सरकार के प्रथम 6 माह के, देता हूं और ये आंकड़े गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ये आंकड़े इनके थे ।

डकैती--जनता शासन के प्रथम 6 माह में	2,508
कांग्रेस शासन के प्रथम 6 माह में	1,806
लूट--जनता शासन के प्रथम 6 माह में	5,234
कांग्रेस शासन के प्रथम 6 माह में	3,658
गृह-भेदन--जनता शासन के प्रथम 6 माह में	24,418
कांग्रेस शासन के प्रथम 6 माह में	15,693
बल्वे--जनता शासन के प्रथम 6 माह में	7,545
कांग्रेस शासन के प्रथम 6 माह में	5,798

और, गत वर्षों में भी जो जरायम हुये हैं, यहाँ पिछले 3 वर्षों में, वे इन 6 महीनों में सबसे न्यूनतम पर पहुंच गये हैं ।

एक सदस्य--

बलात्कार ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उसके विशेषज्ञ तो उधर ही हैं ।

इसके अतिरिक्त हमारे सामने जो चुनौतियाँ थी, उनमें एक यह भी थी कि जो त्यौहार पड़े, वे शांतिपूर्ण रहे । हमारे बकरीद का त्यौहार पड़ा, दशहरे का त्यौहार पड़ा, दीवाली का त्यौहार पड़ा, मोहर्रम पड़ा । कोई भी प्रान्त के बाहर का या अंदर का यह नहीं कहता था कि ये त्यौहार इतने शांतिपूर्ण ढंग से बीत जायेंगे । वह एक चुनौती थी सामान्य प्रशासन के लिये कि जहां लाखों लाख लोग सड़क पर एक साथ इकट्ठे थे । लेकिन टेन्शन के ऐटमास्फियर में भी चारों त्यौहार यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से बीत गये और इसके लिये यहां की जनता को मैं बधाई देता हूं और प्रशासन को भी बधाई देता हूं ।

एक चुनौती किसान अन्दोलन के बारे में कह चुका हूं और किसान अंदोलन के बाद दूसरी चुनौती विद्यार्थियों की थी । मान्यवर, मैंने नरबलि तो सुना था लेकिन सत्ता की पिपासा में अपने औलाद को बलि देने के लिये जो योजना बनायी गयी, उसका मुकाबिला करना दूभर होता है । लेकिन मैं अपने नौजवानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने समझदारी बरती और सरकार ने ठोस कदम उठाये और 5.00 करोड़ रु० का एक फण्ड नौजवानों की भलाई के लिये कायम किया और उनकी समस्याओं को हल करने के लिये स्टेट कौंसिल की स्थापना करने का निर्णय लिया । मान्यवर, हमारे विरोध पक्ष के लोग उधर बैठे हैं । मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अब प्रत्येक नौजवान ने समझ लिया है कि वह दिन लद गये हैं कि जब कि राजनैतिक पार्टियाँ विद्यार्थिओं को अपनी राजनैतिक बंदूक में कारतूस की तरह इस्तेमाल कर लिया और जब अपना मतलब हल हो जाय तो खोखे की तरह फेंक दिया । वे हमारी औलाद हैं और हम उनको छाती से लगाकर चलेंगे ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री कुबेर भंडारी--

देवरिया जिले में जहाँ आप देवरहा बाबा के पास जाते रहते हैं, अभी चौथा रोज है कि वहां छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है और छात्रों को घसीट कर मारा ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वही प्रयास तो मैं कर रहा हूं यही नहीं, मान्यवर, विद्यार्थियों को उकसाया गया । मान्यवर, कुछ चीजें पार्टी के ऊपर होनी चाहिये । उसमें एक चीज है विज्ञान का विकास । उसमें कोई दल की बात नहीं है इसका लाभ सबको मिलता है जिस तरह से सूरज की रोशनी सबको मिलती है विज्ञान का लाभ सब को मिलता है । अभी जब इण्डियन सांइस कान्फ्रेन्स के सम्बन्ध में बनारस प्रधान मंत्री जाने वाली थीं तो उनके सामने....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ--

वहां मैं गया था....

श्री अध्यक्ष--

मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

श्री पंचानन--

उसमें पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जांय ।

श्री यदुनाथ--

मैं वहां गिरफ्तार किया गया था इसकी सूचना आपको मिली है या नहीं ?

श्री पंचानन--

लोक दल को पढ़ने लिखने से क्या मतलब । ये तो हल्ला मचाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मुझे आपत्ति है पंचानन जैसे हजारों को पढ़ाया जा सकता है इसको कार्यवाही से काटें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठ जांय ।

(व्यवधान)

मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आवेश में किसी व्यक्ति या किसी दल के विरुद्ध कोई बात ऐसी कहना जो मर्यादा के परे हो उचित नहीं है और आवेश में इस तरह के व्यक्तिगत आरोप इस बात का द्योतक होता है कि आपके पास कोई उचित बात कहना बाकी नहीं है और आप साकार और सार्थक बात कहने में सक्षम नहीं हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप सभी माननीय सदस्य शान्ति से सब की बात सुने ।

श्री खैरुल बशर--

माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य में स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जब बैठ जायं तो स्पष्टीकरण करें ।

श्री मोहन सिंह--

पूरे दल के बारे में....

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि नहीं कहना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, आपने जिस भावना का संकेत दिया, उसी की ओर मैं भी चर्चा कर रहा था । जब कोई बात कही जाए या किसी ऐसी सभा में शरीक होकर अपनी बात कहनी हो, जो राजनीति से परे हो । उस समय सहिष्णुता और सामन्जस्य की भावना रहनी चाहिए । और बनारस में जो इण्डियन सांइस कान्फ्रेंस में प्रधान मंत्री का जब आगमन था । वह विज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धान्जली और पुष्पांजली देना चाहती थीं । लेकिन कुछ गड़बड़ी पैदा करने वालों ने गड़बड़ी पैदा करनी चाही । लेकिन मैं वहां के लोगों, वहां के नौजवानों और वहां के रहने वालों को बधाई देता हूं कि वह जो आवाहन था गड़बड़ी पैदा करने का उसमें उन्होंने उनका साथ नहीं दिया । इसलिए वे सब बधाई के पात्र हैं । और जैसा कि कहा गया है कि आजम साहब ने कहा कि इन्दिरा गांधी मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहती हैं । यह बात आजम साहब की बिल्कुल तथ्य से परे है । ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता है । आप एक चीज अपने मन में स्वयं टटोल लें और जरा उधर भी देखें जहां आसाम आन्दोलन चल रहा है और आन्दोलन कारियों की यह मांग है कि हमारे भाइयों को बाहर निकालो । अब इन्दिरा गांधी ही उस रास्ते में खड़ी हैं और वहां श्रीमती तैमूर को और महाराष्ट्र में श्री अंतुले को सत्ता सौंपी है । इसके अलावा मैं सब स्वीकार कर सकता हूं और सब स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन इन्दिरा गांधी जी पर जो आरोप लगाये जा रहे हैं, जो तथ्य से भी बिल्कुल परे हैं, उनको स्वीकार करने को किसी भी हालत में तैयार नहीं हूं ।

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने आसाम के बारे में कहा । वह मैं समझता हूं कि वह यह सब आवेश में आकर कह गये हैं । आसाम का आन्दोलन अकलियत को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि उनका आन्दोलन अन्य मुद्दों पर है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह केवल इतना बता दें कि मुरादाबाद इंक्वायरी का क्या हुआ ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

यह आसाम का नाम आते ही श्री गुप्ताजी खड़े हो गये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह गलत बयानी न कर ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

और मुरादाबाद बल्कि अब मैं जौनपुर और शाहगंज पर आता हूं । शांतिपूर्ण ढंग से बारावफात का त्योहार हमारे मुसलमान भाई मना रहे थे । जो 3-4 साल से बन्द था । वह अपना कोई भी फंक्शन नहीं कर पाते थे । लेकिन

[श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह---]

इस शासन ने यह निर्णय लिया बारावफात का त्यौहार मनाया जायेगा। हर मजहब को हक है कि वह अपने त्योहारों को स्वतंत्रता पूर्वक मना सकें और सरकार उसमें शान्ति बनाये रखने का जिम्मेदार है और सरकार उनकी पूरी सहायता करे उस अवसर पर जम्मू और तामिलनाडू से वहां लोग आये हुए थे। उस मजमें पर मुसलमान भाइयों पर पथराव हुए, वह शान्तिपूर्वक खड़े रहे और दूसरे-दूसरे प्रदेशों से जो हमारे भाई यहां आये हैं वह पूरी मेहमानवाजी करके जायेंगे। जो भी अराजक तत्व किसी भी माइनारिटी के लोगों को कोई किसी प्रकार परेशान करेंगे तो वह छूट नहीं सकते।

राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने एक प्रश्न और उठाया था, वह था कि डाकुओं के जो हथियार हैं...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मुरादाबाद के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, उसको भी कह दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

मान्यवर, मैं आपकी सुरक्षा इस मानें में चाहता हूं कि या तो इसको ही अ.प क्वीश्चन-आवर डिक्लीयर कर दें मैं सारे प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। या जो प्रक्रिया है, माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है, मैं कोशिश कर रहा हूं इस थोड़े से समय में प्राइरिटी के हिसाब से अपना जवाब दे दूं। उस मामले में आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने सेल्फ-लोडिंग राइफिलें स्वीकृत कर दीं हैं डाकुओं से मुकाबला करने के लिए।

नेता, विरोधी दल की परेशानी को, छटपटाहट को मैं समझ रहा हूं क्योंकि हमको लग रहा है कि रिकार्ड पुरानी-लीक, बागपत पर अटका हुआ है और हम वहीं पर नहीं आये हैं। मैं उसी को बता रहा हूं। बागपत, मान्यवर, शासन ने पहले ही कहा था और इस सदन में भी कहा था कि यह रिपोर्ट एस० एस० पी० की आयी है, उसी पर बड़ा हंगामा हुआ यह हंगामा हुआ कि आप एस०एस०पी० की रिपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं, बड़ी मानि-हानि हो रही है। उससे जो जनता की ओर से आपत्तियां आयीं थीं उनका बयान भी उनके बाद था। एक जुडिशियल इंक्वायरी की भी उसके अन्दर सूचना थी। मेरे पास श्री राम नरेश यादव जी का पत्र आया था जिसमें उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की थी। जुडिशियल इंक्वायरी हो गयी फिर सारे सदन में दो महीने तक यह चलता रहा कि जुडिशियल इंक्वायरी से बड़ी गड़बड़ होगी। सी० आई० डी० वालों की होनी चाहिये। अब जो जुडिशियल इंक्वायरी ने फैसला कर दिया तो उसके आधार पर विवेचना की गई है। तो अभियोग है कि सी० आई० डी० वाले लीपा-पोती करेंगे। यह केवल जानकारी देना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, कमीशन इंक्वायरी ऐक्ट के तहत जो साक्ष्य लिये जाते हैं उसके आधार पर आप अभियोजन नहीं चला सकते हैं। इण्डियन एवीडेन्स ऐक्ट के अन्तर्गत जो विवेचना के आधार पर जो साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार आप अभियोजन चला सकते हैं। इसलिए जैसे ही रिपोर्ट आयी और मेरे पास है, बागपत काण्ड की, हम लोगों ने, जिनका जिक्र किया गया है, उनको तुरन्त मुअत्तल किया और विवेचना के आदेश दे दिये गये हैं और उसी के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। इसमें जब आप देखें जहां तक बागपत कमीशन ने जो कहा है समापन में तीनों हत्याओं और उनका जिक्र करते हुए तो यह कहा है

कि फलां लोग रहे हैं । पुलिस दल के अन्य सदस्य जो उस स्थान पर उपस्थित थे, 6 नाम दिये । पुलिस आग्नेयास्त्र उनके पास थे । 10 नाम दिये हैं और 10 के सम्बन्ध में उन्होंने यह लिखा है कि यह सभी 10 पुलिस जन प्रतिनिधि के रूप में उत्तरदायी हैं । आगे यह कहा है कि उन्हें दोषमुक्त करने के लिये एक विशेष बात यह है कि उन्होंने स्वयं अपनी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की थी बल्कि उन्हें, नरेन्द्र कुमार सिंह, जिसने उन्हें पुलिस स्टेशन से बुलाया था, के आदेशों एवं निदेशों के अधीन हो, उस समय भाग लेना पड़ा था । वस्तुतः इस कमीशन ने तो उनको दोषमुक्त कर दिया लेकिन फिर भी कहीं भी लेशमात्र शंका न की जाय कि शासन पक्षपात कर रहा है उनका निलम्बन कर दिया गया और सी० आई० डी० की इंक्वायरी कर दी गयी और जहां तक रही खबरों की बात...

श्री नरेन्द्र सिंह--

माननीय, यह तो बिल्कुल साफ है कि जिला प्राशासन ने पहले न उनका स्थानान्तरण किया और न उनका ससपेन्शन किया, जब इंक्वायरी कमीशन बैठ गया तो इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिश पर उनका स्थानान्तरण हुआ और ससपेन्शन अब हुआ । मैं श्रीमन् यह जानना चाह रहा हूं कि जिन अधिकारियों ने बराबर यह बताया कि डकैतों के साथ इनकाउण्टर हुआ है तथा दिये गये तथ्य कन्सील करते रहे, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने इस कमीशन रिपोर्ट के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उनसे भी जवाब तलब किया गया । माननीय, भ्रष्टाचार की बात बहुत कही गयी । वही चीजें बार-बार मैं दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन बार-बार जब कह देते हैं तो अपनी सुरक्षा में कहना पड़ता है । इसलिये कि क्या यह कम था कि आपके 12 सी० एम० ओज निलम्बित किये गये और 2 करोड़ रुपये की गड़बड़ी पकड़ी गयी, वह इसी शासन का काम रहा । 30 लाख के उर्वरकों के घोटाले को भी इसी शासन ने पकड़ा था । यही नहीं सन् 1980 में घूस लेते हुए 49 कर्मचारी गिरफ्तार किये गये हैं, जिसमें 11 राजपत्रित हैं । न्यायालय द्वारा 9 को कारावास हुआ है और अभियोजन 115 को भेजा गया है । पुलिस में भी 1-7-1980 से दिसम्बर तक सरकार के प्रथम 6 महीने में 31 पुलिस जन भी सेवा मुक्त हुए हैं और 119 पदावनत हुए हैं । जहां तक यह आरोप कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाहियां नहीं होती हैं, यह गलत है । साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि इस बीच बहुत से पुलिस जन और अन्य अधिकारी अपने कर्तव्य पालन में अपनी जान भी खोये हैं, उनको भी आंखों से ओझल नहीं करना चाहिये । माननीय, एक प्रश्न आया बार-बार राजनीतिक स्थिरता की बात उठायी जाती है ।

श्री ऊदल--

आपने कहा था कि बिना विधान सभा का चुनाव लड़े हुए बजट नहीं पेश करूंगा ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मैं उसी तरफ आ रहा हूं ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

मान्यवर, राजनीतिक अस्थिरता का प्रश्न उठा रहे हैं। मैं आज एक बधाई देना चाहता हूं, हर जन्म खुशी का होता है। आज भालोद के लोद से एक लो लो पार्टी का जन्म हुआ।

(हंसी)

लोकतांत्रिक लोकदल का जन्म हुआ है इस पर मैं बधाई देना चाहता हूं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

यह ऐसा है जैसे कांग्रेस से इंदिरा कांग्रेस का जन्म हुआ था।

एक सदस्य--

बधाई हो, बच्चा हुआ है, मुन्ना हुआ है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मैं जानता हूं अस्थिरता में पैदा हुआ दल भी स्थिरता का नारा लगायेगा। रही बात मेरे बारे में, मैंने यह बात जरूर कहा था, बाहर कहा था, सदन नहीं चल रहा था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

छोड़िये, हो गई वह बात।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, कुछ हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के सम्बन्ध में चीजें कहीं गयीं और कैसी-कैसी चीजें कही गयीं हैं। मान्यवर, हमारे एक साथी के बारे में कहा गया था उसका निराकरण उन्होंने सदन में दे दिया। बाकी जो बातें हैं कोई भी स्पेसिफिक बातें नहीं हैं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस पर एक सदन की कमेटी बनाई जाय और जांच की जाय। अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में सदन की कमेटी बनाई जाय।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, एक बात और कही गई है उद्घाटन के सम्बन्ध में।

श्री धरमपाल--

मैंने स्पष्ट आरोप लगाया है विद्युत् मंत्री के खिलाफ, उन्होंने अपने एक चहेते लड़के को विद्युत् विकास परिषद् का अध्यक्ष बनाया है, इस सम्बन्ध में आप स्पष्टीकरण दे दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

क्या अनचहेतों को बनाया जाय ?

(हंसी)

यहां बहुत सी बातें आयीं, मैं समझता हूं कि संसदीय प्रणाली का कुछ भी मूल्यांकन नहीं किया गया है। विभाग केवल सुविधा के लिए बांटे जाते हैं, सरकार विभागों में विभक्त नहीं है। कोई भी मंत्री जहां तक जनता का सवाल है, प्रशासन का सवाल है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है और कोई भी मंत्री किसी भी विभाग के बारे में जिम्मेदारी के साथ बातें कह सकता है। अध्यक्ष जी, यह बात उठाई गई कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक उद्घाटन अल्यूमिनियम के बारे में क्यों किया। मैं खुद वहां मौजूद था। तो मान्यवर, सब प्रश्न उठाए गए लेकिन कुछ प्रश्न नहीं उठाए गए जो इस प्रांत की प्रगति से सम्बन्धित हैं। जनता बाहर अपने मसालों को लेकर खड़ी है वह उसका हल चाहती है। उसको नहीं उठाया गया वह विरोधी दल का कर्त्तव्य था। क्योंकि उन मसलों और प्रश्नों को वह हल नहीं कर सके जो प्रगति के प्रश्न थे और न उन पर ध्यान दिया। उन्हीं समस्याओं और प्रश्नों को लेकर 6,200 करोड़ रुपए की छठी पंचवर्षीय योजना आई है। जिसमें 570 करोड़ अपने पहाड़ी क्षेत्र के लिए रखा गया है। श्री शिवानन्द नौटियाल ने औसत लगाया है कि जिले के हिसाब से 872 करोड़ रुपए होना चाहिए, यदि प्रति जिला बांटा जाय। यदि जिले के हिसाब से नहीं बल्कि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पहाड़ी क्षेत्र में 4.5 जनसंख्या का प्रतिशत है जिसके हिसाब से 279 करोड़ रुपए पड़ता है लेकिन न्याय की दृष्टि से 570 करोड़ रुपए रखा गया है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

केन्द्रीय सहायता का क्या प्रतिशत है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

50 प्रतिशत।

छठी पंचवर्षीय योजना को संक्षेप में बताना चाहता हूं कि कृषि, बिजली और सिंचाई को जोड़ दें तो 70 प्रतिशत इसमें लगाया जायेगा। यह किसान भाइयों के लिए बहुत उम्मीद की चीज है।

मान्यवर, पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखंड के बारे में शर्मा जी ने जिक्र किया तो चाहे पूर्वान्चल हो या पहाड़ी क्षेत्र या बुन्देलखंड हो, इनमें सभी में मेरा ध्यान है कि जो असमानतायें वहां हैं उनको दूर किया जाय। वर्ष 1981-82 में 1075 करोड़ रुपए का बजट ले आए हैं जो 15 प्रतिशत प्रयास से अधिक है। 242 करोड़ टन खाद्यान्न, 13 लाख हेक्टेयर की सिंचाई, 51 हजार नलकूपों का उर्जीकरण तथा 5430 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा।

मान्यवर, हम लोग शीघ्र ही एक नई उद्योग पालिसी को लेकर आये हैं जिसमें 6 नये उद्योग अपने प्रान्त में लगे हैं। जुलाई-सितम्बर में 18 प्रतिशत उद्योगों को बढ़ाया है। जुलाई और नवम्बर गत वर्ष इनके सालों में यहां हड़तालें 78 थीं जबकि अब केवल 47 हैं। श्रम दिवस 7.7 लाख का इनके समय में ह्रास हुआ था जबकि अब 3.11 लाख श्रम दिवसों का ह्रास हुआ है। जहां तक नई योजनाएं हैं उसमें 200 मेगावाट विद्युत् का भी अगले वर्ष हम नया उत्पादन करने वाले हैं।

मान्यवर, अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे विश्वास है कि जिस जनता के सहयोग से शासन ने बाढ़ का मुकाबला किया है, विद्यार्थियों की परीक्षाएं की गई हैं, किसान आंदोलन का मुकाबला किया गया और उनकी समस्याओं को

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---]

हल किया गया, विद्यार्थियों की समस्याओं को हल किया गया, उसी विश्वास के साथ हरिजनों के लिये, मेहनतकश और मजदूरों के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसी विश्वास के साथ प्रान्त में आने वाली समस्याओं को हम हल करेंगे। विरोध पक्ष से केवल एक निवेदन है कि आप केवल एक ही योगदान दें, आपसे हम कोई बजट नहीं मांग रहे हैं और न और कोई दूसरी चीज, और वह योगदान है इस प्रदेश को प्रगति के लिए हम मांग रहे हैं वह है शान्ति। इस प्रदेश को दो साल शांति दे दें तो इस प्रान्त का चेहरा तो नहीं बदल जायेगा लेकिन चेहरा मुस्कराता हुआ जरूर नजर आयेगा।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मुरादाबाद के बारे में मैंने कहा था। आप वहां इंक्वायरी करायें जिससे सही बातें जनता के सामने आ जायं। यह सरकार जानबूझकर मुंह चुरा रही है।

[समय 5 बजे अपराह्न]

श्री राजेन्द्र सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। सदन के अनेकों माननीय सदस्यों ने धन्यवाद के प्रस्ताव पर और संशोधन पर अपना-अपना मत व्यक्त किया। माननीय मुख्य मंत्री जी को भी सुना। श्रीमन्, कई बातें हैं, विरोध पक्ष ने जो बातें धन्यवाद के प्रस्ताव पर कहीं और अनुशासन के अन्दर भी चले लेकिन दो सदस्य हैं, माननीय श्री धर्म सिंह जी और माननीय श्री बाजपेयी जी। इन दोनों ने उन बातों को माना। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन बातों को सुना होता, गौर किया होता जो विरोधी पक्ष ने कही हैं, जिन्होंने मंत्रिमंडल के अनेकों सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वहां करीब-करीब उन दोनों सदस्यों ने उन बातों को माना है। मैंने आपके सदस्यों को रिफर किया है। सत्ता पक्ष के दो सदस्यों ने इन बातों को कहा है। माननीय धर्म सिंह जी ने एक किस्सा सुनाया जिसमें मुख्य मंत्री जी को जीजा और मंत्रिमंडल को साली बताया और कहा कि सालियां ऐसा न मारें कि जीजा मर जायं। माननीय बाजपेयी जी ने एक सुझाव दिया। जो उन्होंने एक सुझाव दिया श्रीमन्, कि मुझे किसी मंत्री के बच्चे को अगर वह गलती कर रहा है तो उसे सदन में नहीं कहना चाहिए। माननीय बाजपेयी जी का सुझाव जो है, उनकी इस बात को मैं मानता हूं कि मंत्री का बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसे सदन में नहीं कहना चाहिए।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कहीं कि देश की प्रगति के लिए कोई सुझाव नहीं दिये, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाऊंगा कि यदि उन्होंने तकलीफ की होती सुझावों के सुनने की या पढ़ने की तो इस समय यह नहीं कहते। श्रीमन्, इनमें अनेकों सुझाव हैं। पिछली बार भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मैंने अनेकों सुझाव दिए थे, व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिए तथा अनेकों बातें कहीं लेकिन श्रीमन्, उसका कोई

निराकरण नहीं हुआ न ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिष्टाचार के नाते कोई जवाब ही दिया । मने कई सुझाव लिख कर भेजे, उनका कोई भी उत्तर नहीं मिला । सुझाव मैंने उनको दिया, सदन म भी कहा और बाहर भी पत्र लिखकर सुझाव दिया । एक इंस्पेक्टर की इन्ट्री को सदन में पढ़कर सुनाया । मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा, परन्तु मुख्य मंत्री जी क्या जवाब देते । वह नहीं सुनते यह भी हमारी ही गलती है । मैंने जो पत्र लिखा, मुख्य मंत्री जी का कर्टसी के तौर पर भी कोई उत्तर नहीं मिला । आपको हम सुझाव क्या दें ? आप सुझाव सुनना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते न ही उन पर विचार करना चाहते हैं इस विरोधी पक्ष के कहने पर । एक बहुत बड़ी बात कही अनुशासन की । शासन के बारे में, योजनाओं के बारें में बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं । श्रीमन्, एक बात और कह दूं अभी 27 जनवरी को जो कुछ यहां हुआ महामहिम राज्यपाल के सामने तो इससे पहले एक हरिजन राज्यपाल हुआ करते थे महामहिम तपासे जी उस समय उन सदस्यों ने क्या किया । भूल गये माननीय मुख्य मन्त्री जो यह बात । याद कीजिए । मन्जूर साहब बैठे हुये हैं और भी अनेक सदस्य बैठे हैं ..

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

सिमबोलिक प्रोटेस्ट किया था ..

श्री राजेन्द्र सिंह--

आप उस समय नहीं आये थे वाजपेयी जी । क्या किया था । परम्परा कौन बदल कर गया, किसने किया ।

श्रीमन् एक बात कह दूं । इन्होंने बहुत सी चीजें कहीं हैं । महामहिम का अभिभाषण दिशा निर्देशक होता है । कोई नई दिशा दी गई है ? कौन चीजें बताई गई हैं । महामहिम के भाषण में सिर्फ वही चीजें दी गई हैं जो गत वर्ष थी । कोई नई योजना नहीं दी गई । प्रदेश की 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के नीचे आ रही है, कोई चीज उसके लिए नहीं की गई । एक इश्यु होना चाहिए । सिफ पुरानी योजना चल रही हैं, अन्त्योदय योजना, खाद्यान्न योजना, जो चली आ रही थी करीब-करीब बन्द हो चुकी हैं, उनका नाम बदल कर रख दिया । आप तारीफ करते हैं ग्रामीण एकीकरण योजना की । यह जनता पार्टी ने चलाई थी । अनेक योजनायें थी । एस0 एफ0 डी0, दूसरी डिफरेन्ट योजनायें थी, जनता पार्टी के जमाने मे आई । सभी योजनाओं को मिला कर पोषित कर दिया । अच्छी योजनायें थी, आपने उनको माना, यह ठीक है ।

श्रीमन् एक जगह कहा है इस अभिभाषण के अन्दर मंडियों का निर्माण । मैं पहले भी कह चुका हूं । मंडियों की निर्माण की बात आई तो हमारे जमाने में भी मंडियों का निर्माण हुआ था । मैं उस समय भी इसका विरोधी था । मैं जानता हूं मंडियों से जो इनकम आती है उसका बहुत बड़ा भाग हमें खर्च करना चाहिए किसानों के हित के लिए, सम्पर्क मार्ग बनाने पर । जितनी मंडियां बन रही हैं, आप औरैय्या की मंडी ले लीजिए, रायबरेली की ले लीजिए, कानपुर की ले लीजिये, दो, ढाई करोड़ की लागत इनकी है, किसी एक मंडी का आप निरीक्षण करा लीजिए, उसका मैटिरियल देख लीजिए सब-स्टेन्डर्ड है । कोई इनकम नहीं हो रही है बल्कि देना पड़ रहा है । यहां पर ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नई-नई योजनायें बना लेते हैं । पैसा कमाने का धन्धा बना रखा है । हर एक चीज नियोजित होनी चाहिये । आप मार्केट को कन्ट्रोल करें मैं

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

मना नहीं करता । ज्यादा ध्यान अगर सड़कों के निर्माण के लिये दें तो शायद जनता का भला होगा ।

इसी तरह से एक बात कही ग्रामीण योजना की। मैंने यह चीज पहले भी कही । ग्रामीण योजना में ग्रामों में मकान बनाने चाहिए । पहले भी मकान बने थे । मैं समझता हूं श्रीमन्, वह 3 मीटर दो ढाई मीटर होते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी को कभी देहात में किसी गरीब का मकान देखने का मौका मिला हो या नहीं लेकिन उसके मकान को देखा जाय कि उसको कितनी आवश्यकता है, किस चीज की मकान के साथ आवश्यकता है । आपने मकान बनाये हैं उनमें खिड़कियां, दरवाजे, चोरी चले गये, कोई उनम नहीं रहता । मैं फिर कहता हूं योजना के कार्यान्वयन पर ज्यादा ध्यान दीजिये । सही पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरह की चीज होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं मानता हूं प्रगति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । एक अमेठी का क्षेत्र है । श्रीमन्, वहां 1298 गांव हैं । विद्युतिकरण पूरे गांव में हो गया । बड़ी अच्छी योजना है । श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र के 100 प्रतिशत गांवों का भी विद्युतीकरण करा दें तो हम भी बधाई देने लगेंगे । अमेठी में ही खर्च किया गया क्या उसीसे इस प्रदेश का भाग बदल जायगा ? किसी राजनीतिक दबाव के कारण यह विद्युतीकरण किया गया । उसी क्षत्र को आप सेम्पुल माने । पूरे प्रदेश की बात है । इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा जैसा कि हमारे सहयोगी मोहन सिंह जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से अनेक शिकायतें की गई हैं, मेरे बारे में भी पढ़ी होगी, उनकी इनक्वायरी कीजिये मैं आज भी कहता हूं कि इस तरह के प्रश्न सदन में कई बार आते हैं और दुहराये जाते हैं । इसलिये मैं फिर कहता हूं कि आप इस सदन की एक कमेटी बना दीजिये जो इन सब चीजों के बारे में जांच कर लेगी और सारे मसले सदन के सामने आ जायेंगे । अन्त में मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी मेरे सुझावों को मानेंगे और मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसको सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल, के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही थी उस पर इस तरफ के माननीय सदस्य तथा उस तरफ के माननीय सदस्यों के विचार सामने आये । जहां तक धन्यवाद प्रस्ताव का सम्बन्ध है माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन साफ लफ्जों में शासन की नीति को स्पष्ट कर दिया, उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती । माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण इस सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है और वह हर कीमत पर प्रदेश के विकास के मार्ग को आगे ले जाने का दृढ़ संकल्प है ।

मान्यवर, कुछ बातें मैं अवश्य कहना चाहता हूं । खाली विरोध करने के लिये विरोध करना अच्छा नहीं रहता है । वैसे आप विरोध करें, आपको अधिकार है आप विरोधी दल हैं । एक बात कहना चाहता हूं और मान्यवर, आपने भी अनुभव किया होगा कि इस विरोध पक्ष का जहां तक प्रश्न है न तो आप विरोध करना जानते हैं और न शासन करना । मेरा आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि अगर आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी इस आदत म सुधार करें तो आपको ही लाभ होगा । मान्यवर, मुख्य मंत्री के बारे में कहा गया कि वह चोर दरवाजे से इस सदन में आये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जब सी० जी० गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे वे यहां पर विधान परिषद् के सदस्य होकर आये थे और इस सदन के नेता थ और उसके बाद चुनाव जीतकर यहां बैठे थे । जहां तक माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रश्न है उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि यहां पर जनता द्वारा चुनाव जीतकर यहां पर आना चाहते हैं किन्तु जनगणना की वजह से चुनाव नहीं हो सका इसलिये उस तरह से वे यहां पर हैं . .।

(व्यवधान)

आप इत्मीनान रखिय । माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह एक विशाल वोटों से चुनाव जीतकर आयेंगे और चाहे जैसा आप मुनासिब समझे अलग-अलग करके अथवा एक ही साथ सब मिल कर उनका विरोध कर लीजिये लेकिन चुनाव जीतकर वे यहां आयेंगे ।

(व्यवधान)

आपके विचार मैंने 5 दिन तक सुने लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं । यह तो वैसा ही हुआ कि हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, मेरा निवेदन है कि आप हमारी बात भी सुन लें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हम इस पक्ष में बैठने वालों का प्रश्न है . . .

एक सदस्य--

अब आप मंत्री हो जायेंगे ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मंत्री की सूची में आने की हमारी तमन्ना नहीं है लेकिन हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में बंधे हुये हैं जो प्रदेश की प्रगति में तल्लीन है जिसको कि तीन साल के शासन में आपने खंड-खंड करके छोड़ दिया था ।

एक सदस्य--

हमारे यहां गैर तजुर्बेकार मन्त्री नहीं होते हैं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप टोका-टोकी की बात बहुत करते हैं जरा शान्ति से हमें सुनें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, उधर से जितने व्यक्ति बोले सब ने केवल दोनों का ही नाम लिया या तो श्रीमती इन्दिरा गांधी का या श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या यहां दो ही व्यक्ति रह गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

विष्ट जी, आप बैठिये ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, माननीय जसवन्त सिंह बिष्ट जी को शिकायत है कि हम दो ही लोगों का नाम लेते हैं। तो जहां तक देश के नेता के रूप में हैं हम उसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का नाम लेंगे और जहां प्रदेश के नेता का सवाल है उसमें हमारे नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं देश और प्रदेश के नेता के रूप में हम इन दोनों का नाम लेते रहेंगे। हमारे दल में और आप के दल में यही अन्तर है। आपने किसी को नेता नहीं माना और नेता प्रश्न पर आपस में दंगल करते-करते टूट गये और आज भी टूट रहे हैं। मैं 5 दिन से आपके उत्तर में खोजता रहा कुछ सुझाव आये जिससे आप पर जनता विश्वास करे और आने वाले चुनाव में कुछ रंग लाये लेकिन कैसे विश्वास करें आप स्वयं रंग बदलते गये 1977 में जब कांग्रेस हुए उसके बाद भारतीय क्रांति दल, उसके बाद भारतीय लोक दल और फिर जनता पार्टी, फिर लोक दल और अब उसमें भी एक बच्चा और पैदा हो गया है। तो तीन साल के अन्दर आपने इतने रंग बदल दिये हैं तो लोग कैसे विश्वास करेंगे।

(व्यवधान)

मान्यवर, बार-बार टीका टिप्पणी हो रही है मैं माननीय नेता विरोधी दल को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपके विधायकों को शायद इस सदन की प्रक्रिया नियमावली की पूरी जानकारी नहीं है इसलिये आप उनके लिए बाहर कोचिंग क्लास चला कर प्रशिक्षित करें तो अच्छी परफारमेंस होगी।

एक बात और कहना चाहता हूं बड़े जोर से कहा गया कि इस सरकार ने कुछ लोगों पर से मुकदमें वापस ले लिए जो कि आपकी कायरता से राजनीतिक द्वेष की भावना से लगे थे अगर उनको वापस ले लिया तो मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुकदमे वापस ले लिये। इन दोनों लोगों पर जो मुकदमे चले वह आपकी कायरता का प्रमाण है आपके हवाई जहाज चलाने वाले इतने कमजोर थे कि उनके पास कुछ भी न होने पर वह हवाई जहाज को ले गये।

(व्यवधान)

मान्यवर, जब सत्य बात कही जाय तो कड़ुवा लगती है "बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाय" आपने जब 1977 में आप सत्ता में आये थे तो डायनामाइट कांड के अभियुक्त जार्ज फर्नांडीज पर से मुकदमा वापस ले लिया।

(व्यवधान)

उन्हें मन्त्री बना दिया।

श्री कुबेर भंडारी—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जब वह बैठेंगे तभी तो आप बोल पायेंगे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

दिल थाम कर बैठो अब हमारी बारी है। श्री प्रकाश सिंह बादल जो आपकी सरकार में मन्त्री थे और बाद में पंजाब के मुख्य मन्त्री बने उन पर

जितने भी मुकदमें थे वह वापस ले लिये गये, श्री बीजू पटनायक का क्या हाल था, उन पर भ्रष्टाचार के कितने मुकदमे थे जनता सरकार आने पर वह वापस ले लिये गय । उत्तर प्रदेश सरकार के एक राज्य मन्त्री जो चौधरी चरण सिंह के रिश्तेदार कहे जाते हैं जिन पर सी० बी० आई० का चालान था और मुकदमा चल रहा था उसको वापस ले लिया गया और मिनिस्टर बना दिया गया । अगर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक मुकदमा जो कायरतापूर्ण ढंग से चलाया गया थ राजनैतिक विद्वेष की भावना से चलाया गया था वह वापस ले लिया तो आपको शिकायत हो रही है ?

(व्यवधान)

मुरादाबाद की बात राजेन्द्र कुमार जी कहते हैं, लेकिन अफसोस यह होता है कि श्री रियासत हुसैन जी का भाषण ऐसा था जो साम्प्रदायिक आग को भड़काने वाला था । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं । कांग्रेस का जहां तक सवाल है, महात्मा गांधी जो भारत की आत्मा थे और जिन्होंने साम्प्रदायिक विद्वेष की आग को बुझाने के लिए आखिरी खून के बूंद तक बहाई थी, उनके बताये मार्ग पर चलने वाली पार्टी है । यह भी साम्प्रदायिक विद्वेष की हर भावना को समाप्त करने के लिये पूरा प्रयास करेगी । वह ऐसी कोई बात नहीं होने देगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

तिवारी जी काफी पुराने और प्रक्रिया के पंडित सदस्य हैं । उन्होंने नाम लिया जार्ज फर्नाडीज और बीजू पटनायक जी का । इसका उनके दल के लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन उनको कम से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिये थी कि प्रकाश सिंह बादल जनता सरकार में कभी केन्द्र के मन्त्री नहीं रहे । हमारे दल के नेता रियासत हुसेन साहब यहां नहीं हैं, उन पर आरोप लगाया गया है । मैं इसका सख्त विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरे दल के नेता रियासत हुसैन यहां नहीं हैं और उनके खिलाफ यह कहा गया . . . .।

(व्यवधान)

सत्ता पक्ष से जोरों से मेंजे पीटना शुरू किया गया । मेरे नेता के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, उस आरोप को वापस लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ओझा जी, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो मैंने आपको आज्ञा दी थी, आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते, लेकिन आपने एक भाषण प्रारम्भ कर दिया । अगर आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो आप उसे उठायें, बाकी नहीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा व्यवस्था का सुनिश्चित प्रश्न है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय परम्परा की परिधि में यह बात आती है कि दल विशेष का नेता जो आदरणीय सदन का सदस्य नहीं है या जिनके प्रतिनिधि यहां नहीं हैं, उन पर इस तरह से यहां पर आरोप लगाए जा सकते हैं ?

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---]

दूसरी बात यह है कि यदि रियासत हुसैन साहब का भाषण साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाला था तो उस भाषण को आपने इजाजत कैसे दिया ?

श्री अध्यक्ष---

आपने दो प्रश्न उठाये । एक तो यह कि किसी दल का नेता जो इस सदन में नहीं है, क्या उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाया जा सकता है । दूसरी बात यह उठाई कि श्री रियासत हुसैन का भाषण यदि साम्प्रदायिक विचारधारा का था तो कैसे मैंने उनको यहां बोलने की इजाजत दी ।

जहां तक पहला प्रश्न है जो भी राजनैतिक दल हैं, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में नहीं, जो भी राजनैतिक दल हैं और जो भी राजनैतिक दल के नेता हैं, उनके सम्बन्ध में बराबर इस बात की व्यवस्था रही है कि उनके सम्बन्ध में बात कही जा सकती है। जहां तक सदस्य के भाषण की विचारधारा का प्रश्न है, यहां पर जो माननीय सदस्य वक्तव्य देते हैं, उनके सम्बन्ध में यहां से केवल यही देखना उचित रहता है कि वह संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत अपनी विचाधारा को कैसे व्यक्त करें, उसे कैसे अभिव्यक्ति दें । व्यक्त की गयी विचारधारा साम्प्रदायिक है या गैर साम्प्रदायिक, उत्तेजक है या गैर उत्तेजक है, यह लोगों की अपनी-अपनी भावना के अनुसार होता है । मैं इनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मेरे दल के नेता के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है ।

श्री अध्यक्ष---

अब व्यवस्था के प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है । आप बैठ जाय ....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, यह एक निश्चित प्रश्न है । किसी के ऊपर आरोप, प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

निवेदन है कि आप लोग कृपया बठ जायं । आप शान्तिपूर्वक सदन की कार्यवाही चलने दें । ओझा जी कृपया बैठें---

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मान्यवर, माननीय ओझा जी को शिकायत है कि माननीय रियासत हुसैन के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है, लेकिन जब माननीय रियासत हुसैन साहब यह कह रहे थे कि इन्दिरा जी ने मुसलमानों को ....

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार---

आप कार्यवाही की प्रतिलिपि मंगा ल और पहले यह निश्चित कर लें कि माननीय रियासत हुसैन का भाषण साम्प्रदायिक था या नहीं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, व्यवस्था का एक निश्चित प्रश्न है, आरोप, प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है ।

श्री चेत राम गंगवार—

यह सदन नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

माननीय, आपके माध्यम से मैं माननीय ओझा जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो कुछ विमल प्रसाद तिवारी जी ने कहा, उसके बारे में वे कुछ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं । आप कृपया उन्हें सुन लें अगर वे संतुष्ट न हों तो फिर वे कह सकते हैं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय, मेरा निवेदन है कि यह सरकार साम्प्रदायिक एकता कायम करने के लिए दृढ़ संकल्प है । माननीय सदस्य यह आरोप नहीं लगा सकते कि यह सरकार किसी भी प्रकार से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देती है । आज के वातावरण में साम्प्रदायिकता को बढ़ाने के जो भी कार्यक्रम हैं उनको भी कम किया जाय ताकि सद्भावना बने । हमारे क्षेत्र फर्रुखाबाद में ईद के अवसर पर ...।

(सर्व श्री चेतराम गंगवार, जनार्दन प्रसाद ओझा एवं राम आसरे वर्मा के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप सब कृपया बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, जिस व्यक्ति ने समाजवाद में विश्वास रखा हो...।

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी के अगर माननीय रियासत साहब के भाषण को साम्प्रदायिक कहने से या उनको साम्प्रदायिक कहने से माननीय ओझा जी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं अपने दल की ओर से उसको वापस लेता हूं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

अगर माननीय रियासत साहब को साम्प्रदायिक कहन से माननीय ओझा जी को कष्ट हुआ हो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आरोप रियासत हुसैन साहब ने श्रीमती इंदिरा गांधी पर लगाया कि उन्होंने प्रदेश के मुसलमानों को गोली, कफन और कब्र दी है । जबकि इस सरकार ने ओढ़ने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान दिए हैं । इतने गम्भीर आरोप माननीय रियासत

[श्री विमल प्रसाद तिवारी--]

साहब ने इंदिरा जी पर लगाये हैं । लेकिन अगर हम कुछ कहते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता है ।

(व्यवधान)

जहां तक इंदिरा जी का सम्बन्ध है वे तो हर वर्ग की नेता हैं ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

जो आरोप विरोध पक्ष से इंदिरा गांधी जी पर लगे उनको सुनने के लिए कांग्रेस के सदस्य ड्यूटी बाउन्ड हैं क्योंकि जो आरोप श्रीमती गांधी पर लगा दिए थे इनके विचार में कुछ नहीं है और अगर कुछ विरोध पक्ष के लोगों के के बारे में कह दिया तो इनमें तहलका मच गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने किसी माननीय सदस्य के वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं निकाला है । आप बोलें । मैं तो केवल इतना अर्थ निकालता हूं कि आपकी आवाज या कोई शब्द संसदीय परम्परा के बाहर न चला जाय । माननीय तिवारी जी, काफी समय हो रहा है । उसका भी ध्यान करें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, साम्प्रदायिक सद्भाव और एकता कायम करने के लिए बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका उल्लेख होना चाहिये । मान्यवर, मेरे क्षेत्र फर्रुखाबाद में ईद के अवसर पर मुसलमानों और हिन्दुओं ने साथ-साथ मनायी और मुहर्रम के अवसर पर साथ-साथ ताजिये निकाले और भगवान राम की भी हिन्दुओं और मुसलमानों ने साथ-साथ बारात निकाली । तो जहां तक इस देश और प्रदेश का सम्बन्ध है मुसलमान हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और दुनिया की कोई ताकत उनको अलग नहीं कर सकती है । चरित्र हत्या की राजनीति चलाई जा रही है और कई दिन निरन्तर मंत्री परिषद् के लोगों को लेकर चरित्र हत्या के आरोप लगाये गये । 1977-80 के बीच में आपकी सरकार ने हमारे महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के चरित्र हत्या की राजनीति चलाई लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा आज तक नहीं किया ।

(व्यवधान)

एक आरोप यह लगाया जा रहा है कि यह सरकार अधिकारियों के हाथ में खेल रही है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती । लेकिन जब भानु प्रताप सिंह जी ने महा प्रबन्धक के खिलाफ कार्यवाही की तो आपने उसका विरोध किया । विरोध पक्ष का अजीब दुरंगी नीति है । अधिकारियों पर कार्यवाही की जाय तो आप उसका विरोध करते हैं और न की जाय तो आप आरोप लगाते हैं । आपकी हालत यह है चित भी मेरी पट भी मेरी ।

आपने स्माल फार्मर्स डेवलपमेन्ट सोसाइटी और ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम का जिक्र किया । यह पिछली सरकार का कार्यक्रम था, आपका कार्यक्रम नहीं था और उसको यह कांग्रेस की सरकार चला रही है । मैं इन शब्दों के साथ आशा करता हूं कि माननीय सदस्य विरोध पक्ष अपना संशोधन वापस ले लेंगे और हमारे मुख्य मंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे और इस प्रकार हम और आप मिल कर एक नया अध्याय शुरू करें ।

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र सिंह से क्या आप संशोधन प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

(नेता विरोधी दल श्री राजेन्द्र सिंह के उत्तर न देने पर)

श्री मोहन सिंह--

संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

किन्तु खेद है कि (1) विगत एक वर्ष में किसानों की लूट बढ़ी है । खेती के काम में आने वाली वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़े हैं । बिजली और पानी किसानों के लिए आवश्यक मात्रा में नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, रासायनिक खादों के दाम बढ़े हैं और रासायनिक खाद तो बाजार से गायब है । दूसरी ओर सूखा एवं बाढ़ की चपेट में आये किसानों से सरकारी कर्ज की वसूली तेजी से की जा रही है तथा कृषि उत्पादन की उचित कीमत किसानों को नहीं मिल रही है । इन तथ्यों को श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नहीं दिया और न ही इनके समाधान हेतु सरकार की कोई नीति बतायी ।

(2) प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमंडल आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, प्रदेश के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, किन्तु खेद है कि इनमें से किसी भी मंत्री को राज्यपाल ने अभी तक बरखास्त किये जाने का जिक्र नहीं किया है । यही कारण है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत निरंतर बिगड़ती जा रही है । हरिजनों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं पर पुलिस का अत्याचार बढ़ा है । प्रदेश में विद्यार्थियों एवं अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज एवं गोली वर्षा हुयी है । यहां तक कि प्रदेश की न्यायपालिका भी पुलिस के जुल्म का शिकार बनी है । शासन पक्ष के विधायकों एवं मंत्रियों ने अफसरशाही को अपनी स्वार्थ-सिद्धि का माध्यम बना लिया है । डाका, राहजनी, हत्या, जन-जीवन की सामान्य घटनायें हो गयी हैं । यहां तक कि राजनैतिक व्यक्तियों एवं विधायकों की नृशंस एवं अमानवीय हत्यायें हो रही हैं । एनकाउन्टर के नाम पर निरपराध लोगों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है । श्री राज्यपाल ने कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपने अभिभाषण में किसी भी ठोस उपाय का जिक्र नहीं किया है ।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से विफल हो चुकी है । आवश्यक सामग्रियों के वितरण की इस सरकार की कोई समग्र नीति नहीं है । यही कारण है कि विगत दो महीनों में खाद्यान्न के दाम आसमान छूने लगे हैं । वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है । विधान सभा का बजट सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन के बस भाड़े में बेतहाशा वृद्धि की गयी है । यह सामान्य नागरिकों की सरकार द्वारा लूट का खुला सबूत है । जन आन्दोलनों को दबाने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग करते हुये राजनैतिक कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है । प्रदेश में सरकार की नीतियों से दिनोंदिन आन्दोलन बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश का स्तर गिरता जा रहा है । सामान्य नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है । प्रदेश में चारों ओर असन्तोष की भावना व्याप्त है

[श्री अध्यक्ष---]

इन समस्त बुराइयों, जो प्रदेश में व्याप्त है, के निराकरण के लिए श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोई भी ठोस उपाय नहीं बतायें हैं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अन्य संशोधन भी अस्वीकृत हुए ।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 27 जनवरी, 1981 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से एक सूचना श्री मोहन सिंह की स्वीकृत हुई तथा श्री प्रदीप कुमार यादव की सूचना का जो विषय है उसके सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु निर्देश पहले ही हो चुके हैं शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत की गयीं ।

वाराणसी में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदेश में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों के बहिष्कार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 को वाराणसी में पुलिस व वकीलों के बीच हुई घटना से सम्बन्धित तथ्यों, कारणों और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हेतु एक सदस्यीय जांच आयोग शासन द्वारा नियुक्त किया गया है ।

उक्त घटना को लेकर वाराणसी में अधिवक्ताओं द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 1980 से न्यायालयों का बहिष्कार करने व अन्य आन्दोलनात्मक गतिविधियां दिनांक 15 जनवरी, 1981 से समाप्त हो गई । वाराणसी के अतिरिक्त प्रदेश के लगभग 44 जिलों में स्थानीय बार एसोशिएसन द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किए जाने व जुलूस, सभा, प्रदर्शन आदि आयोजित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है । प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग में रोष एवं आक्रोश सम्बन्धी कोई सूचना नहीं मिली है और न उक्त संघर्ष का इस वर्ग में कोई प्रतिक्रिया ही दृष्टिगोचर हुई है । सम्प्रति किसी प्रकार की आन्दोलनात्मक गतिविधयों की सूचना उक्त विवाद को लेकर नहीं है । स्थिति सामान्य है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बयान दिया है, इसके सम्बन्ध में मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि आयोग की स्थापना तो उन्होंने कर दी, वह कुछ दिनों बाद किया होगा, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे । लेकिन आयोग के गठित होने से पहले, मान्यवर, मेरी जानकारी है कि वहां पर मंत्रि परिषद के एक वरिष्ठ

मंत्री भी मौजूद थे, तत्काल घटना कैसे घटी, प्राइमाफेसी केस कैसे बना, जिन पर वह आरोप सिद्ध हुआ और तात्कालिक कार्यवाही क्या हुई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय, माननीय ओझा जी ने एक प्रश्न यह उठाया कि तात्कालिक कार्यवाही क्या हुई । माननीय, पहले उसमें मजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी का आदेश कर दिया गया, लेकिन उस पर अधिवक्ता लोग संतुष्ट नहीं थे और चाहते थे कि न्यायिक जांच हो, तो शासन ने न्यायिक जांच के भी आदेश कर दिया ।

श्री यदुनाथ—

मैं पूछना चाहता हूं कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी जब हो रही थी, उस समय क्या पुलिस उपवास कर रही थी—इस कारण और इस से कि श्रीमती इंदिरा गांधी 3 तारीख को आ रही थीं ?

तो क्या आपकी सरकार सहमी हुई थी ?

श्री अध्यक्ष —

अपना प्रश्न पूछें स्पष्ट ।

श्री यदुनाथ —

बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि श्री सागर सिंह जिस समय आए, उस समय 20 तारीख को वहां स्वास्थ्य मंत्रीजी भी उपस्थित थे । तो उस समय क्या पुलिस उपवास कर रही थी और क्या पुलिस विद्रोह की आशंका हो गई थी और इसी लिए उन्होंने गोलमाल कर दिया और निगोसियेशन कर दिया और एक सदस्यीय जांच स्थापित कर दिया और लम्बा टाइम दे दिया ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्रीजी, आप इस बात का जवाब दे दें कि क्या पुलिस विद्रोह के डर से कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, पुलिस विद्रोह का प्रश्न नहीं था और न डर था । कार्यवाही तो न्याय के लिए की गई थी । वहां पर माननीय सदस्य तो उपस्थित थे नहीं । उसमें वहां अधिवक्ता गण इकट्ठा थे । उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की । तो न्यायिक जांच हो रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैजिस्टीरियल जांच और आयोग बना दिया अच्छी चीज है । लेकिन तत्काल क्या कार्यवाही हुई ? क्योंकि वकीलों की पिटाई हुई है, तो तत्काल या तत्क्षण क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को दुबारा बताना चाहता हूं कि जिस वक्त कोई घटना हो गई, तो जब जानकारी शासन के समक्ष आई

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

तो तुरन्त ही मैजिस्टीरियल इनक्वायरी की कार्यवाही कर दी गई थी। अब उस कार्यवाही के जो तथ्य हैं, सामने आ जांय, तो आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री ऊदल—

क्या इस घटना की शुरुवात की जानकारी माननीय मंत्री जी करेंगे ? इस घटना की शुरुवात कैसे हुई, इसकी जानकारी मालूम करने का कष्ट माननीय मंत्रीजी करेंगे ? मान्यवर, 20 तारीख के पहले, 19 दिसम्बर को सम्बन्धित पुलिस अधिकारीगण कचेहरी के आहाते के अन्दर गए और कालिन्दी प्रसाद एडवोकेट की मोटर सायकिल उठा ले गए। डी० आई० जी० और एस० पी० के हस्तक्षेप पर कालिन्दी प्रसाद की गाड़ी दे दी गई और दूसरे दिन फिर पुलिस वाले गए और गाड़ी को छीनने लगे। तो क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्रीजी को है, और यदि नहीं तो क्या इसकी जानकारी शीघ्र करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दो तरह के 'वर्जन' हैं। एक 'वर्जन' यह कहता है कि मोटर साईकिल लेने के लिए पुलिस के लोग आए थे और दूसरी जानकारी है, 'वर्जन' है, कि एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस वाले गए थे। अब, दोनों में क्या तथ्य है, इसकी जानकारी के लिए न्यायिक जांच हो रही है।

श्री धरमपाल—

क्या माननीय मंत्रीजी बताने का कष्ट करेंगे कि आयोग को किन तथ्यों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं और वह कब पूरा हो जायेगी ? और दूसरा प्रश्न है क्या आयोग ने जांच शुरू कर दिया है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, जो टर्म्स आफ रिफरेंस दिया गया है, उस सम्बन्ध में यह बात बताने के लिए एक परिधि निश्चित करने के लिए चीज की गई थी। उसमें दिया गया है कि सम्बन्धित तथ्य नहीं हैं कि किन कारणों से घटना हुई और उत्तरदायित्व किन लोगों पर है। तो, इसी की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है।

श्री जटा शंकर सिंह—

मान्यवर, इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि वाराणसी के अतिरिक्त प्रदेश के 44 जिलों में स्थानीय बार एसोशियेशन द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किए जाने व जुलूस, सभा तथा प्रदर्शन आदि आयोजित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। और उसी में आगे कहा गया है कि प्रदेश के बुद्धि जीवी वर्ग में रोष एवं आक्रोष सम्बन्धी कोई सूचना नहीं मिली है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या बुद्धिजीवी की परिभाषा में वकील वर्ग नहीं आता है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

अगर बुद्धिजीवी वर्ग की परिभाषा सीमित होती तो मैं कह देता कि आप भी उसी में से हैं। परन्तु इसकी बहुत लम्बी चौड़ी परिभाषा है। इसमें केवल वकील वर्ग ही नहीं आता है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, 20 दिसम्बर से 15 जनवरी, 1981 तक आन्दोलनात्मक कार्यवाही होती रही है और यही नहीं 44 जिलों तक इस आन्दोलन की चिंगारी फैलती रही। इन 25 दिनों में सरकार ने इसको रोकने की क्या-क्या कार्यवाही की? क्या-क्या उपाय सरकार द्वारा किए गए? बनारस के वकीलों से सम्पर्क कर कुछ मामला तय किया गया अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष --

मंत्री जी, यह ये जानना चाहते हैं कि इन 25 दिनों में क्या सरकार ने वकीलों से सम्पर्क स्थापित किया?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार पूर्णरूप से इस मामले में सजग रही है और अधिवक्ताओं से समय-समय पर सम्पर्क भी स्थापित किया जाता रहा है और यह उन्हीं की मांग पर ही एक सदस्यीय जांच आयोग शासन द्वारा नियुक्त किया गया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, जिस समय यह घटना घटी है, उसी समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां मौजूद थे। इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही करने के लिए उन्होंने लिखा है, तो क्या लिखा है, और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह घटना जिस समय घटी, उस समय माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी वहां उपस्थित नहीं थे। हां जब यह घट चुकी, घटना के कई दिन बाद वहां एक मीटिंग थी, उसमें वह गये थे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में जो शासन को जानकारी दी है, वह क्या है, उसको सामने लाएं?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोक पति)--

मैंने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी। न लिखित न मौखिक।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह जो 20 दिसम्बर, 1980 से 15 जनवरी, 1981 तक वकीलों का आन्दोलन चला और बनारस में पूरे तौर

[श्री ऊदल--]

पर न्यायालयों की हड़ताल रही और 44 जिलों में भी यही सब कुछ हुआ । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जुडिशियल इन्क्वायरी नियुक्त करने के पहले बाराबंकी के जिलाधीश और एस0 एस0 पी0 आदि से और बार एसोसियेशन से बात-चीत करके मामलों को सुलझाने का कोई रास्ता निकाला गया, अथवा नहीं ? यदि हां, तो वह रास्ता क्या था ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, यह जो घटना हुई थी उसके माननीय सदस्य पूछते हैं क्या वकीलों से वहां के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान ने बातचीत करके कोई हल निकालने की कोशिश की थी ?

श्री ऊदल--

मान्यवर, 25 दिन तक हड़ताल चली जूडीशियल इंक्वायरी के आदेश हुये । आन्दोलन हो गये, मारपीट हो गई तो वहां के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने कोई हल निकालने की कोशिश की ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह बात मैं नहीं समझ पाया । शायद माननीय सदस्य मेरी बात नहीं सुन रहे थे । वहां के जिलाधिकारी ने मैजिस्ट्रीयल इंक्वायरी के आदेश कर दिये थे । वहां के संभ्रांत वकील मिले थे और उनकी मांग पर न्यायिक जांच के आदेश कर दिये गये ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि 44 जिलों में कोई आक्रोश नहीं था जब कि 44 जिलों में आन्दोलन हो रहा था, प्रदर्शन किये जा रहे थे, सभायें की गईं और पूरा बुद्धिजीवी वर्ग आक्रोश में था । इसकी माननीय मन्त्री जी को कोई सूचना नहीं मिली । मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी कि आक्रोश की परिभाषा क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी, परिभाषा बता चुके हैं ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि इस घटना को लेकर बाराबंकी जनपद में वकीलों की तरफ से जुलूस निकाला गया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देना चाहते थे जो जिलाधिकारी ने लेने से इंकार कर दिया । वहां पर प्रशासन और वकीलों के बीच स्थिति तनावपूर्ण है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां की इस स्थिति को रोकने के लिये कोई हल माननीय मन्त्री जी निकाल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्य वाराणसी से बाराबंकी पहुंच गये इसके लिये अलग से प्रश्न कर लेंगे जवाब दे दूंगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो घटना हुई इसके बारे में जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 वाराणसी ने कोई जानकारी शासन को दी ? दूसरा इस घटना के सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने टेलीफोन से मुख्य मन्त्री से कोई वार्ता हुई थी ?

श्री लोकपति--

मैं समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

जब आप समझे नहीं, तो बैठ जाइये ,

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है कि पानीपत मुख्य मन्त्री से स्वास्थ्य मन्त्री ने इस घटना के बारे में टेलीफोन से बताया था ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, जो असलियत थी वह न्यायिक जांच से सम्बन्धित थी । अतएव, मैं उस पर उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर काफी सवाल हो चुके हैं । अब हम उठते हैं । कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 57 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
फरवरी, 1981 ई0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे 660 पर)

निरीक्षकों का नाम, जिन्होंने इकाइयों में निर्धारित 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं किया और उनका स्थानान्तरण जनपद में जनहित एवं उनकी विशिष्ट उपयुक्तता के आधार पर किया गया :

निरीक्षक का नाम	से	को
1	2	3
1--श्री अखिलानन्द	अर्थ विषयक अपराध शाखा	पीलीभीत
2--श्री ज्ञान सिंह	सतर्कता अधिष्ठान	गाजियाबाद
3--श्री राजाराम पाल	सतर्कता अधिष्ठान	मेरठ
4--श्री विश्वनाथ सिंह	सतर्कता अधिष्ठान	झांसी
5--श्री गौतेन्द्र पाल सिंह	सतर्कता अधिष्ठान	लखनऊ
6--श्री जो0 पी0 मिश्रा	सतर्कता अधिष्ठान	वाराणसी
7--श्री योगेन्द्र नाथ सिंह	सतर्कता अधिष्ठान	फैजाबाद
8--श्री नन्द लाल दीक्षित	अर्थ विषयक अपराध शाखा	मैनपुरी
9--श्री बी0 डी0 मिश्रा	अर्थ विषयक अपराध शाखा	शाहजहांपुर
10--श्री श्रीराम बाबू	अर्थ विषयक अपराध शाखा	कानपुर
11 श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह	अर्थ विषयक अपराध शाखा	लखनऊ
12--श्री लालता सिंह	अपराध अनुसंधान शाखा	रायबरेली
13--श्री शिव बहादुर सिंह	अपराध अनुसंधान शाखा	गाजीपुर
14--श्री बी0 जी0 वर्मा	भ्रष्टाचार निवारण संगठन	सीतापुर
15--श्री वेद मूर्ति भट्ट	भ्रष्टाचार निवारण संगठन	इटावा
16--श्री बी0 पी0 अवस्थी	राज्य विद्युत् परिषद्	आगरा
17--श्री जे0 एन0 त्यागी	राज्य विद्युत् परिषद्	सहारनपुर
18--श्री दीनानाथ दूबे	अपराध अनुसंधान शाखा	लखनऊ
19--श्री जगदम्बा प्रसाद	भ्रष्टाचार निवारण संगठन	गोरखपुर
20--श्री राजपाल सिंह	राज्य विद्युत् परिषद्	इलाहाबाद
21--श्री शिव कुमार	आर0 टी0 एस0 मुरादाबाद	मुरादाबाद

1	2	3
22--श्री रमाकान्त मिश्रा	राज्य विद्युत् परिषद्	वाराणसी
23--श्री कोमल मिश्रा	सतर्कता अधिष्ठान	फैजाबाद
24--श्री सुल्तान सिंह उपाध्याय	अपराध अनुसंधान शाखा	आगरा
25--श्री जय पाल सिंह	राज्य विद्युत् परिषद्	मेरठ
26--श्री राम नारायण सिंह	सतर्कता अधिष्ठान	इलाहाबाद
27--श्री विजेन्द्र सिंह राना	सतर्कता अधिष्ठान	गोरखपुर
28--श्री परमेश्वर राय	राज्य विद्युत् परिषद्	गढ़वाल
29--श्री इन्द्रपाल सिंह	अपराध अनुसंधान	अलीगढ़
30--श्री नागेंद्र सिंह	राज्य विद्युत् परिषद्	इटावा
21--श्री कृपाल सिंह	अर्थ विषयक अपराध शाखा	रायबरेली
32--श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा	राज्य विद्युत् परिषद्	बुलन्दशहर

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 665 पर)

नकल रपट नं0 20 समय 18-35 चौकी मुराई मुहल्ला, दिनांक 30-7-80 वापसी कानि0 गश्त—

कानि0 262 जुल्फकार हुसैन व कानि0 177 प्रद्युम्न प्रसाद बाद समात गश्त वापस आये। जाहिर किया कि मुहल्ला बहेलियन टोला के जुआ गिरफ्तार करते समय कानि0 442 गोपाल जी को चोट झगड़े के कारण आ गयी है अतः कोत से अस्पताल सदर बास्ते डाक्टरी रवाना किया गया।

ह0/ हेड कांस्टेबिल
अपठनीय

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 667 पर ।)

अप्रैल वर्ष 1977 से मार्च वर्ष 1980 तक का व्यय विवरण

क्रमांक	विवरण	1977–78	1978–79	1979–80	
1	2	3	4	5	6
1	स्थापना	10,81,741·50	10,79,428·12	9,90,742·00 1,84,031·00	जूनियर स्कूल
2	भूमि किराया	795·00	795·00	795·00	
3	जल–कर	16,931·89	14,938·18	18,809·00	
4	अल्प व्यय	349·59	519·00	24,300·00	
5	चिकित्सालय	22,865·85	16,252·64	12,259·00	
6	टेलीफोन	5,497·50	10,057·55	12,536·00	
7	भवन पुताई एवं सड़क की मरम्मत	39,908·90	58,040.47	..	
8	पुस्तकालय	3,610·95	2,575·09	1,601·00	
9	इतिहास	..	..	..	जूनियर स्कूल

10	भूगोल	104·00	..	..	
11	विज्ञान (इन्टर)	13,874·16	9,867·67	42,639·80	
12	विज्ञान (हाई स्कूल)	7,965·92	597·66	..	
13	बिजली व्यय	10,288·00	84,419·04	93,307·00	
14	विद्युत समस्या	61,717·58	17,836·01	1,60,508·00	
15	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पोशाक	10,288·00	558·00	9,674·00	
16	छपाई एवं खोज सामग्री	6,271·63	16,827·07	24,282·00	
17	सैलरी टु ग्रोन्डर एन्ड राउड	44,178·75	..	17,374·00	जूनियर स्कूल
18	गेम हाऊस मास्टर एलाउन्स	39,600·00	41,881·24	3,000·00	
19	फर्नीचर मरम्मत	7,000·52	16,093·18	4,026·00	
20	नया फर्नीचर मेज एवं कुर्सियां	8,091·47	26,750·10	32,938·00	
21	नया रसायन विज्ञान प्रयोग शाला	98,436·63	27,706·50	87,982·00	जूनियर स्कूल
	भवन लेखा ..	14,77,519·84	14,25,248·52	16,48,492·00	
22	आडोविजुअल शिक्षा	6,571·45	6,647·65	6,554·00	
23	एन0 सी0 सी0	17·00	28·00	17·00	

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

1	2	3	4	5	6
24	मोटर पम्प मरम्मत	2,030·00	2,922·59	4,555·00	
25	स्टाफ ग्रेचुएटी	15,591·75	7,500·00	2,423·00	
26	काकशेकुलर	5,980·63	7,415·56	10,859·00	जूनियर स्कूल
27	सेनेटरी फिटिंग्स	2,928·27	3,993·44	3,914·00	
28	वाद व्यय	467·10	2,032·45	2,671·00	जूनियर स्कूल
29	इन्डियन पब्लिक स्कूल सं फ्रेन्स	300·00	..	300·00	
30	बोर्डिंग हाउस सामान्य व्यय	17,359·75	3,495·18	..	
31	इनाम	1,977·50	..	6,622·00	
32	आर्ट एन्ड क्राफ्ट	108·60	145·00	..	
33	कालविंग एवं कालिवग न्यूज	2,552·00	4,559·85	5,132·00	
34	विद्यालय की अग्रिम	81,616·03	87,402·25	43,426·00	
35	पुराने छात्र दिवस	1,152·00	2,199·00	7,873·00	जूनियर स्कूल
36	कालेज प्रासपेक्ट्स	..	..	..	
37	कालेज प्रासपेक्ट्स	3,180·00	3,402·80	..	
38	छात्र डायरी	..	..	..	
39	कालेज, स्कालरशिप	5,940·00	6,720·00	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

40	आठप एवं कल्कूलेटर मशीन	11,776·78	..	..	
41	लेखा परीक्षा फीस	..	..	2,220·00	
42	परीक्षा	17,351·23	33,131·66	27,441·00	जूनियर स्कूल
43	मुतफर्रिक व्यय	1,669·50	..	..	
44	इन्स्योरेन्स	300·00	250·00	250·00	
45	परिचय पत्र	..	..	..	
46	विज्ञान	5,330·89	6,030·85	3,114·00	
				1,127·00	
		16,58,540·32	16,07,147·97	1,81,944·00	
47	मुतफर्रिक मरम्मत	..	652·75	..	
48	पंखा मरम्मत	..	2,374·50	..	
49	मेस फन्ड लेखा		6,14,100·00	4,31,594·00	
				1,13,558·00	जूनियर स्कूल
50	छात्र बिल लेखा	..	14,512·19	17,018·00	
				122·00	
51	सामान्य व्यय	..	11,294·73	..	
52	कृषि	..	4,051·50	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
53	साइकिल स्टैन्ड	..	1,781·00	..	
54	कालेज कैन्टीन	..	129·00	..	
55	डाक व्यय	..	2,622·00	..	
56	सफाई	..	625·00	..	
57	कोर्ट आफ वार्ड	..	100·00	..	
58	यात्रा लेखा	..	..	..	
59	टी० वी० रेडियो लाइसेन्स फीस	..	..	1,976·00	
				1,859·00	जूनियर हाई स्कूल
60	कार्यालय सामग्री	..	..	112·00	
61	काशन मनी	24,067·63	40,000·00	6,128·00	
				74,913·00	
				50,000·00	
62	बोर्डिंग लेखा	..	1,00,000·00	1,35,000·00	
	योग ..	22,75,343·51	23,06,718·81	26,51,608·00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 675 पर ।)

थानाध्यक्ष गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध लगाये गये प्रमुख आरोप

1—थानाध्यक्ष गौरीगंज, श्री शीतल, निवासी ग्राम फाजिल का पुरवा, के लड़के को गायब कर देने तथा उसकी पत्नी को मारने पीटने के कथित मामले में अभियुक्तों का पक्षपात कर रहे हैं । हरिजनों को उत्पीड़ित कर रहे हैं ।

2—थानाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने को कहते हैं, न करने पर गाली देते व जान से मारने की धमकी देते हैं । थानाध्यक्ष की साजिश से श्री खन्दु कहार ने अपने घर का दरवाजा श्री शीतल प्रसाद यादव की दूकान में खोल लिया ।

3—थानाध्यक्ष गौरीगंज के लड़के के साथ श्री आलमगीर अपनी लड़की की शादी करने वाले हैं अतः श्री मुईद्दीन, ग्राम मिश्रौली, थाना गौरीगंज जिनका भूमि विवाद अपने पट्टीदार आलमगीर से चल रहा है, के विरुद्ध थानाध्यक्ष एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं जबकि श्री आलमगीर, प्रार्थी श्री मुईद्दीन तथा उसके परिवार को उत्पीड़ित कर रहे हैं ।

अदर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 680 पर)

सचिवालय के सचिवालय प्रशासन अनुभागों में एक ही जगह पर गत दस वर्षों से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

सर्वश्री—

1—श्रीकृष्ण शुक्ल	प्रवर वर्ग सहायक
2—राजाराम श्रीवास्तव	संदर्भदाता
3—शमीमुल इस्लाम	प्रवर वर्ग सहायक
4—शोभ नाथ सिंह	अतिरिक्त लेखाकार
5—राम मोहन सक्सेना	अतिरिक्त लेखाकार
6—राजेन्द्र नाथ शुक्ला	अतिरिक्त लेखाकार
7—प्रकाश चन्द्र पाण्डे	सहायक कोषाध्यक्ष
8—बिन्दा प्रसाद श्रीवास्तव	सहायक कोषाध्यक्ष
9—मुन्ना लाल मेहरोत्रा	बजट सहायक
10—कमरुल हसन सिद्दीकी	बजट सहायक
11—गिरीश चन्द्र उप्रेती	अतिरिक्त लेखाकार
12—कृपाल दत्त जोशी	जमादार
13—राज बहादुर सिंह	जमादार
14—चन्द्र शेखर बाजपेई	जमादार
15—देवी दत्त भट्ट	चपरासी
16—गौरी दत्त	चपरासी
17—राम सिंह भंडारी	चपरासी

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 686 पर)

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मान्यवर,

हम फर्रुखाबाद जनपद के प्रतिनिधि एक राय होकर सर्वसम्मति से आपसे फर्रुखाबाद में 25 अक्तूबर की दुर्घटना के सम्बन्ध में निवेदन करते हैं कि यह दुर्घटना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण थी। किन्तु विस्तृत जानकारी के बाद हमलोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस दुर्घटना में प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों का कोई दोष नहीं था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप छात्रों पर अनेक धाराओं में मुकदमें कायम हो चुके हैं और दूसरी ओर आपके द्वारा न्यायिक जांच के आदेश भी हो चुके हैं।

2—इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करवाई जा चुकी है। मन्डल आयुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक भी जांच कर चुके हैं। अब न्यायिक जांच का कोई लाभ या औचित्य प्रतीत नहीं होता है। न्यायिक जांच होने से पुनः उत्तेजना भड़क सकती है तनाव हो सकता है। अस्तु, शान्ति तथा व्यवस्था के हित में यही उचित राय है कि छात्रों पर कायम मुकदमे वापस कर दिए जाते और न्यायिक जांच के आदेश भी रद्द करने की कृपा की जावे।

भवदीय,

(ह0) गिरीश चन्द्र तिवारी

(ह0) ब्रह्म दत्त द्विवेदी

(ह0) बं0 गो0 चतुर्वेदी

(ह0) (अस्पष्ट), सदस्य, लोक सभा।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 688 पर)

सूची 'क'

आजमगढ़ जनपद के उन विद्यालयों की सूची जिन्हें वर्ष 1978-79 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिपूर्ति अनुदान स्वीकृत हुआ था :

1--बाबा रघुवर दास उ० मा० वि०, जमीलपुर ।

2--श्री दुर्गा जी उ० मा० वि०, शिवपुर ।

3--उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कप्तानगंज ।

4--श्री शंकर जी इंटर कालेज, कटघा, गहजी ।

5--बालक-बालिका उ० मा० वि०, रामवन, कुटी काश्मा ।

6--श्री मारुति वि०, एदिलपुर ।

7--जनता हा० से० स्कूल, मेहनाजपुर ।

8--ग्राम समाज इंटर कालेज, जयनगर, बाबू की खजुरी ।

9--मदन मोहन मालवीय उ० मा० वि०, कन्धरापुर ।

10--उद्योग इंटर कालेज, कोयलसा ।

11--गांधी उ० मा० वि०, किशुनदासपुर ।

12--पंचायत उ० मा० वि०, गौरा मेहनगर ।

13--युवुनाथ उ० मा० वि०, बहादुरपुर ।

14--नेशनल इंटर कालेज, अहरी, इन्दारा ।

15--सर्वोदय इंटर कालेज घोसी ।

16--शिवली नेशनल इंटर कालेज, आजमगढ़ ।

17--श्री शंकर इंटर कालेज, डीहा ।

18--गांधी स्मारक इंटर कालेज, बरदह ।

19--बापू उ० मा० वि०, सियरही ।

20--शिक्षक उ० मा० वि०, भीमबर ।

21--विक्ट्री इंटर कालेज, दोहरीघाट ।

22--श्री सुभाष उ० मा० वि०, टोडरपुर ।

23--वेस्ली इंटर कालेज, आजमगढ़ ।

24--बाबा देवनाथ इंटर कालेज, खरगपुर ।

25--डी० ए० वी० इंटर कालेज, मऊनाथभंजन ।

26—आदर्श उ० मा० वि०, महेशपुर ।

27—श्री राम राष्ट्रीय उ० मा० वि०, जहानागंज ।

28—श्री गयादीन जायसवाल इंटर कालेज, खुरासों ।

29—राष्ट्रीय इंटर कालेज, चिरैयाकोट, आजमगढ़ ।

30—गांधी गुरुकुल उ० मा० वि०, भवरनाथ ।

31—पब्लिक बालिका इंटर कालेज, बरांसदपुर, आजमगढ़ ।

32—श्रीमती गुजराती देवी सिंघल उ० मा० वि०, फतेहपुर, आजमगढ़ ।

सूची 'ख'

आजमगढ़ जनपद के उन विद्यालयों की सूची जिन्हें शासन द्वारा वर्ष 1978-79 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए अनुदान स्वीकृत हुआ था किन्तु 15 अक्तूबर, 198 तक उसका भुगतान विद्यालय को नहीं दिया गया :

1—शिबली नेशनल इंटर कालेज, आजमगढ़ ।

2—शंकरजी इंटर कालेज, कटवा, गहजी ।

3—बालक-बालिका इंटर कालेज, रामबन, कुटी काश्मा ।

4—मारुति उ० मा० वि०, ऐदिलपुर ।

5—सर्वोदय इंटर कालेज, घोसी ।

6—श्री शंकरजी इंटर कालेज, डीहा ।

7—गान्धी स्मारक इंटर कालेज, बरदहं ।

8—शिक्षक उ० मा० वि०, भीमबर ।

9—श्री दुर्गा जी उ० मा० वि०, शिवपुर ।

10—पंचायत उ० मा० वि०, गौरा, मेहनगर ।

11—जनता इंटर कालेज, मेहनाजपुर ।

12—जिक्ट्री इंटर कालेज, दोहरीघाट ।

13—यदुनाथ इंटर कालेज, बहादुरपुर ।

14—गान्धी गुरुकुल उ० मा० वि०, भंवरनाथ ।

15—उच्चतर मा० वि०, कप्तानगंज ।

16—ग्राम समाज इंटर कालेज, जयनगर ।

17—नेशनल इंटर कालेज, अदरी, इन्दारा ।

18—बापू इंटर कालेज, सियरही ।

19—श्री सुभाष उ० मा० वि०, टोडरपुर ।

20—बाबा देवनाथ इंटर कालेज, खरगपुर ।

21—गयादीन जायसवाल इंटर कालेज, खुरासों ।

22—बाबा रघुवर दास इंटर कालेज, जमीलपुर ।

23—जेसी इंटर कालेज, आजमगढ़ ।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 696 पर)

वर्ष 1979-80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण तथा वितरित खाद्यान्न का विवरण

क्र0सं0	मार्ग का नाम	वर्ष 1979-80 में वितरित खाद्यान्न की मात्रा	
		गेहूं (मी0 टन में)	चावल (मी0 टन में)
1	2	3	4
1	लक्ष्मीपुर सुरस मार्ग का निर्माण	0.47	2.50
2	रामनगर से कप्तानगंज मेहदावल मार्ग	20.71	6.30
3	नौतनवां ठूठीबारी लिंक	9.15	47.62
4	जगन्नाथपुर चन्दीथान मार्ग	16.10	28.10
5	मानीराम बालापार टिकरिया मार्ग	..	13.48
6	खाजुरिया मछलीगांव का शेष भाग	..	35.60
	खाद्यान्न योजना नं0 4 (मिट्टी पुलिया का कार्य)--		
1	डिउटहा निबलौल का छूटा भाग	..	4.23
2	महराजगंज चौक का छूटा भाग	2.01	6.46
3	श्यामदेउरवा मंगलपुर मार्ग	0.20	28.86
	खाद्यान्न योजना नं0 4 (ब्रिकरोलिंग)—		
1	विउटहा निचलौल का बकाया हिस्सा	..	5.55
2	महराजगंज चौक	..	..
3	स्यामदेउरवा मंगलपुर मार्ग	..	24.80

1	2	3	4
	खाद्यान्न योजना नं0 5 (मिट्टी का कार्य)—		
1	गडोरा लक्ष्मीपुर खुर्द मार्ग	..	5.00
2	निचलौल कोहड़ावल दुधई मार्ग	24.65	47.30
3	मेजर डिस्ट्रिक रोड 29 से कमईया फार्म	..	11.80
4	विउटहा निचलौल का बकाया भाग	..	14.30
5	सिसवा हेवती से सुन्दुरिया	..	35.66
6	परतावल चौमुखा मार्ग	..	19.86
7	कप्तानगंज मेंहदावल से देवीपुर मंसूरगंज	7.73	28.65
	खाद्यान्न योजना नं0 4—		
1	संग्रामपुर उर्फ उनवल	22.9	16.5
2	हटवार भुसवल बुजुर्ग	18.1	..
3	दशवतपुर गोपालपुर	29.0	67.7
4	गगहा गजपुर मार्ग से बेलकुर	3.5	2.5
5	गगहा गजपुर	1.2	71.4
6	राजधानी भटियारा	..	30.9
7	गुलरिहा जंगल जौनपुर	..	..
8	डागीपार मिर्जापुर	..	..
	खाद्यान्न योजना नं0 5—		
9	भैंसाबाजार हरिहरपुर माल्हनपार का छूटा भाग	24.0	32.4
10	कटघर डोडी विगही	15.0	52.3
11	महदेवा बाजार पाकड़घाट	11.4	11.6
12	सिकरीगंज बेलघाट कूरीबाजार	..	11.4
13	डागीपार–मिर्जापुर	20.9	..
14	झगहा भौहावार	8.4	..
15	जगदीशपुर पिपराईच	19.8	23.0

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 149 का उत्तर पीछे पृष्ठ 707 पर)

नकल प्रार्थना-पत्र श्री श्याम लाल पुत्र हरीराम शाक्य नि0 डालपुरा थाना करहल जिला मैनपुरी दिनांक 26-7-1980 जो जिलाधीश, मैनपुरी को सम्बोधित है ।

सेवा में, निवेदन है कि मेरे दो मुकदमा 695, 695 सन् 1971 आर0 ओ0 महोदय मैनपुरी के न्यायालय में शिब्बो उर्फ द्रोपदी बनाम सत्यदेव आदि धारा 229 बी मौजा डालपुरा चल रहे थे जो कि 7-8-1979 हाईकोर्ट में रिट के तहत स्टे थे। जिसमें वादिनी के पुत्र रामबाबू पुत्र पुत्तूलाल साकिन मोहल्ला पुरोहितान शहर मैनपुरी व श्री कुलदीप सिंह चौहान एडवोकेट व चन्द्रसेन दीक्षित पेशकार आर0 ओ0, मैनपुरी ने दिनांक 9-6-1980 को फर्जी वकालतनामा व बयान तहरीरी श्यामलाल, सत्यदेव, जगदीश व महाबीर सिंह आदि प्रतिवादी गणों के नकली हस्ताक्षर कर दाखिल किया है और न्यायालय में फर्जी कार्यवाही करते रहे और न्यायालय से दो आदेश 21-6-1980 व 17-7-1980 अपने पक्ष में न्यायालय को धोखा देकर करा लिये । इस केश में रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ जिनकी मृत्यु हो चुकी है व रनवीर सिंह यादव ए0 डी0 जो0 सी0, जो शिकोहाबाद में कार्यरत हैं वकील ह मेरे तथा मेरे अधिवक्ता भी 7-8-1979 के बाद कोर्ट आदि पर नहीं हुए तथा न किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध या नोटिस प्राप्त हुआ है । इसलिये इस फर्जी कार्यवाही की सूचना मेरे वकील द्वारा फाइल का मुआइना करने पर दिनांक 24-7-1980 को पता चला है इसकी सूचना मेरे वकील द्वारा 24-7-1980 तार द्वारा आपको दी है तथा कोतवाली में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सं0 676, सन् 1980 धारा 420, 467, 468 आई0 पी0 सी0 तहरीर करा दी हैं ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों को पुलिस को निर्देश देकर दंडित कराने की व्यवस्था करें । उपरोक्त पुलिसों ने कोर्ट द्वारा न्यायालय का आदेश प्राप्त कर हम लोगों के भूमि अभिलेख में नाम कटा दिये हैं ।

प्रार्थी :

दिनांक 26-7-1980

श्री श्याम लाल पुत्र

हरीराम शाक्य, नि0 डालपुर,

थाना करहल, जिला मैनपुरी ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 154 का उत्तर पीछे पृष्ठ 710 पर)

वर्ष 1978-79 एवं 1980 में बद्री केदार यात्रा सीजन के दौरान टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली तथा गढ़वाल जनपदों में सीजनल ड्यूटी हेतु अन्य जनपदों से निम्नलिखित जनपदों में नियुक्त किये गये पुलिस कर्मियों की संख्या तथा उन पर स्थानान्तरण भत्तों एवं विशेष ड्यूटी भत्तों पर हुआ कुल व्यय का विवरण।

क्र0 सं0	जिले का नाम	वर्ष 1978		वर्ष 1979		वर्ष 1980	
		पुलिस कर्मियों की संख्या	व्यय की गई धनराशि	पुलिस कर्मियों की संख्या	व्यय की गई धनराशि	पुलिस कर्मियों की संख्या	व्यय की गई धनराशि
			रु0		रु0		रु0
1	टिहरी-गढ़वाल	66	34,251.85	71	38,306.05	72	36,005.03
2	उत्तरकाशी	86	38,770.80	88	43,220.30	68	37,432.10
3	चमोली	181	44,233.85	161	74,389.75	149	77,241.95
4	पौड़ी-गढ़वाल	40	15,624.00	64	27,509.40	60	27,716.50
	योग ..	373	1,32,880.50	384	1,83,425.50	349	1,78,395.58

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 184 का उत्तर पीछे पृष्ठ 720 पर)

जनपद बाराबंकी में दिनांक 9-6-1980 से 20-11-1980 तक हुयी हत्या व डकैती के सम्बन्ध में थानेवार सूचना

क्रमांक	नाम थाना	हत्या	डकैती
1	कोतवाली	8	2
2	देवा	5	3
3	टिकैत नगर	..	..
4	पंटरगा	1	..
5	लोनी कटरा	3	2
6	रुदौली	4	..
7	आर0 एस0 घाट	3	2
8	फतेहपुर	5	2
9	कुर्सी	8	5
10	रामनगर	6	2
11	मसौली	4	5
12	जैदपुर	5	..
13	सुबेहा	3	..
14	सफदरगंज	2	..
15	मवई	..	1
16	मोहम्मदपुर	2	1
17	कोठी	2	2
18	असन्द्रा	3	4
	योग ..	64	31

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 200 का उत्तर पीछे पृष्ठ 726 पर)

नाम, पता मारे गये डकैत का	उसकी जाति
1—रामसरीखा पुत्र जगत नोनिया, सा0 मसंल, लार, जनपद देवरिया	नोनिया
2—छट्ठू उर्फ किशनदयाल उर्फ सोहन पुत्र नन्दन नोनिया सा0 अमारीझागा, थाना हाटा, देवरिया	नोनिया
3—परमहंस पुत्र रामजियावन, कोइरी, सा0 करोंदी, थाना भौंरे, जिला—गोपालगंज (बिहार)	कोइरी
4—रामधारी यादव, सा0 बलवा, थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज (बिहार)	यादव
5—शिवकान्त पुत्र रामदुलारे, सा0 खैरहवा देवा, थाना बासगांव, गोरखपुर	ब्राह्मण
6—रामाश्रय पुत्र दधिबल, केवट, सा0 सिगाडो, थाना कप्तानगंज, जिला देवरिया	केवट
7—रामदुलारे पुत्र ढगई, कुर्मी, सा0 पिपराखाडर, थाना श्यामदेउरवा, जिला गोरखपुर	कुर्मी
8—बंका बुसाध पुत्र बंसो, सा0 खजुरीभट्ट, थाना खुखुन्दू, देवरिया	बुसाध
9—रामप्रसाद पुत्र भल्ली, हरिजन, सा0 अमवाखांस, टोला लिलहा, थाना विशुनपुरा, देवरिया	हरिजन
10—केदार केवट, सा0 अवधपुर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया	केवट
11—लालमनि कमकर पुत्र सूयंबली, सा0 मझौली राज—टोला शंकरपट्टी, थाना सलेमपुर, देवरिया	कमकर
12—गनेश केवट पुत्र भगेलू, सा0 डुमरी, निवासी थाना चौरीचौरा, जिला गोरखपुर	केवट

नाम, पता मारे गये डकैत का	उसकी जाति
13--सुबेदार उर्फ कटटर गोंड पुत्र ठग, सा० बकुथी, थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया	गोंड
14--सुभाष पुत्र सन्हू मियां, सा० सिकटा, थाना तुर्कपट्टी, जिला देवरिया	मुसलमान
15--वकील पुत्र जान मुहम्मद, सा० पत्थरखिया, थाना विशुनपुरा, देवरिया	मुसलमान
16--रामधारी दुबे उर्फ धारी दुब उर्फ उधार दूबे पुत्र खदार दूबे, सा० जुंनगढ़ उर्फ आनन्दगढ़, थाना बड़हलगंज, गोरखपुर	ब्राह्मण
17--रामसूरत यादव पुत्र विशनदेव उर्फ विशुव सा० कटपा बाजार, थाना, गोरखपुर	यादव
18--सबरू हरिजन पुत्र कालोचरन, सा० धरनी पट्टी, थाना खड्डा जनपद, देवरिया	हरिजन
19--मनौदर पुत्र तेज मियां, सा० मुसहिवा, थाना पडरौना, जिला देवरिया	मुसलमान
20--हरेन्दर अवधिया सा० नरायनपुर, थाना माझागढ़, (बिहार)	अवधिया
21--लालबाबू अवधिया सा० अहिरालोदान, थाना तरया-सुझान, देवरिया	अवधिया
22--समरथ यादव पुत्र दुर्गा यादव, सा० पथर देई, थाना सिवान (बिहार)	यादव
23--चन्द्रभान पुत्र दुबरी यादव, सा० पिपराखेरवा, थाना रुद्रपुर जनपद, देवरिया	यादव
24--रमाशंकर उर्फ शंकर सैथवार, सा० लेहनी, थाना कप्तानगंज, जनपद देवरिया	सैथवार
25--रामदंगल भर पुत्र गनपति भर, सा० तनूवाचौबे, थाना खुखुन्दू, जनपद देवरिया	भर
26--एक नफर डकैत नाम, पता अज्ञात	

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 205 का उत्तर पीछे पृष्ठ 727 पर)

दिनांक 1-1-1977 से 15-8-1980 की अवधि में वाराणसी जिले के विभिन्न थानों के अन्तर्गत पंजीकृत डकैती की घटनाओं के बारे में विवरण

थाने का नाम	पंजीकृत अपराधों की संख्या		
	पिछड़ी जाति द्वारा	हरिजन जाति द्वारा	उच्च जाति द्वारा
1	2	3	4
1—कोतवाली	..	..	3
2—चौक	..	..	7
3—आदमपुर	..	..	7
4—राम नगर	..	2	2
5—दशाश्वमेघ	..	..	5
6—भेलूपुर	1	..	7
7—मडुवाडीह	..	1	3
8—चेतगंज	..	..	5
9—कैन्ट	4	..	12
10—जैतपुरा	1	1	1
11—चौबेपुर	1	5	8
12—चोलापुर	1	1	7
13—रोहनियां	2	..	5
14—मिर्जामुराद	25	1	5
15—सैयदराजा	13	1	4
16—सकलडीहा	..	2	6
17—धानापुर	5	..	..
18—बलुआ	4	1	5
19—मुगलसराय	8	1	..

1	2	3	4
20—अलीनगर	6	4	5
21—चन्दौली	3	2	5
22—चकिया	14	2	11
23—नौगढ़	3	1	2
24—बड़ागांव	15	1	4
25—फूलपुर	11	4	9
26—भदोही	7	2	6
27—गोपीगंज	2	5	..
28—सुरियावां	4	3	2
29—औराई	7	2	2
30—ज्ञानपुर	2	..	1

नत्थी 'ढ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 208 का उत्तर पीछे पृष्ठ 728 पर)

सूची

मांगें	कृत कार्यवाही
1--फैजाबाद-अयोध्या मार्ग की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आम आदमी, जानवरों एवं गाड़ियों का चलना दूभर हो गया है। आये दिन जानलेवा दुर्घटनायें हो रही हैं, लेकिन अभी इस पर तत्काल कोई कार्यवाही नहीं शुरू हुई।	1--फैजाबाद-अयोध्या मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
2--फैजाबाद में निर्मित होने वाले बहुचर्चित स्टेडियम का निर्माण भूमि और धन उपलब्ध होने के बावजूद नहीं हो रहा है।	2--फैजाबाद में स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में पहले से ही शीघ्रता से कार्यवाही की जा चुकी है और आशा है कि जल्द ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
3--फैजाबाद में निर्माणाधीन नरेन्द्रालय का निर्माण अविलम्ब पूरा कराया जाय।	3--नरेन्द्रालय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अल्द ही पूर्ण की जाने की आशा है।
4--अयोध्या नगरपालिका के सम्बन्ध में तत्काल समुचित निर्णय ले और उसमें तत्काल अहेतुक सहायता करें।	4--नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।
5--फैजाबाद नगरपालिका में तत्काल बिजली, पानी सप्लाईज व सड़कों की समुचित व्यवस्था करें।	5--नगरपालिका द्वारा दो जेनरेटर क्रय किए जा चुके है ताकि नगर में जलपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बिजली तथा सड़कों आदि के सम्बन्ध में भी हर सम्भव कार्यवाही की जा चुकी है।
6--ईद और नागपंचमी के अवसर पर समुचित चीनी की व्यवस्था हो तथा चीनी ब्लैक पर रोक लगाये तथा राशनिंग वितरण व्यवस्था आम जनता के लिए सुलभ करें।	6--समय-समय पर छापे मारकर 50 से अधिक चीनी के कोटेदारों के लाइसेन्स निलम्बित, निरस्त किए गए थे। नागपंचमी एवं ईद के समय चीनी की समुचित व्यवस्था कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है।

मांगें	कृत कार्यवाही
7--देहात क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकान पर गेहूं और उपलब्ध कराया जाय एवं अनियमित कोटों को रद्द किया जाय ।	7--सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं और इस दिशा में काफी कार्य किया जा चुका ह ।
8--जनपद में बढ़ती हुई चोरी, डकैती, बलात्कार, रिश्वत आदि घटनाओं पर तत्काल नियन्त्रण किया जाय और पुलिस प्रशासन को चुस्त किया जाय ।	8--इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर कई बैठकें की जा चुकी हैं और इधर काफी सुधार भी हुआ है । अपराध स्थिति नियंत्रण में है ।
9--जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों को तत्काल समुचित राहत पहुंचाए तथा उसमें हो रही अनियमितता को तत्काल रोका जाय । विशेषकर टांडा तहसील में कोई बाढ़ केन्द्र भी उचित व्यवस्था नहीं है । सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचनायें फर्जी हैं अतः कार्य कराये जायं ।	9--इस सम्बन्ध में पहले से ही समुचित व्यवस्था की जा चुकी थी और अब तक 70 लाख रुपये से अधिक की धनराशि अहेतुक सहायता एवं तकावी आदि के रूप में वितरित की जा चुकी है । टांडा तहसील में भी बराबर बाढ़ सहायता कार्य किया गया है । वहां बाढ़ आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त कार्यवाही की जा चुकी है ।
10--जिले में छात्रों को सस्ते दामों पर कापियां एवं किताबें उपलब्ध कराने के लिए अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जायं ।	10--इस सम्बन्ध में बराबर कार्यवाही की गई है और अब तक पांच लाख से अधिक कापियों का वितरण हो चुका है और अब भी कार्य प्रगति पर है ।
11--लोक बन्धु श्री राज नारायण की जीवन रक्षा की जाय ।	11--यदि ऐसी आवश्यकता हुई तो शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 221 का उत्तर पीछे पृष्ठ 733 पर।)

कार्यालय मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, षष्ठम मण्डल, लखनऊ

पत्रांक एन0 डी0 4/3005/80-81, दिनांक 4 अगस्त, 1980

श्री एल0 पी0 कनौजिया,

अन्वेक्षण निरीक्षक,

कार्यालय डाक महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कु0 अन्नपूर्णा भारती कक्षा 8 भूतपूर्व छात्रा राजकीय कन्या इन्टर कालेज, रायबरेली की टी0 सी0 के सम्बन्ध में आप द्वारा शिकायत की जांच की गई। जांच आख्या शिक्षा निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। सम्बन्धित प्रधानाचार्या ने टी0 सी0 निर्गत करने में छात्रा के साथ परोक्ष रूप में जो व्यवहार करने का प्रयास किया है। वह अनुचित था।

सम्बन्धित प्रधानाचार्य ने अपनी आख्या में यह निवेदन किया है कि विद्यालय कार्यालय द्वारा निर्गत टी0 सी0 मूल रूप में प्रेषित की जाय ताकि संशोधित टी0 सी0 निर्गत की जा सके।

अतः यदि आप उचित समझें तो विद्यालय कार्यालय द्वारा निर्गत टी0 सी0 मूल रूप में भेज दें ताकि संशोधित टी0 सी0 विद्यालय द्वारा निर्गत की जा सके।

ह0

मण्डलीय बालिका विद्यालय, निरीक्षिका,

षष्टम मण्डल, लखनऊ।

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 228 का उत्तर पीछे पृष्ठ 735 पर।)

जनपद फैजाबाद के सहायता प्राप्त/अ सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची जिन्हें वर्ष 1979-80 में सूखे के कारण माह अक्तूबर, 1979 से मार्च, 1980 तक छात्र/छात्राओं से शिक्षण शुल्क न लिये जाने के कारण उत्पन्न घाटे की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान धनाभाव के कारण नहीं स्वीकृत किया जा सका ।

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

1--एम0 एल0 एम0 एल0 इन्टर कालेज, फैजाबाद ।

2--राजकरण वै0 पा0 इंटर कालेज, फैजाबाद ।

3--एम० एल0 एल0 आदर्श इन्टर कालेज, फैजाबाद ।

4--फॉर्बस इन्टर कालेज, फैजाबाद ।

5--ए 10 एस0 वी0 इन्टर कालेज, फैजाबाद ।

6--महाराजा इन्टर कालेज, अयोध्या, फैजाबाद ।

7--बापू बालिका इन्टर कालेज, फैजाबाद ।

8--आर्य कन्या इंटर कालेज, फैजाबाद ।

9--गुप्ता लाल मदन लाल विद्यामन्दिर उ0 मा0 विद्यालय, फैजाबाद ।

10--महन्तलाल दास इंटर कालेज, देवगांव, फैजाबाद ।

11--महात्मा गांधी इंटर कालेज, अमानीगंज, फैजाबाद ।

12--बलदेव विद्यापीठ इंटर कालेज, सवेरा, फैजाबाद ।

13--सर्वोदय इंटर कालेज, रामगंज, फैजाबाद ।

14--रामचरण इंटर कालेज, घटोली, फैजाबाद ।

15--देव विद्यालय इंटर कालेज, तिरोली, फैजाबाद ।

16--किसान विद्यालय इंटर कालेज, कल्यानपुर, फैजाबाद ।

17--आर0 डी0 इंटर कालेज, सुविनगंज, फैजाबाद ।

18--रामबल्लभ भगवन्त विद्यापीठ ड्योढ़ी, फैजाबाद ।

19--सेठ द्वारिका प्रसाद मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल, मोतीनगर, फैजाबाद ।

20--श्री अनन्त इंटर कालेज, खपरडीह, फैजाबाद ।

21--जनता इंटर कालेज, जगसिंहगंज, फैजाबाद ।

22--के0 के0 ए0 डी0 इंटर कालेज, मचरुद्दीनपुर, फैजाबाद ।

23--ग्राम विद्यालय उ0 मा0 वि0, कोटैला, फैजाबाद ।

24--बच्चू लाल इंटर कालेज, पूरा, फैजाबाद ।

25--पी० डी० पाण्डेय इंटर कालेज, सोनेरा, फैजाबाद ।

26--श्री निर्भय सिंह औद्योगिक इंटर कालेज, रामपुर, संधी ।

27--आर० बी० एस० इंटर कालेज, गोसाईगंज ।

28--द्वापर विद्यापीठ इंटर कालेज, बरईपारा ।

29--जय किसान उ० मा० वि०, अरबत ।

30--शक्ति आश्रम इंटर कालेज, सया ।

31--रामदेव जनता उ०मा० वि०, कटेहरी ।

32--द्वारिका प्रसाद उ० मा० वि०, देनीपुर ।

33--डी० डी० के० जेटली उ० मा० वि०, बेनीपुर ।

34--लक्ष्मीकुंवर उ० मा० वि०, तारावला ।

35--सरदार पटेल स्मारक इंटर कालेज, लारपुर ।

36--नरेन्द्र देव इंटर कालेज, जलालपुर ।

37--मोतीलाल विद्यामन्दिर इंटर कालेज, मालीपुर ।

38--बाबा बरुआ दास इंटर कालेज, परुइया आश्रम ।

39--औद्योगिक उ० मा० वि०, कादिमपुर ।

40--सुभाष राष्ट्रीय इंटर कालेज, सेवरही ।

41--रामनोरे इंटर कालेज, शिवपाल, फैजाबाद ।

42--जनता ग्रामोद्योग उ० मा० वि०, चकिया, फैजाबाद ।

43--गांधी ग्रामोद्योग उ० मा० वि०, पिन्डोरिया, फैजाबाद ।

44--श्री हीरालाल जैसवाल, इंटर कालेज, सिठौरा, फैजाबाद ।

45--नेशनल इंटर कालेज, हंसपुर, फैजाबाद ।

46--राम नारायण उ० मा० वि०, फूलपुर, फैजाबाद ।

47--सहयोगी नेशनल इंटर कालेज, इन्दईपुर, फैजाबाद ।

48--एन० टी० इन्टर कालेज, टान्डा, फैजाबाद ।

49--राम लाल सिंह राम फर जनता इंटर कालेज, सेवतगंज ।

50--बापू स्मारक इंटर कालेज, माऊसांडा ।

51--आर्य कन्या इंटर कालेज, टान्डा, फैजाबाद ।

52--आदर्श कृषक इंटर कालेज, खखतारा, फैजाबाद ।

53--कौमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टान्डा, फैजाबाद ।

54--राष्ट्रीय इंटर कालेज, तेन्दुवाई कला ।

55--गांधी स्मारक इंटर कालेज, राजेसुलतानपुर ।

56--उल्लन जी ब्रह्मचारी, उ० मा० वि०, भरतपुर ।

57--श्री जवाहर लाल स्मारक उ० मा० वि०, जवाहरनगर, फैजाबाद ।

58--ग्राम स्वावलम्बी इंटर कालेज, रनीबा फैजाबाद ।

59--साहबदीन सीताराम उ० मा० वि०, फैजाबाद ।

60--फ्नौत कान्वेन्ट उ० मा० वि०, फैजाबाद ।

61--मेथाडिस्ट गर्ल्स उ० मा० वि०, फैजाबाद ।

62--लालता प्रसाद कन्या उ० मा० वि०, मुबारकपुर, फैजाबाद ।

63--अजय प्रताप उ० मा० वि०, भीटी, फैजाबाद (अ०हायक मान्यता प्राप्त)।

नोट--क्रमांक 59, 60, 61 तथा 62 पर अंकित चारों विद्यालय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जो कि हाई स्कूल स्तर तक ही अनुदायित है। कक्षा 10 तक छात्राओं को शिक्षा शुल्क लिए जाने का प्राविधान नहीं है। अतः उक्त विद्यालयों को शुल्क से हुई क्षतिपूर्ति के निमित्त अनुदान स्वीकृत किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।